

DEVELOPMENT PLANNING OF BACKWARD ECONOMY  
A CASE STUDY OF SONBHADRA DISTRICT OF U. P.

पिछड़ी अर्थव्यवस्था का विकास नियोजन :  
उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद का एक संदर्भित अध्ययन



( इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी. फिल. उपाधि हेतु प्रस्तुत )  
सोध प्रबन्ध

विद्वेषक  
डॉ. श्री. एन. सिंह, डी. फिल.  
प्रबन्धा, सूचीक विभाग  
इलाहाबाद, विश्वविद्यालय

सोपकशी  
डॉ. श्री. सिंह  
सूचीक विभाग  
इलाहाबाद विश्वविद्यालय  
इलाहाबाद

1993

## प्रारम्भिक

गाँवों का प्रादुर्भाव नगरों से पहले हुआ था। गाँव ही सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा प्रशासनिक गतिविधियों के केन्द्र हुआ करते थे। कालान्तर में नगरों का प्रादुर्भाव एवं विकास गाँवों से ही हुआ। सम्प्रति नगर आर्थिक विकास के पर्याय बन गए हैं। ब्रिटिश काल में गाँवों की प्रमुख भूमिका कच्चे माल के संभरण एवं विनिर्मित माल के उपभोक्ता केन्द्र के रूप में रही। स्वतन्त्रता के पश्चात् सभी पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण विकास को उच्च प्राथमिकता दी गयी। वस्तुतः सम्पूर्ण गाँवों के विकास के बिना (जहाँ देश की 75 प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में रहती है) देश का समन्वित-विकास नहीं हो सकता है। क्षेत्रीय असमानताओं एवं विविधताओं के कारण प्रशासनिक एवं भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में सूक्ष्म-स्तरीय विशिष्ट योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया जा रहा है। इसका प्रमुख उद्देश्य आर्थिक एवं क्षेत्रीय विषमता को समाप्त करना तथा ग्रामीणों को जीवन स्तर को उच्च करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति कृषि, उद्योग, परिवहन, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के विकास पर निर्भर है। अर्थात् समन्वित क्षेत्र-विकास के लिए सूक्ष्म-स्तरीय आयोजन अपरिहार्य है।

इसी उद्देश्य के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत शोध विषय 'पिछड़ी अर्थव्यवस्था का विकास नियोजन उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद का एक सदर्भित अध्ययन' का चयन किया गया है। वर्तमान जनपद सोनभद्र का अध्ययन क्षेत्र के रूप में चयन कई परिकल्पनाओं एवं तथ्यों की दृष्टि से किया गया है। प्रथम, 'वर्तमान समय में उद्योग पिछड़े क्षेत्रों के विकास के माध्यम हैं।' वस्तुतः यह सिद्धान्त कितना कारगर है इसके अध्ययन के लिए सोनभद्र उपयुक्त क्षेत्र है। द्वितीय, यहाँ का औद्योगिकरण हाल ही में प्रारम्भ हुआ है। उद्योगों की स्थापना से गुणात्मक तथा ऋणात्मक प्रभाव के अध्ययन के लिए उपयुक्त क्षेत्र है। तृतीय, कुटीर तथा लघु उद्योगों की पर्याप्त संभावनाएं हैं किन्तु इसका समुचित विकास नहीं किया जा रहा है। चतुर्थ, कृषि क्षेत्र की कमी है किन्तु जल एवं ताप विद्युत गृहों की अवस्थापना तथा बांधों एवं बाँधियों के निर्माण से कृषि विकास की सम्भावना बढ़ गयी है। फसल गहनता में वृद्धि तथा फसल प्रतिरूप में परिवर्तन की पर्याप्त सम्भावना है। पंचम, यहाँ अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की जनसंख्या बहुत अधिक (42.5 प्रतिशत) है। ये पिछड़ेपन के पर्याय माने जाते हैं। अतः इनके विकास की पर्याप्त आवश्यकता है। षष्ठम, रोजगार पाने के

पर्याप्त सम्भावनाओं के बावजूद तकनीकी ज्ञान एवं अल्प वित्तीय साधन के अभाव में यहाँ के लोग बेरोजगारी के शिकार हैं। सप्तम, अध्ययन क्षेत्र की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति एवं स्वरूप होने के कारण विकास की पर्याप्त सभाव्यता है। अष्टम, शोधकर्ता अध्ययन क्षेत्र की समस्याओं एवं आवश्यकताओं से भलीभाँति परिचित है (जन्म स्थली होने के कारण) तथा उसके पहुँच के अन्तर्गत है। इसके अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार एवं अन्य सुविधाओं की पर्याप्त कमी है, जो विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक है। यहाँ की भौतिक एवं सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई है जिसके त्वरित विकास की आवश्यकता है।

अध्ययन क्षेत्र के विकास आव्यूह का विश्लेषण संकल्पनात्मक एवं व्यावहारिक दोनों ही दृष्टियों से किया गया है। संकल्पनात्मक विश्लेषण में यथा संभव उपलब्ध साहित्यों के अनुशीलन से प्राप्त विचारों को प्रस्तुत किया गया है। व्यावहारिक विश्लेषण आकड़ों एवं क्षेत्रीय अनुभवों पर आधारित है। अध्ययन क्षेत्र के सूक्ष्म स्तरीय स्वरूप होने के कारण प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग किया गया है किन्तु द्वितीयक आंकड़े ही अधिक प्रयुक्त हुए हैं। प्राथमिक आंकड़े जिला उद्योग केन्द्र, राबर्ट्सगंज, आद्योगिक प्रतिष्ठान केन्द्रों, जिला कृषि कार्यालय, राबर्ट्सगंज, लोक निर्माण विभाग, राबर्ट्सगंज, तहसील मुख्यालय, राबर्ट्सगंज एवं दुब्डी, विकास खण्ड मुख्यालय, राबर्ट्सगंज, घोरावल, चतरा, नगवा, चोपन, दुब्डी, म्योरपुर, व बभनी, जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय, जिला स्वास्थ्य केन्द्र राबर्ट्सगंज और पशु अस्पताल केन्द्र राबर्ट्सगंज से प्राप्त किये गये हैं। द्वितीयक आंकड़ों के मुख्य स्रोत जनगणना हस्तपुस्तिका, जनपद मिर्जापुर, 1961 तथा 1971, गजेटियर, जनपद मिर्जापुर, 1988, सांख्यिकीय पत्रिका जनपद सोनभद्र, 1992; सोनभद्र जनपद के अग्रणी बैंक, इलाहाबाद बैंक की वार्षिक कार्य योजना, सोनभद्र 1991-92; जनपद सोनभद्र की जिला कार्य योजना, 1992-93, उद्योगों की निर्देशिका, जनपद सोनभद्र, 1991-92; भारत 1991 तथा उत्तर प्रदेश वार्षिकी, 1990-91 है। उपर्युक्त आंकड़ों के अतिरिक्त यथा स्थान व्यक्तिगत सर्वेक्षण एवं अनुभव का भी आश्रय लिया गया है। आंकड़ों के विश्लेषण में दुरूह सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग नहीं किया गया है किन्तु बस्तियों के अन्तरालन, विकास केन्द्रों के सीमांकन, शस्य गहनता, शस्य-साहचर्य, सड़क-सम्बद्धता तथा जनसंख्या प्रक्षेपण में यथा आवश्यक सामान्य सांख्यिकीय सूत्रों का प्रयोग किया गया है। विषय की स्पष्ट व्याख्या के लिए कुछ स्थानों पर आंकड़ों की पुनरावृत्ति भी की गयी है। विश्लेषित एवं संश्लेषित आंकड़ों को मानचित्रों एवं तालिकाओं से

अधिक बोधगम्य बनाया गया है। प्रस्तुत अध्ययन की सुस्पष्टता के लिए 60 तालिकाओं एवं 43 मानचित्रों आरेखों व चित्रों को सम्मिलित किया गया है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन में, समय एवं संसाधनों के अभाव में, समन्वित क्षेत्र-विकास से सम्बन्धित केवल कृषि, उद्योग, परिवहन, संचार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य का विकास नियोजन प्रस्तुत किया गया है। उपर्युक्त क्षेत्रों का विकास-नियोजन 'विकास-केन्द्र' उपागम के अन्तर्गत विवेचित है। विकास-केन्द्र निर्धारण की प्रक्रिया सर्वथा व्यक्तिनिष्ठ प्रक्रिया है। इसके लिए उपलब्ध साहित्यों के अनुशीलन तथा क्षेत्रीय अनुभव के आधार पर उन्ही बस्तियों को विकास केन्द्र/सेवा केन्द्र के रूप में मान्यता प्रदान की गयी है जो चयनित 35 आधारभूत कार्य/सेवाओं में से जूनियर बेसिक विद्यालय, मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र एवं उपकेन्द्र तथा फुटकर बाजार के अतिरिक्त किन्हीं दो कार्यों को सम्पादित कर रहे हो या उनके द्वारा सम्पादित सम्पूर्ण कार्यों का मान 3.16 से कम न हों। कार्यों के मान तथा सेवा केन्द्रों के केन्द्रीयता के मापन में एक नवीन विधि को व्यवहृत किया गया है। इस विधि से कार्य/सेवाओं के सापेक्षिक महत्त्व का स्पष्टीकरण होता है। सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र के भ्वाकृतिक स्वरूप एवं कार्यात्मक रिक्तता को देखते हुए 61 नए विकास-केन्द्रों का चयन, आधार-भूत कार्य/सेवाओं की आवश्यकता हेतु किया गया है। निर्धारित एवं प्रस्तावित विकास/सेवा केन्द्रों के परिप्रेक्ष्य में ही सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र का विकास-नियोजन प्रस्तुत है।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध को, अध्ययन क्षेत्र में समन्वित विकास के लिए आठ अध्यायों में विवेचित किया गया है। अध्याय एक में शोध विषय सम्बन्धी (विकास, नियोजन एवं पिछड़ी अर्थव्यवस्था) समालोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। अध्याय दो में अध्ययन क्षेत्र की भौगोलिक पृष्ठभूमि का विशद विवरण प्रस्तुत है साथ ही इसके परिप्रेक्ष्य में विकास-नियोजन प्रस्तुत है। अध्याय तीन में बस्तियों के स्थानिक-कार्यात्मक सगठन की समीक्षा तथा जनपद के विकास ध्रुवों की विवेचना प्रस्तुत है। अध्याय चार में वर्तमान कृषि प्रतिरूप के मूल्यांकन के उपरान्त कृषि-विकास नीति की व्याख्या की गयी है। अध्याय पाँच में वर्तमान औद्योगिक पृष्ठभूमि का वर्णन कर स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योगों के अवस्थापना एवं विकास की नीति निर्धारित की गयी है। अध्याय छ में परिवहन एवं संचार व्यवस्था के वर्तमान पिछड़े स्वरूप के संदर्भ में तीव्र विकास नियोजन का प्रस्ताव है। अध्याय सात में सामाजिक सुविधाओं




से सम्बन्धित शिक्षा एवं स्वास्थ्य के वर्तमान स्वरूप का वर्णन कर वांछित विकास हेतु नियोजन प्रस्तुत है। अध्याय आठ में समन्वित क्षेत्र-विकास से सम्बन्धित विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत है। इस अध्याय में उन पक्षों की समीक्षा प्रस्तुत की गयी है जिनका समन्वित क्षेत्र-विकास में महत्वपूर्ण योगदान है किन्तु अनेक कारणों से शोध-प्रबन्ध के अध्ययन में सम्मिलित नहीं किया गया है।

विकास, नियोजन तथा पिछड़ेपन से सम्बन्धित साहित्य अनेक सामाजिक विज्ञानों में उपलब्ध है, उन सभी का विवरण देना दुरूह कार्य है। यथास्थान उल्लिखित सन्दर्भों को प्रत्येक अध्याय के अन्त में संख्या-क्रम में प्रस्तुत किया गया है। शोध प्रबन्ध के अंत में दो परिशिष्ट दिए गए हैं। प्रथम में शब्दावली तथा द्वितीय में प्रस्तुत शोध विषय एवं क्षेत्र से सम्बन्धित ग्रन्थों एवं लेखों का उल्लेख किया गया है।

चिर प्रेरणा के स्रोत गुरु प्रवर डॉ० बी० एन० सिंह (प्रवक्ता, भूगोल विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय) का मैं हृदय से आभारी हूँ, जिन्होंने विषम परिस्थिति में, अपने सुयोग्य निर्देशन में शोध-प्रबन्ध को यथाशीघ्र पूर्ण करने का सुअवसर प्रदान किया। प्रो० आर० एन० तिवारी (निवर्तमान अध्यक्ष, भूगोल विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय), डॉ० आर० एन० सिंह (रीडर, भूगोल विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय) तथा डॉ० बी० एन० मिश्र (रीडर, भूगोल विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय) के प्रति आभार प्रकट करता हूँ जिनके सतत प्रोत्साहन एवं विद्वतापूर्ण सुझावों से हमेशा मार्ग दर्शन मिलता रहा। डॉ० सविन्द्र सिंह (वर्तमान अध्यक्ष, भूगोल विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय) तथा डॉ० आर० सी० तिवारी (रीडर, भूगोल विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय) की प्रेरणाएँ न केवल प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध को पूर्ण करने में सहायता की वरन् जीवन की सच्चाई को समझने में आजीवन मार्ग प्रशस्त करती रहेंगी, का मैं आभारी हूँ। डॉ० सुधाकर त्रिपाठी, डॉ० नन्द किशोर सिंह, डॉ० सुनील त्रिपाठी, डॉ० रमा शंकर मोर्य, डॉ० राम दुलारे पाण्डे तथा शोध छात्र ओम प्रकाश राय एवं अशोक कुमार सिंह के प्रति आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने समय-समय पर अपना सुझाव एवं सहयोग प्रदान किया। मैं अपने समस्त परिवार जनों का, जिनके त्याग, प्रेरणा एवं स्नेह ने मुझे इस योग्य बनाया, आजीवन ऋणी रहूँगा।

अंत में, मैं टाइपिस्ट गोविन्द दास एवं राम नाथ सिंह को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने शोध-प्रबन्ध का टंकण कार्य अतिशीघ्र पूर्ण करने में सहयोग प्रदान किया। मैं उन सभी सस्थाओं, पुस्तकालयों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों तथा व्यक्तियों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने विविध प्रकार से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में सहायता करके शोध-प्रबन्ध को पूर्ण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी।

इलाहाबाद  
14 नवम्बर, 1993  
दीपावली

  
(धर्मवीर सिंह)  
शोध छात्र, भूगोल विभाग,  
इलाहाबाद विश्वविद्यालय  
इलाहाबाद

## विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन	i - iv
मानचित्रों एवं आरेखों की सूची	xi - xii
तालिकाओं की सूची	xiii-xiv
अध्याय 1 : संकल्पनात्मक विश्लेषण	1 - 44
1.1 विकास, प्रगति एवं सवृद्धि की अवधारणा	
(अ) प्रगति और विकास	
(ब) सवृद्धि और विकास	
(स) क्रान्ति और विकास	
1.2 विकास की भौगोलिक अवधारणा	
1.3 आर्थिक विकास की अवधारणा	
1.4 सविकास की अवधारणा	
1.5 विकास के निर्धारक तत्व	
1.6 विकास के सिद्धान्त	
1.7 नियोजन की संकल्पना	
1.8 नियोजन क्यों ?	
1.9 योजना प्रक्रिया के विभिन्न चरण	
1.10 नियोजन का स्वरूप	
1.11 विकास नियोजन	
1.12 सूक्ष्म स्तरीय नियोजन	
(अ) सूक्ष्म स्तरीय नियोजन से लाभ	
(ब) भारत में सूक्ष्म स्तरीय नियोजन	
1.13 स्थानबद्ध नियोजन	
1.14 पिछड़ी अर्थव्यवस्था की संकल्पना	
1.15 पिछड़ेपन का कारण	
1.16 पिछड़ी अर्थव्यवस्था के मापदण्ड	
1.17 पिछड़े क्षेत्रों की पहचान	
अध्याय 2: अध्ययन क्षेत्र की भौगोलिक पृष्ठभूमि	45 - 90
2.1 स्थिति एवं विस्तार	
2.2 भौतिक विशेषता	
(अ) प्रकृतिक विभाग	
(1) मध्यवर्ती पठारी भाग	
(2) सोनघाटी	
(ब) भौतिक स्वरूप एवं संरचना	
(1) दुद्धी तहसील का भौतिक स्वरूप	
(2) दुद्धी तहसील की भू-वैज्ञानिक संरचना	

1. प्रीकैम्ब्रियन शैल
2. नाइस
3. बिजावर शैल वर्ग
4. फाइलाइट
5. क्वार्टजाइट
6. डोलोमाइट/चूना पत्थर
7. क्षारीय शैल
8. गोंडवाना अनुक्रम

(क) तालचिर फार्मेशन

(ख) बाराकर फार्मेशन

(3) राबर्ट्सगंज तहसील का भौतिक स्वरूप

(4) राबर्ट्सगंज तहसील की भू-वैज्ञानिक संरचना

1. कैमूर समूह (कैमूर स्कार्य)
2. सेमरी समूह
3. बिजावर समूह

(स) अपवाह प्रणाली

(द) जलवायु

(य) मृदा

(1) मृदा संरचना

1. प्रीकैम्ब्रियन मणिभीय शैलों से निर्मित मृदा
2. बिजावर शैल से निर्मित मृदा
3. गोंडवाना अधिवर्ग की शैलों से निर्मित मृदा

(2) मृदा वर्गीकरण

1. दुब्धी तहसील की मृदा
  - (क) हाथी नाला श्रेणी
  - (ख) दुब्धी संघ
  - (ग) सिंगरौली श्रेणी
  - (घ) औड़ी श्रेणी
  - (ङ) कार्बनीफेरस
  - (च) गोहड़ा श्रेणी

2. राबर्ट्सगंज तहसील की मृदा

- (क) बेलन समुदाय
- (ख) विजयगढ़ समुदाय
- (ग) सोन समुदाय
- (घ) परासपानी समुदाय
- (ङ) हाथी नाला समुदाय
- (च) जुगैल समुदाय

- (र) प्राकृतिक वनस्पति एवं वन सम्पदा
- (1) नदी तटीय सीमावर्ती वन
  - (2) शुष्क प्रायद्वीपीय साल
  - (3) उत्तर शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन
  - (4) शुष्क पर्णपत्ती वनों के क्षुद्ररोह
  - (5) सलई वन
  - (6) परसिद्ध वन
  - (7) शुष्क बांस
- (ल) खनिज सम्पदा
- (1) धात्विक खनिज
    1. लौह अयस्क
    2. सोना
  - (2) अधात्विक खनिज
    3. सल्फाइड
    4. लाइम स्टोन
    5. मैग्नेटाइट
    6. सफेद मिट्टी
    7. मृत्तिका (बले)
    8. निर्माण सामग्री
    9. कोरण्डम
    10. कोयला

### 2.3 सांस्कृतिक पृष्ठभूमि

- (अ) लोकगीत, नृत्य एवं नाट्य
- (ब) जनसंख्या
- (1) जनसंख्या वितरण एवं घनत्व
  - (2) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
  - (3) साक्षरता
  - (4) व्यावसायिक संरचना
- (स) बस्तियों का प्रतिरूप

### अध्याय 3. बस्तियों का स्थानिक-कार्यात्मक संगठन एवं नियोजन

- 3.1 विकास-केन्द्र की संकल्पना
- 3.2 विकास-केन्द्र एवं केन्द्रीय कार्य
- 3.3 केन्द्रीय कार्यों का पदानुक्रम
- 3.4 विकास केन्द्रों का निर्धारण
- 3.5 केन्द्रीयता का निर्धारण
- 3.6 विकास केन्द्रों का पदानुक्रम
- 3.7 विकास केन्द्रों का स्थानिक वितरण
- 3.8 प्रस्तावित विकास केन्द्र एवं केन्द्रीय कार्य

अध्याय 4. कृषि के विकास की पृष्ठभूमि एवं नियोजन

139 - 172

- 4.1 कृषि-सम्प्रदाय
- 4.2 कृषि योग्य भूमि
  - (अ) शुद्ध बोया गया कृषि-क्षेत्र
  - (ब) एक से अधिक बार बोया गया कृषि-क्षेत्र
- 4.3 फसल प्रतिरूप
  - (अ) खरीफ - फसल
  - (ब) रबी- फसल
  - (स) जायद-फसल
  - (द) औद्योगिक-फसल
- 4.4 फसल प्रतिरूप में परिवर्तन
- 4.5 फसल संयोजन
  - (अ) फसल-कोटि निर्धारण
  - (ब) फसल-संयोजन प्रदेश
- 4.6 फसल गहनता
- 4.7 सिंचाई
- 4.8 जोतों का आकार
- 4.9 कृषि का यन्त्रीकरण
- 4.10 पशुपालन
- 4.11 कृषि-विकास नियोजन
  - (अ) भूमि सुधार
  - (ब) सिंचाई
  - (स) कृषि का वाणिज्यीकरण
  - (द) असिंचित भूमि में कृषि
  - (य) जायद कृषि

अध्याय 5: औद्योगिक पृष्ठभूमि एवं विकास-नियोजन

173 - 220

- 5.1 औद्योगिक स्वरूप
- 5.2 ऐतिहासिक पर्यवेक्षण
- 5.3 उद्योगों का वर्गीकरण
  - (अ) बड़े पैमाने के उद्योग
    - (1) सीमेंट उद्योग
    - (2) अल्युमिनियम उद्योग
    - (3) विद्युत उर्जा
      1. जल विद्युत
        - (क) रिहन्द जल विद्युत गृह पिपरी
        - (ख) ओबरा जल विद्युत गृह

- (ब) जल मार्ग
- (स) वायु मार्ग
- (द) रज्जु मार्ग
- (य) सड़क मार्ग

6.8 संचार व्यवस्था

- (अ) व्यक्तिगत संचार
  - (1) डाक सेवा
  - (2) तार सेवा
  - (3) दूरभाष सेवा
- (ब) जनसंचार

अध्याय 7: सामाजिक सुविधाओं की पृष्ठभूमि एवं विकास नियोजन

256 - 298

7.1 शिक्षा

7.2 साक्षरता

7.3 औपचारिक शिक्षा का प्रतिरूप

- (अ) जूनियर बेसिक विद्यालय
- (ब) सीनियर बेसिक विद्यालय
- (स) हायर सेकेन्ड्री विद्यालय
- (द) उच्च शिक्षा केन्द्र

7.4 अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम

7.5 शिक्षा नियोजन की प्रमुख बाधाएँ

7.6 विद्यालयों का शैक्षिक स्तर

7.7 शैक्षिक नियोजन

- (अ) जनसंख्या प्रक्षेपण एवं छात्रों की संभाव्य संख्या
- (ब) विद्यालय स्तर के अनुसार नियोजन
  - (1) जूनियर बेसिक विद्यालय
  - (2) सीनियर बेसिक विद्यालय
  - (3) हायर सेकेन्ड्री विद्यालय
  - (4) उच्च शिक्षा केन्द्र
  - (5) तकनीकी शिक्षण संस्थान
  - (6) अनौपचारिक शिक्षा

7.8 स्वास्थ्य

7.9 स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएं

- (अ) रोगों की समस्या
- (ब) स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं की समस्या

7.10 चिकित्सा सुविधाओं की वर्तमान स्थिति

7.11 स्वास्थ्य सुविधाओं का नियोजन

अध्याय 8: समन्वित क्षेत्र-विकास

299 - 306

परिशिष्टियाँ

307 - 313

1. शब्दावली

2. Further Readings

- 4.6 CROP INTENSITY 1990-91
- 4.7 IRRIGATION; 1990-91
- 4.8 LAND HOLDINGS
- 4.9 SPATIAL PATTERN OF BANKING FACILITIES
- 5.1 INDUSTRIAL UNITS; (LARGE SCALE)
- 5.2 TOTAL CLINKER AND CEMENT PRODUCTION
- 5.3 CEMENT PRODUCTION
- 5.4 HYDRO ELECTRICITY GENERATION
- 5.5 THERMAL ELECTRICITY GENERATION : PLANT WISE
  - (A) OBRA
  - (B) ANPARA
- 5.6 RENU SAGAR THERMAL POWER HOUSE ELECTRICITY GENERATION
- 6.1 TRANSPORT NETWORK
- 6.2 ROAD DENSITY PER HUNDRED KM<sup>2</sup>
- 6.3 ROAD DENSITY PER LAKH POPULATION
- 6.4 ROAD NETWORK AND ACCESSIBILITY
- 6.5 FREQUENCY OF BUSES
- 7.1 LITERACY DISTRIBUTION ; 1991
- 7.2 DEVELOPMENT BLOCKWISE LITERACY OF DISTT. SONBHADRA ; 1991
- 7.3 EDUCATIONAL FACILITIES
- 7.4 PROPOSED EDUCATIONAL FOCI ; 1991-92
- 7.5 SPATIAL PATTERN OF MEDICAL FACILITIES

## तालिकाओं की सूची

- 2.1 जनपद सोनभद्र का सामान्य विवरण
- 2.2 वर्षा
- 2.3 वनों का वितरण - 1990-91
- 2.4 कोयले का भण्डार एवं उत्पादन - 1992
- 2.5 जनसंख्या वितरण - 1991
- 2.6 जनसंख्या घनत्व
- 2.7 जनसंख्या वृद्धि
- 2.8 विकासखण्ड वार अनुसूचित जाति की जनसंख्या - 1991
- 2.9 जनपद सोनभद्र में साक्षरता प्रतिशत - 1991
- 2.10 जनसंख्या का व्यावसायिक संरचना - 1991
- 2.11 जनसंख्या के अनुसार गाँवों का वर्गीकरण
- 2.12 गाँवों की सघनता एवं अन्तरालन
- 3.1 केन्द्रीय विकास कार्य
- 3.2 कार्य एवं कार्यधार जनसंख्या सूचकांक
- 3.3 कार्यों के चार पदानुक्रम
- 3.4 जनपद में निर्धारित सेवा केन्द्र
- 3.5 विभिन्न कार्यों का महत्वानुसार मान
- 3.6 सेवा केन्द्रों का केन्द्रीयता सूचकांक
- 3.7 केन्द्र स्थलों का पदानुक्रमीय व्यवस्था
- 3.8 प्रस्तावित विकास केन्द्र
- 3.9 वर्तमान एवं प्रस्तावित सेवा/विकास केन्द्रों पर वर्तमान एवं प्रस्तावित सुविधाएँ/कार्य
- 4.1 भूमि उपयोग (हेक्टेयर में)- 1990-91
- 4.2 विभिन्न फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल हेक्टेयर में - 1991
- 4.3 खरीफ एवं रबी फसलों के अन्तर्गत प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत वितरण 1990-91
- 4.4 औद्योगिक फसल 1992-93
- 4.5 फसल प्रतिरूप में परिवर्तन
- 4.6 फसल कोटि जनपद सोनभद्र - 1990-91
- 4.7 फसल गहनता सूचकांक
- 4.8 सिंचाई
- 4.9 जोतों की संख्या एवं आकार - 1991-92
- 4.10 पशुओं की संख्या 1988
- 5.1 क्लिकर एवं सीमेंट का उत्पादन
- 5.2 रिहन्द जल विद्युत गृह पिपरी - उत्पादन क्षमता एवं उत्पादन वर्ष
- 5.3 रिहन्द जल विद्युत गृह - विद्युत उत्पादन
- 5.4 ओबरा जल विद्युत गृह- उत्पादन क्षमता एवं उत्पादन वर्ष
- 5.5 ओबरा जल विद्युत गृह- विद्युत उत्पादन
- 5.6 ओबरा ताप विद्युत गृह-उत्पादन क्षमता एवं उत्पादन वर्ष
- 5.7 ओबरा ताप विद्युत गृह-विद्युत उत्पादन
- 5.8 अनपरा ताप विद्युत गृह - विद्युत उत्पादन



- 5.9 रेणूसागर ताप विद्युत गृह इकाई एवं प्रारम्भ वर्ष
- 5.10 रेणूसागर ताप विद्युत गृह विद्युत उत्पादन
- 6.1 सडक अभिगम्यता एव घनत्व
- 6.2 सडको की लम्बाई
- 6.3 पक्की सडक से बस्तियों की दूरी
- 6.4 नागपुर तथा बम्बाई योजनाओं द्वारा निर्धारित सडक अभिगम्यता मानदण्ड
- 6.5 *Metalled Road Connectivity Matrix*
- 6.6 जनपद मुख्यालय राबर्ट्सगज से प्रमुख सेवा केन्द्रों की दूरी
- 6.7 जनपद सोनभद्र में उपलब्ध सचार सेवाये 1991-92
- 6.8 गाँवों मे उपलब्ध सचार सेवाएं - 1991-92
- 6.9 गाँवों मे उपलब्ध सचार सेवाओं का प्रतिशत - 1991-92
- 7.1 साक्षर व्यक्ति एवं साक्षरता प्रतिशत 1991
- 7.2 शैक्षिक विवरण 1991-92
- 7.3 जूनियर बेसिक विद्यालय के छात्रों, शिक्षकों एव विद्यालयों का अनुपात-1991-92
- 7.4 जूनियर बेसिक विद्यालय से बस्तियों की दूरी
- 7.5 सीनियर बेसिक विद्यालय में छात्र छात्राओं तथा अनुसूचित जाति एव जनजाति के छात्र छात्राओं की संख्या 1991-92
- 7.6 सीनियर बेसिक विद्यालय में छात्रों विद्यालयों तथा शिक्षकों का अनुपात
- 7.7 हायर सेकेन्ड्री विद्यालय के छात्र छात्राओं तथा अनुसूचित जाति एव जनजाति के छात्र छात्राओं की संख्या - 1991-92
- 7.8 हायर सेकेन्ड्री विद्यालय में छात्रों छात्राओं तथा शिक्षकों का अनुपात
- 7.9 प्रति लाख जनसंख्या पर चिकित्सा सुविधा - 1991-92
- 7.10 विकास खण्ड वार चिकित्सा सेवा

## अध्याय ।

### संकल्पनात्मक विश्लेषण

प्रस्तुत अध्ययन का शोध विषय पिछड़ी अर्थव्यवस्था का विकास- नियोजन (सोनभद्र जनपद का विशेष अध्ययन) न केवल राष्ट्रीय अपितु अन्तर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बन गया है । उपर्युक्त शोध विषय मानव समाज के लिए एक समस्या बन गयी है जिसके समाधान हेतु अनेक स्तरों पर अनुसंधान, प्रयोग, सर्वेक्षण, अन्वेषण तथा नयी-नयी योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन किया जा रहा है । यह समस्या न केवल वैज्ञानिकों, अर्थशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों, राजनीतिज्ञों व प्रशासकों के लिए वरन् भूगोलविदों के लिए भी चिंता का विषय बन गया है । पिछड़ी अर्थ व्यवस्था व ग्रामीण अर्थव्यवस्था एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी की समस्याओं को खंडों में हल नहीं किया जा सकता । इसे तो समग्र रूप में ही सुलझाना होगा ।<sup>1</sup> इस शताब्दी के प्रारम्भ तक कृषि उत्पादन और उसे मिलते-जुलते क्षेत्रों , जैसे पशुपालन, डेयरी, वन, मत्स्य-पालन के विकास और मानवीय सुविधाओं जैसे पीने का पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल, गाँवों को विद्युत आदि की सुविधा उपलब्ध कराने को ही विकास माना जाता था । आधुनिक समय में विकास के मानदण्डों में वृद्धि होने के बावजूद उपर्युक्त आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने का कार्य बरकरार है । वास्तव में विकास की अवधारणा दिग्भ्रमित हो गयी है । स्मिथ<sup>2</sup> ने विकास की समस्या को विश्व की सबसे महत्वपूर्ण समस्या माना है । विकास के तीन स्तर अविकसित , विकासशील व विकसित काफी प्रचलित हैं किन्तु इसमें कोई स्पष्ट भेद नहीं है । इस प्रादेशिक असमानता को दूर करने के लिए संतुलित नियोजन का निर्माण एवं उसके क्रियान्वयन की आवश्यकता है । विभिन्न क्षेत्रों के विकास हेतु उसकी भौगोलिक पृष्ठभूमि के अनुरूप विभिन्न विकास-योजनाओं की आवश्यकता होती है । प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य ध्येय पिछड़े क्षेत्रों की पहचान कर उसके लिए नियोजन की एक नीतिगत व्याख्या प्रस्तुत करना है ।

### 1.1 विकास, प्रगति एवं संवृद्धि की अवधारणा

विकास, प्रगति और संवृद्धि शब्दों का प्रयोग प्रायः एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में किया जाता है । परन्तु कुछ विद्वानों का मत है कि ये तीनों शब्द समानार्थी नहीं हैं । डडले सियर्स ने करीब 20 वर्ष पूर्व सम्भवतः लैटिन अमरीकी देशों के संदर्भ में लिखा था . 'ग्रोथ विदाउट डेवलपमेण्ट' अर्थात् बिना विकास के वृद्धि । आधारभूत समस्या यह है कि यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद का आकलन करने की कठिनाइयों की अनदेखी कर दी जाय तो यह सकल राष्ट्रीय उत्पाद में परिवर्तन की दर किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सरल मापदण्ड बन जाएगी । अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलना करने में त्रुटियों आ सकती हैं , परन्तु किसी देश में यह माना जा सकता है कि इस आकलन में दोष और कमियाँ निश्चित समय में एक जैसी ही रहेंगी । इस अवधारणा के आधार पर किसी निश्चित अवधि में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि की बात कही जा सकती है । विकास में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि सम्मिलित है, जबकि सैद्धान्तिक दृष्टि से यह कई और तत्वों पर भी आधारित है । प्रगति का क्षेत्र और भी व्यापक एवं विस्तृत है । इसमें विकास के साथ-साथ अन्य सामाजिक पहलू भी समाहित है । वृद्धि का अर्थ है आकलन किए जा सकने वाले तत्वों में बढ़ोत्तरी, विकास का अर्थ है आर्थिक परिवर्तन और प्रगति से अभिप्राय है सामाजिक परिवर्तन ।<sup>3</sup>

#### {अ} प्रगति और विकास

प्रगति का अभिप्राय वांछनीय परिवर्तन से है जिसमें इष्ट मूल्यों की पूर्ति होती है । जब हम प्रगति की चर्चा करते हैं तो हमारा संकेत केवल दिशा से ही नहीं है बल्कि किसी अन्तिम उद्देश्य और किसी आदर्श रूप में निर्धारित गन्तव्य स्थान की दिशा की ओर होता है । यदि सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन वांछित तरीके से होता है तो उसे प्रगति समझा जाता है । प्रगति एक

सापेक्षिक धारणा है, क्योंकि इसमें वर्तमान की तुलना भूतकाल की परिस्थितियों से की जाती है । इसके साथ ही एक निश्चित सामान्य पैमाने पर परिवर्तन का मूल्यांकन भी किया जाता है । अतः प्रासंगिक तुलनाओं से ही प्रगति का सही अनुमान हो सकता है । मूल्यांकन की कसौटियों आर्थिक , तकनीकी प्रगति, सांस्कृतिक लक्षण, गुण, और मानसिक विकास है । तकनीकी प्रगति सरलतम कसौटी है । उदाहरण के लिए इसमें मुद्रा अर्थव्यवस्था और संचार व्यवस्था को सम्मिलित किया जाता है । परन्तु प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक या सामाजिक विकास के बीच निकट का सम्बंध है । उर्जा के कुल उत्पादन और समाज के रूपान्तरण को प्रगति के मूल्यांकन का एकमात्र आधार नहीं माना जा सकता । ऐसे मत के अनुसार सांस्कृतिक प्रगति प्रौद्योगिक परिवर्तन की तुलना में गौण मानी जाती है । वास्तव में किसी एक क्षेत्र में परिवर्तन या प्रगति दूसरे क्षेत्र से सम्बन्धित है और उस पर निर्भर भी है । अतः परिवर्तन एक जटिल प्रघटना है ।<sup>4</sup>

प्रगति की अवधारणा की तरह विकास की अवधारणा में भी वांछित दिशा में परिवर्तन की ओर संकेत है । विकास की अवधारणा एक नूतन प्रघटना है , जबकि प्रगति की अवधारणा प्रबोध और औद्योगिक क्रान्ति से जुड़ी हुई है । विकास की प्रकृति संदर्भात्मक और सापेक्षिक है । प्रगति की प्रकृति सामान्य है और औचित्यात्मक कारकों पर आधारित है । वांछनीय दिशा में नियोजित गुणात्मक परिवर्तन लाने के उपाय को विकास कहते हैं । विकास की धारणा सामाजिक - सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तथा राजनैतिक और भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर प्रत्येक क्षेत्र में भिन्न-भिन्न पायी जाती है ।

विकास एक समिश्र अवधारणा है । क्षेत्र के विकास में कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन एवं संचार आदि विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति को गिना जाता है । विकास में समाज के कमजोर वर्गों , स्त्रियों और बच्चों , बेरोजगारों , बीमार और वृद्ध लोग तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण को भी सम्मिलित करते हैं । विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों का उद्देश्य ग्रामीण और

शहरी क्षेत्रों , अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों, महिलाओं, कृषि मजदूरों और औद्योगिक श्रमिकों के कल्याण का है । अतः विकास एक मूल्य-भारित अवधारणा है । यह एक समाज, क्षेत्र और जनता की सामाजिक , सांस्कृतिक , आर्थिक व भौगोलिक आवश्यकताओं में सम्बद्ध है ।<sup>5</sup>

विकास का अभिप्राय एक प्रघटना के पूर्णतर वृद्धिरूपी उद्विकास से है । मनुष्य का अपने पर्यावरण पर नियंत्रण विकास का ही उदाहरण है। विकास की अवधारणा इन सामान्य मान्यताओं के अतिरिक्त कुछ विशिष्ट कसौटियाँ भी हैं यथा आदिम कृषि अवस्था से औद्योगिक समाज की ओर समाज का उद्विकास तथा आर्थिक परिवर्तन । ज्ञान की वृद्धि तथा मनुष्य का अपने वातावरण पर नियंत्रण इन पहलुओं में निहित है । इस अर्थ में सामाजिक विकास सामाजिक प्रगति का पर्याय है ।

### **(ब) संवृद्धि एवं विकास**

आर्थिक संवृद्धि को हम एक ऐसी वृद्धि की दर के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो अत्यन्त निम्न जीवन स्तर में फँसी हुई किसी अल्प-विकसित अर्थव्यवस्था को अल्पावधि में ही ऊँचे जीवन स्तर तक पहुँचा सका ।<sup>6</sup> कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार आर्थिक संवृद्धि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी अर्थव्यवस्था का कुल राष्ट्रीय उत्पाद लगातार दीर्घकाल तक बढ़ता रहता है ।<sup>7</sup> आर्थिक संवृद्धि से प्रायः यह अर्थ निकाला जाता है कि उत्पादन में समय के साथ कितनी वृद्धि हुई । दूसरी तरफ आर्थिक विकास की संकल्पना में प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि अर्थव्यवस्था के आर्थिक व सामाजिक ढाँचे में क्या परिवर्तन हुए । इस प्रकार आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कुल राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का हिस्सा क्रमशः कम होता जाता है जबकि उद्योगों, सेवाओं, व्यापार, बैंकिंग व विनिर्माण का हिस्सा बढ़ता जाता है । इस प्रक्रिया में श्रमशक्ति की व्यावसायिक संरचना में भी परिवर्तन होता है तथा उसके कार्य कुशलता व उत्पादकता में वृद्धि होती है । अतः संवृद्धि परिवर्तन के

मान्नात्मक पहलू की ओर संकेत करती है जबकि विकास में मान्नात्मक के साथ-साथ गुणात्मक परिवर्तन को भी प्रश्रय मिलता है ।<sup>8</sup>

किंडलबर्गर के अनुसार जहाँ आर्थिक संवृद्धि का अर्थ उत्पादन में वृद्धि होता है , वहीं आर्थिक विकास से तात्पर्य उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ उत्पादन की तकनीक, संस्थागत व्यवस्था, तथा वितरण प्रणाली में परिवर्तन होता है । आर्थिक संवृद्धि की तुलना में आर्थिक विकास प्राप्त करना कहीं अधिक कठिन है । आर्थिक साधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करके उसकी उत्पादकता व उत्पादन बढ़ाकर आर्थिक संवृद्धि की जा सकती है किन्तु आर्थिक विकास के लिए उत्पादन के साधनों की संरचना में परिवर्तन लाना अनिवार्य होता है और साथ ही उसके आबंटन में परिवर्तन लाना होता है जिससे सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो सके । इस प्रकार जहाँ आर्थिक संवृद्धि के लिए राष्ट्रीय आय पर ध्यान देना पड़ता है वहीं आर्थिक विकास का अनुमान मुख्यतः संरचनात्मक परिवर्तनों के आधार पर लगाया जाता है ।

साधारणतया पिछड़ी अर्थव्यवस्था वाले क्षेत्र में आर्थिक विकास और आर्थिक संवृद्धि की प्रक्रिया साथ-साथ चलती है , परन्तु यह आवश्यक नहीं है । प्रायः किसी देश के राष्ट्रीय आय में वृद्धि तो होता है किन्तु अर्थव्यवस्था में कोई विकास नहीं होता है । कुजनेत्स का मत है कि आर्थिक संवृद्धि की अवस्था में बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ-साथ प्रति व्यक्ति उत्पादन (या आय) में भी वृद्धि होनी चाहिए । पिछड़ी अर्थव्यवस्था वाले क्षेत्रों में जहाँ जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है , संसाधन सीमित हैं और तकनीकी विकास की प्रक्रिया पर विकसित देशों का प्रभुत्व है , वहाँ आर्थिक संवृद्धि के द्वारा गरीबी, बेरोजगारी का न तो निवारण हो सकता है और न ही सामाजिक न्याय प्राप्त किया जा सकता है । फिर भी आर्थिक विकास के लिए आर्थिक संवृद्धि भले ही पर्याप्त न हो किन्तु आवश्यक अवश्य है । बिना आर्थिक संवृद्धि के आर्थिक विकास कदापि नहीं हो सकता तथा बिना आर्थिक संवृद्धि के व्यावसायिक संरचना में परिवर्तन भी नहीं हो सकता ।

### (स) क्रान्ति और विकास

क्रान्तियाँ अनेक प्रकार की होती हैं यथा राजनैतिक क्रान्ति, सामाजिक क्रान्ति, औद्योगिक क्रान्ति, कृषि क्रान्ति व धार्मिक क्रान्ति आदि । यहाँ पर क्रान्ति से तात्पर्य ' विकास - क्रान्ति' से लिया गया है । क्रान्तिकारी विकास से अप्रत्याशित विकास होता है जबकि साधारण विकास में विकास सतत गतिशील होता है । क्रान्ति का अर्थ परिवर्तन के चरम स्वरूप से है।<sup>10</sup> यदि किसी समाज या क्षेत्र में इस तीव्र परिवर्तन से सामंजस्य करने की क्षमता नहीं है तो उसके नकारात्मक प्रभाव दृष्टिगत् होते हैं । कहा जाता है कि 'सोना पाना और खोना दोनों अपशकुन के सूचक हैं', इसका प्रतीकात्मक अर्थ यही है कि तीव्र परिवर्तन अच्छा नहीं होता है। क्रान्ति से तत्कालीन व्यवस्था में बुनियादी परिवर्तन हो जाता है । वास्तव में क्रान्ति का अर्थ तीव्र और आमूल परिवर्तन होता है।<sup>11</sup> विकास से धीमे एवं सतत परिवर्तन का बोध होता है । विकास से सतुलित विकास का भी बोध होता है । किसी समाज या क्षेत्र में कुछ ऐसे जड तत्व होते हैं, जिनमें क्रान्तिकारी विकास की आवश्यकता होती है, वास्तव में ये विकास प्रक्रिया की कुजी होते हैं जिन्हें तीव्र किए बिना अन्य विकास कार्य सम्पादित हो ही नहीं सकते । भारत के सदर्थ में देखा गया है कि 'हरित क्रान्ति' के बाद कृषि आधारित उद्योगों का विकास स्वतः स्फूर्त था । मानव समाज के विकास में क्रान्तियों ने एक आवश्यक भूमिका अदा की है । क्रान्तियों के बिना एक ही प्रकार की व्यवस्था सदा चलती रहेगी, भले ही वह समय की दृष्टि से अनुपयुक्त क्यों न हो । इसके फलस्वरूप कोई प्रगति नहीं होगी ।<sup>12</sup>

### 1.2 विकास की भौगोलिक अव्यवस्था

मनुष्य अपने चेतन व गतिशील स्वभाव के कारण सभी प्राणियों से अलग है । वह अपने वर्तमान वस्तु - स्थिति से सन्तुष्ट न रहकर उसमें मनोवाञ्छित परिवर्तन लाकर विकसित स्वरूप देखना चाहता है । वस्तुओं एवं घटनाओं का स्वरूप परिवर्तन ही विकास होता है ।<sup>13</sup> परिवर्तन दो तरह का होता है - एक ऋणात्मक तथा दूसरा धनात्मक, विकास का सम्बन्ध धनात्मक परिवर्तन से होता है ।<sup>14</sup> यह परिवर्तन भूतल पर अवस्थित किसी भी वस्तु-स्थिति से हो सकता है । अतः तथ्यात्मक सदर्थ में विकास की परिभाषाओं का स्वरूप बदलता रहता है । विकास के अन्तर्गत भूतल पर अवस्थित सम्पूर्ण तथ्यों में धनात्मक

परिवर्तन को ही सम्मिलित किया जाता है । मनुष्य ही सभी अध्ययनों का केन्द्र - बिन्दु होता है और मानव कल्याण में वृद्धि ही भूगोल का मूल उद्देश्य रहा है ।<sup>15</sup> अतः मानव के क्रिया - कलापो के विकास को ही, विकास की परिधि में सम्मिलित करना चाहिए । ये क्रिया - कलाप सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्वरूपों से सम्बन्धित हो सकते हैं । इन समस्त क्रियाओं में आर्थिक क्रियाओं का स्थान सर्वोपरि है किन्तु विकास का यह - सम्बन्ध केवल आर्थिक क्रियाओं से ही नहीं है । इसमें वातावरण की गुणवत्ता में वृद्धि तथा सामाजिक आर्थिक, प्रगति के आधारभूत कारक संरचनात्मक एवं संस्थागत परिवर्तन को भी विकास के अन्तर्गत समाहित किया जाता है । वस्तुतः विकास एक व्यावहारिक संकल्पना है, जिसका अभिप्राय प्रगति, उत्थान एवं वांछित परिवर्तन से है । विगत वर्षों में विकास से तात्पर्य आर्थिक क्षेत्र में हुई प्रगति और सुधार से समझा जाता था, किन्तु आजकल इसका आशय जीवन के विविध क्षेत्रों में हुए वांछित गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तनों से लिया जाता है ।<sup>16</sup> इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर ब्रह्म प्रकाश एवं मुनीस रजा<sup>17</sup> ने विकास को कार्य अथवा कार्यों की एक शृंखला या प्रक्रम माना है, जो जीवन की दशाओं में शीघ्र ही सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा वातावरणीय सुधार करता है अथवा भविष्य में जीवन की संभावना में वृद्धि करता है या दोनों ही कार्य इसके द्वारा किए जाते हैं ।

गुलनूग<sup>18</sup> ने विकास की नयी परिभाषा देते हुए बताया कि विकास का सिद्धान्त सामाजिक विषयों का वह क्षेत्र है, जहाँ भूतकाल का अध्ययन इतिहास, वर्तमान का अध्ययन समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र एवं भूगोल आदि तथा भविष्य का अध्ययन भविष्यशास्त्र एक साथ करते हैं । आर० पी० मिश्र<sup>19</sup> ने विकास का विश्लेषण करते हुए कहा है कि - विकास, समाज एवं अर्थव्यवस्था के मात्रात्मक विस्तार के अतिरिक्त उनमें वांछित गति से वांछित दिशा में संरचनात्मक परिवर्तन के साथ - साथ मानव के सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक रूपान्तरण से सम्बद्ध है, जिसमें सामयिक, क्षेत्रीय तथा स्थानिक पहलुओं के साथ नियोजन का समन्वय देखा जाता है । विकास के विविध पहलुओं को देखते हुए आर० एन० सिंह<sup>20</sup> ने लिखा है कि - विकास एक आदर्शानुमुखी संकल्पना है, जिसमें सकारात्मक, प्रयोजनात्मक एवं वांछित सतत् उर्ध्वानुमुख परिवर्तन समाहित हैं ।



### 1.3 आर्थिक विकास की अवधारणा

आर्थिक विकास पर न केवल भूगोलविदों ने अपितु क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने भी बहुत अधिक काम किया है। आर्थिक विकास की अवधारणा आर्थिक सवृद्धि की आवधारणा से अधिक व्यापक है। आर्थिक विकास के लिए आर्थिक सवृद्धि की पूर्व दशा का होना अनिवार्य है। बीसवीं शताब्दी के मध्य के बाद से आर्थिक विकास की संकल्पनाओं को आर्थिक सवृद्धि की संकल्पना से भिन्न माना जाने लगा। विकास की प्रमुख समस्या गरीबी, सवृद्धि होने के बावजूद बढ़ती ही गयी। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब - उल - हक<sup>21</sup> का कहना है कि विकास की प्रमुख समस्या गरीबी की सबसे भयानक किस्मों पर सीधा प्रहार करना है। गरीबी, भुखमरी, बीमारी, अशिक्षा, बेरोजगारी और असमानताओं जैसी समस्याओं के उन्मूलन को विकास के मुख्य लक्ष्यों में शामिल किया जाना चाहिए। हमें यह सिखाया गया था कि कुछ राष्ट्रीय उत्पाद को बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि इससे गरीबी का निवारण होगा। अब समय आ गया है कि हम इस सम्बन्ध को बदल दें। अब आवश्यकता इस बात की है कि हम मुख्यतया गरीबी पर ध्यान केन्द्रित करें। इसके माध्यम से राष्ट्रीय उत्पाद को अपने आप महत्व मिल जाएगा। दूसरे शब्दों में अब कुल राष्ट्रीय उत्पाद की वृद्धि दर पर कम और उसकी संरचना पर अधिक ध्यान देना जरूरी है।'

आर्थिक विकास से सम्बन्धित दो मुख्य विचारधाराएं हैं - -

प्रथम परम्परागत विचारधारा है - जिसमें कुल राष्ट्रीय (या घरेलू) उत्पाद में 5-7 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हो, उत्पादन तथा रोजगार के परिवर्तन का स्वरूप इस प्रकार हो जिसमें कृषि का हिस्सा निरन्तर कम होता जाय और तृतीयक व विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा बढ़ता जाय। इस विचारधारा के अन्तर्गत कृषि के स्थान पर उद्योग को अधिक प्रश्रय दिया जाता है। कुल राष्ट्रीय या घरेलू उत्पाद में वृद्धि तथा प्रति व्यक्ति उत्पाद में वृद्धि होने से शेष उद्देश्यों (गरीबी निवारण, आर्थिक असमानता में कमी और रोजगार अवसरों में वृद्धि आदि) को स्वतः धीरे - धीरे प्राप्त कर लिया माना जाता है।

व्यावहारिक रूप में देखने से पता चलता है कि जनसंख्या के अधिकांश भाग को आर्थिक सवृद्धि से कोई लाभ नहीं मिला और उनकी स्थिति में किसी प्रकार का सुधार नहीं

हुआ है। इसका बहुत से विद्वानों में इस परम्परागत विचारधारा को सशोधित करके आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य गरीबी असमानता और बेरोजगारी का निवारण रखा है। इसके अन्तर्गत 'पुनर्वितरण के साथ संवृद्धि' (रीडिस्ट्रीब्यूशन विद ग्रोथ) का नारा दिया है। इस सम्बन्ध में चार्ल्स पी० किन्डलवर्गर और बूस हैरिक<sup>22</sup> का कहना है 'आर्थिक विकास की परिभाषा प्रायः लोगों के भौतिक कल्याण में सुधार के रूप में की जाती है। जब किसी देश में खासकर निम्न आय वाले लोगों के भौतिक कल्याण में बढ़ोत्तरी होती है, जनसाधारण को अशिक्षा, बीमारी और छोटी उम्र में मृत्यु के साथ-साथ गरीबी से छुटकारा मिलता है, कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय न रहकर औद्योगीकरण होता है जिससे उत्पादन के लिये प्रयोग होने वाले कारकों के स्वरूप में परिवर्तन होता है, कार्यकारी जनसंख्या का अनुपात बढ़ता है और आर्थिक तथा दूसरे प्रकार के निर्णयों में लोगों की साझेदारी बढ़ती है तो अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदलता है। इस प्रकार के परिवर्तन के फलस्वरूप हम कह सकते हैं कि देश विदेश में आर्थिक विकास हुआ है।'

ब्रोगर<sup>23</sup> ने आर्थिक विकास का अर्थ बताते हुए कहा है कि इसके अन्तर्गत सामाजिक राजनैतिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक परिवर्तनों के संयुक्त प्रभाव को सम्मिलित किया जाना चाहिये। माइकेल पी० टोडेरो<sup>24</sup> विकास के स्वरूप को सम्पूर्ण सामाजिक आर्थिक संरचना एवं विचारों के वांछित परिवर्तन में बताते हैं। विकास में न केवल आर्थिक पक्ष बल्कि सामाजिक, कल्याणकारी, मनावैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक पक्ष भी आते हैं। इसीलिये स्मिथ<sup>25</sup> ने लिखा है कि मानव के कल्याण में वृद्धि ही विकास है। आर्थिक विकास के उपर्युक्त व्यापक उद्देश्य के अतिरिक्त सामान्यतः आर्थिक विकास को निम्न रूपों में जाना जाता है -

(क) आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप किसी क्षेत्र की जनसंख्या विशेषतः निर्धन जनसंख्या के लिये अधिक अर्थपूर्ण सिद्ध हो सकें।

(ख) आर्थिक विकास का मुख्य लक्ष्य निर्धनता समाप्त करना है।

(ग) आर्थिक विकास का तात्पर्य वास्तविक आय में दीर्घकालीन वृद्धि है, न कि अल्पकालीन वृद्धि जो कि व्यापार चक्रों में वृद्धि काल में व्यक्त होता है।

(घ) आर्थिक विकास का लक्ष्य आर्थिक असमानता में कमी लाना है।

(ङ) आर्थिक विकास के कुछ अन्य लक्ष्य, विभिन्न क्षेत्रों के विकास एवं समृद्धि

मे भारी अन्तरो को कम करना तथा अर्थव्यवस्था का विशाखन एव आधुनिकीकरण करना है।

यदि इनमें से एक या दो अथवा सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने मे हम असफल रहते है तो आर्थिक विकास कहना अनुपयुक्त होगा चाहे प्रति व्यक्ति आय दुगुनी ही क्यों न हो।<sup>26</sup>

#### 1.4 सविकास (इकोडेवलपमेन्ट) की अवधारणा

किसी भी क्षेत्र का विकास स्तर मनुष्य और उसके वातावरण के सम्बन्ध पर निर्भर करता है। प्रारम्भिक विचारधारा यह थी कि मानव क्रियाकलाप प्राकृतिक वातावरण द्वारा नियन्त्रित होता है। संसार के विभिन्न भागों में एक समान प्राकृतिक वातावरण में एक प्रकार की मानव अनुक्रिया व विकास होने की आशा की जाती थी। किन्तु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में विकास होने से यह ज्ञात होने लगा कि प्राकृतिक वातावरण द्वारा प्रभावित सीमाओं को पार किया जा सकता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के हथियार से मानव ने विकास के अनेक द्वार खोल दिये। इस क्रान्तिकारी विकास से पारिस्थितिक तन्त्र असतुलित नजर आ रही है। पुराणों में कहा गया है कि जब देवताओ एवं असुरों ने तेजी से समुद्र मन्थन किया तो अमृत कुण्ड के साथ विष कलश भी निकला किन्तु दुर्भाग्य यह है कि उस विष कलश को पीने वाले आज कोई 'शंकर' नहीं है, जिसका दुष्प्रभाव अधिकांशतः गरीब जनता को भुगतना पड़ता है।

वातावरण का विनाश सिर्फ आर्थिक विकास के कारण ही नहीं वरन् अत्यधिक निर्धनता का भी प्रतिफल है।<sup>27</sup> भारत में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में आने वाली समस्याये गरीबी व विकास के निम्न स्तर से जुड़ी हुयी है। हमारी विशाल आबादी और उसमे हो रही निरन्तर वृद्धि तथा विकास गतिविधियों के कारण पर्यावरण को जो क्षति पहुँच रही है, वह इतनी अधिक है कि इसके लिये सीधे आवश्यक उपाय करने की आवश्यकता है। पर्यावरण प्रबन्ध को अब भारत में राष्ट्रीय विकास के लिये मार्ग निर्देशक तत्व के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। यह पता चलने पर कि गरीबी व विकास का निम्न स्तर देश की कई पर्यावरण समस्याओं से जुड़ा हुआ है यह तय किया गया कि इससे निपटने के लिये विकास दर में वृद्धि करना ही सबसे अच्छी नीति रहेगी। यह विकास ऐसा हो जिससे लोगों को विशेष रूप से गरीबों को, उनकी मूल आवश्यकताओं और बढ़ती आकांक्षाओं की पूर्ति कर लाभ पहुँचाया जा सके। लेकिन पर्यावरण समस्याओं की एक और श्रेणी उत्पन्न हो गयी है वे समस्यायें स्वयं

विकास की दिशा में किये जा रहे प्रयासों का अनचाहा परिणाम है। ये नई समस्याएँ हैं, प्राकृतिक ससाधनों का कुप्रबन्ध, वनों का बड़े स्तर पर अंधाधुंध कटाई, कूड़े-कचरे और अवाञ्छित पदार्थों का अनियोजित ढग से फेंका जाना, विषैले रसायनों का प्रचलन, रिहायशी गतिविधि का विस्तार तथा अघाधुध निर्माण कार्य आदि।<sup>28</sup>

उपर्युक्त विवरण से लगता है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण एक दूसरे के विरोधी हैं किन्तु वास्तविक अर्थों में ऐसा नहीं है। यू0एन0ई0पी0 के महासचिव मुस्तफा कमाल तोल्वा के शब्दों में, विगत 10-15 वर्षों में वातावरण एवं विकास के अन्तर्सम्बन्ध के प्रति हमारी अवधारणा में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ है। 1960 के दशक तक सामान्यतया यह माना जाता था कि वातावरण संरक्षण एवं विकास एक दूसरे के प्रतिलोम हैं। यदि विकास करना है तो वातावरण की गुणवत्ता के ह्रास के रूप में उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, अर्थात् बिना वातावरण को क्षति पहुँचाये आर्थिक विकास असम्भव है परन्तु अब यह महसूस किया जाने लगा है कि ये दोनों तत्व परस्पर प्रतिलोम नहीं वरन् अन्योग्नाश्रित हैं। बिना वातावरण संरक्षण के विकास नहीं हो सकता और बिना विकास के वातावरण संरक्षण नहीं हो सकता।' विकसित देशों में पर्यावरण ह्रास का कारण विकास की देन है तथा अल्पविकसित देशों में इसका कारण गरीबी है। परन्तु विकसित राष्ट्रों में पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने की क्षमता है जबकि अल्पविकसित देश ऐसा करने में अक्षम हैं। अतएव विकास एवं वातावरण संरक्षण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यही संविकाश की अवधारणा है। संविकास का सामान्य अर्थ है, बिना विनाश किए विकास, इसे संघृत विकास (सस्टेनेबल डेवलपमेन्ट) अथवा ठोस विकास (साउन्ड डेवलपमेन्ट) की संज्ञा दी जाती है। संघृत विकास का उद्देश्य है- मानव समाज की विद्यमान मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति को बिना भावी पीढ़ियों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता को किसी प्रकार नुकसान पहुँचाये, सुनिश्चित करना। संक्षेप में, संविकास ऐसा विकास है, जो सामाजिक दृष्टि से वाञ्छित, आर्थिक दृष्टि से संतोषप्रद एवं परिस्थितिकी दृष्टि से पुष्ट हो।<sup>29</sup>

### 1.5 विकास के निर्धारक तत्व

प्राकृतिक पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं आर्थिक विकास के तीन आधारभूत प्राचल हैं, जिनके द्वारा विकास की दिशा तथा स्तर निर्धारित होता है।<sup>30</sup> किन्तु विकास की

सकल्पना तथा विकास को निर्धारित करने वाले सूचको के सम्बन्ध में मतभेद हैं । ये सूचक एक स्थान से दूसरे स्थान, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक समाज से दूसरे समाज तथा एक समय से दूसरे समय में भिन्न - भिन्न हो सकते हैं । विकास स्तर के निर्धारण से सम्बन्धित एडेलमैन तथा मैरिश<sup>31</sup> ने राजनीतिक तथा सामाजिक विषयों से सम्बन्धित 41 सूचकों का प्रयोग किया है । वर्तमान समय में विकास का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत तथा सामाजिक प्रस्थिति में निरन्तर वृद्धि करना है । इस वृद्धि को किसी समाज की आवश्यक वस्तुओं के प्रयोग यथा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा प्रति व्यक्ति आय के स्तर से ज्ञात किया जा सकता है । इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर हैगन<sup>32</sup> ने समाज एवं व्यक्ति के कल्याण से सम्बन्धित 11 सूचकों का प्रयोग विकास के स्तर को निर्धारित करने में किया है । सयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास शोध संस्थान<sup>33</sup> (यू0एन0आर0आई0एस0डी0) ने 16 सूचकों को विकास के स्तर -निर्धारण में उचित बताया है । बेरी<sup>34</sup> ने 1960 में आर्थिक विकास के विश्लेषण में परिवहन, ऊर्जा का प्रयोग, कृषि उत्पाद, संचार, व्यापार, जनसंख्या तथा सकल राष्ट्रीय उत्पाद को प्रमुख सूचकों के रूप में प्रयुक्त किया है । इसके अतिरिक्त भी अनेक सूचक प्रयुक्त हुए हैं । किन्तु अधिकांश विद्वानों ने सकल राष्ट्रीय उत्पाद, स्वास्थ्य, शिक्षा, नगरीकरण, रोजगार, संचार, परिवहन तथा जनसंख्या की संरचना, औद्योगीकरण आदि सूचकों का प्रयोग किया है ।


## 1.6 विकास के सिद्धान्त

समाजशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों, अर्थशास्त्रियों तथा जीव विज्ञानियों ने विकास से सम्बन्धित अनेक सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है । उनमें से भौगोलिक दृष्टिकोण से उपयुक्त कुछ प्रमुख सिद्धान्तों की संक्षिप्त व्याख्या निम्न है ।

### मिरडल का क्यूमूलेटिव काजेशन मॉडल

मिरडल महोदय<sup>35</sup> ने 1956 में विकास सम्बन्धी ' क्यूमूलेटिव काजेशन मॉडल ' प्रस्तुत किया (चित्र 1.1) जिसके माध्यम से इन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि प्रादेशिक विभेदशीलता आर्थिक विकास का स्वाभाविक प्रतिफल होती है - क्योंकि एक प्रदेश बिना दूसरे को हानि पहुँचाए कभी भी विकास नहीं कर सकता है । इनके मॉडल से स्पष्ट है कि आर्थिक विकास मुख्यतः उन्हीं स्थानों पर केन्द्रित होता है जहाँ कच्चा माल एवं शक्ति के साधनों की

# MYRDAL'S PROCESS OF CUMULATIVE CAUSATION



Source: R. J. Chorley and P. Haggett, *Models in Geography* Methuen

Fig. 1.1

उपलब्धि आसानी से होती है । उनके अनुसार किसी स्थान पर एक बार विकास की प्रक्रिया आरम्भ हो जाने पर कार्यों के संचयी प्रभाव, केन्द्राभिमुखी शक्ति एवं गुणक प्रभाव के कारण सतत् बढ़ती जाती है । फलतः बढ़ती हुई औद्योगिक इकाइयों द्वितीयक प्रकार की औद्योगिक अवस्थापना को जन्म देती है तथा केन्द्रीय प्रदेश का निर्माण होने लगता है । सामाजिक इकाइयों इस प्रक्रिया को प्रोत्साहित करती है, जिससे स्वयं पोषी आर्थिक वृद्धि होने लगती है । केन्द्रीय प्रदेशों की ओर अपेक्षया निर्धन क्षेत्रों से संसाधनों का आकर्षण बढ़ता जाता है जिसे मिरडल ने ' बैकवाश इफेक्ट ' कहा तथा इसके परिणाम स्वरूप अभिवर्धित केन्द्रीय प्रदेश से फैलने वाले सम्भावित विकास को ' स्ट्रेड इफेक्ट ' की संज्ञा दी, जिसके माध्यम से अन्ततः सम्पूर्ण प्रदेश का विकास होता है ।

इस प्रकार इन्होंने विकास की तीन अवस्थाओं का निरूपण किया । प्रथम अवस्था को प्रारम्भिक औद्योगिक स्थिति कहा, जब प्रादेशिक असमानताएँ न्यूनतम होती है । द्वितीय अवस्था में संचयी कारक सर्वाधिक प्रभावित होते हैं । जिससे प्रदेश विशेष अन्य प्रदेशों की तुलना में तीव्रगति से विकसित होता है तथा संसाधनों के वितरण में असन्तुलन बढ़ने लगता है । तृतीय अवस्था में निस्तारण प्रभाव के कारण स्थानिक विषमताएँ कम होने लगती हैं ।

मिरडल महोदय के इस मॉडल की आलोचना इसके अत्यधिक गुणात्मकता को लेकर हुई, जिसके कारण यह मॉडल वास्तविकता से परे हो जाता है । इसके बावजूद विकसित एवं विकासशील राष्ट्रों के अन्तर को स्पष्ट करने में यह मॉडल काफी सक्षम है ।<sup>36</sup>

### फ्रीडमैन का केन्द्र - परिधि मॉडल

फ्रीडमैन ने मिरडल के दो प्रदेशों की आर्थिक विषमताओं के स्थान पर स्थानिक रूप से विषमताओं का वर्णन किया है तथा विश्व को गतिशील प्रदेश, द्रुतगति से बढ़ने वाले केन्द्रीय प्रदेश तथा अल्पगति से अग्रसर होने वाले या स्थैतिक प्रदेशों में विभक्त किया है । फ्रीडमैन के अनुसार क्षेत्रीय विस्तार में विकास के स्तर के परिप्रेक्ष्य में 4 संकेन्द्रीय कटिबन्ध देखे जा सकते हैं ।<sup>37</sup>

पहला प्रदेश - जिसकी अवस्थिति केन्द्रीय होती है - को इन्होंने केन्द्रीय प्रदेश कहा है । यह प्रदेश का वह क्षेत्र होता है जहाँ नगरीय औद्योगीकरण, उच्चस्तरीय तकनीक,

विविध संसाधन तथा जटिल आर्थिक संरचना के साथ वृद्धि दर उच्च होती है । इस प्रदेश के परिधीय क्षेत्र में विस्तृत केन्द्रीय प्रदेश से प्रभावित ऊर्ध्वोन्मुख मध्यम प्रदेश होता है जहाँ संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग होता है, जन प्रवास बृहत् पैमाने पर होता है तथा आर्थिक वृद्धि स्थिर होती है । तत्पश्चात् परिधीय विस्तार में संसाधन युक्त सीमान्त प्रदेश होता है, जहाँ नूतन खनिजों के खोज एवं विदोहन हेतु नवीन अधिवासों का विकास होता है तथा उसकी सीमा में सवृद्धि की संभावनाएं विद्यमान होती हैं । केन्द्रीय प्रदेश से सुदूरतम प्रदेश को उन्होंने अधोन्मुख प्रदेश कहा है, जहाँ ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ नहीं होती है तथा कृषि उत्पादन न्यूनतम होता है जो प्राथमिक संसाधनों की समाप्ति तथा औद्योगिक संस्थानों की क्षीणता के कारण सम्पन्न होता है। 'व्यूमूलेटिव काजेशन मॉडल' की ही भाँति इस मॉडल का भी प्रयोग आर्थिक एवं क्षेत्रीय विश्लेषण हेतु किया जा सकता है ।

### रोस्टोव का आर्थिक वृद्धि की अवस्थाओं का सिद्धान्त


यह सिद्धान्त विशेषतः तकनीकी नवीनताओं को दृष्टिगत रखते हुए किसी प्रदेश में सामयिक आर्थिक वृद्धि का विश्लेषण करता है । रोस्टोव ने किसी क्षेत्र के विकास की निम्न 5 अवस्थाओं का निरूपण किया है । 38

- (क) रूढ़िवादी समाज,
- (ख) ऊपर उठने की पूर्व अवस्था,
- (ग) ऊपर उठने की अवस्था,
- (घ) चर्मोत्कर्ष प्राप्त करने की अवस्था तथा
- (ङ) अधिकतम उपभोग की अवस्था ।

पहली अवस्था में इन्होंने रूढ़िवादी समाज की कल्पना किया है जिसका प्रधान व्यवसाय निर्वाहन कृषि है तथा संभाव्य संसाधनों की खोज नहीं हो पायी है । कुछ दशकों के बाद ऊपर उठने के पूर्व की अवस्था आती है जबकि आर्थिक वृद्धि तेजी से होती है और व्यापार विस्तृत होता है। बाह्य प्रभाव के कारण परम्परागत तकनीकों के प्रयोग के साथ - साथ नवीन तकनीकों का प्रयोग भी प्रारम्भ हो जाता है । तृतीय अवस्था ऊपर उठने की अवस्था आती है,



# THE ROSTOW MODEL OF ECONOMIC DEVELOPMENT



Source R.J Chorley and P Haggett, Models in Geography, Methuen

Fig. 1.2

जब प्राचीनता का प्रतिस्थापन नवीनता द्वारा हो जाता है तथा आधुनिक प्रौद्योगिकीयुक्त समाज का जन्म होता है, जिससे अनेक औद्योगिक इकाइयों की स्थापना होती है, राजनीतिक एवं सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन होने लगता है तथा स्वयं-पोषी एवं स्वयं-सेवी वृद्धि आरम्भ हो जाती है। चतुर्थ अवस्था में समाज अत्यधिक सुसंगठित हो जाता है तथा पूँजी बढ़ने लगती है। कुछ पुरानी औद्योगिक इकाइयों का समापन नयी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के कारण होने लगता है। वृहत् नगरीय क्षेत्र विकसित होने लगते हैं तथा यातायात-संचार व्यवस्था अत्यधिक जटिल हो जाता है। चौथी अवस्था का चर्मोत्कर्ष पाचवी अवस्था है। उत्पादकता प्रचुर मात्रा में बढ़ जाती है। तकनीकी व्यवसाय में वृद्धि होने लगती है तथा भौतिकता में वृद्धि के साथ संसाधनों का वितरण सामाजिक कल्याण हेतु होने लगता है।

इस सिद्धान्त में पूँजी निर्माण की विधि की व्याख्या की गयी है, किन्तु पाँच अवस्थाओं के अन्तर्सम्बन्ध को स्थापित करने वाले तन्त्र की व्याख्या नहीं की गयी है। इसके बावजूद यह साधारण तथा विकसित देशों के विश्लेषण में बहुत अधिक उपयोगी है किन्तु विकसशील देशों के विश्लेषण में यह प्रक्रिया संदिग्ध है। तृतीय विश्व के कई देश प्रथम तीन अवस्थाओं के अन्तर्गत आते हैं।

### विकास-ध्रुव सिद्धान्त

विकास ध्रुव संकल्पना का प्रतिपादन सर्वप्रथम 1955 में पेराउक्स<sup>39</sup> महोदय ने किया। चूँकि पेराउक्स एक अर्थशास्त्री थे इसलिए इन्होंने केवल आर्थिक तत्त्वों पर ही ध्यान केन्द्रित किया, भौगोलिक तत्वों की ओर इनका ध्यान नहीं गया। इस सिद्धान्त को भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने का श्रेय बोडेविले<sup>40</sup> को है। विकास ध्रुवनीति के अन्तर्गत समस्या वाले क्षेत्र में एक या कई विकास ध्रुव चुन लिए जाते हैं और इन्हीं केन्द्रों पर नयी-नयी सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती हैं। इस सिद्धान्त में यह तर्क दिया जाता है कि सार्वजनिक व्यय अपेक्षाकृत अधिक प्रभावशाली होता है। विभिन्न सुविधाओं के पूँजीभूत होने से वहाँ स्वतः स्फूर्त विकास उत्पन्न हो जाता है। केन्द्रित अर्थव्यवस्था से अवस्थापनात्मक कारक यथा सड़कें, शक्ति, जल, स्वास्थ्य सुविधाओं आदि का विकास हो जाता है। विकास ध्रुव सिद्धान्त में दो प्रमुख कठिनाइयाँ उत्पन्न

होती हैं । प्रथम विकास धुवों का चयन कठिन है तथा द्वितीय राजनीतिक दबाव के कारण चयन प्रक्रिया और कठिन हो जाती है । बोदेविले ने इन विकास धुवों की पहचान प्रमुख केन्द्रीय बस्तियों के रूप में किया है जिनमें दूसरे बस्तियों को प्रभावित करने की क्षमता होती है । उनके अनुसार उपलब्ध सुविधाओं की संख्या और क्षेत्रीय आकार में इन केन्द्रों के विभिन्न स्तर होंगे । इसमें सबसे बड़ा केन्द्र क्रमशः अपने छोटे केन्द्र को प्रभावित करेगा तथा अविकसित क्षेत्र इन केन्द्रों से लाभ उठा सकेगा । फलतः सम्पूर्ण क्षेत्र विकास परिधि में आ जाएगा । विकास की यह प्रक्रिया 'ट्रिकल डाउन' तथा 'टाप डाउन' के नाम से भी जानी जाती है । विकास धुवों से विकास की ऐसी क्रमबद्ध शृंखला बन जाती है जिससे सम्पूर्ण प्रदेश में सतुलित विकास की गति मिलती है । इसके इन्हीं विशेषताओं के कारण नियोजकों में यह सिद्धान्त काफी लोकप्रिय है । विकास धुवों की अवस्थापना में, स्थान का चयन तथा सुविधाओं को उपलब्ध कराने में धन की आवश्यकता, कभी - कभी इस सिद्धान्त के क्रियान्वयन में व्यवधान उत्पन्न कर देते हैं । वास्तव में विकास धुवों की उत्पत्ति का सहसम्बन्ध उस क्षेत्र के माँग व पूर्ति पर निर्भर करता है ।

### 1.7 नियोजन की संकल्पना

नियोजन और विकास एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं । सामाजिक - आर्थिक विकास के लिए नियोजन का प्रविधि के रूप में इस्तेमाल विश्वव्यापी हो गया है । नियोजन का प्रयोग एव अर्थ विभिन्न क्षेत्रों, कालों एवं व्यक्तियों के संदर्भ में बदलता रहता है । इसीलिए फ्लूदी <sup>41</sup> ने नियोजन को बहुआयामी बताया है । उनके अनुसार नियोजन की संकल्पना व्यक्तिनिष्ठ, क्षेत्रनिष्ठ तथा तथ्यनिष्ठ है । जो व्यक्ति, क्षेत्र तथा तथ्य के संदर्भ में बदलती रहती है । फ्रीडमैन <sup>42</sup> के अनुसार नियोजन सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं पर विचार करने का भविष्य पर आधारित एक मार्ग है, जिससे समस्याओं के सामूहिक निर्णय के उद्देश्यों को नीतिगत कार्यक्रमों द्वारा प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है । हिलहोस्ट <sup>43</sup> ने लिखा है कि - नियोजन निर्णय प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य किसी क्षेत्र विशेष में व्याप्त अनेक क्रियाओं के मध्य आदर्श समन्वय स्थापित करना है । ट्रोए <sup>44</sup> के अनुसार नियोजन ऐसे निर्णयों के निर्माण की प्रक्रिया है जिनको उपलब्ध साधनों द्वारा भविष्य में प्राप्त किया जा सकता है । आर० एन० सिंह एवं अवधेश कुमार <sup>45</sup> के मतानुसार नियोजन से तात्पर्य किसी कार्य को सुचारू रूप

से सम्पन्न करने हेतु सुव्यवस्थित पद्धति के निर्माण करने की प्रक्रिया से है । एम0 एच0 कुरेशी<sup>46</sup> के अनुसार नियोजन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की पहचान करना तथा ऐसी नीतियों का निर्धारण करना है जिससे उन लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके । साध्य एवं साधनों के समन्वय द्वारा आर्थिक समस्याओं के उचित समाधान के लिए प्रयास करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है ।

### 1.8 नियोजन क्यों ?

इस शताब्दी के आरम्भ में ही सर हारकोर्ट बटलर ने कहा था, 'अब हम सब समाजवादी हैं ।' किन्तु इस शताब्दी के अंतिम तीन दशकों में यह कहना कहीं अधिक औचित्यपूर्ण है कि 'अब हम सब योजनाकार हैं ।' निःसन्देह अनेक व्यक्ति ऐसे होंगे जो स्वयं को समाजवादी कहलाना पसन्द नहीं करेंगे किन्तु योजनाकार कहलाने में उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं होगी।

नियोजन भारत के वैज्ञानिक युग की पद्धति - विशेष की समानार्थी हो गयी है । जब भी नियोजन शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसका सामान्य अर्थ यही होता है कि नियोजन भविष्य के लिए एक सुनियोजित व्यवस्था है । भविष्य के निर्णय भाग्याधीन परिस्थितियों के भरोसे छोड़ने के बजाय नियोजन की प्रविधि एक सुविचारित प्रयास है जिससे भविष्य का निर्माण करने वाली शक्तियों को समझा जा सकता है और उन्हें इस प्रकार ढाला जा सकता है जिससे कि भविष्य के लिए व्यवस्था इस प्रकार की जाए जो हमारे अपने लक्ष्यों और इच्छाओं के अधिक अनुकूल हों । नियोजन से हम अपने वातावरण के प्रति असहाय आत्मसमर्पण करने की बजाय अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं । इस अर्थ में नियोजन विवेक की अन्धविश्वास पर, ज्ञान की अज्ञान पर और भाग्यवादी असहाय दशा पर सुव्यवस्थित पहल की सफलता की प्रतीक है । आधुनिक टेक्नालॉजी और संगठन से मनुष्य की अपने जीवन को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों को समझने और उन्हें ढालने की क्षमता में काफी वृद्धि हुई है, इसी कारण नियोजन टेक्नालॉजी और संगठन की दासी है ।

अतः आज के प्रत्येक आधुनिक मानव या संस्थान या संगठन से यह अपेक्षा ठीक ही की जाती है कि वह अपने भविष्य के लिए नियोजन करे । इसका अर्थ यह है कि नियोजन आधुनिक समाज और अर्थ-व्यवस्था का एक विशिष्ट अंग बन गयी है । अतः

वर्तमान में नियोजन सुसंगठित सामाजिक कार्यों का एक अभिन्न अंग बन गयी है, उसे देखते हुए समाज को आधुनिक और प्रगतिशील कहा जा सकता है। जान कैनेथ गालब्रेथ ने अपनी पुस्तक 'दी न्यू इन्डस्ट्रियल स्टेट' में एक नए औद्योगिक समाज में नियोजन के महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया है। आधुनिक टेक्नालॉजी में वस्तुओं के उत्पादन में नवीनता लाने के लिए धन और साधनों की बहुल मात्रा में और लगातार आवश्यकता रहती है। केवल उत्पादन में ही नहीं बल्कि विपणन में भी, अति सतर्क और विस्तृत अनुसंधान व नियोजन के बिना काम नहीं चल सकता। बौचेट के शब्दों में, 'नई आवश्यकताओं के जन्म लेने से पहले उनको पूरा करने के साधनों पर विचार किया जाना चाहिए और इस दिशा में अनुसंधान कार्यक्रम आरम्भ करना चाहिए। सभी पश्चिमी देश ऊर्जा के क्षेत्र में अपने पूर्व - अनुमान और कार्यक्रम बीस वर्ष पहले बनाते हैं। ऊर्जा की आपूर्ति की सामान्य दरे पन्द्रह वर्ष से भी पहले लगाई गई पूँजी पर निर्भर करती है। पूँजी निवेश के यह मानक परिमाण लोहा और स्टील उद्योग, रासायनिक उद्योग तथा अन्य तेजी से विकसित हो रही शाखाओं पर भी लागू होते हैं। इन सभी उद्योगों में उत्पादन आरम्भ होने की अनुमानित तिथि से पहले ही अधिक धन की आवश्यकता होती है।'

**आधुनिक प्रबन्धन की तकनीक** - एक उद्यमी की सफलता के लिए नियोजन एक पारपत्र (पासपोर्ट) बन गया है। आधुनिक प्रबन्धन में यह एक प्रथम और महत्वपूर्ण तकनीक है। नियोजन का अभाव तैयारी का अभाव है, अतः यह असफलता का मार्ग है। विकास के अन्योन्याश्रय के कारण पूर्वानुमान अर्थ-व्यवस्था के किसी एक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं होता है वरन् उसे राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। फिर भी अर्थशास्त्री नियोजन शब्द का प्रयोग इस अर्थ में नहीं करते हैं। भविष्य के लिए सुव्यवस्थित व्यवस्था की, नियोजन के अर्थ में कोई विवाद नहीं है। दूसरी ओर, पहले भी और आज भी अर्थशास्त्रियों सामाजिक विचारकों और नीति - निर्धारकों द्वारा नियोजन का जो अर्थ लिया गया है, वह एक विवादास्पद विषय रहा है। उस विशेष अर्थ में नियोजन से तात्पर्य है किसी व्यक्ति या निजी संस्थान द्वारा की गयी नियोजन का स्थान राज्य द्वारा की गयी नियोजन द्वारा लिया जाना है। इस प्रकार नियोजन का तात्पर्य उस अर्थ - व्यवस्था से है जो मुक्त नीति का विकल्प है।

राज्य द्वारा नियोजन का उद्देश्य है, व्यक्तियों या निजी संस्थानों, उपभोक्ताओं, उत्पादकों और कार्यकर्ताओं द्वारा लिए गए निर्णयों पर इस प्रकार प्रभाव डालना जिससे कि वे सब राष्ट्र के योजनाकारों द्वारा पूर्व निर्धारित प्राथमिकताओं या लक्ष्यों के अनुकूल हो सके। इस विशिष्ट अर्थ में नियोजन विभिन्न विचार - धाराओं, विभिन्न वादों और विभिन्न राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक पद्धतियों के अर्थशास्त्रियों सामाजिक विचारकों और दलों के बीच, वाद-विवाद का विषय बन गया है ।

**मानव कल्याण हेतु गरीबी को समाप्त करना** - अन्तिम रूप से विश्व के प्रगतिशील देशों में नियोजन गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ने और जितना शीघ्र सम्भव हो सके, आर्थिक विकास तथा सामाजिक परिवर्तन लाने की एक प्रविधि है । अतः नियोजन की संकल्पना और मूलाधार उस विचारधारा पर निर्भर करेगा जिस पर चर्चा की जा रही हो । नियोजन की इन विभिन्न संकल्पनाओं में नियोजन के बारे में सामान्य धारणा, जैसा कि ऊपर कहा गया है, भविष्य के लिए सुनियोजित व्यवस्था से है ।

नियोजन में यद्यपि अनेक प्रकार के व्यक्ति विश्वास रखते हैं, चाहे वह विभिन्न अर्थों में हो, फिर भी विचारकों का एक दल ऐसा भी है, जो नियोजन में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता है, वे सोचते हैं कि नियोजन के माध्यम से अर्थव्यवस्था का प्रबन्धन असम्भव है, व्यवहार्य नहीं है और वह निश्चित रूप से असफल रहता है । इनमें ल्यूडबिग, बान माइसिज और फॉर्दर बॉन हैक आते हैं । प्रत्येक आर्थिक प्रणाली के पास मूलभूत आर्थिक प्रश्नों के उत्तर होने चाहिए । ये प्रश्न हैं - किस वस्तु का उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, किस प्रकार उत्पादन करना है, उत्पादन कब करना है, उत्पादन कहाँ और क्यों करना है, अन्तिम प्रश्न सम्भवतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आर्थिक अभिकरण की मूलभूत समस्या से सम्बद्ध है ।

### 1.9 योजना प्रक्रिया के विभिन्न चरण

परम्परागत नियोजन प्रक्रिया के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित चरण आवश्यक हैं -

1. वर्तमान परिस्थितियों का विश्लेषण - इस चरण के अन्तर्गत वर्तमान दर्जे का आँकलन करना, उसकी समस्याओं का पता लगाना और विकास के लिए उपलब्ध अवसरों

का पता लगाना शामिल है । इसमें वर्तमान साधनों के परिमाण का पता लगाना भी समाहित है ।

2. उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारण - लक्ष्यों का निर्धारण मोटे तौर पर समाज की समस्याओं और अवसरों पर तथा साधनों की वर्तमान एवं भावी स्थिति पर निर्भर करता है । फिर भी लक्ष्य निर्धारण का अर्थ है यह तय करना कि कौन से उद्देश्य पूरे करने हैं ।

3. नीति और नीति निर्माण - इस चरण में मुख्य रूप से साधनों के विश्लेषण के परिणामों का प्रयोग होता है और इसका निर्धारण योजना के भौतिक लक्ष्यों और उद्देश्यों पर निर्भर करता है । जैसे उद्देश्य व लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कई नीतियाँ बनायी जा सकती हैं, परन्तु महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों की क्षमता और अवसरों की तुलना की जाए और यह आंका जाए कि क्या निर्धारित उद्देश्य और लक्ष्य प्राप्त किये जा सकेंगे ।

4. कार्यक्रम और परियोजनाओं का पता लगाना - इस चरण में उन कार्यक्रम और परियोजनाओं का पता लगाया जाता है, जो योजना के उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण हैं ।

5. साधन - आवश्यकता - आंकलन - इसमें चुने हुए कार्यक्रमों और योजनाओं की लागत का अनुमान लगाया जाता है और योजना में तय की गयी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए धन जुटाने के साधनों का पता लगाया जाता है ।

6. चरणबद्धता और क्रियान्वयन - इस चरण में परियोजना के क्रियान्वयन का कार्यक्रम तय किया जाता है तथा इसके लिए प्रशासनिक दायित्व निर्धारित किया जाता है । इसमें परियोजना क्रियान्वयन के लिए समन्वय कार्य भी बनाया जाता है । इसके लिए परियोजना से सम्बद्ध विभिन्न मंत्रालयों की भूमिका को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाता है ।

7. निगरानी और आंकलन - इस चरण के अन्तर्गत योजनावधि में चलाए जाने वाले कार्यक्रमों और परियोजना की प्रगति पर बराबर निगाह रखना शामिल है । परियोजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की निगरानी करना बहुत महत्वपूर्ण है ।

मूल्यांकन या आंकलन का अर्थ है योजना के उद्देश्यों और लक्ष्यों की उपलब्धि का विश्लेषण योजना के विभिन्न चरणों में आंकलन किया जाता है, यथा मध्यावधि मूल्यांकन, अंतिम मूल्यांकन आदि । इससे क्रियान्वयन की अवधि में आने वाली कठिनाइयों का पता चलता है और सफलता या असफलता के कारणों को भी जाना जा सकता है । अंतिम आंकलन से तो भावी योजनाओं के लिए दिशा निर्देश भी प्राप्त हो सकते हैं ।

### 1.10 नियोजन का स्वरूप

नियोजन का स्वरूप बहु-आयामी है, इसकी विशेषताओं एवं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, कई वर्गों में विभक्त किया जा सकता है । पश्चिमी देशों में बाजार अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई नियोजन पद्धति प्रचलित है, पूर्वी यूरोपीय देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित नियोजन पद्धति प्रचलित थी तथा भारत जैसे अनेक विकासशील देशों में मिश्रित अर्थव्यवस्था की नियोजन प्रणाली प्रचलित है । प्रो० आर० पी० मिश्र<sup>47</sup> ने अवधि के आधार पर अल्पकालिक, दीर्घकालिक तथा परिप्रेक्ष्य नियोजन, कार्यक्रम अन्तर्वस्तु के आधार पर आर्थिक नियोजन एवं विकास नियोजन, संगठनात्मक दृष्टि से आदेशात्मक एवं निर्देशात्मक नियोजन, नियोजन प्रक्रिया की दृष्टि से मानकीय नियोजन एवं पद्धतिशील नियोजन, तत्वों के आधार पर प्रखण्डगत तथा स्थानिक नियोजन, तथा नियोजन के स्तर के आधार पर एकल स्तरीय नियोजन एवं बहुस्तरीय नियोजन के रूप में विभाजित करने का प्रयास किया है । लेकिन नियोजन की प्रणालियाँ अन्य अनेक प्रकार से भी वर्गीकृत की गयी हैं, जैसे व्यापक नियोजन अथवा आंशिक नियोजन, आवश्यकताजनित अथवा प्रेरित नियोजन, अधिनायकवादी अथवा लोकतांत्रिक नियोजन, क्षेत्रीय या स्थानिक योजना, भौतिक अथवा वित्तीय योजना, परिप्रेक्ष्य अथवा दीर्घावधि योजना, अल्प अवधि अथवा वार्षिक नियोजन ।

### 1.11 विकास नियोजन

कई पूर्व निर्धारित और सुनिश्चित सामाजिक एवं आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी सार्वजनिक स्तर द्वारा सोच समझकर बनाए जाने वाले आर्थिक कार्यक्रम को ही विकास नियोजन कहते हैं । प्रो० वाटरसन ने नियोजन की परिभाषा इस प्रकार की है - 'यह विशेष लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपलब्ध विकल्पों के चयन का चेष्टापूर्वक और निरन्तर प्रयास है । इसमें दुर्लभ और कम उपलब्ध साधनों को कम लागत पर उपलब्ध करना



भी शामिल है । विभिन्न समाजों ने विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न तरीकों से इस्तेमाल किया है । यह समाजवादी हल तक सीमित नहीं है । यह लोकतान्त्रिक और पूँजीवादी देशों के लिए इस्तेमाल हो सकता है और वहाँ इस्तेमाल होता भी है ।'

नियोजन आर्थिक विकास का एक उपयुक्त साधन है । आर्थिक विकास लक्ष्य है तथा नियोजन एक मार्ग । नियोजन का तात्पर्य उस व्यवस्था से है, जो भविष्य में आने वाली समस्या के समाधान के लिए की जाती है । असीमित आवश्यकताएँ और सीमित साधन, नियोजन को आवश्यक बना देती हैं । इसमें साधनों का विवेकपूर्ण आवंटन प्राथमिकता के निर्धारण के आधार पर किया जाता है । व्यक्ति द्वारा नियोजन व्यक्तिवादी तथा सरकार द्वारा नियोजन समष्टिवादी होता है ।

कुछ निश्चित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध साधनों का पूर्ण ज्ञान तथा प्रभावपूर्ण उपभोग के लिए सुव्यवस्थित एवं नियन्त्रित कार्यक्रम होना चाहिए।

नियोजन का मुख्य उद्देश्य देश के प्राकृतिक और जनशक्ति साधनों का उपयुक्त ढंग से उपयोग करके तेजी से आर्थिक विकास करना है । इस समय विश्व के लगभग सभी विकासशील देश तीन गम्भीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं, वे हैं - गरीबी, असमानता और बेरोजगारी । भारत सहित अनेक विकासशील देश इन समस्याओं से निपटने के लिए नियोजन अपना रहे हैं ।

विकास नियोजन के आवश्यक पहलू निम्न हैं -

1. विकास प्राथमिकताओं के सावधानीपूर्वक चयन द्वारा साधनों का न्यायसंगत आवंटन,
2. अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं पर आधारित पूर्व निर्धारित लक्ष्य,
3. नियोजन का दायित्व और विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में समन्वय के लिए केन्द्रीय प्राधिकरण,
4. लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपयुक्त विकास नीति का चयन,
5. योजना लागू करने के लिए आवश्यक साधनों को जुटाना और उन्हें प्रयोग करना ।

6. पूर्ण क्रियान्वयन और
7. निश्चित अवधि

भारतीय योजना आयोग के अनुसार नियोजित विकास के निम्न 5 उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं -

1. राष्ट्रीय आय में अधिकतम वृद्धि
2. तीव्र औद्योगीकरण एवं आधारभूत उद्योगों की स्थापना
3. रोजगार के अवसरों में अधिकतम वृद्धि,
4. आय की असमानताओं को कम करना, तथा
5. समावादी राज्य की स्थापना

इसके अतिरिक्त विभिन्न आर्थिक योजनाओं के अन्तर्गत नियोजन के भिन्न-भिन्न उद्देश्य थे। सामान्यतः नियोजन को विकास का पर्याय माना जाता है। नियोजन-सभी वस्तुएं सभी के लिए<sup>48</sup> का उद्देश्य तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक एवं संस्थानात्मक परिवर्तन न किये जाय। विकास की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए विद्वानों ने अल्पावधि तथा प्रखण्डगत नियोजन को आर्थिक नियोजन कहा है जबकि समाज एवं अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक एवं संस्थानात्मक परिवर्तन से सम्बन्धित नियोजन को विकास-नियोजन कहा है।<sup>49</sup> आर्थिक नियोजन विकसित राष्ट्रों की ऐसी अर्थव्यवस्था के लिये होता है, जहाँ पर अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक स्थिति सुदृढ़ हो चुकी है तथा उस स्थिति को बनाए रखने की समस्या है। विकास नियोजन तृतीय विश्व के अल्पविकसित राष्ट्रों के लिए आवश्यक है जहाँ प्रति व्यक्ति उत्पादन एवं आय कम है, औद्योगिक विकास नहीं हुआ है तथा जीवन स्तर अति निम्न है।<sup>50</sup>

### 1.12 सूक्ष्म स्तरीय नियोजन

हाल के वर्षों में सकल राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि के लिए सकल नियोजन पर जोर देने की बजाए विशेष क्षेत्रों के लिये सूक्ष्म स्तरीय नियोजन पर बल दिया जाने लगा है। इसे विकेन्द्रित नियोजन या एकदम निचले स्तर से नियोजन भी कहा जाता है और इसका आशय होता है जिला, विकास खण्ड और गाँव जैसे क्षेत्रों के लिए योजना बनाना। इसमें और राष्ट्रीय नियोजन में यहीं अन्तर है कि सूक्ष्म स्तर की योजना में स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं

को ध्यान में रखा जाता है जबकि राष्ट्रीय क्षेत्रीय नियोजन राष्ट्रीय उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जाता है। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय नियोजन के स्थानीय लोगों की जरूरतों पूरी करने में असफल सिद्ध हो जाने के बाद ही सूक्ष्म स्तर की योजनाएँ बनाना शुरू किया गया। इसमें अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र के लिये योजना बनायी जाती है जिससे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय नियोजन की कमियाँ नहीं रह पाती।

सूक्ष्म स्तरीय आयोजन देश के विकास प्रयासों में एक नया आयाम है और इसे निचले स्तरसे विकास की नीति भी कहा जा सकता है। इसीलिए विकास की नीति के रूप में स्थानीय स्तर के आयोजन में स्थानीय समस्याएँ हल करने, स्थानीय साधन जुटाने और योजना बनाने और लागू करने की प्रक्रिया में लोगों को सम्मिलित करने के प्रयास किए जाते हैं। इसमें उन मानकीकृत चरणों और प्रक्रियाओं को नहीं अपनाया जाता जो वृहद् स्तरीय आयोजन में अपनायी जाती हैं।

#### (अ) सूक्ष्म स्तरीय नियोजन से लाभ

1. सूक्ष्म स्तरीय नियोजन का एक बड़ा लाभ तो यह है कि योजनाकारों और साधारणजनों के बीच निकट का सम्पर्क स्थापित होता है। इसी कारण सूक्ष्म स्तर के नियोजन में मानवीय पहलू और जन साधारण की जरूरतों पर अधिक ध्यान रहता है। इसलिए जहाँ वृहद् स्तर की योजना बनाने वालों का ध्यान शायद सकल राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ाने पर रहता है, वहीं स्थानीय स्तर के योजनाकारों का ध्यान गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण आवास आदि स्थानीय समस्याओं पर होता है जो स्थानीय लोगों के लिये अधिक आवश्यक और वास्तविक होती हैं। राष्ट्रीय आयोजक तो जनसाधारण को प्रतिशत भर बनाकर छोड़ देते हैं, उसे मनुष्य समझकर नहीं चलते।

2. सूक्ष्म स्तर का नियोजन कुल नियोजन से अधिक प्रभावी इसलिए भी होगा क्योंकि यह अपेक्षाकृत छोटे समूह के लिए रहता है जिससे समूचे देश के सदर्भ में विधिता बहुत कम होती है।

3. सूक्ष्म स्तर का नियोजन एक समूह-क्षेत्र की ज्ञात आवश्यकताओं पर आधारित होता है, जबकि वृहद् स्तरीय नियोजन में बहुधा स्थानीय आवश्यकताओं की अनदेखी हो जाती है। क्योंकि वहाँ राष्ट्रीय लक्ष्य महत्वपूर्ण होते हैं।

4 चूँकि सूक्ष्म स्तरीय आयोजन नीचे से शुरू होता है अतः इसमें लोगों को शामिल करने और क्रियान्वयन में उनका सहयोग प्राप्त करने के अधिक अवसर रहते हैं।

5 माइक्रो स्तरीय नियोजन में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलता है जिससे आय और रोजगार के वितरण में क्षेत्रीय असमानताएँ दूर करने में मदद मिलती है।

6 आजकल अन्तर-क्षेत्रीय और अन्तर-सामूहिक आर्थिक असमानताएँ समाप्त करने के उद्देश्य से स्थान-विशेष और समूह विशेष के लिए विकास कार्यक्रमों की माँग बढ़ रही है और इनके लिए सूक्ष्म स्तर की योजना ही सार्थक सिद्ध हो सकती है।

### (ब) भारत में सूक्ष्म स्तरीय नियोजन

संतुलित बहुमुखी विकास सुनिश्चित करने के तन्त्र के रूप में सूक्ष्म नियोजन का महत्त्व देश में योजना-प्रक्रिया के आरम्भ होने के समय से ही स्वीकार कर लिया गया था। निरन्तर हर योजना में इसे अपनाने की वकालत भी की जा रही है। पहली पंचवर्षीय योजना में भी राज्य की योजना के अन्तर्गत ही जिला स्तर पर सूक्ष्म स्तरीय योजना बनाने के महत्त्व पर जोर दिया गया था। इसे दूसरी पंचवर्षीय योजना में भी जारी रखा गया और जिला स्तर पर चलायी जाने वाली कुछ गतिविधियों की योजना बनाई गयी। तीसरी योजना में माइक्रो स्तरीय आयोजन के महत्त्व पर बल दिया गया और राज्यों को सुझाव दिया गया कि वे विकास खण्ड और जिले को विकास की इकाई मानकर योजनाएँ बनाएँ।

इन सब प्रयासों के बावजूद चौथी पंचवर्षीय योजना में यह अनुभव किया गया कि सूक्ष्म स्तरीय नियोजन आरम्भ नहीं हो पाया है और राज्य स्तरीय योजना बनाने की परम्परागत प्रक्रिया में राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों की विविध परिस्थितियों और समस्याओं पर ध्यान देना संभव नहीं हो पा रहा है।

इसलिए विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परिस्थितियों की आकांक्षाओं तथा आवश्यकताओं पर अधिक ध्यान देना आवश्यक समझा गया तथा वर्तमान साधन क्षमता का अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उपयुक्त उपायों का पता लगाया गया। अतः फिर कहा गया कि जिला स्तर पर माइक्रो स्तरीय योजना बनाई जाए क्योंकि इस स्तर पर ऐसे अधिकारी उपलब्ध

हो सकते थे जो स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप योजना बना सकते थे, इन्हें स्थानीय परिस्थितियों की पूरी-पूरी जानकारी थी। परन्तु इस बात पर भी बल दिया गया कि जिलों की योजनाएँ बनाते समय राष्ट्रीय और राज्य स्तर की प्राथमिकताओं को भी ध्यान में रखा जाए और जहाँ जरूरी हो वहाँ क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय, खड और बाजार स्तर की योजनाएँ भी बनाई जाएं।

सूक्ष्म स्तरीय नियोजन के लिए योजना आयोग ने पहल की और दिशा निर्देश निर्धारित किए। उन योजनाओं की सूची तैयार की गयी जिन्हें जिला स्तर पर चलाया जा सकता था। इसके लिए योजना आयोग के दिशानिर्देश सुझावों के रूप में थे और राज्य सरकारों को अपनी आवश्यकतानुसार उनमें परिवर्तन करने की स्वतन्त्रता थी। अधिकांश राज्य इस संदर्भ में विवरण नहीं एकत्रित कर पाए और फलस्वरूप सूक्ष्म स्तरीय नियोजन लागू नहीं किया जा सका इसलिए योजनातन्त्र को, विशेषकर राज्य स्तर पर, मजबूत करना जरूरी हो गया। इसे देखते हुए योजना आयोग ने राज्यों के योजना विभागों को योग्य और कुशल तकनीकी कार्यकर्ता उपलब्ध कराया।

पाचवी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से ही गरीबी बेरोजगारी और सामाजिक असमानता की समस्याओं पर अधिक ध्यान दिया गया और ये योजना प्रक्रिया का मुख्य केन्द्र बिन्दु भी बन गईं। इन परिस्थितियों से निपटने के लिए योजना तन्त्र और निर्णय प्रक्रिया को इस स्तर पर लाना जरूरी समझा गया जहाँ लोगों की समस्याओं का पता लगाकर सक्रिय सामुदायिक सहयोग से इन्हें हल करने के प्रयास किए जा सके।

स्थिति की माँग को देखते हुए क्षेत्रीय विकास के कई विशेष कार्यक्रम आरम्भ किए गए और उनके क्रियान्वयन के लिए विशेषज्ञ एजेंसियाँ गठित की गयीं। इनके साथ ही गरीबी रोकने और क्षेत्र आधारित कार्यक्रमों को लागू करने, बुनियादी न्यूनतम जरूरतें पूरी करने और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए योजना प्रयासों के विकेन्द्रीकरण की जरूरत महसूस की गयी। इसलिए इस स्तर पर खण्ड स्तरीय आयोजन को ग्रामीण क्षेत्रों का विकास तेज करने का माध्यम समझा गया क्योंकि इसमें रोजगार के और आय जुटाने के स्थानीय साधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सकता था और साथ ही स्थानीय समस्याएँ हल करने पर ध्यान दिया जा सकता था। यह विश्वास था कि विकासखण्ड अपने छोटे क्षेत्रीय आकार और कम जनसंख्या के कारण योजनाएँ और कार्यक्रम बनाने और उन्हें लागू करने में एक आदर्श इकाई बन सकता था।

इससे पहले राज्य स्तर पर नियोजन प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए योजना आयोग ने एक योजना का निर्माण किया<sup>51</sup> किन्तु जिला स्तर पर नियोजन के निर्देश इससे भी पहले 1969 में दिए जा चुके थे।<sup>52</sup> 1978 से 1983 की अवधि में विकास खण्ड स्तर पर नियोजन का विकास किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास कार्य-क्रम को स्थानीय साधनों के बेहतर उपयोग द्वारा सुदृढ़ बनाना था।<sup>53</sup> नवम्बर 1977 को 'विकास खण्ड स्तर पर नियोजन' हेतु गठित 'दातावाला कमेटी' ने निम्न सुझाव दिया<sup>54</sup> -

- 1 कृषि एवं सम्बन्धित क्रियाये
- 2 गौण सिंचाई
- 3 मृदा संरक्षण एवं जल-प्रबन्ध
- 4 पशुपालन एवं मुर्गी पालन
- 5 मत्स्य पालन
- 6 वानिकी
- 7 कृषि उत्पादों का प्रक्रमण
- 8 कृषि उत्पादन में साधनों की पूर्ति
- 9 कुटीर एवं लघु उद्योग
- 10 स्थानीय सुविधा आधार
- 11 सार्वजनिक सुविधाएँ यथा
  - पेय जल आपूर्ति
  - स्वास्थ्य तथा पोषण
  - शिक्षा
  - आवास
  - सफाई
  - स्थानीय परिवहन
  - जनकल्याण कार्यक्रम
- 12 स्थानीय युवकों को प्रशिक्षण तथा स्थानीय जनसंख्या के कोशल में वृद्धि

यद्यपि खण्ड स्तरीय योजना मूलरूप से व्यापक योजना थी जिसे स्थानीय साधनों के आकलन के आधार पर बनाया जाना था फिर भी यह रोजगार जुटाने के लिए चलाई गई योजनाओं

और लाभकर्ताओं तक ही सीमित रह गई सीमित खण्ड योजना बनाने का कारण था, खण्ड स्तर पर कुशल तकनीकी कार्यकर्ताओं का अभाव, माइक्रो योजनाओं के लिए योग्य एवं कुशल कर्मचारियों की नितान्त कमी को देखते हुए निर्णय लिया गया कि विकास खण्ड स्तर पर योजनाएँ बनाने के लिए जिला - स्तर पर नियोजन एकक बनायी जाय ।

छठी पंचवर्षीय योजना के शुरू में की गई समीक्षाओं से पता चला कि सूक्ष्म-स्तरीय नियोजन के लिए समताएँ बहुत ही कम थी। अतः सही प्रक्रियाओं और उपयुक्त ढाँचे की खोज होनी चाहिए थी। इस दिशा में जिला नियोजन सबधी कार्यदल ने 1982 में एक धीमी पहल अपनाने की वकालत की । इसके बाद योजना आयोग ने जिला स्तर पर वित्तीय और प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण लागू करने के उपाय प्रारम्भ किए । इसकी प्रतिक्रिया में कई राज्यों ने राज्य योजनाओं के विभाज्य प्रावधानों को जिले के लिए हस्तान्तरिक कर दिया और प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण के उपाय लागू कर दिए । जिला स्तर पर नियोजन तन्त्र को मजबूत बनाने की केन्द्रीय योजना भी शुरू की गई और चुने हुए अधिकारियों को जिला और विकास खण्ड नियोजन का प्रशिक्षण दिया गया।

इन सबके बावजूद सातवीं पंचवर्षीय योजना में नियोजन के विकेन्द्रीकरण के लिए समुचित तन्त्र उपलब्ध नहीं हो सका और प्रशासन बराबर कमजोर बना रहा जबकि ग्रामीण विकास के अनेक नए कार्यक्रम शुरू होने की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे अन्य विभागीय कार्यक्रमों के साथ उनका सामंजस्य स्थापित करना भी जरूरी हो गया था ताकि जिला और विकास खण्ड स्तर के नियोजन के लिए प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण लागू हो सके। इसलिए सातवीं योजना में सूक्ष्म स्तरीय नियोजन को बढ़ावा देने के कई उपाय अपनाए गए। सूक्ष्म स्तरीय नियोजन के लिए विभिन्न समूहों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है।

### 1.13 स्थानवद्ध नियोजन

स्थानवद्ध नियोजन की रचना, क्षेत्र विकास की धारणा पर आधारित होती है। प्राकृतिक और आर्थिक पहलू किसी क्षेत्र को लाभप्रद स्वरूप प्रदान करते हैं और उसी के कारण वहाँ पर आर्थिक कार्यकलाप विकसित होता है। इस प्रकार योजनाकारों ने महानगरीय क्षेत्रों, नदी-घाटी क्षेत्रों और औद्योगिकरण क्षेत्रों, भौगोलिक समूहों, उत्खनन क्षेत्रों, जल-संग्रह क्षेत्रों, बाढ़ नियन्त्रण आदि क्षेत्रों को अलग-अलग बताया है। कतिपय सजातीय व्यवस्थाएँ यथा जल मृदा-प्रकार परिवहन व्यवस्थाएँ आदि ऐसे क्षेत्रों को क्षेत्रीय आधार पर आर्थिक नियोजन तैयार करने

के लिए उपयुक्त इकाइया बना देती है।

यह आवश्यक नहीं है कि ऐसे क्षेत्रों की सीमाएँ प्रशासनिक सीमाओं के अनुरूप हों, नदी क्षेत्र अथवा मिट्टी की किस्मों की कोई कृत्रिम सीमाएँ नहीं होती हैं। अतः एक नयी धारणा बन रही है कि वर्तमान प्रशासनिक सीमाओं से मिले-जुले क्षेत्रों के लिए स्थानबद्ध योजनाएँ बनाने की अपेक्षा नियोजन के क्षेत्र निर्धारित कर दिए जायँ और उनके लिए क्षेत्र योजनाएँ तैयार की जायँ। ऐसे नियोजन क्षेत्रों की कुछ विशेषताएँ भी हैं। ये आर्थिक कार्यकलाप के प्रसार केन्द्र बन जाते हैं। कभी-कभी इन्हें विकास केन्द्र अथवा केन्द्रीय क्षेत्रों की भी सजा दी जाती है।

क्षेत्रीय विज्ञान के अध्ययन के पता चलता है कि विकास का केवल एक ही बिन्दु नहीं होता, इसकी पूरी शृंखला होती है। विकास बिन्दुओं की शृंखला में सबसे नीचे एक समूह की तरह जुड़े कतिपय गाँव और समुदाय होते हैं। उसके बाद दूसरे केन्द्रीय स्थानों का समूह एक ऊँचे स्तर के विकास केन्द्र के इर्द-गिर्द एक तारामण्डल का रूप ले लेता है। क्षेत्रीय योजना अथवा स्थानबद्ध योजना में किसी सम्पूर्ण क्षेत्र के आर्थिक कार्यकलापों के लक्ष्यों की चर्चा करने के अतिरिक्त उन आर्थिक गतिविधियों को व्यक्त करना चाहिए जो विकास केन्द्रों की शृंखला और उनसे प्रभावित होने वाले क्षेत्रों से जुड़ी हों। इसी से नियोजन को स्थिति सम्बन्धी दिशा मिलती है और उनके क्रियान्वयन में वास्तविकता की प्राप्ति होती है।

#### 1.14 पिछड़ी अर्थव्यवस्था की संकल्पना

पिछड़ी अर्थव्यवस्था की उपयुक्त परिभाषा देना कठिन है। फिर भी इसे दरिद्रता, अज्ञानता अथवा रोग की स्थिति द्वारा, राष्ट्रीय आय के कुवितरण द्वारा, प्रशासनिक अक्षमता द्वारा तथा सामाजिक विघटन द्वारा परिभाषित करने का प्रयास किया गया है।<sup>55</sup> पिछड़े (बैकवर्ड) और दरिद्र (पुअर) शब्द अल्पविकसित के पर्यायवाची मानकर भी प्रयोग किए जाते हैं।<sup>56</sup> प्रस्तुत अध्ययन में पिछड़ी अर्थव्यवस्था शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थों में किया गया है। साधारणतया 'पिछड़ी अर्थव्यवस्था' शब्द का प्रयोग सकुचित अर्थों में किसी क्षेत्र के मात्र आर्थिक तन्त्र के लिए किया जाता है। यहाँ पर अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत किसी भी भौगोलिक परिदृश्य के समष्टि या समन्वित रूप में किया गया है, जिसमें आर्थिक तत्वों के साथ-साथ भौगोलिक तथ्यों को समाहित किया गया है। मानव के सम्पूर्ण क्रियाओं में आर्थिक क्रियाओं का विशेष महत्त्व है क्योंकि अन्य



क्रियाओ पर आर्थिक क्रियाओ का प्रभाव होता है। अतः प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध विषय में भौगोलिक शब्द 'पिछड़ा क्षेत्र' की जगह 'पिछड़ी अर्थव्यवस्था' शब्द का प्रयोग किया गया है।

क्षेत्रीय असंतुलन, क्षेत्रीय विभेदशीलता तथा पिछड़ापन के अर्थों में भी पर्याप्त विभेद है। स्मरणीय है कि सामान्य तौर पर क्षेत्रीय असंतुलन, क्षेत्रीय विभेदशीलता तथा पिछड़ेपन का प्रयोग एक ही अर्थ में किया जाता है किन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। क्षेत्रीय असंतुलन तथा क्षेत्रीय विभेदशीलता का दृष्टिकोण जहाँ अत्यधिक व्यापक है वहीं दूसरी ओर पिछड़ेपन का प्रयोग इसके एक अंश के रूप में किया जाता है। जहाँ क्षेत्रीय असंतुलन व क्षेत्रीय विभेदशीलता का सम्बन्ध अर्थव्यवस्था के तीनों चरणों (अविकसित - विकासशील तथा विकसित) से है, वहीं पिछड़ेपन का सम्बन्ध अर्थव्यवस्था के मात्र प्रथम चरण (अविकसित) से है। किन्तु कुछ सन्दर्भों में इसका प्रयोग अर्थव्यवस्था के द्वितीय चरण (विकसित) में भी किया जा सकता है।

विकास की भाँति 'पिछड़ी अर्थव्यवस्था' की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है बल्कि यह एक तुलनात्मक विचार है। सामान्यतया पिछड़ेपन से तात्पर्य अर्थव्यवस्था के उस स्वरूप से, जो उस क्षेत्र में रहने वाले या उस समाज में रहने वाले लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा न कर सके। अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन की तीव्रता का अनुमान ऐसी लोगों जिनकी निम्नतम आवश्यकताएँ भी पूर्ण नहीं हो पाती है - की सख्या पर निर्भर करता है। ऐसी दशा का आविर्भाव किसी क्षेत्र में अर्थव्यवस्था के मुख्य स्तम्भ - कृषि एवं औद्योगिकरण के पिछड़ेपन के कारण होती है। इस पिछड़ेपन का कारण भौतिक तथा सांस्कृतिक ससाधनों का अविकसित होना है। भौतिक ससाधनों से तात्पर्य किसी स्थान विशेष के उच्चावच, खनिज, जलवायु, मृदा अपवाह, प्राकृतिक वनस्पति व जीव जन्तु से है तथा सांस्कृतिक ससाधनों से तात्पर्य मानव के सम्पूर्ण क्रिया-कलापों से है। भौतिक तथा सांस्कृतिक ससाधनों के पिछड़ेपन के आधार पर पिछड़ी अर्थव्यवस्था निम्न प्रकार की हो सकती है -

1. भौतिक रूप में पिछड़ी अर्थव्यवस्था
2. अशत भौतिक रूप से पिछड़ी अर्थव्यवस्था
3. सांस्कृतिक रूप से पिछड़ी अर्थव्यवस्था
4. अशत सांस्कृतिक रूप से पिछड़ी अर्थव्यवस्था
5. भौतिक एवं सांस्कृतिक रूप से पिछड़ी अर्थव्यवस्था
6. भौतिक तथा अशत. सांस्कृतिक रूप से पिछड़ी अर्थव्यवस्था

## 7 अशत भौतिक तथा सास्कृतिक रूप से पिछड़ी अर्थव्यवस्था

भौतिक रूप से पिछड़ी अर्थव्यवस्था में उस क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है, जहाँ की जलवायु जीव जन्तुओं एवं मनुष्यों के स्वास्थ्य, क्रियाकलाप एवं व्यवसाय के प्रतिकूल हो, उच्चावच इस प्रकार हो जहाँ कृषि, बागवानी, निर्माणकार्य के प्रतिकूल हो वन-ससाधनों व खनिज ससाधनों की अल्पता हो। उपर्युक्त सभी तथ्य अर्थव्यवस्था के विकास के आधार स्तम्भ हैं, जिनके अभाव में विकास प्रक्रिया संचालित नहीं हो सकती। उपर्युक्त आधारभूत तत्वों के अभाव में यदि पिछड़ेपन को दूर करने का प्रयास किया जाता है तो अर्थव्यवस्था और जटिल तथा पिछड़ेपन का शिकार हो जाती है।

सास्कृतिक रूप से पिछड़ी अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत भौतिक ससाधन तो प्रचुरमात्रा में होते हैं किन्तु मानव प्रबन्धन की कमी के कारण अर्थव्यवस्था पिछड़ी दशा में रहती है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में विकास की सभाव्यता रहती है। मानव प्रबन्धन में सुधार करके ऐसी अर्थव्यवस्था को दीर्घ अवधि में विकसित किया जा सकता है।

भौतिक एवं सास्कृतिक रूप से पिछड़ी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों का भौतिक या सास्कृतिक रूप में विकास करने की सम्भावना कम होती है।

भौतिक एवं सास्कृतिक दृष्टि से अंशत पिछड़ी अर्थव्यवस्था में सभी सास्कृतिक एवं भौतिक ससाधनों की अंशत कमी पायी जाती है।

भौतिक तथा सास्कृतिक रूप में अंशत पिछड़ी अर्थव्यवस्था में भौतिक ससाधनों का अभाव अवश्य होता है किन्तु सास्कृतिक ससाधन में अंशत कमी पायी जाती है। इसी प्रकार कुछ अर्थव्यवस्थाओं में सास्कृतिक ससाधन का पूर्णतया अभाव पाया जाता है किन्तु भौतिक ससाधनों में अंशत कमी पायी जाती है।

यह एक विचारणीय प्रश्न हो सकता है कि किसी क्षेत्र के भौतिक एवं सास्कृतिक दोनों प्रकार के पिछड़े ससाधनों में, किसमें सर्वप्रथम सुधार करना आवश्यक होता है। चूँकि सास्कृतिक ससाधनों के विकसित होने पर भौतिक ससाधनों का पिछड़ापन शीघ्र दूर हो जाता है इसलिए सास्कृतिक

ससाधन को सर्वप्रथम विकसित करने की आवश्यकता है।

### 1.15 पिछड़ेपन का कारण

जनसख्या वृद्धि, प्रति व्यक्ति निम्न आय, कृषि की प्रधानता, तकनीकी पिछड़ापन, भयकर बेरोजगारी, भुगतान सतुलन की बिगडती स्थिति तथा औद्योगीकरण का प्रभाव देश के सम्मुख कुछ ऐसी चुनौतियाँ हैं जो भारत को पिछड़ेपन के धरातल पर लाकर खड़ा कर दिया है। वैयक्तिक आर्थिक विषमताएँ तथा शहरो एव गाँवों में वितरण की असमानता पिछड़ेपन के अन्तर को और बढ़ा देती है। भारत के पिछड़े क्षेत्रों का मूल कारण न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक भी है। जिनमें प्रमुख कारण राजनीतिक अस्थिरता, अकुशलता, दृढ निर्णय का अभाव तथा सामाजिक रूढ़िवादिता, अधविश्वास, भाग्यवादिता के अतिरिक्त बाजार की अपूर्णताएँ, निर्धनता का दुश्चक्र, पूँजी निर्माण की निम्न दर, आधारभूत संरचना, का अभाव, उद्यमशीलता एव प्रबन्धकीय योग्यता का अभाव, प्राकृतिक ससाधनों का अभाव, प्राकृतिक स्रोतों के उचित सर्वेक्षण एव सर्वोत्तम उपयोग का अभाव और दोषपूर्ण सरकारी नीतियाँ रहे हैं।<sup>57</sup>

स्वतन्त्रता पूर्व भारत की अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सम्बन्ध तत्कालीन राजनीतिक स्वरूप व औपनिवेशिक तन्त्र से गहन रूप से जुड़ा हुआ था। ब्रिटिश शासन का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह था कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत पिछड़ी हुई तथा कृषि प्रधान थी। इसकी आर्थिक संरचना अपेक्षाकृत उन्नत देशों से विपरीत थी। जनसख्या का 70% से अधिक भाग कृषि में लगा हुआ था जिसका राष्ट्रीय आय में 60% से अधिक योगदान था। कृषि में जनसख्या के अधिकांश भाग का नियोजित होना और उसमें (कृषि में) लोगो की संख्या व प्रतिशतता में लगातार वृद्धि या उनमें (जनसख्या) में कमी न होना पिछड़ी अर्थव्यवस्था का द्योतक है। ब्रिटिश शासन के शोषक व विभेदकारी नीतियों के कारण सदियों में सुस्थापित भारतीय दस्तकारी का कुछ ही वर्षों में पतन हो गया, जिससे जनसख्या का एक बड़ा भाग रोजी-रोटी की खोज में कृषि की ओर उन्मुख हुआ। इस प्रक्रिया के अनवरत चलते रहने के कारण कृषि व जमीन पर दबाव बढ़ा, परिणामस्वरूप भूमि का विखण्डन हुआ, कृषि व उद्योग का सम्बन्ध टूट गया। इस प्रकार कृषि का उद्देश्य मात्र भरण-पोषण होने के कारण सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था पिछड़ेपन का शिकार हो गयी।

गेर कृषि क्षेत्र की सरचना परिवर्तित होकर छोटी व असतुलित हो गयी। उद्योग के नाम पर कृषि उपज के परिष्करण हेतु हल्के उद्योग थे न कि आधुनिक धातुकार्मिक, इजीनियरिंग गृहनिर्माण सामग्री, रसायन व खनिज तेल उद्योग। जहाँ अन्य देशों में औद्योगिक क्रान्ति हुई वहाँ भारत मुख्य रूप से कृषि प्रधान देश बना रहा। भारतीय ससाधनों से ब्रिटिश औद्योगिकरण को गति मिली। भारत ब्रिटेन के लिए कच्चे माल का निर्यातकर्ता तथा विनिर्मित सामान का बाजार केन्द्र बन गया। परिणामस्वरूप भारत शेष विश्व से लगातार पिछड़ा गया। उपर्युक्त विवरण से किसी देश के पिछड़ेपन का ज्ञान हो जाता है किन्तु किसी देश के अन्तर्गत किसी क्षेत्र विशेष के पिछड़ेपनका कारण सूक्ष्म स्तरीय नियोजन पद्धति न अपनाना तथा असमान नियोजन पद्धति है।

### 1.16 पिछड़ी अर्थव्यवस्था के मापदण्ड

पिछड़ी अर्थव्यवस्था का निर्धारण अनेक कारकों को ध्यान में रखकर किया जाता है। किन्तु सामान्यतया प्रति व्यक्ति निम्न आय, प्रति व्यक्ति निम्न उत्पादन, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, औद्योगिक पिछड़ापन, उपभोग की अधिकतम दर, बचत व पूँजी की कमी, जनसंख्या का अत्यधिक दबाव तथा वृद्धिदर, रोजगार की अल्पता तथा औद्योगिक पिछड़ापन इत्यादि किसी भी पिछड़ी अर्थव्यवस्था के प्रतिबिम्ब है। साथ ही किसी क्षेत्र के अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का निर्धारण निम्न तथ्यों के सदर्थ में दिया जा सकता है।<sup>58</sup>

- 1 प्रति व्यक्ति आय
- 2 कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों का प्रतिशत
- 3 कृषि भूमि - जनसंख्या अनुपात
- 4 कृषि में सलग्न जनसंख्या
- 5 ग्रामीण नगरीय जनसंख्या अनुपात
- 6 परिवहन संचार तथा अन्य सेवाओं की उपलब्धता
- 7 जल विद्युत तथा अन्य सुविधाओं की उपलब्धता, तथा
- 8 साक्षरता का स्तर

पिछड़ी अर्थव्यवस्था के उपर्युक्त तथ्यों में केवल सांस्कृतिक पक्ष को ही समाहित किया गया है। सांस्कृतिक तथ्यों में भी क्रियाशील जनसंख्या अनुपात तथा आश्रित जनसंख्या अनुपात जैसे अनिवार्य तथ्य को समाहित नहीं किया गया है। इसके साथ ही प्राकृतिक तत्वों

को जो किसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन लिए कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, की अवहेलना की गयी है। अतः पिछड़ी अर्थव्यवस्था के निर्धारण में उक्त तथ्यों के साथ क्रियाशील जनसंख्या अनुपात, आश्रित जनसंख्या अनुपात, जलवायु, उच्चावच, जल-ससाधन, वन व खनिज आदि ससाधनों की उपलब्धता पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही पिछड़ी अर्थव्यवस्था के निर्धारण में दो और समस्याएँ हैं ।

पहला, पिछड़ेपन के निर्धारण हेतु लिए गए मानदण्डों की सीमा क्या हो ? अर्थात् किसी तथ्य से सम्बन्धित वह कौन सा देहलीज (थ्रेशोल्ड) या औसत (एवरेज) हो जिसके ऊपर रहने पर क्षेत्र विकसित कहा जाय तथा नीचे रहने पर पिछड़ा कहा जाय। मापदण्डों के लिए निर्धारित मानक सीमा राष्ट्रीय औसत हो या विश्व औसत या राज्य औसत या योजना आयोग द्वारा समय - समय पर निर्धारित मानदण्ड हो।

दूसरी समस्या, पिछड़ेपन के निर्धारण हेतु क्षेत्र के स्तर की सीमा से है, जिसमें किसी अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन के निर्धारण में तुलनात्मकता पर ध्यान दिया जाता है। उदाहरणार्थ यदि किसी विकास खण्ड के पिछड़ेपन का निर्धारण करना है तो वह तहसील जनपद कमिश्नरी, राज्य तथा राष्ट्र में से किसकी तुलना में ज्ञात किया जाय? भारत के सदर्थ में यह क्षेत्र सम्पूर्ण राष्ट्र हो सकता है या योजना आयोग द्वारा निर्धारित क्षेत्रीय स्तर हो सकता है ।

उपर्युक्त दोनों ही तथ्यों के निर्धारण में कोई सुविचारित वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया न होकर एक व्यक्तिनिष्ठ प्रक्रिया है। इसके निर्धारण के बावजूद किसी अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन की वास्तविक तस्वीर उभर कर नहीं आती है क्योंकि इससे मात्र क्षेत्रीय विषमता ही आभाषित होती है। इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम होगा, समान वातावरणीय दशाओं के विभिन्न तथ्यों का तुलनात्मक अध्ययन। अर्थात् किसी क्षेत्र के सम्बन्धित क्रियाओं का कितना प्रतिशत भाग विकसित किया जा चुका है तथा कितना प्रतिशत विकसित किया जाना शेष है, ज्ञात करना। सम्बन्धित क्षेत्र की कुल सम्भाव्यता का यदि 50% से कम विकसित किया गया है तो वह क्षेत्र नितान्त पिछड़ा कहा जाएगा और यदि सम्भाव्यता का 50-75% भाग विकसित किया गया है तो उसे विकासशील तथा 75% से अधिक विकसित प्रदेश को विकसित कहा जा सकता है। किन्तु उपर्युक्त आंकड़ों पर बहुत अधिक बल नहीं दिया जा सकता है ।

अर्थव्यवस्था के सभी पक्षों के पिछड़ेपन का निर्धारण आकड़ों की अनुपलब्धता तथा सीमित अवधि के कारण संभव नहीं है। अध्ययन क्षेत्र पर सामान्य दृष्टिपात करने से ही सोनभद्र के पिछड़ेपन का आभास हो जाता है। सोनभद्र की अर्थव्यवस्था भौतिक रूप से अशतः तथा सांस्कृतिक रूप से पूर्णतः पिछड़ी अर्थ-व्यवस्था है। योजना आयोग<sup>59</sup> तथा राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक परिषद<sup>60</sup> द्वारा प्रयुक्त मानदण्डों के अनुसार सम्पूर्ण पूर्वी उत्तर प्रदेश ही पिछड़े क्षेत्रों के अन्तर्गत आता है। अतः दक्षिणी उत्तर प्रदेश में स्थित नवीन सोनभद्र जनपद भी पिछड़ी अर्थव्यवस्था का एक मानक प्रतिरूप है।

### 1.17 पिछड़े क्षेत्रों की पहचान

पिछड़े क्षेत्रों की पहचान एवं उनके विकास को प्रोत्साहन देने हेतु योजना आयोग ने 1968 में दो कार्यकारी दलों की नियुक्ति की थी। प्रथम, पिछड़े क्षेत्रों की पहचान के लिए श्री बी०डी० पाण्डे तथा द्वितीय पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए मौद्रिक एवं वित्तीय प्रोत्साहन देने हेतु श्री एन०एन० वैञ्चू की अध्यक्षता में कार्यकारी दलों का गठन किया। इन आयोगों ने पिछड़े क्षेत्रों की पहचान के आधार और उनमें उद्योगों की स्थापना के लिए मौद्रिक एवं वित्तीय प्रोत्साहन देने की सिफारिशों का आधार प्रस्तुत किया था। वर्तमान में 1983 की संशोधित नीति के अनुसार पिछड़े राज्यों, जिलों तथा क्षेत्रों को औद्योगिक विकास के लिए अनुदान एवं आर्थिक सहायता की दृष्टि से परिभाषित किया गया है। इस नीति के अनुसार पिछड़े क्षेत्रों, जिलों को विकास के स्तर के आधार पर तीन वर्गों में बाटा गया है यथा 'अ' श्रेणी, 'ब' तथा 'स' श्रेणी के जिले।

वर्तमान समय में भारत 25 राज्यों एवं 7 केन्द्रशासित प्रान्तों में विभाजित है। भारत के 25 राज्यों को 463 जिलों तथा 7 केन्द्र शासित प्रान्तों को 20 उपजिलों एवं 4 जिलों में विभाजित किया गया है। इनमें आय एवं उद्योगों की दृष्टि से 267 जिले तथा 20 उप जिले पिछड़े हुए हैं। भारत के असम, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, तामिलनाडु, कर्नाटक तथा गुजरात विकसित एवं गोवा, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीर, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैण्ड व मणिपुर पूर्ण रूप से पिछड़े हुए राज्य हैं, जबकि आन्ध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, मिजोरम तथा राजस्थान के आधे से अधिक जिले पिछड़े हुए हैं। दूसरी ओर भारत के 7 केन्द्र शासित प्रान्तों में केवल दिल्ली

प्रान्त ही विकसित है, शेष 6 प्रान्त पूर्ण रूप से पिछड़े हुए हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण भारत के 299 जिले पिछड़े हुए हैं, जिनमें 131 जिले श्रेणी 'अ', 55 जिले श्रेणी 'ब' तथा 113 जिले श्रेणी 'स' में आते हैं, जो सम्पूर्ण जिलों का 20.26% है। अर्थात् भारत के कुल क्षेत्रफल का 70% व कुल जनसंख्या का 56% भाग पिछड़े क्षेत्रों में आता है।<sup>61</sup>

पिछड़ेपन को दूर करने तथा क्षेत्रीय असन्तुलन को समाप्त करने के लिए, संविधान की धारा 280 के अधीन, प्रति पांच वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। संसाधनों के अंतरण के लिए आयोग द्वारा अपनाए गए जनसंख्या और अन्य मापदण्ड तथा प्रविधियाँ पिछड़े राज्यों के पक्ष में गई हैं। पिछड़े क्षेत्रों में पूँजी निवेश व औद्योगिक अवस्थापना को प्रोत्साहन दिया जाता है। यह स्वीकार किया गया है कि क्षेत्रीय पिछड़ापन एक क्षेत्रीय समस्या है। और इसका समाधान क्षेत्र की दृष्टि से ही हो सकता है। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए पिछड़े क्षेत्रों के लिए विशेष विकास योजनाएँ बनायी जाती हैं।<sup>62</sup>

## संदर्भ

1. सिंह, इकबाल भारत में ग्रामीण विकास, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, 1986, पृष्ठ 2.
2. Smith, D.M. · *Human Geography · A Welfare Approach*, Arnold Heine Mann, London, 1984.
3. दत्त, भवतोष वृद्धि, विकास और प्रगति, योजना, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली, 15 अगस्त 1987, पृष्ठ 6.
4. शर्मा, के.एल. भारतीय समाज, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली, 1991, पृष्ठ 153
5. वही, पृष्ठ 154
6. मिश्र, एस.के. ए. व. पुरी, वी.के.के. · भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालया पब्लिशिंग हाउस, बम्बई, 1991, पृष्ठ 4
7. Meir, G.M. and Balduin, R.E.. *Economic Development: Theory, History and Policy*, New York, 1957, p.2.

8. Drewnowski, J.. *On Measuring and Planning the Quality of Life*, Mouton, The Hague, 1974, p.95.
9. Kuznets, S.. 'Towards a Theory of Economic Growth', in R.Lekachman (ed), *National Policy for Economic Welfare at Home and Abroad*, p 16.
10. पूर्वोक्त सदर्थ सख्या 4, पृष्ठ 151
11. देव, अर्जुन सभ्यता की कहानी (2), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् नई दिल्ली, 1987, पृष्ठ 178
12. वही, पृष्ठ 179
13. मिश्रा, बी०एन० विकास एक वैज्ञानिक - धार्मिक सन्दर्भ, भू-सगम, 2 (1), इलाहाबाद ज्योग्राफिकल सोसायटी, इलाहाबाद, 1984 पृष्ठ 1-16
14. Qureshi, M.H.. *India. Resources and Regional Development*, NCERT, New Delhi, 1990, P. 81.
15. पूर्वोक्त सदर्थ सख्या 2
16. सिंह, आर०एन० एव कुमार, ए० 'भारतीय नियोजन प्रणाली एव ग्रामीण विकास एक समीक्षा, भू-सगम, 2 (1), इलाहाबाद ज्योग्राफिकल सोसायटी इलाहाबाद, 1984, पृष्ठ 17-24
17. Prakash, B. and Raya M.: *Rural Development 'Issues to Ponder'*, Kurukshetra, 32(4), 1984, pp 4-10.
18. तिवारी, आर०सी० तथा त्रिपाठी, एस० 'समन्वित ग्रामीण विकास - भौगोलिक दृष्टिकोण', ग्रामीण विकास . संकल्पना, उपागम एव मूल्यांकन (स०), सिंह, पी० एवं तिवारी, ए०, पर्यावरण विज्ञान अध्ययन केन्द्र इलाहाबाद, 1989, पृष्ठ 48 - 64.
19. Mishra, R.P., Sundram K.P. and Prakash Rao, V.L.S.. *Regional Development Planning in India: A New Strategy*, Vikas Publishing House, New Delhi, 1974, p.189.



20. Singh, R.N. and Kumar, A 'Spatial Reorganisation. Concept and Approaches', *National Geographer*, 18 (2), 1983, pp. 215-226.
21. Haq, Mahbub ul, "Employment and Income Distributin in the 1970s A New Perspective", *Pakistan Economic and Social Review*, June -December 1971, p. 6.
22. Kindleberger, C.P. and Herrick, B. *Economic Development (New York, 1977) p. 1.*
23. Broger, D.: 'Central Place System, Regional Planning and Development in Developing Countries: Case of India', in *Transformation Habitat in India Perspective, Geographical Dimention*, (ed) Singh, R.L. and Rana, P.B S. *National Geographical Society of India, B.H U., Varanasi 1978, pp. 134-164.*
24. Todaro, M.P. *Economic Development in the Third World, New York, Longman Inc 1983, p.70.*
25. पूर्वोक्त संदर्भ सख्या 2
26. Seers, Dubley: "The Meaning of Development", *Eleventh World Conference of the Society for International Development (New Delhi 1969), p.3.*
27. सिंह, जगदीश वातावरण नियोजन एव सविकस, ज्ञानोदय प्रकाशन, गोरखपुर, 1988, पृष्ठ 242

28. भारत, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार, पटियाला हाउस, नई दिल्ली, 1988 - 89, पृष्ठ 142
29. पूर्वोक्त सदर्थ सख्या 27, पृष्ठ 242-46
30. पूर्वोक्त सदर्थ सख्या 14, पृष्ठ 81
31. Adelman, I. and Merriam, C.T.: *Society, Politics and Economic Development*, Baltimore, The John Hopkins, 1967.
32. Hagen, E.E.: 'A Framework for Analysing Economic and Political Development', in Robert Asher, (ed) *Development of Emerging Countries*, Washington D.L., Bookings Institution, 1962, pp. 1-38.
33. United Nations Research Institute for Social Development: *Contents and Measurements of Social Economic Development*, Geneva, Report No. 70.10, 1970.
34. Berry, B.J.L.: 'An Inductive Approach to the Regionalization of Economic Development', in N.Ginsburgh (ed), *Essays on Geography and Economic Development*, Research Paper 62, Department of Geography' University of Chicago, 1960.
35. Myrdal, G.: *Economic Theory and Underdevelopment*, London, 1957.
36. Keeble, D.: 'Models of Economic Development', in R.J. Chorley and P.Haggette, *Models in Geography*, London, Methuen, 1967.

37. Friedman, J.: 'The Urban-Regional Frame for National Development', *International Development Review*, 1966.
38. Rostow W.W.: *The Stage of Economic Growth*, London, Cambridge University Press, 1962, p.2.
39. Perroux, F.: 'La Nation De Croissance', *Economique Applique*, Nos. 1 and 2, 1955.
40. Boudeville, T.R.: *Problem of Regional Economic Planning*, Edinburgh University Press, 1966.
41. Faludi, A.: *Planning Theory*, Pergamon Press, Oxford, 1973.
42. Friedman, J.: 'The Concept of Planning Regions, The Evolution of an Idea in the United States', Reprinted in J. Friedman and W Alonso (ed), *Regional Development and Planning, A Reader*, the M.I.T. Press, 1958.
43. Hill Horst, J.G.M.: *Regional Planning. A Systems Approach*. Rotterdam University Press, 1977.
44. Dror, Y.: 'The Planning Process A Facet Design', *International Review of Administrative Science*, 29(1), 1963.
45. पूर्वोक्त सदर्थ संख्या, 20
46. कुरेशी, एम0एच0 भारत ससाधन और प्रादेशिक विकास, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली, 1990 पृष्ठ 118

47. पूर्वोक्त सख्या 19
48. Gillingwater, D.: *Regional Planning and Social Change, A Responsive Approach*, Saxon House, 1975, p.1.
49. पूर्वोक्त सख्या 19
50. पूर्वोक्त सख्या 35
51. Singh, A.K.: *Planning of the State Level in India*, Commerce Pomphlet 25, 1970, p.29.
52. Planning Commission,: *Guidelines for the Formulation of District Plans*, 1969, pp. 1.2, (U.P.Government edition).
53. Vaishnav, P.H. and Sundram, K.V.: *Integrating Development Administration at the Area Level*, in Planning Commission, Report of the Working Group on 'Block Level Planning, 1978, p 2.
54. वही
55. Keenleyside, H.L.: 'Obstacles and Means in Internation Development' in *Dynamics of Development*, (ed) G.Hambridge, P.8.
56. The United Nations Experts on Measures for the Economic Development of Underdeveloped Countries Wrote. 'An Adequate Synonymn for Underdeveloped Countries would be poor countries' p.3.
57. योजना, प्रकाशन विभाग, सूचना एव प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली, 15 मई 1992, पृष्ठ 14

58. Chand, M. and Puri V.K. *Regional Planning in India*, Allied Publishers Ltd., New Delhi, 1983, p.331.
59. Government of India, Planning Commission. *Report of the Working Group on Identification of Backward Area*, New Delhi, 1969
60. National Council of Applied Economic Research *Techno-Economic Survey of Uttar Pradesh*, New Delhi, 1965.
61. पूर्वोक्त सदर्थ सख्या, 54
62. भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली, जून 1985, पृष्ठ 53

\*\*\*\*\*

## अध्याय 2

### अध्ययन क्षेत्र की भौगोलिक पृष्ठभूमि

प्रत्येक क्षेत्र अपनी विशिष्ट भौगोलिक विशेषताओं से युक्त होता है । किसी भी क्षेत्र के विशिष्ट प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक भू-दृश्य वहाँ के प्राकृतिक एवं जैविक अन्तर्क्रिया के परिणाम होते हैं । विकास योजनाएं भौगोलिक तथ्यों एवं विशेषताओं को ध्यान में रखकर ही बनायी जाती हैं, किन्तु विकास नियोजन में मानव कल्याण एवं पर्यावरण सतुलन केन्द्रीय तत्व होते हैं । अस्तु प्रस्तुत अध्याय का उद्देश्य अध्ययन क्षेत्र के प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक स्वरूप का वर्णन एवं विश्लेषण करना है ।

#### 2.1 स्थिति एवं विस्तार

अध्ययन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के दक्षिण - पूर्व में स्थित जनपद सोनभद्र है, जिसका सृजन 4 मार्च 1989 को हुआ । वर्तमान सोनभद्र जनपद में पूर्व मीरजापुर जनपद के राबर्ट्सगंज एवं दुहड़ी तहसील का सम्पूर्ण क्षेत्र सम्मिलित है । राबर्ट्सगंज को अस्थाई जनपद मुख्यालय बनाने के अतिरिक्त पूर्व के प्रशासनिक भागों एवं क्षेत्रों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है । जनपद का 'सोनभद्र' नामकरण अग्निपुराण में उल्लिखित सोन नदी के नाम पर किया गया है ।<sup>1</sup>

‘नमस्ते ब्रह्मपुत्राय शोण भद्राय ते नम ।


मेकलोदभवाय बृहते सर्व पाप हरायव ॥’

प्राकृतिक रूप से दक्षिण में दक्कन के पठार व उत्तर में गंगाघाटी तथा राजनीतिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व बिहार के सगम पर स्थित, सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र पठारी क्षेत्र है । सोनभद्र के पूर्व में छोटा नागपुर का पठार, पश्चिम में बघेलखण्ड तथा रीवा का पठार, उत्तर में गंगाघाटी तथा दक्षिण में बघेलखण्ड का पठार है । सम्पूर्ण जनपद दक्कन पठार का ही एक भाग है । सोनभद्र के पूर्व में जनपद गढ़वा व भभुवा (बिहार राज्य), पश्चिम में सीधी (मध्य प्रदेश), दक्षिण में सरगुजा (मध्य प्रदेश) तथा उत्तर में मिर्जापुर व वाराणसी (उत्तर प्रदेश) राजनीतिक सीमा बनाते हैं । अध्ययन प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 23<sup>0</sup>52' उत्तरी अक्षांश से 24<sup>0</sup>53' उत्तरी अक्षांश के मध्य है तथा देशान्तरीय विस्तार 82<sup>0</sup>38' पूर्वी देशान्तर से 83<sup>0</sup>33' पूर्वी देशान्तर के मध्य है।<sup>2</sup>

# DISTRICT SONBHADRA ADMINISTRATIVE DIVISIONS



82°45'                      83°                      15'                      30'



25°

25°

45'

45'

30'

30'

15'

15'

24'


24'

- STATE BOUNDARY
- - - DISTRICT BOUNDARY
- · - · - TAHSIL BOUNDARY
- · - · - BLOCK BOUNDARY
- ⊙ DISTRICT HEADQUARTER
- TAHSIL HEADQUARTER
- BLOCK HEADQUARTER

0 4 8 KM

FIG 2 1

82°45'                      83°                      15'                      30'



अध्ययन क्षेत्र का आकार आयताकार है, जिसका उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रसरण है। इसकी उत्तर - दक्षिण अधिकतम लम्बाई 111 कि०मी० तथा पूर्व - पश्चिम अधिकतम चौड़ाई 95 कि०मी० है।<sup>3</sup>

प्रशासनिक दृष्टि से सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र को 2 तहसीलों - राबर्ट्सगंज एवं दुद्धी तथा 8 विकास खण्डों - घोरावल, राबर्ट्सगंज, चतरा, नगवां, चोपन, म्योरपुर, दुद्धी व बभनी में विभक्त किया गया है। तहसील राबर्ट्सगंज में 5 विकासखण्ड (घोरावल, राबर्ट्सगंज, चतरा, नगवा व चोपन) तथा दुद्धी में 3 विकासखण्ड (म्योरपुर, दुद्धी व बभनी) हैं। सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र को 66 न्याय पंचायत, 586 ग्राम सभा, 1346 आबाद ग्राम (इसमें 4 वन ग्राम सम्मिलित है) तथा 80 गैर आबाद ग्राम में विभक्त किया गया है। जनपद के सभी विकासखण्डों का विवरण तालिका 2.1 में प्रदर्शित है। कुल 8 नगरीय क्षेत्रों में 1 नगरपालिका (राबर्ट्सगंज), 2 टाउन एरिया (घोरावल व दुद्धी) तथा 5 नोटीफाइड एरिया (चुर्क - गुरमा, चोपन, ओबरा, रेनूकूट व पिपरी) है। अध्ययन क्षेत्र का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 6819.28 वर्ग कि० मी० है, जिसमें नगरीय क्षेत्र 20.48 वर्ग कि०मी० तथा ग्रामीण क्षेत्र 6798.80 वर्ग कि० मी० है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विकासखण्ड चोपन सबसे बड़ा (1712.97 वर्ग कि० मी०) तथा चतरा सबसे छोटा (254.85 वर्ग कि० मी०) है। क्षेत्रफल के अनुसार अवनत क्रम में विकासखण्डों की स्थिति क्रमशः इस प्रकार है - चोपन, म्योरपुर, नगवां, घोरावल, दुद्धी, बभनी, राबर्ट्सगंज तथा चतरा (तालिका 2.1)। जनपद मुख्यालय से विकासखण्ड मुख्यालय की दूरी तालिका 2.1 में प्रदर्शित है। दूरस्थ विकासखण्ड बभनी (142 कि० मी०) है।

## 2.2 भौतिक विशेषता

अध्ययन क्षेत्र के भौतिक विशेषता के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्राकृतिक तथ्यों का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। किसी भी क्षेत्र के विकास में भौतिक स्वरूपों एवं प्राकृतिक संसाधनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अध्ययन क्षेत्र का प्राकृतिक विभाग, भौतिक स्वरूप, संरचना (भौमिकी), अपवाह, जलवायु, वनस्पति, मृदा एवं खनिज संसाधनों का वर्णन किया गया है।

### (अ) प्राकृतिक विभाग

सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र पठारी क्षेत्र है, जो बघेलखण्ड पठार, छोटा नागपुर पठार



## तालिका 2.1

## जनपद - सोनभद्र

तहसील विकसखण्ड क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०में) क्षेत्रफल प्रतिशत में न्याय प्रचायत ग्राम सभा आबाद ग्राम राजस्व ग्राम जनपद मुख्यालय से कि०मी० की दूरी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 राबर्ट्सगंज	1. खोरावल	818.73	12.00	14	148	337	354	24
	2 राबर्ट्सगंज	442.45	6.48	10	117	329	340	5
	3. चतरा	254.85	3.73	5	63	168	190	19
	4. नगवां	916.20	13.43	7	62	128	143	31
	5 चौपन	1712.97	25.20	9	60	91	93	27
2 दुब्डी	6. म्योरपुर	1337.89	19.61	8	55	120	124	104
	7. दुब्डी	707.45	10.37	8	46	98	102	79
	8. बभनी	608.26	8.91	5	35	71	72	142
						4 वनग्राम		
	योग ग्रामीण	6798.80	99.70	66	586	1346	1426	
	योग नगरीय	20.48	00.30					
	योग जनपद	6819.28	100.00	66	586	1346	1426	

स्त्रोत सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद सोनभद्र, 1992, पृष्ठ 16, 25, 29 व 113 एवं उससे संगणित ।

(रोहतास पठार) तथा गंगा घाटी से परिवृत्त है । प्राकृतिक स्वरूप तथा भूमि की बनावट की दृष्टि से इसे दो भागों में विभक्त किया गया है, <sup>4</sup> जिसका विवरण इस प्रकार है ।

### (1) मध्यवर्ती पठारी भाग

इस भाग के अन्तर्गत तहसील राबर्ट्सगंज का विकसखण्ड घोरावल, राबर्ट्सगंज, चतरा व नगवा का सम्पूर्ण भाग सम्मिलित है, जो सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र का लगभग 35% है । यह उप-संभाग विन्ध्य पर्वत के अन्तर्गत पठारी हिस्से से होता हुआ कैमूर पर्वत श्रृंखला की अंतिम सीमा सोन नदी तक स्थित है । यह संभाग गंगा की घाटी से 400' से लेकर 1100' तक की ऊँचाई पर स्थित है । इस क्षेत्र के अनेक पहाड़ी नाले कर्मनाशा, चन्द्रप्रभा, बेलन तथा सोननदी में मिलते हैं । घोरावल से वैनी तक लगभग 60 कि० मी० लम्बा तथा 15 कि० मी० चौड़ा समतल मैदानी भाग परिलक्षित होता है ।

### (2) सोनघाटी

यह उप-संभाग सोन के दक्षिण में स्थित है, जिसके अन्तर्गत विकसखण्ड चोपन, म्योरपुर, दुब्दी तथा बभनी आते हैं । यद्यपि यह संभाग पहाड़ियों तथा जंगलों से आच्छादित है, फिर भी सिंगरौली, सोनघाटी एवं दुब्दी घाटी अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं उपजाऊ है । इस क्षेत्र की प्रमुख नदी सोन है, जिसमें कनहर व रिहन्द नदी मिलती है ।

### (ब) भौतिक स्वरूप एवं संरचना

जनपद सोनभद्र के दोनों तहसीलों (राबर्ट्सगंज व दुब्दी) के भौतिक स्वरूप एवं संरचना का विवरण पृथक - पृथक प्रस्तुत किया जा रहा है । इसे मानचित्र 2-2, 2.3 व 2.4 में प्रदर्शित किया गया है ।

#### (1) दुब्दी तहसील का भौतिक स्वरूप

यह क्षेत्र अधिकांश रूप में पहाड़ी है । इसके उत्तर में पहाड़ियों एवं पठारों की एक सतत् श्रृंखला है जिसकी लम्बाई लगभग 75 कि० मी० तथा चौड़ाई 6 से 12 कि० मी० है । इसमें छोटी - छोटी पहाड़ियाँ तथा कूट (रिजेज) इधर - उधर दिखायी पड़ती हैं, दक्षिणी एवं दक्षिणी पश्चिमी सीमा पर 4 कि० मी० चौड़ी एक और सतत् कूट (रिज) है । पश्चिम में अवस्थित एक लम्बी श्रृंखला जिसमें चिल्काटॉइ, खड़िया एवं बॉसी वन खण्ड सम्मिलित हैं,

का भी विन्यास पहाड़ी है । सामान्यतया इन पहाड़ियों एवं कूटों (रिजेज) की प्रवणता (ग्रेडियेण्ट) सामान्य से अधिक की ओर है लेकिन इनमें से कुछ पहाड़ियों जैसे गोंडा मृगारानी पहाड़ी, चैनपुर पहाड़ी, झंडी पहाड़ी (बहेराडोलखण्ड), बाँसी खण्ड की पहाड़ियों तथा चिल्काटॉड पहाड़ी बहुत ही खड़ी ढाल की है तथा अवक्षिप्त है । यह क्षेत्र उत्तर एवं दक्षिण में मुख्य पहाड़ियों के बीच में एक उतार - चढ़ाव दार मैदान है जो कि अनेक छोटे-छोटे नालो आदि से कटा-पिटा है । केन्द्रीय मैदानी ढाल दक्षिण की ओर समुद्र की सतह से लगभग 400 मीटर तथा उत्तर की ओर लगभग 215 मीटर की ऊँचाई पर है, जबकि पहाड़ियों मैदान की सतह से और भी ऊँची है । इस क्षेत्र की सबसे ऊँची चोटी समुद्र की सतह से 651 मीटर ऊँची है, जो कि दक्षिण पूर्व में चैनपुर पहाड़ी (रानी कोठी पहाड़) में है ।

निचली चट्टानी पहाड़ियाँ एवं उनकी शाखाएँ जो कि अधिवासों के पास हैं, को छोड़कर पूर्णतया जंगलों से ढकी है । अधिवासों के पास की पहाड़ियाँ अत्यधिक चारागाह के रूप में प्रयुक्त होने के कारण उजड़ सी गयी है तथा इन्हीं कारणों से अपक्षरण का भी शिकार हुई है । इसके बीच का चपटा मैदानी क्षेत्र जगह - जगह पर छोटे - छोटे ग्रामों से भरा हुआ है, जहाँ की आबादी कृषि कार्य में सलग्न है । इस क्षेत्र का अधिकांश भाग वनाच्छदित है तथा अत्यधिक पथरीला होने के कारण कृषि कार्य हेतु लगभग अनुपयुक्त है । यह क्षेत्र अपनी भौगोलिक संरचना के कारण मध्य भारत से काफी मिलता जुलता है ।



## (2) दुद्धी तहसील की भूवैज्ञानिक संरचना

भारतीय स्तर शैलक्रम के अनुसार इस क्षेत्र की शैलें प्रीकैम्ब्रियन एवं पुराकल्पीय है जिनमें प्रीकैम्ब्रियन शैलों का बाहुल्य स्पष्ट है विविध शैल वर्गों का क्रमबद्ध विवरण निम्नवत् है ।

### 1. प्रीकैम्ब्रियन शैल

दुद्धी तहसील में विगोपित (इक्स्पोज्ड) प्रीकैम्ब्रियन शैलें मणिभीय एवं बिजावर शैल वर्गों में वर्गीकृत की जा सकती हैं । मणिभीय शैलें म्योरपुर, बभनी व दुद्धी क्षेत्र (दुद्धी - विण्ढमगंज सार्वजनिक निर्माण मार्ग के दक्षिण में ) तथा बिजावर शैलें सम्पूर्ण पिपरी क्षेत्र, अवशिष्ट दुद्धी क्षेत्र एवं अनपरा क्षेत्र के मार्गों में विगोपित है ।

# DISTRICT SONBHADRA GEOLOGY



0 4 8 KM








- |                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| Gondwana system | <br>  | SARAKARSTAGE<br>TALCHIR SERIES                                 |
| Vindhyan system | <br>  | KAIMUR SERIES - UPPER<br>SEMRI SERIES - LOWER                  |
| Cuddapah system | <br><br> | BIJAWAR SERIES<br>ARCHAEAN GNEISSES & SCHISTS<br>JUNGEL SERIES |

FIG 22

प्रोकैम्ब्रियन मणिभीय शैलों में अधिकांशतः नाइस तथा उनके साथ सम्बद्ध शैलों (जैसे मेटा - अवसादीय शैलें, मेटा अवसादीय एवं धारीय अंतरावेश) परतें (बेन्ड्स) क्वार्ट्स पिंक फेल्डस्पारएपिडोट शैल मालाएँ (रीफ्स) क्वार्ट्ज शिरा आदि हैं । बिजावर शैलों में मुख्यतः मृदास्मिक (पेलिटिक) एवं सिकताशिमक (सेमिटिक) शैलों के स्थानान्तरित समरूप मेटामार्फिक इक्विवैलेन्ट्स जैसे कि गुलाबी भूरी हरीतिमा युक्त स्लेट, फाइलाइट, क्वार्ट्जाइट तथा अल्पमात्रा में क्षारीय शैलों के (बेसिक रॉक्स) स्थानान्तरित समरूप हैं ।


मणिभीय एवं बिजावर शैलों का सम्पर्क भ्रंशित है । यह तथ्य उत्तर में डुमरा से प्रारम्भ होकर रनटोला, बेरपान से होते हुए ओड़ी तक परिलक्षित सिलीशियम ब्रेशिआ कूट (रिज) की उपस्थिति से सत्यापित होता है । परन्तु क्षेत्र में मणिभीय एवं बिजावर शैलों का क्षैतिज स्थानान्तरण दृष्टिगत नहीं होता । यह सम्भवतः भ्रंश की प्रक्रिया स्ट्राइक के अनुरूप होने के कारण हो सकता है ।

दुद्धी तहसील के दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व हिस्सों में कई स्थानों पर मेटा सेडिमेन्टरी/इग्नीयस इनक्लेक्स/बेन्ड की परतें अन्तरावेश नाइसों के बीच दिखाई पड़ते हैं । इस वर्ग में क्वार्ट्जाइट, मणिभीय चूना पत्थर, केलकसिलिकेट ग्रेन्यूलाइट, हार्नब्लेंड, शिस्ट, एम्फीबोलाइट आदि अन्तर्भूत हैं । इसके अतिरिक्त बिजावर शैल समूह के मुख्य फाइलाइट प्रक्षेत्र और नाइसों के बीच एक और प्रक्षेत्र है, जिसमें स्थूलकणीय बायोटाइट शिस्ट तथा फाइलाइट परतें हैं ।

2. नाइस - बिण्डमगंज के उत्तर से दक्षिण में मध्य प्रदेश की सीमा तक के क्षेत्र में नाइस शैलों का बाहुल्य है । सामान्यतया उपलब्ध नाइसों निम्न हैं -

- (क) गुलाबी बायोटाइट नाइस
- (ख) सूक्ष्म कणीय बायोटाइट नाइस
- (ग) पॉर्फ़ाइराइटीक बायोटाइट नाइस
- (घ) परतदार नाइस तथा मिश्राशम
- (ड) चाक्षुष नाइस

खाटाबरन खण्ड मुख्य रूप से गुलाबी बायोटाइट नाइसों पर अवस्थित है जो कि स्थूल कणीय एवं भुरभुरी सी है । यह मुख्यतया क्वार्ट्ज गुलाबीफेल्डस्पार, बायोटाइट नाइसों रासपहरी,



परनी तथा गड़िया और बराइटॉइड के बीच में देखी जा सकती है । पॉर्फिराइट, बायोटाइट, विण्डमगंज, दुब्डी के अधिकतर भागों में अवस्थित है । यह मुख्यतया गुलाबी एवं सफेद फेल्डस्पार, क्वार्ट्ज बायोटाइट से बनी है । परतदार नाइसें एवं मैनिटाइट्स जो कि हार्नब्लेड शिस्ट तथा बायोटाइट नाइसें के एकान्तरित परतों के रूप में होने के कारण बनें है, करहिया और सिसवा के बीच तथा आरंगपानी, बरवाटोला, जामपानी, विश्रामपुर, बोमपकरी, हुमेलदोहर और सागोबाँध खण्डों में दिखायी देते हैं । नाइसें बहुत ही सूक्ष्म कणीय तथा अति केल्डस्पैशिक (जिनमें सफेद, गुलाबी फेल्डस्पार है) शैलें है । फेल्डस्पार सामान्यतया फेल्डस्पार के पुजित समूहों (जिनमें सामान्यतया माइक्रोक्लाइन और सफेद फेल्डस्पार दिखाई पड़ते हैं ) से निर्मित है । यह नाइसें झिली, महुआ, नवाटोला तथा चेरी और गौसकाटा के बीच में दिखायी देती हैं ।

3. बिजावर शैल वर्ग - बिजावर शैलवर्ग की शैलें दक्षिण में दुब्डी वर्ग की मणिभीय शैलो एव उत्तर में कजरहट के निम्न विन्ध्य (लोअर विन्ध्यन) जो कि अगोरी विजयगढ़ वनों में है । शैल वर्गों के बीच के मध्य प्रक्षेत्र में स्थित है । इस वर्ग का मणिभीय शैलों के साथ सम्पर्क भ्रंशित तथा निम्न विन्ध्य शैलों के साथ सम्पर्क भ्रंशित अथवा विसंगत है । बिजावर वर्ग की मोटाई 24 से 40 कि० मी० है जिसका 5-12 कि० मी० दुब्डी तहसील में पड़ता है । बिजावर वर्ग में निम्नलिखित क्रम परिलक्षित होता है ।



(क) राख के रंग की एवं हल्के रंग की क्लोराइट सेरिसाइट फाइलाइट तथा अभ्रकीय बालू पत्थर की वीप्ताकार संस्तर,

(ख) ब्रेक्शिअटेड क्वार्ट्जाइट, हीमेटाइट - क्वार्ट्जाइट, पतली वीप्ताकार (लेन्टिकुलर), स्तरकीय (लेमिनेटेड), फाइलाइट तथा बालूकीय कार्बोनेट तथा

(ग) डोलोमाइट, मणिभीय चूना पत्थर और सिडेराइट वाले कार्बोनेट ।

इस सम्पूर्ण वर्गक्रम के साथ हल्के रंग के क्षारीय शैले अल्प मात्रा में पाये जाते हैं तथा इस वर्ग की शैलों के पर्जन (फीलिअशन) के सदिश (पैरलल) एव पर्जन को कष्टती हुई क्वार्ट्ज केलसाइट की पतली परतें पायी जाती है । ऊपर दिए हुए सम्पूर्ण क्रम में संस्तरों का एक दूसरे से मिल जाना एक सामान्य दृश्य है ।

DISTRICT SONBHADRA  
LITHOLOGY










-  SAND STONE WITH SHALE
-  SHALE WITH SAND STONE
-  SLATE AND LIME STONE
-  SLATE AND PHYLLITE WITH SCHIST AND QUARTZITE
-  GRANITE
-  SCHIST
-  GNEISS

FIG 2 4



4. **फाइलाइट** - यह सामान्यतया राख के रगवाली, सूक्ष्म कणीय तथा हल्के सस्तरवाली सेरिसाइट एवं क्लोराइट फाइलाइट है। यह शैल सदैव ही अत्यधिक भाजित (क्लीण्ड) होती है। कभी-कभी भाजन और संस्तरिकरण में अन्तर करना कठिन होता है। कहीं - कहीं परतदार हीमेटाइट का केन्द्रीकरण भी पाया जाता है। पुनः स्फटित (रीक्रिस्टेलाइज्ड) क्वार्ट्जाइट के 5 मि० मी० से 2 से० मी० मोटाई वाले संस्तर एकान्तरित रूप से फाइलाइट से मिलते हैं। इसके अतिरिक्त स्थूल कणीय अभ्रकीय बालू पत्थर भी प्राप्त हैं। ये पत्थर फाइलाइट के साथ उनकी स्ट्राइक के अनुरूप सामान्य सूक्ष्म कणीय फाइलाइट्स में मिल जाते हैं।

30 कि० मी० क्षेत्र जो कि  $24^{\circ}15'$  से  $24^{\circ}18'$  उत्तरी अक्षांश एवं  $83^{\circ}17'$  -  $83^{\circ}24'$  पूर्वी देशान्तर के मध्य अवस्थित हैं, में उपस्थित फाइलाइट्स में एण्डाल्यूसाइट उपस्थित है। एण्डाल्यूसाइट पूर्ण विकसित त्रिपाश्वरीय मणियों (प्रिज्मैटिक क्रिस्टल्स) के रूप में पाया जाता है जो कि स्लेटी रंग के हैं तथा सामान्यतया लम्बाई में 1 से० मी० से 1.5 से० मी० तक के होते हैं। ये विशेषरूप से विण्डमगंज के उत्तर - पूर्व में स्थित सुखडा नाले में, हरनाकछार के उत्तर पश्चिम में एवं गड़िया के उत्तर - पूर्व में स्थित बिजुल झरिया नाले में दिखायी पड़ते हैं।

5. **क्वार्ट्जाइट** - फाइलाइट क्रम के ऊपर निम्न क्वार्ट्जाइट उपलब्ध है।

(क) बेक्शिपेटेड क्वार्ट्जाइट

(ख) क्वार्ट्जाइट ब्रेक्शिषा

(ग) बैण्डेड - हीमेटाइट - क्वार्ट्जाइट

इनमें से प्रथम दो लोहित या लोहा रहित हो सकते हैं। ये शेष सामान्यतया पुनः स्फटित हैं, हॉलांकि अवशिष्ट (रिलिक्ट) संस्तरिकरण भी कभी-कभी दिखायी देता है। सस्तरों की मोटाई 2 से० मी० से 15 से० मी० के बीच में है।

6. **डोलोमाइट/चूना पत्थर** - डोलोमाइट/चूना पत्थर एवं पुनः स्फटित चूना पत्थर के छोटे-छोटे विभोपन (इक्वोजस) कहीं - कहीं दिखाई देते हैं। इनमें हथवानी - म्योरपुर सडक के किनारे, मुर्धवा - 9 पर एवं सिधवा ग्राम के दक्षिण में विगोपित शैल उल्लेखनीय है।

7. **क्षारीय शैल** - ये मुख्यतया हल्के या गहरे हरे रंग के सूक्ष्मकणीय कहीं - कहीं पर्णित शैल हैं । इनमें अल्प मात्रा में सल्फाइड, चालकोपायराइट, आरूतेनोपायराइट आदि खनिज कहीं - कहीं पाये जाते हैं । सामान्यतया परतों की मोटाई पाँच से पच्चीस मीटर तथा लम्बाई आधा से चार कि० मी० होती है ।

क्वार्ट्ज शिराएँ एव क्वार्ट्ज फेल्डस्पार शैल मालाएँ (क्वार्ट्स बेन्ड एण्ड क्वार्ट्स फेल्डस्पैथिक रीफ्स) बिजावर एव प्रीकैम्ब्रियन मणिभीय शैलों को काटती हुई क्वार्ट्ज शिराएँ इस क्षेत्र के अधिकतम हिस्सों में दिखाई देती है । ये सामान्यतया दुग्धवत् श्वेत (मिल्की ह्वाइट) तथा कभी - कभी धूमल एवं हल्की पीली (जहाँ क्वार्ट्ज के साथ आरसेजिक हो) रंग की अपखण्डित (फ्रेग्मेन्ट्री) या बेक्विशएटेड होती है । इनकी मोटाई कुछ मि० मी० से 3 मीटर तक तथा लम्बाई कुछ मीटर से 1/2 कि० मी० तक हो सकती है ।

गुलाबी फेल्डस्पार क्वार्ट्ज शैल मालाएँ अधिकतर रेखीय विगोपनों के (लिनीयर आउटक्राप) रूप में दिखाई देती हैं । ये विशेषतया लभरी, कुण्डाभाती, सोनवानी, पिपरी आदि क्षेत्रों में दृष्टिगत है । यह शैल सामान्यतया निम्नलिखित रूप में उपलब्ध है -

(क) 0.5 से 3.0 मी० मोटी परतों के रूप में नाइसों एव बिजावर मेटा अवसादीय शैल क्रम के पर्णभ के सदिश ।

(ख) अनेक कोणीय खण्डों के रूप में जो कि अपक्षरण के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी है ।

क्षारीय नितुन्न शैलें (बेसिक इन्ट्रूसिव रॉक्स) साधारणतया नाइसों एव बिजावर अनुक्रम में रालभित्ती (डाइक) एवं राल पट्ट (सिल) के रूप में मिलती है । क्षारीय शैलें मेटाडोलेराइट, माइक्रोग्रैबो, जोराइट, डोलेराइट आदि है । जोगिया पहाड़ में विगोपित ओलिबीन ग्रैबो शैल हरे रंग की मॉटल्ड दृष्टिगत होती है जिसमें अपक्षरण के बाद गड्ढे पड़ जाते हैं । ये शैल दुद्धी क्षेत्र में काफी अधिक मात्रा में पायी जाती है ।

8. **गोंडवाना अनुक्रम** - निम्न गोंडवाना वर्ग की तालचिर एवं बाराकर रचित (फार्मेशन) की शैल क्षेत्र के दक्षिण पश्चिम भाग में दृष्टिगत होती है जो उत्तर प्रदेश की

सीमा पर स्थित सिंगरौली कोयला क्षेत्र में उपस्थित शैल क्रम का प्रतिनिधित्व करती है । सिंगरौली क्षेत्र का लगभग 52 वर्ग कि० मी० क्षेत्र कोटा ग्राम के निकट अवस्थित है । सिंगरौली कोयला क्षेत्र में निम्नलिखित क्रम उपस्थित हैं ।

निम्न गोंडवाना वर्ग (क) तालचिर फार्मेशन

(ख) बाराकर फार्मेशन

(क) तालचिर फार्मेशन - यह पहाड़ी क्षेत्र की तलहटियों एवं समतल मैदानी क्षेत्र में अवस्थित है । तालचिर - बाराकर का मिलन - स्थल खड़ी काट में नहीं दिखाई देता है । ओड़ी ( $24^{\circ}12'15''$  उ अक्षांश एवं  $82^{\circ}46'30''$  पूर्वी देशान्तर) के दक्षिण पश्चिम में देवहर नदी में यह स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं । इनमें कैल्केरियस बालू - पत्थर तथा मृदा पत्थर तथा गादीय शैल सम्मिलित हैं । इस क्षेत्र के कुछ कुओं की काट में महीन दानेदार क्लास्टिक चूना पत्थर का भी पता लगा है । कैल्साइट चिपकाने वाले पदार्थ के रूप में है एवं इसके अतिरिक्त गारनेट, अभ्रक, एपीडोट तथा स्टाइल आदि हैं ।

(ख) बाराकर फार्मेशन - बाराकर संरचनाओं के इस सम्पूर्ण समूह का 95% बालू पत्थर है जबकि शेष भाग में बर्फ और ग्रेशेल्स, मृत्तिका बैण्ड तथा कोयला के स्तर हैं । बालू पत्थर जो कि मध्यम से मोटे दानेदार तथा कहीं - कहीं पेब्ली व गिट्टी भी हैं, इसमें घुसे हुए पेबुल्स ब्यास में 1-5 से० मी० तक है । बालू पत्थर सफेद रंग के हैं, लेकिन उनमें सामान्यतया एक हल्की गुलाबी झलक दिखाई देती है, जो कि पोटेश फेल्सपार के अधिक अनुपात में होने के कारण है । किसी - किसी स्थान पर यह बालू पत्थर फेरुजिनस भी है । अपक्षरण के समय दानेदार फेरुजिनस कांक्र्रीशंस छोड़ने की इसकी प्रकृति है । कोटा के उत्तर में छोड़ी हुई कोयला खान के पास उपलब्ध बालू पत्थर अत्यधिक फेरुजिनस है और हीमेटाइट अपक्षरित सतह पर मोटेल्ड रूप में दिखाई देता है । इस बालू पत्थर में बांसी के पास कोल सीम से निकट रूप में सम्बद्ध, सिडेराइट के सेन्ट्रीजन्स भी पाये जाते हैं । यह सम्भवतः कोयले में समिश्रित पाइराइट के भंग होने के कारण बनते हैं । फेल्सपैथीय बालू पत्थर, मृत्तिका से सम्पर्क स्थल पर बदल कर केओलिनाइट बन जाता है । बांसी क्षेत्र में कार्बोनेशियस शैल का एक महत्वपूर्ण एक्सपोजर दिखाई देता है, इसमें कुछ पौधों के जीवाश्म भी प्राप्त हुए हैं । इन शैलों में एक लगातार लेंस के रूप में एक पतला कोयले का स्तर भी प्राप्त हुआ है ।

### (3) राबर्ट्सगंज तहसील का भौतिक स्वरूप

इस भूखण्ड के भौतिक स्वरूप से बहुत अधिक विषमता दृष्टिगोचर होती है, उच्चावच मे भी विषमता है । उत्तरी भाग मे बेलन बेसिन समप्राय अवस्था मे है । अत यहाँ पर निरपेक्ष उच्चावच तथा आपेक्षिक उच्चावच दोनों अत्यन्त कम हैं ।<sup>5</sup> घोरावल से वैनी तक लगभग 60 कि० मी० लम्बी तथा 15 कि० मी० चौड़ी समतल पेटी मे अच्छी कृषि की जाती है । सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र में कृषि कार्य हेतु यही सबसे बड़ा 'कृषि क्षेत्र' है । इस पेटी के दक्षिण मे तथा सोन नदी घाटी से सलग्न पूर्व से पश्चिम दिशा में कैमूर पर्वतमाला फैली हुई है । कैमूर पर्वतमाला तहसील के सम्पूर्ण मध्यवर्ती व पूर्वी क्षेत्र मे फैली हुई है । इसकी चोटी का भाग प्राय समतल है । कैमूर के कगार से दक्षिण में सोन नदी तक कुछ छोटी - छोटी पहाड़ियाँ है जो प्राय पूर्व - पश्चिम दिशा में अधिस्थापित हैं और कटी हुई हैं । कैमूर श्रेणी की सामान्य ऊँचाई 200 से 450 मीटर तक है । सोन नदी के बाएँ तट पर, कैमूर का दक्षिणी ढाल काफी तीव्र है । इसमें बड़ी नदियों का अभाव है । कैमूर के दक्षिणी ढाल से वर्षा के दिनों में तीव्र वेग से बहने वाले नाले सोन नदी में मिलते हैं । तीव्र अपरदन के कारण दक्षिणी ढाल लगभग खड़ा हो गया है, जो देखने में दीवार जैसा लगता है । सोन के तटीय भागों मे जलोढ़ मृदा पायी जाती है, जिसमें अच्छी खेती होती है । विकासखण्ड घोरावल के दक्षिणी व पूर्वी भाग में अनेक पहाड़ियाँ हैं जो 150 - 400 मीटर तक ऊँची है ।

सोन नदी का दक्षिणी भाग अनेक छोटे - छोटे नालों से कटा - फटा है , ये नाले सोन नदी में सीधे या सहायक नदियों के माध्यम से मिल जाते है । छोटे - छोटे नालों मे बन्धे बनाकर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए समतल बनाया जाता है । इस प्रकार चोपन क्षेत्र के वन पहाड़ी, ऊँची - नीची भूमि और नालों या गहरी घाटियों के किनारो में ही अवस्थित है । कैमूर पर्वत माला के भू-खण्ड में स्थित भाग का समुद्र की सतह से अधिकतम ऊँचाई 628.5 मीटर गुरूर - गड़ाव खण्डों की सीमा के निकट तरिया क्षेत्र में है । इस क्षेत्र मे सोन नदी के तल की समुद्र की सतह से ऊँचाई लगभग 153.0 मीटर से 173.4 मीटर तक है ।

### (4) राबर्ट्सगंज तहसील की भू-वैज्ञानिक संरचना

कैमूर पर्वत माला के उत्तरी भाग बेलन - बेसिन में मुख्यत महीन तथा मध्यम कणों वाले क्वार्ट्ज युक्त बालुका प्रस्तर पाये जाते हैं, जो कि ऊपरी विन्ध्यन के 'कैमूर-क्रम'

## विशंगतियां (अन-कॅनफॉर्मिटी)

बिजावर समूह

- बीनक्वार्ट्ज
- फैर्रिजिनस सैण्डस्टोन व लाइमस्टोन
- शैलयुक्त बेन्डेड हेमाटाइट जसपार
- बेसिपेटेड क्वार्ट्जाइट
- काल्क क्लोराइट शिस्ट
- रेड शैल
- परसोई फिलाइट व शैल

1. कैमूर समूह (कैमूर स्कार्प) - कैमूर स्कार्प इस भूखण्ड के मध्य व पूर्वी भाग में है, यहाँ से सोन नदी तक अनेक अवसादी शैल विगोपित है। सोन नदी के दक्षिण में प्रमुख शैल कागलोमरेट सैण्डस्टोन पोर्सलेनाइट तथा लाइमस्टोन है। सोन नदी से उत्तर की ओर जाने में सबसे प्रमुख शैल रचना रोहतास लाइमस्टोन की है। इसका रंग साधारण तथा धूसर ग्रे है। यह प्रथकम्भाजी (फ्लेगी) तथा पतले तलों से एकान्तरित (अल्टरनेट) है। आधार (दक्षिण में) की ओर सिलीसियस व शैलयुक्त नाइसस्टोन पाया जाता है परन्तु उत्तर की ओर अच्छी प्रकार के लाइमस्टोन की मोटी पर्त है। यह गहरे भूरे रंग की है तथा इसमें शैल का अन्तर्वेशन (इन्टरकैलेशन) बहुत कम है। यहीं लाइमस्टोन चुर्क फेक्ट्री में सीमेण्ट बनाने के प्रयोग में लाया जाता है।

रोहतास लाइमस्टोन के उत्तर में क्वार्ट्जाइट प्रकार की शैल श्रृंखला है। आधार (दक्षिण) की ओर पृथक - पृथक कगार (स्कार्प) बनाती हुई क्वार्ट्जाइट की दो पट्टियों दृष्टिगोचर होती हैं। निचले कगार की मोटाई लगभग 25 मी० है। यह सपुन्जिव (मैसिव), बालूकपीय (ग्रिट्टी) तथा श्वेत धूसर रंग का है। इसका ऊपरी भाग शैल युक्त है। निचले और क्वार्ट्जाइट के बीच लगभग 15 मी० मोटी, सैकजायित (सिलिसिफाईड) शैल, प्रकार की शैलों की पर्त है। ऊपरी कगार की मोटाई लगभग 30 मी० है। यह महीन कणयुक्त तथा सफेद रंग की है।

क्वार्ट्जाइट श्रृंखला के उत्तर में विजयगढ़ शैल प्रकार की श्रृंखला में, शैल भली भाँति विगोपित (एक्सपोज) नहीं हुए हैं। इसमें पाए जाने वाले प्रमुख प्रकार के शैल प्रागारमय (कार्बोनिसेस) काला, शैल सीदमय (सिल्टी) सैण्डस्टोन, माइक्रायुक्त सैण्डस्टोन तथा लौह पत्थर हैं। इस श्रृंखला की मोटाई लगभग 80 मीटर है।

विजयगढ़ शैल के उत्तर में महीन कणयुक्त तथा पृथकम्भाजी (फ्लेगी) सैण्डस्टोन हरे व भूरे रंग की माइक्रायुक्त, बालूमय शैल प्रकार के शैल हैं। इनके ऊपर महीन कणयुक्त हरे रंग के सैण्डस्टोन की शैले हैं तथा इसके उपरान्त भूरे रंग के सैण्डस्टोन तथा हल्के बैंगनी रंग के बालूमय (रेतीले) प्रकार की शैलें हैं। यहीं शैलें मुख्य कैमूर पर्वतमाला को बनाती हैं। इनकी मोटाई लगभग 200 मी० है।

कैमूर पर्वतमाला की चोटी की ओर (उत्तर में) बढ़ने पर शैलों का स्वरूप अधिक शुद्ध रूप से क्वार्ट्जाइट प्रकार हो जाता है। इसका रंग सफेद है तथा इसमें बैंगनी व लाल कण (धब्बे) दिखलाई पड़ते हैं। इन्हें धन्धरोल क्वार्ट्जाइट कहा जाता है।

2. **सेमरी समूह** - सोन नदी के दक्षिणी भाग में लगभग कजरहट - डाला - ओबरा तक आदि विन्ध्य की सेमरी माला की शैलें पाई जाती हैं। भू-खण्ड के पश्चिमी भाग में नेवाड़ी तथा बरगवां के निकट सोन नदी के दक्षिण किनारे में ग्लोकेनाइटिक सैण्डस्टोन विद्यमान है। नेवाड़ी गाँव के निकट ओलिव शैल, विगोपित हैं। रिहन्द नदी के पूर्व में तथा अरंगी गाँव की दक्षिणवर्ती पहाड़ियाँ कजरहट लाइमस्टोन तथा शैल युक्त हैं। बिल्ली - बाड़ी तथा कजरहट क्षेत्रों में लाइम स्टोन सीमेण्ट तथा लौह कारखानों के लिए कच्चे माल के रूप में खनन किया जाता है। जुगैल (रिहन्द नदी के पश्चिम में) के पास एक विशिष्ट प्रकार की शैल श्रृंखला है, जिसको जुगैल सीरीज कहते हैं और पश्चिम में सीधी जिले (म०प्र०) की ओर चली जाती है। इसमें कंग्लोमेरेट व सैण्डस्टोन प्रकार की शैले पाई जाती हैं। कनहर नदी के पूर्व में झिरगाडाण्डी के पास कुछ क्षेत्र में ग्रेनाइट प्रकार की शैलें भी विगोपित (एक्सपोज) हुई हैं।

3. **बिजावर समूह** - सोन नदी के दक्षिण में स्थित भू-खण्ड के अधिकांश भाग में बिजावर समूह की शैलें पाई जाती हैं। बिजावर माला उत्तर में सेमरी माला (आदि विन्ध्य)

से बरगवां व द्वारी के मध्य स्थित एक विभंगित कटिबन्ध (फाल्ट जोन) से अलग होती है। इस कटिबन्ध में मुख्यतया ब्रेसिपेटेड व फेरुजिनस प्रकार की शैल विद्यमान है।

रिहन्द नदी के पश्चिम में परसोई - गरदा (दक्षिण सीमा) तथा बिजौरा - भरहरी (उत्तरी सीमा) के मध्य में स्थित भू-भाग में बिजवाड़ माला के शैल प्रकार जैसे रेड शैल, ब्रेसिपेटेड क्वार्ट्जाइट, कालक क्लोराईट, शिस्ट बन्डेड हेमाटाइट जसपार फेरुजिनस सैण्डस्टोन व लाइमस्टोन पाये जाते हैं। इस शृंखला के अधिक कठोर प्रकार के शैल (क्वार्ट्जाइट, बन्डेड हेमाटाइट, क्वार्ट्जाइट जसपार, सैण्डस्टोन) प्रायः पूर्व - पश्चिम दिशा में अधिस्थापित पहाड़ियों में, जिनकी समुद्र सतह से ऊँचाई लगभग 300 से 480 मीटर तक है, पाये जाते हैं। इन पहाड़ियों की घाटी में बिजवाड़माला के शैल व सिस्टोज प्रकार के शैल विद्यमान हैं।

### (स) अपवाह प्रणाली

अध्ययन क्षेत्र की प्रमुख नदी सोन है। सोन के अतिरिक्त कर्मनाशा, बेलन, घाघर, गोटन, बिजुल, रिहन्द तथा कनहर आदि नदियाँ हैं। सोनपार की प्रवाह प्रणाली दक्षिण से उत्तर की तरफ है। सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकटक से निकलकर जनपद सोनभद्र के विकासखण्ड चोपन की उत्तरी सीमा बनाती हुई, पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती हुई पटना (बिहार) के पास गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी का उत्तरी ढाल काफी तीव्र है। घाघर के अतिरिक्त कोई प्रमुख नदी उत्तर दिशा से आकर नहीं मिलती है। उत्तरी ढाल से आने वाले अधिकांशतः बरसाती नाले हैं, जो प्रपात का रूप भी धारण कर लेते हैं। सोन के दक्षिण से आकर मिलने वाली नदियों में बिजुल, रिहन्द तथा कनहर है। सोन के दक्षिण में आयताकार प्रवाह - प्रणाली दृष्टिगत होता है। कनहर व बिजुल नदियाँ ग्रीष्म ऋतु में लगभग जल रहित हो जाती हैं। बिजुल की सहायक नदी गोटन है। रिहन्द व कनहर की प्रमुख सहायक नदी पोंगन, थैया, बीछी तथा अझीर हैं। रिहन्द के ऊपरी भाग में रिहन्द जलाशय के निर्माण तथा पिपरी व ओबरा में जलविद्युत गृह निर्माण से, प्रवाह प्रणाली नियन्त्रित हो गयी है। इन नदियों को तरूणावस्था में देखने से स्पष्ट हो जाता है कि इनका प्रतिस्थापन अत्यन्त प्राचीन संरचना पर हाल ही में हुआ है। सोन तथा इसकी सहायक नदियाँ भौतिक बाधाओं को काटकर प्रवाहित होती हैं जिससे स्पष्ट होता है कि निचली संरचना पर उनका अध्यारोपण हो गया है।

सोन नदी के उत्तर में बेलन, कर्मनाशा व घाघर तीन प्रमुख नदियाँ हैं। घाघर नदी पर विकासखण्ड चतरा में धंधरोल जलाशय का निर्माण किया गया है। यह नदी दक्षिण

# DISTRICT SONBHADRA DRAINAGE SYSTEM





FIG 25



दिशा में प्रवाहित होती हुई सोन नदी में मिलती है । कर्मनाशा नदी शाहाबाद, रोहतास से प्रवाहित होती हुई जनपद सोनभद्र के विकास खण्ड नगवां में प्रवेश करती है, जो स्वयं गंगा नदी की सहायक नदी है । कर्मनाशा पर 1918 में सिलहट तथा 1948 में नगवा बाध का निर्माण किया गया । कर्मनाशा में पहाड़ी क्षेत्र से निकलने वाले अनेक नाले आकर मिलते हैं । बेलन नदी, विकास खण्ड चतरा के करद - ऐलाई गाँव से निकलकर विकास खण्ड राबर्ट्सगंज व घोरावल से होकर मिर्जापुर, रीवा तथा इलाहाबाद जनपद में प्रवाहित होती हुई टोंस नदी में, जो स्वयं गंगा नदी की सहायक है, मिल जाती है । बेलन प्रवाह बेसिन अण्डाकार रूप में है । बेलन तथा उसकी सहायक नदियों ने आयताकार प्रवाह - क्रम का निर्माण किया है ।<sup>8</sup>

#### (द) जलवायु

जनपद सोनभद्र की जलवायु उत्तर प्रदेश के उत्तरी और पश्चिमी जनपदों से सर्वथा भिन्न तथा मध्य प्रदेश के अधिक समान है । इसकी मुख्य विशेषता दीर्घ और प्रचण्ड ग्रीष्म, साधारण जलवृष्टि और अल्पकालिक एवं मृदु शिशिर है । ग्रीष्म ऋतु सामान्यतः मध्य मार्च से जून के अन्त तक रहती है, जब प्रायः मानसूनी वर्षा प्रारम्भ हो जाती है । अप्रैल से भीषण गर्मी प्रारम्भ हो जाती और 'लू' चलने लगती है । धूल भरी आँधी का प्रकोप सामान्यतया कम रहता है । ग्रीष्म ऋतु में 40<sup>0</sup> सेन्टीग्रेट तापमान सामान्य तौर पर रहता है किन्तु कभी-कभी तापमान 46<sup>0</sup> सेन्टीग्रेट तक पहुँच जाता है । यद्यपि यहाँ ग्रीष्म ऋतु में दिन का अधिकतम तापमान राज्य के अन्य स्थानों की तुलना में सबसे अधिक नहीं है तो भी ऐसा समझा जाता है कि यहाँ दिन के समय बेचैनी और भीषण गर्मी का प्रकोप अन्य स्थानों से कहीं अधिक है । इसके मुख्य कारण वायुमण्डल की अधिक स्वच्छता, पारदर्शिता, नग्न शैलों द्वारा सूर्य के किरणों का परावर्तन तथा भयंकर 'लू' समझे जाते हैं । ताप विद्युत केन्द्रों व उसके आसपास के क्षेत्रों में, जनपद के अन्य भागों की अपेक्षा अधिक तापमान पाया जाता है । दिन की अपेक्षा रातें कम कष्टप्रद होती हैं ।

यहाँ शीत ऋतु अल्पकालिक होती है । यह लगभग मध्य नवम्बर से फरवरी के अन्त तक रहती है । कठोर जाड़े की अवधि प्रायः नगण्य होती है । तुषारापात साधारण और कम होता है और प्रायः घाटियों एवं निचली तलहटियों तक ही सीमित रहता है । प्रातः काल सोन व रिहन्द नदी तथा धन्धरोल, नगवा व सिलहट जलाशय के तटवर्ती भागों में प्रायः कुहरा छा जाता है । सामान्यतया ग्रीष्म तथा शीतकाल स्वास्थ्यवर्धक है ।

# NORMAL RAINFALL OF ROBERTSGANJ AND DUDHI

(BASED ON LAST FIVE DECADES)




Fig 2.6

वर्षा जून के अन्त या जुलाई से प्रारम्भ होती है । अधिकतम वृष्टि जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर में होती है । वृष्टि अक्टूबर के मध्य तक होती है । शीतकालीन जल वृष्टि प्रायः जनवरी और फरवरी में होती है । यहाँ प्रदेश के अन्य भागों की अपेक्षा शीतकालीन वृष्टि अधिक सुनिश्चित है । कुछ वर्षों में शीतकालीन जल वृष्टि लगभग शून्य हो जाती है और साथ ही मानसून वृष्टि भी लगभग नगण्य होती है । ऐसी असामान्य परिस्थिति में क्षेत्र सूखा ग्रस्त हो जाता है । यहाँ बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर दोनों तरफ से आने वाली मानसून हवाओं से वर्षा होती है । जनपद सोनभद्र की औसत वार्षिक वर्षा 115 से० मी० है । 90% से अधिक वर्षा वर्ष के चार माह (जून, जुलाई, अगस्त, सितम्बर) में हो जाती है । 50 वर्षों के वर्षा के वार्षिक औसत आंकड़ों का प्रदर्शन तालिका 2.2 में किया गया है । जिसके देखने से स्पष्ट होता है कि राबर्ट्सगंज में औसत वार्षिक वर्षा 117.63 से० मी० तथा दुन्द्वी में 113.37 से० मी० होती है इन दोनों तहसीलों के वार्षिक वर्षा में लगभग 5 से० मी० का अन्तर है । इससे स्पष्ट होता है कि वर्षा सभी भागों में एक समान होती है । एक दिन में यदि 2.5 मि० मी० वर्षा होती है, तो उसे वर्षा का दिन मानकर 50 वर्षों के वर्षा के दिन का प्रदर्शन भी तालिका 2.2 में किया गया है । तालिका 2.2 में वर्षा के दिन के प्रदर्शन से यह स्पष्ट है कि जनपद सोनभद्र में लगभग 60-61 दिन वर्षा के होते हैं । मानसून के समय आर्द्रता अधिक रहती है, जो 70% से अधिक हो जाती है और ग्रीष्म ऋतु में विशेषकर दोपहर में सापेक्षिक आर्द्रता बहुत कम हो जाती है ।<sup>9</sup>

तालिका 2.2

## वर्षा

माह	राबर्ट्सगंज		दुन्द्वी	
	औसत वर्षा (मि०मी० में.)	वर्षा का औसत दिन(प्रतिदिन 2.5 मि०मी० या इससे अधिक)	औसत वर्षा (मि०मी० में)	वर्षा का औसत दिन (प्रतिदिन 2.5 मि०मी० या इससे अधिक)
1	2	3	4	5
जनवरी	23.9	1.9	25.7	1.9
फरवरी	29.7	2.1	31.0	2.4
मार्च	14.0	1.4	17.0	1.6
अप्रैल	6.6	0.6	6.9	0.7

1	2	3	4	5
मई	14.5	1.2	13.5	1.5
जून	111.8	6.3	132.3	7.3
जुलाई	351.5	16.3	323.9	16.0
अगस्त	369.5	16.8	340.1	16.7
सितम्बर	202.4	9.6	182.4	9.1
अक्टूबर	40.4	2.4	43.9	3.1
नवम्बर	7.6	0.6	11.2	0.8
दिसम्बर	4.8	0.5	5.8	0.4
<b>योग</b>	<b>1176.3</b>	<b>60.0</b>	<b>1133.7</b>	<b>61.5</b>

स्रोत *Uttar Pradesh District Gazetteers, Mirzapur, 1988, p.16.*

## (य) मृदा

### (1) मृदा संरचना

इस क्षेत्र की मृदा मूल रूप में अधिकांशतः अवशिष्ट प्रकार की है।<sup>10</sup> मृदा की प्रकृति मूल शैल (पैरेण्ट रॉक) के अनुसार भिन्न - भिन्न होती है जो निम्नलिखित है।

1. प्रीकैम्ब्रियन मणिभीय शैलों से निर्मित मृदा - प्रीकैम्ब्रियन मणिभीय शैलों (जैसे नीस, ग्रेनाइट, शिस्ट, क्षारीय अंतरावेश आदि) लाल रंग वाली बलुई दोमट मिट्टी को जन्म देती है। मिट्टी का यह रंग लोहांश अधिक होने के कारण न होकर विस्तृत विसरण के कारण होता है। यह निम्न कोटि (ऊँची पहाड़ियों पर हल्की, बजरीदार तथा हल्के रंग वाली) से उच्च कोटि (मैदानों और घाटियों में अधिक उर्वर, गहरी काली) की होती है। यह मिट्टी सामान्यतया थोड़ी सी कैल्केरियस होती है तथा इसमें नाइट्रोजन एवं फॉस्फोरस की मात्रा कम होती है। इसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा हल्के से थोड़ी अधिक तथा क्षार की मात्रा अच्छी होती है।

कुछ प्रदेशों में मिट्टी में तुलनात्मक रूप से पोटैश (जहाँ मूल शैलों में पोटैश फेल्डस्पार एवं मस्कोवाइट की मात्रा अधिक हो जहाँ मुख्यतया बायोटाइट एवं हानैब्लैंड वाली शैल हो) तथा चूना एवं मैग्नेशिया (जहाँ एम्फीबोलाइट अल्पबेसिक रॉक आदि क्षारीय शैलों का

बाहुल्य हो) की मात्रा अधिक होती है । क्वार्ट्जाइट शैल से बनी मृदा अत्यन्त उर्वरक, बलुई हल्के कोटि की तथा पत्थर मिश्रित पोषक तत्वों से रहित होती है । इसकी जलधारण क्षमता भी बहुत कम होती है ।

2. **बिजावर शैल से निर्मित मृदा** - बिजावर वर्ग की शैलें विघटित होने पर मुख्यत मृत्तिकामय मिट्टी बनती है । एक प्राचीन संरचना होने के कारण इसके ऊपर की मिट्टी अत्यधिक परिपक्व होती है और यह क्रिया सतत गौण परिवर्तनों से सम्पन्न होती है। यह मिट्टी कैलकेरियस तथा क्षारीय होती है । इसमें कार्बोनिक पदार्थ नहीं के बराबर होते हैं। इस मृदा की प्रकृति स्थान पर, उसमें उपस्थित अशुद्धियों की मात्रा पर वह जिन शैलों के अपक्षरण से बनी है, उन शैलों के प्रकार पर (जैसे मृदाशिमक, सिकतासिक, क्षारीय कार्बोनेट आदि) निर्भर करती है ।

3. **गोंडवाना अधिवर्ग की शैलों से निर्मित मृदा** - गोंडवाना अधिवर्ग की शैले विघटन के उपरान्त अपेक्षाकृत निम्न कोटि एवं उर्वरता की मिट्टी को जन्म देती है । सामान्तया मिट्टी बलुई होती है । इसमें ह्यूमस की मात्रा कम तथा रासायनिक प्रक्रिया उदासीन होती है।

## (2) मृदा का वर्गीकरण



अध्ययन क्षेत्र का मृदा वर्गीकरण प्रत्येक तहसील का अलग - अलग प्रस्तुत किया गया है ।

### 1. दुब्डी तहसील की मृदा -

(क) **हाथीनाला श्रेणी** - यह श्रेणी लगभग समस्त उसी क्षेत्र में उपलब्ध है, जिस क्षेत्र में बिजावर समूह की शैलें हैं । शैलें अत्यधिक विघटित रूप में हैं और परिष्कृत एवं स्पष्ट परिच्छेदिका सुलभ नहीं हैं । पहाड़ियां निम्न कोटि के वनों से आच्छादित हैं यहाँ पर अल्पकृषि कार्य सम्भव है । उत्पन्न फसल का स्तर भी बहुत निम्न श्रेणी का है । मिट्टी का रंग पीले भूरे से पीला लाल तक है और अधिकांशतया उसमें अभ्रक मिला हुआ है । मिट्टी की सतह अधिकांशतया पतली है ।

(ख) **दुब्डी संघ** - बिजावर समूह की शैलों के दक्षिण में मृदाओं का एक समूह पाया जाता है । जिसके विभिन्न संगठनों का संतुलन एवं मोटाई जो कि त्रिभुजाकार रूप में है

# DISTRICT SONBHADRA SOILS



SERIES	SOIL TYPES DRAINAGE- CUM-TEXTURE TYPES
GANGA	□ KHADAR
vinhhyan	▨ CLAY LOAM
	▧ CLAY LOAM NONCALCARIOUS
	▩ COARSE SANDY LOAM
Belan	⊞ CLAY
Bijajgrah	▧ SANDY LOAM
Son	▩ COARSE SANDY LOAM
	▨ SANDY LOAM
	▧ FINE SANDY LOAM
Paraspanti	▧ SANDY LOAM
Jungel	⊞ CLAY LOAM
Hathinala	▩ COARSE SANDY LOAM
Dudhi	▨ SANDY LOAM

0 1 2 KM

Dudhi	▩ COARSE SANDY LOAM
Gonda	▧ COARSE SANDY LOAM
Aundi	■ CLAY
Carboniferous	▩ CARBON(COAL)

FIG 27

और जिसका शीर्ष विण्डमगंज के निकट है । दक्षिण की ओर इसका विस्तार है और म्योरपुर क्षेत्र को आच्छादित करने के पश्चात् यह गोविन्द बल्लभपन्त सागर (रिहन्द जलाशय) में मिल जाता है । साधारणतया घाटी में पायी जाने वाली मिट्टी भी निम्न कोटि की है और क्षेत्र में पहाड़ियों के बाहुल्य के कारण मृदा बजरीयुक्त है । यद्यपि निम्न क्षेत्रों में मृदा उर्वर एव गहरी है । यह मिट्टी काले रंग की है, जबकि ऊँचे स्थानों की मिट्टी लाल है ।

(ग) खिंगरोली श्रेणी - इस प्रकार की मिट्टी रिहन्द नदी और उसकी सहायक नदी देवहर नाला के बीच वाले क्षेत्र में पाई जाती है । परन्तु अब इस प्रकार का अधिकांश भाग रिहन्द जलाशय में डूब गया है । खडिया, बांसी और औड़ी के कुछ क्षेत्र ही इस श्रेणी में आते हैं । स्थानीय भाषा में यह मिट्टी 'केवल मिट्टी' के नाम से पुकारी जाती है । यह अत्यधिक उर्वर है । यह काले रंग की मटियार दोमट मिट्टी है जो कि सम्भवतः कार्बोनीफेरस पदार्थों से ही उत्पन्न हुई है । यह प्रतिक्रिया में हल्की क्षारीय है तथा इसमें कार्बोनिक् पदार्थों का समिश्रण मध्यम श्रेणी का है ।

(घ) औड़ी श्रेणी - गोंडवाना एवं नाइस समूह की शैलों के बीच में यह क्षेत्र अवस्थित है और हाथीनाला समूह के नीचे भूमि की एक पतली तिकोनी पट्टी के रूप में मिलता है । त्रिकोण का शीर्ष औड़ी के पास है और आधार के दोनों सिरे बेलवादह और पहाड़ी (अब जलाशय में) पाये जाते हैं । इस क्षेत्र की मिट्टी लाली लिए हुए मृत्तिकामय है । इस श्रेणी का एक मुख्य भाग अब रिहन्द जलाशय में समाविष्ट है । बैरपान, लोझरा और औड़ी क्षेत्रों के कुछ भाग इस श्रेणी में सम्मिलित हैं ।

(ङ.) कार्बनी फेरस - यह श्रेणी भी उसी क्षेत्र में उपलब्ध है, जिस क्षेत्र में गोंडवाना समूह की शैलें फैली हुई हैं । बांसी, खडिया और चिल्काटांड इस श्रेणी में ही स्थित है ।

(च) गोहड़ा श्रेणी - इस श्रेणी की मिट्टी इस मण्डल में ठीक दक्षिण में बभनी शृंगखला तथा गोहड़ा क्षेत्र में गोंडा मिर्गारानी और जोराही खण्डों के पास पाई जाती है । यह मिट्टी बलुई दोमट होते हुए भी ठोस और कड़ी है, और उसमें मोरम के रूप में ग्रेवल तथा अर्ध विघटित शैलों का बाहुल्य है । निम्न क्षितिजों में इनका अनुपात अधिक है । मिट्टी का रंग गहरे लाल से भूरे लाल तक बदलता है । रंग में लाली की मात्रा निचले स्तरों में बढ़ती जाती है ।

2. राबर्ट्सगंज तहसील की मृदा - इस भूखण्ड की मृदा पठारी सरचना की है तथा इनकी निम्न विशेषताएं हैं -

- मृदा कम गहरी, मोरम, कंकड़युक्त तथा कही - कही लौह पट्ट लिए हुए है । मटियार का अनुपात औसत सामान्यत अच्छ तथा नाइट्रोजन व फास्फेट तत्वों की कमी है ।

- जलधारण क्षमता सामान्य है परन्तु कम गहराई के कारण शीघ्र सूख जाता है ।

- मटियार या लौह पट्ट वाली मृदा में जल बहाव अवरूद्ध होता है जिससे दल - दल हो जाता है ।

विन्ध्य क्षेत्र में अवशिष्ट मूल (रेजुडुअल औरिजिन) की मृदा पायी जाती है। विन्ध्य श्रेणी के शैलों के अपक्षयन (वेदरिंग) से यह मृदा विकसित हुई है । इस भू-खण्ड में उत्तर में दक्षिण के क्रम में विन्ध्य वर्ग के अन्तर्गत निम्नलिखित समुदाय की मृदा पाई जाती है ।

बेलन - मटियार दोमट (क्ले)

विजयगढ़ - बलुई दोमट

सोन - बलुई दोमट (सैन्डी लोम)

- दोमट (लोम)

- बारीक बलुई दोमट (फाईनसैन्डी लोम)

परसपानी - बलुई दोमट (सैन्डी लोम)

हाथीनाला - मोटी रेत (कोर्स सैन्ड)

जुगैल - दुद्धी मिट्टी बरगवां, देवखर आदि के दक्षिण में सफेद मिट्टी पर्याप्त रूप से पायी जाती है ।

(क) बेलन समुदाय - इस भू-खण्ड के थोड़े से क्षेत्र में जो कैमूर पर्वतमाला चोटी के मैदानी भाग में स्थित है, इस समुदाय की मृदा पायी जाती है । मृदा कैल्केरियस प्रकार की है । इसके नीचे कंकर ग्रन्थाएं (कंकर नाइयूल) हैं ।



(ख) **विजयगढ़ समुदाय** - इस समुदाय की मृदा कैमूर की पहाड़ी क्षेत्र में पायी जाती है । यह सैण्डस्टोन व स्लेट प्रकार की शैलों के अपक्षयन से विकसित हुई है । यह भू - भाग पहाड़ी व कटा- फटा है । मृदा का रंग पीला व लाल है । इसकी रचना बलुई दोमट (सेन्डीलोम) प्रकार की है । यह थोड़ी सी अम्लीय अचूर्णिय (नान कैल्केरिअस) तथा मोटी बजरी वाली (कोर्स ग्रेवली) है ।

(ग) **सोन समुदाय** - इस समुदाय की मृदा सोन नदी के दोनों किनारों में स्थित भू-भाग में पायी जाती है । यह मृदा समुदाय आदि विन्ध्य प्रकार की शैल माला के अपक्षयन से विकसित हुई है जिसके चार मुख्य भाग हैं । मृदा की संरचना बलुई दोमट, दोमट तथा बारीक बलुई दोमट प्रकार की है ।

(घ) **परासपानी समुदाय** - सोनघाटी के दक्षिण में शैलों का विन्यास अलग प्रकार (विजयवाड माला) का हो जाता है । अतएव यहाँ की मृदा में भी पर्याप्त भिन्नता आ जाती है । भू-भाग पहाड़ी है । मृदा का रंग अधिकतर लाल है । वास्तव में मृदा का रंग जारण अवस्था (आक्सीडेशन स्टेज) पर निर्भर करता है । यह गहरे धूसर से तेज लाल हो जाता है ।

(ङ) **हथीनाला समुदाय** - इस समुदाय की मृदा भू-खण्ड के दक्षिणी भाग (दुब्डी क्षेत्र की सीमा) में पायी जाती है । मृदा के गुण लगभग परासपानी समुदाय की तरह ही हैं । इसका रंग पीला - भूरा या पीला - लाल होता है तथा इसमें चमकते हुए अभ्रक (माइका) के टुकड़े दृष्टिगोचर होते हैं ।

(च) **जुमैल समुदाय** - भू-खण्ड के उत्तरी - पश्चिमी भाग में इस समुदाय की मृदा पायी जाती है । यहाँ एक विशिष्ट प्रकार की शैल श्रृंखला विद्यमान है ।

## (र) प्राकृतिक वनस्पति एवं वन संसाधन

प्राकृतिक संसाधनों में वनस्पति एवं वन संसाधनों का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है । प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूपों में प्राकृतिक वनस्पति मानव - जीवन को प्रभावित करती है ।<sup>11</sup> वन वास्तव में नवीकरण योग्य संसाधन हैं तथा ये उत्पादी और संरक्षी दोनों प्रकार के कार्य करते हैं ।<sup>12</sup> पर्यावरण को शुद्ध रखने, भूमि के कटाव को रोकने, मृदा में ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाने तथा जलवायु को मृदु बनाने में वनों की महत्वपूर्ण भूमिका है ।<sup>13</sup> वनस्पति प्रकारों के अध्ययन से सम्बन्ध मुख्यतः प्रमुख जातियों, उनकी दिखावट (वाह्य रूप), अनुकूलन स्वरूप, पारस्परिक

साहचर्य सम्बन्ध तथा जलवायविक क्रमोत्कर्ष पर पहुँचने के लिए आवश्यक विकास की अवस्थाओं से होता है, अर्थात् एक समुदाय के रूप में उनका पूर्ण विकास जिनके बाद उनमें वृद्धि नहीं होती बल्कि वे संतुलित रहते हैं।<sup>14</sup> प्राकृतिक वन से आशय किसी भी भू-भाग पर उन पेड़, पौधों, झाड़ी, जड़ी - बूटियों व घासपातों तथा काई से है जो स्वतः उगने, बढ़ने और नष्ट होने के लिए स्वच्छन्द हैं।<sup>15</sup> मृदा की विभिन्नता, उच्चावच की विषमता तथा अपवाह प्रणाली के अनुसार स्थानिक रूप में वनों में विभेद पाया जाता है। केवल थोड़े से उष्ण नदी तटीय सीमावर्ती (रिपेरियन फिन्जिग फारेस्ट) वनों को छोड़कर जो नदियों और नालों के किनारों की पट्टियों पर स्थित है, इस भूखण्ड के लगभग सभी वन उत्तरी शुष्क पर्णपाती वर्ग के हैं। विकासखण्ड चोपन के उत्तर - पूर्व तथा नगवां के दक्षिणी भाग में भरुही (क्लारोक्जाइलोन स्वीटीनिया) प्रचुर मात्रा में विद्यमान है, इसकी उपस्थिति उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती उपवर्ग में कही जा सकती है। कर्मनाशा नदी तट में पाए जाने वाले साल के बहुत थोड़े से वन को छोड़कर इस जनपद में सभी वन उत्तरी शुष्क पर्णपाती वर्ग के हैं। चैम्पियन तथा सेठ के वर्गीकरण के अनुसार इस जनपद में निम्नलिखित वर्ग के वन जाये जाते हैं।<sup>16</sup>

क्रम संख्या	वर्गीकरण	प्रकार
1	2	3
1.	4 ई/आर एस ।	माइस्ट्र ट्रापिकल फारेस्ट उष्ण नदी तटीय सीमावर्ती वन ड्राई ट्रापिकल फारेस्ट
2.	5बी/सी - 1 सी	शुष्क प्रायद्वीपीय साल
3.	5बी/सी 2	उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन विकृत अवस्था
4	5/डी एस ।	शुष्क पर्णपाती के क्षुद्ररोह मृदीय प्रकार
5.	5 /ई 2	सलई वन
6.	5 /ई 4	परसिद्ध वन
7.	5 /ई 9	शुष्क बांस ब्रेक
8.		रोपवन
9.		नदी तट

### (1) नदी तटीय सीमावर्ती वन

इस प्रकार के वन नदियों तथा बड़े नालों के किनारों पर सकरी पट्टियों में पाए जाते हैं। वृक्षों की प्रजातियों में कहुआ, जामुन, कठजामुन, करज, आजन, गुटेल तथा गुरही मुख्य है। अन्य वृक्ष प्रजातियों में चिलबिल, तेन्दू, असना, धौ, भुरकुल, खाजा, साल व करम उल्लेखनीय है। अधोवन अधिक महत्वपूर्ण नहीं हैं।

### (2) शुष्क प्रायद्वीपीय साल

अध्ययन क्षेत्र के समस्त साल इसी प्रकार के अन्तर्गत आते हैं। साल न्यूनाधिक अनुपात में लगभग समस्त भू-खण्ड में पाया जाता है। परन्तु इसकी अवस्थिति छोटी नदियों एवं बड़े नालों की घाटियों में अधिक है। साथ ही, अपेक्षाकृत ठण्डी उत्तरी ढालों में भी साल का अनुपात बढ़ जाता है। सोन नदी के उत्तरी भाग में लगभग सभी नालों के किनारे साल न्यूनाधिक अनुपात में पाया जाता है। कैमूर की ढालों में इसका अनुपात घट जाता है। परन्तु कैमूर पर्वतमाला की चोटी के समतल टुकड़ों में कहीं-कहीं साल का अनुपात पर्याप्त रूप में बढ़ जाता है। साल वृक्ष शुद्ध रूप में विद्यमान न होकर मिश्रित रूप में पाया जाता है। साल के प्रमुख मिश्रण वृक्ष तेन्दू, धौ, सिद्धा, पियार, असना, बहेड़ा, आँवला आदि उल्लेखनीय हैं। घासों में प्रमुख हैं - बगई, चुराँठ, चिकनिआ तथा भुसभुसिया।

### (3) उत्तरी मिश्रित पर्णपाती वन

अध्ययन क्षेत्र के अधिकांश वन इसी प्रकार के अन्तर्गत आते हैं। यह वन पहाड़ियों की चोटियों के समतल भागों, पहाड़ी ढालों, उच्च स्थलियों व कूटों में विद्यमान है। वृक्ष प्रायः क्षीण आकृति व छोटे प्रस्तम्भों वाले हैं। प्रायः सभी प्रजातियों के वृक्ष ग्रीष्मकाल में पूर्णतया पर्ण विहीन हो जाते हैं। इनमें वर्षा ऋतु में पुनः नई पत्तियाँ आ जाती हैं। इस भाग के प्रमुख वृक्ष तेन्दू, धौ, झींगन, खैर, ककोर, कटैला विरल अवस्था में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त सलाई, कुर्लु, धुसुर, आँवला, गलगल आदि भी उपलब्ध हैं। अधिक समतल भागों व उच्च स्थलियों में जहाँ मृदा की गहराई अपेक्षाकृत अच्छी है, अनेक प्रजातियों के वृक्ष मिश्रण में पाये जाते हैं।

### (4) शुष्क पर्णपाती वनों के क्षुद्ररोह

इस प्रकार के वन उन क्षेत्रों में हैं, जहाँ विगत कुछ वर्षों में भारी अनियमित

पातन हुए हैं । ऐसे क्षेत्र अधिकतर गाँवों के पास हैं । इनमें घरेलू जानवरों के चरण, अनियमित पातन, स्कन्धकर्तन (पोलाई) तथा शाखाकर्तन आदि का अत्यधिक जोर है । इन वनों में पायी जाने वाली झाड़ियों में मुख्य कुलधनई, झरबेरी, भैक्सी, करोंदा, खैर, बेर, कटैला, सेहुड व कोराया है ।

### (5) सलई वन

सलई वन लगभग समस्त भू-खण्ड में व्याप्त है । पहाड़ियों के समतल चोटियों, कूटों व बाहुकूटों (स्पर) तथा उच्च स्थलियों में जहाँ जल का निकास अच्छा हो, सलई अधिक पाई जाती है । यह उल्लेखनीय है कि सलई प्रायः पथरीली व चट्टानी स्थानों में भी जहाँ मृदा कम हो, पाई जाती है । इन वनों में सलई उच्च वितान की मुख्य प्रजाति हो जाती है । इसके वृक्ष 10-15 मीटर ऊँचे तथा औसतन 30 से 100 मीटर व्यास के हैं । पहाड़ियों के चोटियों में कहीं-कहीं विशुद्ध रूप में भी सलई विद्यमान है । सलई के वृक्ष की विशेष उपयोगिता मालूम न होने के कारण पिछले वर्षों में कटान से बच गए थे ।

### (6) परसिद्ध वन

परसिद्ध वन विस्तृत क्षेत्र में एक साथ नहीं पाया जाता । इसकी अवस्थिति अपेक्षाकृत छोटे व कम विस्तृत क्षेत्रों में देखी जाती है । यह लगभग सदाबहार प्रजाति है । अतएव शुष्क मिश्रित पर्णपाती वनों में इसकी अलग से पहचान करना सरल होता है । वृक्ष अधिकतर तरुण हैं । कहीं-कहीं प्रौढ़ या अति प्रौढ़ वृक्ष भी दिखाई पड़ते हैं । प्राकृतिक पुनर्जनन सन्तोषप्रद है । जैविक कारणों द्वारा परसिद्ध वनों को बहुत क्षति पहुँचायी गयी है ।

### (7) शुष्क बाँस

इस भू-खण्ड में बाँस की केवल एक प्रजाति पाई जाती है । सोन नदी के उत्तर में समस्त तरिया व गुर्मा राजियो में बाँस उपलब्ध है । यह नालों के किनारों तथा समस्त पहाड़ी ढालों में अधिकतर पाया जाता है । परन्तु कहीं-कहीं तो यह चट्टानी व विप्रपाती कूटों (रिज) में भी विद्यमान है । सबसे अच्छे बाँस युक्त क्षेत्र पकरी व कन्धौरा, पश्चिमी ससनई, पूर्वी ससनई, झरिया, गड़ाव, मोहना व भीतरी खण्डों में स्थित हैं । बाँस युक्त सभी क्षेत्रों में उच्च वितान बहुत घनी अवस्था में नहीं है ।

तालिका 2.3 से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र के 49.11% (334918 हे०) क्षेत्रफल पर वनों का आवरण है। वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल विकासखण्ड म्योरपुर में है। वनों के क्षेत्रफल के अनुसार अवनत क्रम में विकासखण्डों की स्थिति क्रमशः इस प्रकार है - म्योरपुर (25.65%), चोपन (22.74%), नगवा (17.96%), दुद्धी (12.99%), बभनी (11.18%), घोरावल (7.67%), चतरा (1.06%) तथा राबर्ट्सगंज (0.75) (तालिका 2.3)। अध्ययन क्षेत्र में वनों का अनुपात देश व प्रदेश की तुलना में अधिक है। वन ससाधन की दृष्टि से अध्ययन क्षेत्र समृद्ध है। जंगलों में रहने वाले अनेक जंगली जानवरों, पशुओं व पक्षियों की सुरक्षा के लिए 'कैमूर वन अभ्यारण्य' का निर्माण किया गया है। प्रशासनिक दृष्टि से सम्पूर्ण वनों को 4 वन प्रभागों (डिवीजन) तथा 18 राजियों (रेज) में विभक्त किया गया है।


### तालिका 2.3

#### वनों का वितरण 1990 -91

विकासखण्ड	कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल हे० में	वन क्षेत्रफल हेक्टेयर में	क्षेत्रफल का प्रतिशत	कुल वनों का % प्रतिशत
1	2	3	4	5
घोरावल	81873	25700	31.39	7.67
राबर्ट्सगंज	44245	2500	5.65	0.75
चतरा	25485	3540	13.89	1.06
नगवां	91620	60166	65.66	17.96
चोपन	171297	76180	44.46	22.74
म्योरपुर	133789	85908	64.21	25.65
दुद्धी	70745	43500	61.49	12.99
बभनी	60826	37444	61.56	11.18
<b>ग्रामीण योग</b>	<b>679880</b>	<b>334918</b>	<b>49.11</b>	<b>100.00</b>
<b>नगरीय योग</b>	<b>2048</b>			
<b>जनपद योग</b>	<b>681928</b>	<b>334918</b>	<b>49.11</b>	<b>100.00</b>

स्त्रोत : सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद सोनभद्र, 1992, पृष्ठ 43 एवं संगणित।

# DEVELOPMENT BLOCKWISE FOREST OF DISTRICT SONBHADRA : 1990 - 91



DEVELOPMENT BLOCKS

Fig 2.8

## (ल) खनिज सम्पदा

खनिज ससाधनों की विविधता एवं मात्रा की दृष्टि से जनपद सोनभद्र का अद्वितीय स्थान है । रत्नगर्भा के रूप में जहाँ 'काला हीरा' और अभ्रक का भण्डार है, वहीं पर सफेद संगमरमर भी इसी क्षेत्र को प्राप्त है । यहाँ के पत्थरों में मैगनीज, लोहा, डोलोमाइट आदि के अयस्क प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैं, जिसके कारण सोननदी एवं मारकुण्डी पहाड़ी के मध्य स्थित सलखन एवं परवध में चूना उद्योग बड़े पैमाने पर चलाए जाते हैं । इतना ही नहीं लौह अयस्क के पत्थर की आपूर्ति बिहार प्रदेश के बोकारो स्टील प्लांट को भी होता है । <sup>17</sup>

जनपद में स्थित खनिजों के आधार पर आसपास के क्षेत्रों में अनेक उद्योगों का विकास हुआ है । सिंगरौली कोयला क्षेत्र पर आधारित ताप विद्युत केन्द्र, चूनापत्थर पर आधारित सीमेंट कारखाना एवं चूना उद्योग इसके प्रमुख उदाहरण हैं । जनपद सोनभद्र के प्रमुख खनिजों को निम्न दो वर्गों में बाटा जा सकता है -

- (1) धात्विक खनिज - लौह अयस्क, सोना
- (2) अधात्विक खनिज - फेल्सपार, अभ्रक, सल्फाइड, लाइमस्टोन, हीरा, मैग्नेटाइट, भवन व सड़क निर्माण में काम आने वाले पत्थर ।

1. **लौह अयस्क** - लोहे को राष्ट्रीय समृद्धि का प्रतीक माना गया है । मानव सभ्यता के विकास में लोहा एवं उससे निर्मित विविध वस्तुओं का महत्वपूर्ण योगदान है । वर्तमान समय में भी किसी देश की शक्ति का आंकलन लोहे के उत्पादन एवं उसके उपयोग से निर्धारित होता है ।

जनपद सोनभद्र के दुबुडी तहसील में बिजावर श्रेणी की शैलों में लौह अयस्क के कई निक्षेपों का पता लगा है । यह अयस्क बेण्डेड, हीमेटाइट -क्वार्ट्जाइट से बने हुए एवं उससे सम्बद्ध है । प्राचीनकाल में एक स्थानीय जाति 'आगरिया' द्वारा छोटे पैमाने पर कई स्थानों पर इस अयस्क से लोहा निकाला जाता था । ये लोग इससे कृषि आदि कार्यों में उपयुक्त यन्त्र बनाया करते थे । चोपन ब्लॉक के बरगवां के लगभग 2 कि० मी० दक्षिण - पूर्व पश्चिम दिशा में स्थित पहाड़ी में, जो पश्चिम से भरहरी तक चली गई है, बेण्डेड हेमेटाइट पाया जाता है । इनमें से कोई भी निक्षेप आर्थिक रूप से मूल्यावान नहीं है, इसलिए इस क्षेत्र में लौह उत्खनन को छोड़ दिया गया है ।

# DISTRICT - SONBHADRA MINERALS






FIG. 29



# DISTRICT-SONBHADRA MINERALS














-  LIME STONE
-  COAL
-  IRON ORE
-  CHINA CLAY
-  FINE CLAY
-  MARBLE
-  SILICA
-  CALCITE
-  ANDALUCITE
-  JASPER
-  MICA

FIG. 29

2. **सोना** - भारत ही नहीं बल्कि विश्व के आर्थिक गतिविधियों में सोने का अति महत्वपूर्ण स्थान है। सोने की प्राप्ति या तो शिला - संरचनाओं की पट्टिकाओं से अथवा नवीन या प्राचीन नदियों द्वारा अवसादित एल्यूवियम मिट्टी से की जाती है।

3. **सल्फाइड** - बिजावर एवं प्रीकैम्ब्रियन मणिभीय शैलों को काटने वाली क्वार्ट्ज शिराओं में सल्फाइड के खनिज (जैसे पायराइट, चालकों पायराइट आदि) अल्पमात्रा में पाये जाते हैं। कहीं - कहीं इन खनिजों का प्रमाण तुलनात्मक दृष्टि से अधिक भी हो जाता है।

4. **लाइमस्टोन** - उत्तम कोटि का व अधिक मात्रा में लाइमस्टोन सोन नदी के उत्तर में पाया जाता है। सोन के ठीक दक्षिण में बरगवा, घटीसा, ओबरा, डाला आदि के आस-पास भी लाइम स्टोन पाया जाता है। यह इस भूखण्ड की सबसे महत्वपूर्ण खनिज सम्पत्ति है। कजरहट चूना पत्थर खान, जिसके नाम पर चुनार में कजरहट सीमेण्ट कारखाना स्थापित किया गया है, इस खान का चूना पत्थर अधिकतर डाला सीमेण्ट के कारखाने में प्रयुक्त होता है। दूसरी महत्वपूर्ण खान गुरमा चूनापत्थर खान है, जिससे पटवध व सलखन में चूना निर्माण उद्योग तथा चुर्क में सीमेण्ट कारखाना स्थापित है। बसुहारी में चूना पत्थर का विशाल क्षेत्र पाया जाता है। इस क्षेत्र को सरकार अपने नियंत्रण में लेकर नया सीमेण्ट कारखाना स्थापित करने का विचार कर रही है।

5. **भेग्नेटाइट** - परसोई के पूर्व में बहुत कम मात्रा में क्वार्ट्जाइट के साथ पाया जाता है।

6. **सफेद मिट्टी** - सफेद मिट्टी बरगवा, देवखर आदि के दक्षिण में पर्याप्त रूप से पाई जाती है। स्थानीय निवासी इसे घरेलू उपयोग में लाते हैं।

7. **मृत्तिका (क्ले)** - सूक्ष्म विभाजित एवं अतिसूक्ष्म कणों वाली मृत्तिका के निक्षेप बाराकर स्टेज में बांसी, मिश्रा और मकड़ीखोह में उलबद्ध हैं। निक्षेपों की सम्भावित क्षमता लगभग तीन मिलियन टन आँकी गयी है, जिसमें से लगभग 2.2 मिलियन टन अग्निरोधक उद्योग द्वारा अग्निरोधक ईंटों के निर्माण के लिए उपयुक्त है।

8. **निर्माण सामग्री** - इस क्षेत्र में ग्रेनाइट, ग्रेनाइट नीस, डोलेराइट, क्वार्ट्जाइट सैण्डस्टोन, डोलोमाइट, संगमरमर आदि भवन, सड़क एवं अन्य उपयोगी सामान बनाने के लिए

उत्कृष्ट स्रोत है । बरगवा की दक्षिणी पहाड़ियों में तथा ओबरा के दक्षिण में निम्न कोटि का सगमरमर पाया जाता है । करौती के ठीक उत्तर में संगमरमर की पट्टी पायी जाती है । इसका रंग सफेद है तथा निर्माण सामग्री के लिए उपयुक्त है । महदिया से 2 कि० मी० उत्तर पूर्व में नीलिमा लिए हुए चमकीले सगमरमर के बारे में जानकारी मिली है । इसी तरह का एक निक्षेप गीधर के पास पाया जाता है ।

डोलोमाइट के निक्षेप बरगांव और कजरहट में है । ओबरा के पास भलुवा डोलोमाइट खान तथा डाला से 3 कि० मी० दूर चोपन रोड पर बारी डोलोमाइट खान सर्वाधिक प्रसिद्ध है ।

सजावटी पत्थर के रूप में काम आने वाले जास्पर, एपिडोट शेल आदि कहीं-कहीं प्रचुरता में पाया जाता है । अनेक स्थानों में कंकड़ उपलब्ध है । हेमेटाइट (लौहयुक्त) तथा जास्पर, जुगैल व पनसिला के दक्षिण-पूर्व में पाये जाते हैं ।

9. **कोरण्डम** - मध्य प्रदेश के सीधी जिले के सीमा से लगे हुए दीप्रा और कडोयनी गाँव के बीच तथा रिहन्द नदी के एक कि० मी० पूर्व में पाया जाता है ।

10. **कोयला - (सिंगरौली कोल फील्ड लिमिटेड)** - सिंगरौली एक इलाका है इस नाम का न कोई गाँव है न ही शहर । बताया जाता है कि सिंगरौली एक राज्य था जो मध्य प्रदेश के सीधी और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में विभक्त हो गया । इस राज्य का महल रिहन्द जलाशय में जलमग्न है । 'सिंगरौली कोल फील्ड के अन्तर्गत' खानों में से केवल तीन खान (बीना, ककरी व खड़िया) है । किन्तु अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से सम्पूर्ण कोयला क्षेत्र का वर्णन किया गया है । 'इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन्स' ने 1961 में कुछ निश्चित स्थानों पर विस्तृत अध्ययन कराए, जिससे सिंगरौली क्षेत्र भारत के कोयला मानचित्र पर उभर आया । 1963 में एन० सी० डी० सी० के अन्तर्गत सिंगरौली -1 खदान का विधिवत प्रारम्भ हुआ । लेकिन उसे बीच में रोककर 1965 में पहली खदान 'झिगुरदा परियोजना प्रारम्भ हुई जो कि अपने कोयले की मोटाई (162 मी०) की दृष्टि से विश्व प्रसिद्ध है ।<sup>18</sup>

सिंगरौली क्षेत्र से लगा हुआ पलामू में भी कोयले का विस्तृत भण्डार है । बिहार के हजारी बाग और रौंची क्षेत्र जहाँ 'नेशनल डेवलपमेण्ट कारपोरेशन' बाद में 'सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड' का मुख्यालय रहा, वहीं से इस क्षेत्र को जिसे 'सिंगरौली क्षेत्र' कहा जाता था, कोयले के उत्खनन की देख-रेख लगभग 20 वर्षों तक चली । ऐसे समय में ही रूसी वैज्ञानिक की

तालिका 2.4

परियोजना	कुल कोयला क0टन में	खदान क्षेत्र वर्ग किमी0 टन	खदान की सम्पूर्ण क0 प्रतिवर्ष	उत्पादन क्षमता क0अनुमानित क0टन/वर्ष	उत्पादन आरम्भ वर्ष	औसतन स्टीमिंग अनुपात	कुल उत्पादन क0घनमी0	अनुमानित राशि करोड़ रूपया
1. गोरबी	2 44	1.4	0.1	0.1	1972	1.47	5.1	7.52
2. शिमुरदा	12 10	1.5	0.3	0.3	1965	1.15	21.5	24.87
3. बीना	10.83	4.0	0.45	0.45	1976	2.2	30.6	168.64
4. जयपुर	34.90	10.1	1.0	1.0	1976	2.6	112.5	378.04
5. ककरी	7.19	2.3	0.25	0.25	1980	2.25	20.9	137.80
6. अमलोरी	31.93	9.51	1.0	0.4	1984	4.40	157.3	527.11
7. दुर्डीचुआ	34.50	8.68	1.0	0.5	1983	3.29	134.9	289.68
8. खडिया	29.92	7.93	1.0	0.4	-	4.23	145.2	400.00
9. निगाही	49 18	15.54	1.40	0.42	-	3.76	215.3	588.75
10. मोहेर	37.6	8.8	1.0	-	-	3.30	147.5	-
11. गोरबी बी0	छोटी परियोजना है। दो वर्ष पहले प्रारम्भ हुई।							
12. मरक	प्रस्तावित							

x परियोजना क्रम संख्या 3, 5, 8 सोनभद्र में तथा शेष सोनभद्र की सीमा पर मध्य प्रदेश में है।

देखरेख में यहाँ के कोयला क्षेत्र की परियोजनाओं (गोरबी, झिंगुरदा, बीना, जयन्त, ककरी, अमलोरी, दुध्दीचुआ, खड़िया, निगाही, गोरबी बी., मरक तथा मोहेर) को सन् 1974 में सी० एम० पी० डी० आई० एल० ने विभक्त किया। इसमें झिंगुरदा सीम (162 मी०) रानीगज की और अन्य सभी बराकर श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं। इस समय 220 वर्ग कि० मी० क्षेत्र में लगभग 900 करोड़ टन कोयले का भण्डार छिपा है जो कि प्रमुखतः तापीय ऊर्जा के लिए ही उपयुक्त है।

सिंगरौली के दक्षिण में लगभग 200 कि० मी० पर मध्य प्रदेश का ही एक प्रमुख कोयला क्षेत्र 'चिरमिरी' शुरू हो जाता है जो कि वर्तमान में 'साउथ इस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड' के अन्तर्गत आता है और यहाँ का भी कोयला 'पावर हाउस' के लिए उपयोग किया जा रहा है। सिंगरौली में कोयले की तीन परतें हैं -

- (क) पुरेवा टाप (12 मीटर),
- (ख) पुरेवा बाटम (9 मीटर) और
- (ग) तुरा (20 मीटर)।

ये खानें अन्य स्थानों के विपरीत पृथ्वी की सतह से कुछ मीटर नीचे हैं जिन्हें आसानी से खुली खदान (ओपन कास्ट) विधि से ऊपरी सतह को हटाकर कोयले को खोद लिया जाता है। इस कार्य के लिए आजकल उच्च तकनीक ने 'डम्पर', 'शावेल', 'ड्रेगलाइन' आदि अनेक उत्खनन यन्त्र उपलब्ध हैं। दुध्दीचुआ परियोजना को विश्वबैंक से जयन्त, खड़िया, निगाही परियोजनाओं को भूतपूर्व सो०सघ से, अमलोरी को ब्रिटेन से सहायता मिली है। मशीनों को चलाने के लिए उच्च स्तर के तकनीकी और कुशल कारीगर 'नार्दर्न कोल फील्ड्स लि०' में लगभग सभी मिलकर 15 हजार से अधिक कार्यरत हैं। यहाँ का प्रति मजदूर 6.67 घ०मी० कोयला उत्पादन करता है जबकि कोल इण्डिया में औसतन एक घ० मी० से नीचे, मजदूर निकाल पाते हैं। इस क्षेत्र में नार्दर्न कोल फील्ड्स लि० जो कि कोल इण्डिया लि० की एक सहायक कम्पनी है और जिसका 1985 में गठन किया गया था, विगत कई वर्षों में कोयला उत्पादन से करोड़ों रूपयों का लाभ प्राप्त कर रही है।

### 2.3 सांस्कृतिक पृष्ठभूमि

सोनभद्र और मीरजापुर उत्तर प्रदेश का एक हृदय क्षेत्र है। यह जनपद अनादिकाल से वन्य - सभ्यता के कारण ललित कलाओं का केन्द्र तो रहा ही है जनजातीय संस्कृति का

भी केन्द्र रहा है ।<sup>19</sup> विन्ध्य शैल समूह तथा कैमूर क्षेत्र के मध्य में स्थित यह जनपद पर्वतों की कठोरतम चट्टानों तथा तरल लावा के शीतल होने से बनी प्राचीनतम जलज चट्टानों से बना है । इस भू - भाग को आदि मानव की क्रीड़ा - स्थली होने का श्रेय प्राप्त है । मिले प्रमाणों के अनुसार निश्चय ही इस अचल की गोद में पृथ्वी के, पहले मानव ने क्रीड़ा की होगी । उसके अस्तित्व एवं मानव विकास की लम्बी यात्रा के प्रमाण इस क्षेत्र में यत्र - तत्र बिखरे रूपों में पाये जाते हैं , जो कई अपरदन सतहों में मिलते हैं ।<sup>20</sup>

यहाँ आदिम प्रजातियाँ नदी के किनारे या पर्वतों की गुफाओं में निवास करती थी । शिकार इनकी आजीविका थी, जो नुकीले पत्थर और हड्डी के हथियार से किया जाता था । पंचमुखी के शैलाश्रित गुहाचित्र जिसके प्रमाण है । आज भी ओबरा पानी की टकी के नीचे की गुफा में लावा के गिरने से बने स्तम्भ तथा डमडम पहाड़ी की गुफा में जलज चट्टानों द्वारा बने नुकीले तेज पत्थर देखे जा सकते हैं । इन शैल चित्रों में पशु - पक्षियों के शिकार नृत्य, सगीत तथा पारम्परिक जीवन के विविध दृश्य समाहित है जिनको कुछ विदेशी इतिहासकारों ने ईसा पूर्व 400 वर्ष बताया । डॉ० हसमुख सांकलिया ने इस सभ्यता को ईसा से एक से पाँच लाख वर्ष पूर्व स्वीकार किया है । सोढ़रीगढ़ के अवशेष, पंचमुखी की खुदाई से मिले सामान, सिक्के तथा वर्तन के टुकड़े व मूर्तियाँ पाषाणकाल की सभ्यता के बारे में जानकारी देते हैं । ऐसा अनुमान है कि इस समय तक आदमी गुफा से निकल कर मकान आदि बनाने तथा श्रृंगार आदि करने लगा होगा । पशु पूजा, वृक्ष पूजा तथा मातृ पूजा आदि शुरू हो गयी होगी ।

रामायण व महाभारत काल के सांस्कृतिक चिह्न यहाँ प्राप्त हुए हैं । सुनसुमार गिरि यहीं था । कहा जाता है कि महाभारत युद्ध में जरासंध ने अनेक नरेशों को यहीं बंदी बनाकर रखा था । किन्तु प्राचीन काल में कभी आर्य यहाँ तक पहुँच पाये होंगे, ऐसा प्रतीत नहीं होता । पौराणिक कथाओं तथा यहाँ पर मिले शिवलिंग व प्रतिमाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि शैव मतावलम्बियों ने इस भू-भाग पर शासन अवश्य किया होगा और शिव मन्दिर तथा शिवलिंग की स्थापना की होगी । शिवद्वार स्थित शिव - पार्वती की सृजन प्रतिमा शायद इसी काल की है ।

तृतीय शताब्दी में कन्नित (कन्नितपुरी) नाम वंशीय वाकाटक राजवंश के राजाओं की राजधानी रही तथा नववीं शताब्दी तक उन्नत रही । ऐसा उल्लेख मिलता है कि ग्यारहवीं

से तेरहवी शताब्दी के मध्य यह क्षेत्र द्वितीय काशी के रूप में विख्यात रहा । कहीं - कहीं पर ऐसा वर्णन भी मिलता है कि पॉचवी शताब्दी में विजयगढ़ किले पर कोल राजाओं का आधिपत्य रहा और तेरहवी शताब्दी में आभीर वंश के प्रतापी राजा राज्य किया करते थे । आभीर जाति को हर्ष तथा दण्डी के समय तक मान्यता प्राप्त थी । किंवदन्ती है कि राजश्री इन्हीं वनों में शरण ली थी । अगोरी दुर्ग पर गदनशाह, विजयगढ़ पर काशी नरेश राजा चेत सिंह, सोढ़रीगढ़ पर गहड़वाल राजाओं का अन्तिम आधिपत्य था । मजरी कथा व चनवा की कथा लोरिक से सम्बन्धित है, जो इसी स्थान पर घटी घटनाएँ हैं । लोरिक पत्थर मारकुण्डी पर आज भी शौर्य एवं सुहाग के प्रतीक के रूप में विख्यात है ।

### (अ) लोकगीत, नृत्य एवं नाट्य

कृषि क्षेत्रों के विस्तार तथा औद्योगिक सभ्यता के प्रसार के फलस्वरूप आदिवासी जातियाँ विलुप्त होती जा रही हैं , किन्तु उनकी संस्कृति विद्यमान है । अध्ययन क्षेत्र की लोक संस्कृति बहुत ही प्रभावशाली है । वीर लोरिक की वीरता एवं प्रेम की कहानी को इस क्षेत्र में आज भी 'लोरिकायन' के रूप में श्रद्धा के साथ गाया और सुना जाता है । लोरिकायन में वर्णित करीब - करीब सभी स्थल सोनभद्र में ही हैं, जिसके प्रमाण यहाँ मिलते हैं । लोरिकायन को लिपिबद्ध नहीं किया गया था । फिर भी इस क्षेत्र की जनता के कंठ में आज भी 'लोरिकी' 'चनैनी' के रूप में विद्यमान है । बीसवीं शताब्दी का मध्य 'कजली' का स्वर्ण युग कहा जाता है । राबर्ट्सगंज 'कजली' के अखाड़ों के लिए प्रसिद्ध था । इस शताब्दी के प्रारम्भ में जहांगीर खलीफा ने 'कजली' की शुरुआत की थी । 1940 -41 में चकिया, 1943 - 44 में अहरौरा एवं 1942 में मिर्जापुर में कजली की प्रतियोगिता हुई । पंडित रामनिहोर ने राबर्ट्सगंज में एक अखाड़ा बनाया । इसके बाद से सोनभद्र कजली का महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया । विजयगढ़, अगोरी व कण्डाकोट दुर्ग, पंजमुखी, मुखादरी, सीतामुण्ड आदि की गुफाओं की बनावट तथा वहाँ बने विचित्र चित्र आज भी कौतुहल व तिलस्म - बोध कराते हैं, जिसका रोचक वर्णन देवकी नन्दन खत्री के लोकप्रिय उपन्यास 'चन्द्रकांता' व 'चन्द्रकाता संस्तति' में देखने को मिलता है ।

अध्ययन क्षेत्र में अनेक नृत्य होते हैं, जिनमें प्रमुख हैं - करमा, कोलदहकी, धरकहरी, अगरही, डोमकच, सैलानृत्य, गोदनही, करगही, ललहीछठ, उधवा, झूमर तथा मोखाजा । जनपद सोनभद्र की इस विशिष्ट सांस्कृतिक परम्परा के सौष्ठव और विविधता में वृद्धि करने की आवश्यकता है । इन परम्पराओं को संकलित, संग्रहित तथा सरक्षित कर भारत महोत्सव

के माध्यम से देश - विदेश में प्रचारित व प्रसारित करने की आवश्यकता है, नहीं तो वह दिन दूर नहीं जब औद्योगिक सभ्यता इसका समूल विनाश कर देगी ।

## (ब) जनसंख्या

### (1) जनसंख्या वितरण एवं घनत्व

प्रादेशिक अध्ययन के विषय - वस्तु का केन्द्र बिन्दु मानव है । मानव एक उत्पादक, सेवाओं का सृजन-कर्ता, उपभोक्ता तथा स्वयं एक साधन है । इसमें प्रकृति को प्रभावित करने एवं उससे अनुकूलन की अपार क्षमता होने के बावजूद अनेक भौतिक तथा सांस्कृतिक कारकों ने जनसंख्या वितरण को प्रभावित किया है । भौतिक कारकों में अभिगम्यता, धरातलीय स्वरूप, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, मिट्टी तथा जल की उपलब्धि आदि मुख्य कारक हैं । सांस्कृतिक कारकों में सांस्कृतिक समूहों का विस्थापन, उत्प्रवास तथा राजनैतिक कारणों द्वारा विस्थापन आदि सम्मिलित हैं । अध्ययन क्षेत्र के जनसंख्या वितरण को उपर्युक्त कारकों ने अत्यधिक प्रभावित किया है । जिन विकासखण्डों में अपेक्षाकृत अच्छी कृषि होती है (घोरावल, राबर्ट्सगंज एवं चतरा), वहाँ जन-घनत्व सबसे अधिक है तथा जिन विकासखण्डों में बड़े उद्योगों का विकास हुआ है, वहाँ भी अन्य विकासखण्डों की अपेक्षा अधिक जन-घनत्व है । नगवा व बभनी विकासखण्ड में न तो उल्लेखनीय कृषि होती है और न ही उद्योग पाए जाते हैं फलतः जन-घनत्व सबसे कम पाया जाता है । अवनत क्रम में विकासखण्डवार प्रति वर्ग कि० मी० जन-घनत्व इस प्रकार है - राबर्ट्सगंज (312), चतरा (265), घोरावल (191), म्योरपुर (144), दुहड़ी (137), चोपन (97), बभनी (94) तथा नगवा (60) (तालिका 2.6) ।

### तालिका 2.5

#### जनसंख्या वितरण 1991

विकासखण्ड	कुल जनसंख्या	पुरुष	स्त्री	गत दशक से वृद्धि प्रतिशत
1	2	3	4	5
1. घोरावल	155963	82359	73604	35.77
2. राबर्ट्सगंज	137889	72784	65105	26.60
3. चतरा	67441	35404	32037	27.71
4. नगवा	54518	28637	25881	29.21



1	2	3	4	5
5 चोपन	166693	88609	78084	26.43
6. म्योरपुर	192719	105623	87096	77.63
7 दुद्धी	96533	50826	45707	34.28
8. बभनी	57618	30102	27516	26.06
<b>वन ग्राम</b>	<b>1584</b>	<b>855</b>	<b>729</b>	<b>-</b>
<b>गाभीण योग</b>	<b>930958 (86.6%)</b>	<b>495199</b>	<b>435759</b>	<b>36.25</b>
<b>नगरीय योग</b>	<b>144083 (13.4%)</b>	<b>82204</b>	<b>61879</b>	<b>-</b>
<b>जनपद योग</b>	<b>1075041</b>	<b>577403</b>	<b>497638</b>	<b>38.75</b>

स्त्रोत - सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद सोनभद्र, 1992, पृष्ठ 28 एवं संगणित ।

यद्यपि अध्ययन क्षेत्र में प्रति दशब्दी जन-घनत्व में वृद्धि हो रही किन्तु उत्तर प्रदेश व भारत की तुलना में जन-घनत्व अभी भी बहुत कम है (तालिका -2 6)। 1951 में अध्ययन क्षेत्र का प्रति वर्ग कि० मी० जन - घनत्व 49 था। 1961, 1971, 1981 तथा 1991 में क्रमशः 63, 83, 114 तथा 158 हो गया । 1991 में उत्तर प्रदेश का जन घनत्व 471 तथा भारत का 267 व्यक्ति प्रति वर्ग कि० मी० था ।




तालिका 2.5 से स्पष्ट है कि विकास खण्ड चोपन में जनसंख्या, क्षेत्रफल की तुलना में (लगभग 25%) कम (लगभग 18%) है । कृषि प्रधान विकासखण्ड घोरावल, राबर्ट्सगंज तथा चतरा में 'क्षेत्रफल प्रतिशत' की तुलना में 'जनसंख्या प्रतिशत' अधिक है । उद्योग प्रधान विकासखण्ड म्योरपुर व दुद्धी के क्षेत्रफल व जनसंख्या प्रतिशत के अनुपात में बहुत अधिक समानता है, जबकि उद्योग विहीन एवं अल्प कृषि क्षेत्र युक्त विकासखण्ड नगवां व बभनी में क्षेत्रफल की तुलना में

तालिका 2.6

जनसंख्या घनत्व

वर्ष । विकास खण्ड	घनत्व प्रति वर्ग किमी०
1951	49
1961	63
1971	83
1981	114
1991	158
<b>विकास खण्ड 1991</b>	
1. घोरावल	191
2. राबर्ट्सगंज	312
3. चतरा	265
4. नगवा	60
5. चोपन	97
6. म्योरपुर	144
7. दुब्धी	137
8. बभनी	94
ग्रामीण	137
नगरीय	7035
<b>सम्पूर्ण जनपद</b>	<b>158</b>
उत्तर प्रदेश	471
भारत	267

# DISTRICT SONBHADRA DENSITY OF POPULATION



PERSONS / KM<sup>2</sup>





-  300-400
-  200-300
-  100-200
-  < 100

FIG 2 10

# DEVELOPMENT BLOCKWISE POPULATION OF DISTRICT SONBHADRA : 1991




Fig 2J1

जनसंख्या बहुत ही कम है (तालिका 2.1 व 2.5)। इससे स्पष्ट है कि कृषि तथा उद्योग जनसंख्या वितरण को प्रभावित किए हैं। उल्लेखनीय है कि उद्योग प्रधान विकास खण्ड म्योरपुर में जनसंख्या वृद्धि गत कुछ वर्षों में ही हुआ है। 1981-91 में म्योरपुर में 77.63% जनसंख्या वृद्धि हुई, जिसका प्रत्यक्ष कारण उद्योग एव खनन है।

अध्ययन क्षेत्र की 1951 में जनसंख्या 331170 थी जो 1991 में बढ़कर 1075041 हो गयी। प्रतिदशक जनसंख्या वृद्धि 1961, 1971, 1981, व 1991 में क्रमशः 30.40, 30.59, 37.39 तथा 38.75% हुई (तालिका - 2.7)। अध्ययन प्रदेश में कुल 8 नगरीय क्षेत्र (घोरावल, राबर्ट्सगंज, चुरक - गुरमा, ओबरा, पिपरी, रेजूकूट, चोपन व दुखी) हैं, जिनसे 13.4% लोग रहते हैं। 86.6% जनसंख्या ग्रामीण है (तालिका - 2.5)।

### तालिका 2.7

#### जनसंख्या वृद्धि

वर्ष	जनसंख्या	गत दशक से वृद्धि	गत दशक से वृद्धि प्रतिशत में
1951	331170		
1961	431841	100671	30.40
1971	563954	132113	30.59
1981	774804	210850	37.39
1991	1075041	300237	38.75

#### (2.) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति

अध्ययन क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की बहुलता है। सरकारी आकड़ों में 1981 तक एक भी अनुसूचित जनजाति नहीं थी। ऐसा लगता है उन्हें अनुसूचित जाति में सम्मिलित कर लिया गया था। किन्तु 1991 में 139 अनुसूचित जनजाति के लोगों की पहचान की गयी है। इसमें 94 पुरुष तथा 45 महिलाएं हैं।<sup>21</sup> अध्ययन क्षेत्र में कुल 456872 लोग अनुसूचित जाति

के हैं जो कुल जनसंख्या के 42.5% हैं। 96.24% अनुसूचित जाति के लोग ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 3.76% नगरीय क्षेत्रों में रहते हैं। अवनतक्रम में इनकी जनसंख्या प्रत्येक विकास खण्ड में इस प्रकार है - चोपन - 21.18%, म्योरपुर - 18.14%, घोरावल - 15%, दुहड़ी - 12.13%, राबर्टसगंज - 9.52%, बभनी - 8.24%, नगवा - 6.39% तथा चतरा 5.39% (तालिका 2.8)। विकास खण्ड चोपन, म्योरपुर, घोरावल व दुहड़ी में सम्मिलित रूप से लगभग 65% अनुसूचित जातियाँ रहती हैं। भारत में अनुसूचित जाति के 15.8% तथा उत्तर प्रदेश में 23.3% लोग हैं। अतः तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन प्रदेश में इनकी संख्या अधिक है।

### तालिका 2.8

#### अनुसूचित जाति की जनसंख्या 1991

क्रम सं०	विकासखण्ड	कुल जनसंख्या	प्रतिशत
1	घोरावल	68570	15.00
2.	राबर्टसगंज	43513	9.52
3	चतरा	24619	5.39
4.	नगवा	29179	6.39
5	चोपन	96766	21.18
6.	म्योरपुर	82891	18.14
7	दुहड़ी	55403	12.13
8.	बभनी	37638	8.24
	वन ग्राम	1109	0.24
	ग्रामीण	439688	96.24
	नगरीय योग	17184	3.74
	<b>सम्पूर्ण जनपद</b>	<b>456872</b>	<b>100.00</b>

स्रोत : सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद सोनभद्र 1992, पृष्ठ 30 एवं पृष्ठ 31 से संगणित।

## DEVELOPMENT BLOCKWISE SCHEDULED CASTES POPULATION OF DISTRICT SONBHADRA : 1991




Fig 2. 12




Fig 2.12

## (3.) साक्षरता

अध्ययन क्षेत्र में 1971 में 20.60%, 1981 में 27.50% तथा 1991 में 34.40% लोग साक्षर थे। 1991 में पुरुषों की साक्षरता 47.56% तथा स्त्रियों की 18.56% थी। भारत में 52.11% लोग साक्षर हैं जिनमें पुरुषों व स्त्रियों की साक्षरता प्रतिशत क्रमशः 63.86 तथा 39.42 है। भारत की तुलना में अध्ययन प्रदेश में बहुत कम लोग साक्षर हैं। विकास खण्ड म्योरपुर, चतरा, राबर्ट्सगंज, घोरावल, दुहड़ी, चोपन, बभनी व नगवा में साक्षरता प्रतिशत क्रमशः 41.29, 31.04, 30.32, 25.42, 22.94, 20.73, 19.28 व 18.27 है। सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में 27.92% लोग साक्षर हैं, जबकि नगरीय क्षेत्र में 74.08% लोग साक्षर हैं (तालिका 2.9)।

तालिका 2.9

जनपद सोनभद्र में साक्षरता प्रतिशत

वर्ष/विकासखण्ड/ जनपद	कुल	पुरुष	स्त्री
1	2	3	4
1971	20.60	29.10	10.90
1981	27.50	38.00	15.10
1991	34.40	47.56	18.56
<b>विकासखण्ड 1991</b>			
घोरावल	25.42	38.69	10.28
राबर्ट्सगंज	30.32	45.40	13.09
चतरा	31.04	47.91	12.08
नगवा	18.27	29.55	5.56
चोपन	20.73	31.47	8.07
म्योरपुर	41.29	54.07	25.01
दुहड़ी	22.94	36.05	8.02
बभनी	19.28	31.66	5.42



1	2	3	4
वनग्राम	29.34	46.04	9.68
ग्रामीण योग	27.92	41.12	12.49
नगरीय योग	74.08	84.08	60.20
<b>सम्पूर्ण जनपद</b>	<b>34.40</b>	<b>47.56</b>	<b>18.56</b>

स्रोत : सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद सोनभद्र, 1992, पृष्ठ - 41 ।

#### (4.) व्यावसायिक संरचना

तालिका 2.10 को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि 43.21% लोग कृषक है, तथा 26.90% लोग कृषि मजदूर है। सम्पूर्ण कृषि कृषि से सम्बन्धित कार्यों में लगे लोगों की संख्या कुल कर्मकरों की 70.87% है। निर्माण कार्य में 1.27%, यातायात एवं संचार में 1.12% तथा खनन कार्यों में 0.98% जनसंख्या लगी है। उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि कुछ बड़े उद्योगों की आवश्यकता के बावजूद अध्ययन क्षेत्र कृषि प्रधान है ।

जनपद के कुल कार्यशील जनसंख्या को 11 व्यवसाय वर्ग में विभक्त किया गया है। प्रत्येक कार्य में लगे लोगों की संख्या व प्रतिशत तालिका - 2 10 में प्रदर्शित है ।

#### (स) बस्तियों का प्रतिरूप

बस्तियों का प्रतिरूप कोई आकस्मिक कारणों अथवा घटना का परिणाम नहीं होता। उसका सीधा सम्बन्ध जिस स्थान पर बस्ती की उत्पत्ति हुई है उससे तथा उसकी नाभि के विन्यास से होता है। हैमेट (1979) के अनुसार धरातल पर बस्तियों मानव व्यवसाय की अभिव्यक्ति है तथा सांस्कृतिक भू-दृश्य के रूप में विकसित मानव की

## तालिका - 2.10

## जनसंख्या का व्यावसायिक संरचना - 1991

क्रमसंख्या	व्यवसाय	कुल संख्या	कुल संख्या का प्रतिशत
1	2	3	4
1.	कृषक	194849	43 21
2.	कृषक मजदूर	121310	26 90
3.	पशुपालन, जंगल लगाना व वृक्षारोपण	3423	0 76
4.	खान खोदना	4425	0 98
5.	पारिवारिक उद्योग	5213	1 16
6.	गैर पारिवारिक उद्योग	23918	5 30
7.	निर्माण कार्य	5741	1 27
8.	व्यवसाय एवं वाणिज्य	13009	2 89
9.	यातायात एवं संचार	5072	1.12
10.	अन्य कर्मकर	33776	7.49
11.	कुल मुख्यकर्मकर	410636	91.07
12.	सीमान्त कर्मकर	40265	8.93
13.	कुल कर्मकर	450901	100.00

स्रोत : सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद सोनभद्र, 1992, पृष्ठ - 32, 33, 34 एवं इसके आधार पर संगणित ।


प्रथम रचनायें हैं, प्रत्येक बस्ती की अपनी मौलिक विशेषता होती है। कुछ सामान्य विशेषताओं यथा आकार, अन्तरालन, बसाव प्रतिरूप तथा गहनता आदि के परिप्रेक्ष्य में बस्तियों का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। आकारकीय एवं कार्यात्मकता के

तालिका - 2.11  
जनसंख्या के अनुसार गाँवों का वर्गीकरण  
जनसंख्या का आकार

क्रम सं०	विकासखण्ड	200 से कम	200-499	500-999	1000-1999	2000-4999	5000 से अधिक	योग
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	घोरावल	121	119	80	31	3	-	354
2.	राबर्ट्सगंज	122	135	60	18	5	-	340
3	चतरा	87	61	26	13	3	-	190
4.	नानवां	53	53	28	8	1	-	143
5	चोपन	14	17	20	17	19	6	93
6.	म्योरपुर	14	33	28	30	11	8	124
7.	दुखी	16	29	21	24	12	-	102
8.	बभनी	7	24	18	22	-	1	72
	वनग्राम	6	1	-	1	-	-	8
	ग्रामीण योग	440	472	281	164	54	15	1426
	जनपद योग	440	472	281	164	54	15	1426
		(30.86%)	(33.10%)	(19.71%)	(11.50%)	(3.76%)	(1.05%)	(100%)

स्रोत : सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद सोनभद्र, 1992, पृष्ठ - 42

# DISTRICT SONBHADRA DISTRIBUTION OF SETTLEMENTS



DISTRIBUTION  
OF SETTLEMENTS  
OF SONBHADRA




FIG 2.13

आधार पर बस्तियों को ग्रामीण एवं नगरीय दो वर्गों में विभक्त किया जाता है ।

जनपद सोनभद्र में 8 नगरीय बस्तियों तथा 1346 ग्रामीण बस्तियाँ हैं। यद्यपि सम्पूर्ण ग्रामों की संख्या 1426 है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 86.6% तथा नगरीय क्षेत्रों में 13.4% जनसंख्या निवास करती है। सम्पूर्ण अध्ययन प्रदेश में 200 से कम जनसंख्या वाले गावों की संख्या 440, (30.86%) 200 से 499 जनसंख्या वाले गावों की संख्या 472 (33.10%), 500 से 999 जनसंख्या वाले गावों की संख्या 281 (19.71%), 1000 से 1999 जनसंख्या वाले गावों की संख्या 164 (11.50%), 200 से 4999 जनसंख्या वाले गावों की संख्या 54 (3.29%) तथा 5000 से अधिक जनसंख्या वाले गावों की संख्या 15 (1.05%) है (तालिका 2.11) ।

अध्ययन क्षेत्र में बड़ी बस्तियों की अवस्थिति दूर-दूर है। बस्तियों की जनसंख्या के अनुसार आकार में कमी के साथ-साथ उनके बीच की दूरी में कमी पायी जाती है। सामान्यतया बस्तियों का आकार परिवहन मार्गों के अभिगम्यता से प्रभावित होती है। बस्तियों का स्वरूप कृषि प्रधान क्षेत्रों में संहत है किन्तु अधिकांश बस्तियाँ विकीर्ण हैं। बस्तियों का अवस्थापनात्मक वितरण बस्तियों की सघनता और अन्तरालन के द्वारा समझा जा सकता है। बस्तियों की सघनता से तात्पर्य प्रति 100 वर्ग किमी<sup>0</sup> क्षेत्र में बस्तियों की संख्या से है। जनपद में बस्तियों की सघनता 21 बस्ती प्रति 100 वर्ग किमी<sup>0</sup> है, जो काफी न्यून है। जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में इसका क्षेत्रीय वितरण और अधिक असमान है। प्रति 100 वर्ग किमी<sup>0</sup> में सबसे अधिक बस्तियाँ कृषि प्रधान विकास खण्डों राबर्ट्सगंज, चतरा तथा घोरावल में क्रमशः 77, 75 तथा 43 हैं। शेष विकास खण्डों नगवां, दुब्डी, बभनी, म्योरपुर तथा चोपन में क्रमशः 16, 14, 12, 9 तथा 5 हैं। विकास खण्ड चोपन में प्रति 100 वर्ग किमी<sup>0</sup> बस्तियों की संख्या 5 अत्यधिक कम है।

बस्तियों की सघनता तथा अन्तरालन में विलोम सम्बन्ध है। सघनता कम होने पर अन्तरालन बढ़ता है। तथा सघनता बढ़ने पर अन्तरालन कम होने लगता है, उपर्युक्त तथ्य तालिका - 2.12 से स्पष्ट है। बस्तियों के अन्तरालन की गणना माथेर (1944) द्वारा प्रयुक्त सूत्र द्वारा की गयी है, जो निम्नलिखित है -

$$\text{अन्तरालन} = 1.0746 \sqrt{\frac{\text{क्षेत्रफल}}{\text{बस्तियों की संख्या}}}$$

तालिका 2.12

## गाँवों की सघनता और अन्तरालन

क्रम सं०	विकासखण्ड	सघनता प्रति 100 वर्ग किमी०	अन्तरालन किमी० में
1.	घोरावल	43	1.63
2	राबर्ट्सगंज	77	1.23
3	चतरा	75	1.25
4	नगवां	16	2.72
5	चोपन	5	4.61
6	म्योरपुर	9	3.54
7	दुद्धी	14	2.83
8	बभनी	12	3.12
<b>जनपद योग:</b>		<b>21</b>	

अध्ययन प्रदेश के बस्तियों की सघनता और अन्तरालन के विश्लेषणोपरान्त कहा जा सकता है कि बस्तियों का वितरण प्रतिरूप असमान है। बस्तियों का असमान वितरण प्रतिरूप भ्वाकृतिक विशेषताओं तथा कृषि से प्रभावित है। भौतिक तथ्यों का बस्तियों के वितरण प्रतिरूप पर सबसे अधिक प्रभाव है। अध्ययन क्षेत्र की अधिकांश बस्तियां मिट्टी, लकड़ी व घास-फूस से निर्मित हैं।

जनपद में नगरीय बस्तियों की संख्या बहुत कम है। कुल 8 नगरीय क्षेत्र (घोरावल, राबर्ट्सगंज, चुरक-गुरमा, ओबरा, चोपन, दुद्धी, रेनूकूट तथा पिपरी) है। नगरीय

जनसंख्या 13.4% है। अध्ययन क्षेत्र के अनेक औद्योगिक केन्द्रों जैसे - रिहन्द नगर, शक्तिनगर, अनपरा, रेणुसागर, डाला आदि को नगरीय क्षेत्र की मान्यता शीघ्र मिलने की सम्भावना है। अध्ययन क्षेत्र में नगरीकरण बहुत धीमी गति से हो रहा है। यहाँ ग्रामीण बस्तियों व ग्रामीण संस्कृति का ही बाहुल्य है।

किसी भी क्षेत्र के भौगोलिक पृष्ठभूमि के वर्णन में कृषि, उद्योग तथा परिवहन एवं संचार का महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्रस्तुत शोध अध्ययन के अध्याय - 4 में कृषि, अध्याय - 5 में उद्योग तथा अध्याय - 6 में परिवहन एवं संचार का विस्तृत वर्णन एवं विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। इसलिए तथ्यों के पुनरावृत्ति न होने देने की दृष्टि से इस अध्याय में उपर्युक्त तथ्यों को वर्णित नहीं किया गया है।

### सन्दर्भ

1. केशरी, अर्जुनदास 'सोनभद्र एक नयी संस्कृति को जन्म देगा', स्वतन्त्र भारत, लखनऊ, 6 मार्च 1989.
2. *Gazetteer of India, Uttar Pradesh, District Mirzapur, 1988, p.1*
3. वही, मानचित्र संख्या 2.1 से संगणित
4. एकीकृत जिला योजना, जनपद सोनभद्र, 1992-93, पृष्ठ 5.
5. सिंह, सविन्द्र: 'भू आकृति विज्ञान', बसुन्धरा प्रकाशन, दाउदपुर, गोरखपुर, 1982, पृष्ठ 652-53.
6. वही, पृष्ठ 652
7. वही, पृष्ठ 654.
8. वही पृष्ठ - 652.
9. पूर्वोक्त संदर्भ संख्या 2, पृष्ठ 16.
10. ओबरा वन - प्रभाग, उत्तर प्रदेश की प्रबन्ध योजना 1992-93, 2001-2, कार्य योजना कृत प्रथम.
11. सिंह, जगदीश, राव, बच्चा प्रसाद व सिंह, रामबली तीन दक्षिणी महाद्वीप (तुलनात्मक प्रादेशिक अध्ययन), तारा पब्लिकेशन, वाराणसी, 1980, पृष्ठ 59.

12. कुरैशी, एम0एच0 'भारत, ससाधन और आर्थिक विकास' राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, 1990, पृष्ठ 11
13. कुरैशी, एम0एच0 'भूगोल के सिद्धान्त', भाग 11, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, 1989, पृष्ठ 6.
14. रजा, मुनीम व एजाज, अहमद, : भारत का सामान्य भूगोल, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली, 1978, पृष्ठ 74.
15. चेतन, सुदर्शन कुमार 'हमारे वन' , प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, 1981, पृष्ठ 1.
16. पूर्वोक्त सदर्थ संख्या 10, पृष्ठ 37 .
17. नवभारत टाइम्स, लखनऊ, 4 मार्च 1992, पृष्ठ - 4.
18. एन0सी0एल0 की गृहपालिका, 'बसुन्धरा, 1992, पृष्ठ 11-12.
19. केशरी, अर्जुनदास संस्कार भारती, ओबरा (शोणभद्र) की स्मारिका, 4 अप्रैल 1992, पृष्ठ - 31.
20. सोनभद्र, इतिहास और सस्कृति, संस्कार भारती, ओबरा (सोणभद्र) की स्मारिका, अप्रैल 1992, पृष्ठ 27
21. सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद सोनभद्र, 1992, पृष्ठ 31

XXXXXXXXXXXXX '



बस्तियों का स्थानिक - कार्यात्मक संगठन एवं नियोजन

प्रत्येक क्षेत्र का अपना एक विशिष्ट व्यक्तित्व होता है जिसका निर्माण न केवल वहाँ प्राप्त संसाधनों द्वारा अपितु वहाँ निवास करने वाले लोगों के द्वारा भी होता है ।<sup>1</sup> संसाधनों तथा आर्थिक क्रियाओं के असमानता के कारण ही किसी विशिष्ट क्षेत्र में विभिन्न स्तरीय सेवा केन्द्रों का अभ्युदय तथा विकास होता है । इन सेवा केन्द्रों का अधिवास प्रतिरूपों से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है । अन्य देशों की भाँति भारत में भी विभिन्न भौगोलिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में सुसंहत एवं व्यासृत दोनों ही प्रकार के अधिवास प्रतिरूपों का विकास हुआ है । इन दो प्रतिरूपों के अतिरिक्त दोनों के मध्य अनेक प्रतिरूपों जैसे विसरित पत्तियों आदि का भी विकास स्थान विशेष की विशिष्ट सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के परिणामस्वरूप मिलता है ।<sup>2</sup> कृषि आधारित बड़े पैमाने पर संहत बस्तियाँ भारतीय बस्ती प्रतिरूप की मुख्य विशेषता है ।<sup>3</sup> अध्ययन क्षेत्र में अधिकांशतः व्यासृत बस्तियाँ पायी जाती हैं । अहमद<sup>4</sup> ने उत्तरी सोनभद्र में विसरित प्रकार का अधिवास तथा दक्षिणी सोनभद्र में व्यासृत अधिवास का प्रतिरूप बताया है । व्यासृत बस्तियाँ ऐसे बस्तियों के प्रतिरूप हैं जिनमें आवासगृह परस्पर दूरी पर स्थित होते हैं और सम्पूर्ण बस्ती बिखरी एवं फैली हुई होती है । उत्तरी सोनभद्र के विकासखण्ड घोरावल, राबर्ट्सगंज एवं चतरा के बेलन घाटी कृषि क्षेत्र में नाभिक बस्तियाँ पायी जाती हैं । ये ऐसे बस्तियों के प्रतिरूप हैं जिसमें आवासगृह सुसंहत होते हैं । माइत्सेन<sup>5</sup> ने सुसंहत ग्रामीण अधिवास को सामुदायिक कृषि व्यवस्था से और व्यासृत आवासगृहों को व्यक्तिगत कृषि व्यवस्था से सम्बन्धित बताया है ।

नगरों का विकास गाँवों से होता है और नगरवासी निरन्तर ग्रामवासियों के परिश्रम पर ही पनपते हैं ।<sup>6</sup> सामाजिक - आर्थिक अघःसंरचना की दृष्टि से ये ग्रामीण बस्तियाँ नगरी बस्तियों की अपेक्षा पर्याप्त रूप से पिछड़ी हैं । इनके पिछड़ेपन के कारण ही बड़े पैमाने पर कार्यशील जनसंख्या का स्थानान्तरण गाँवों से नगरों की ओर हो रहा है, जो भारतीय जनसंख्या की प्रमुख समस्या है । गाँवों से नगरोन्मुखी स्थानान्तरण की समस्या का समाधान, ग्रामीण बस्तियों की सामाजिक - आर्थिक अघःसंरचना के विकास में निहित है ।<sup>7</sup> इस समस्या का समाधान क्षेत्र के विकास द्वारा ही सम्भव है और उस क्षेत्र का विकास ऐसे अनेक बस्तियों के माध्यम से किया जा सकता है जहाँ लगभग सभी आधारभूत सामाजिक-

आर्थिक सुविधाओं का केन्द्रीकरण हो । यदि ये बस्तियाँ आवागमन एवं संचार माध्यमों से आपस में सुसम्बद्ध हो जाय तो विकास की गति और तेज हो सकती है । प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र 'पिछड़ी अर्थव्यवस्था' का प्रतिरूप है । अध्ययन क्षेत्र में आधारभूत बस्तियों को पहचानने का प्रयास किया गया है जो संख्या में अल्प हैं । साथ ही सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र के संतुलित विकास के लिए, विकेन्द्रीकरण के माध्यम से, ऐसे नवीन केन्द्रों का चयन तथा विकास केन्द्रों के रूप में संवर्धन के लिए नियोजन प्रस्तुत किया गया है ।

### 3.1 विकास - केन्द्र की संकल्पना

जिन बस्तियों में किसी भी मात्रा या गुण के सामाजिक एवं आर्थिक क्रियाओं का संकेन्द्रण हो जाता है, विकास - केन्द्र के रूप में अभिहित किया जाता है । विकास-केन्द्रों को अनेक नामों से जाना जाता है जैसे - सेवा केन्द्र, विकास - ध्रुव, केन्द्र-स्थल व विकास बिन्दु आदि । कार्यों की तीव्रता के आधार पर विकास केन्द्रों को तीन वर्गों - (1) विकास ध्रुव, (2) विकास केन्द्र, और (3) विकास बिन्दु, में रखा गया है । प्रो० आर० पी० मिश्र<sup>8</sup> (1975) ने विभिन्न प्रकार के कार्यों की संरचना के आधार विकास केन्द्रों को निम्न 6 वर्गों में विभक्त किया है -

1. विकास ध्रुव
2. विकास केन्द्र
3. विकास बिन्दु
4. सेवा केन्द्र
5. बाजार केन्द्र
6. गाँव केन्द्र

प्रस्तुत अध्ययन में इन सभी प्रकार के विकास जनक केन्द्रों को विकास केन्द्र कहा गया है कुछ बस्तियों की विशिष्ट स्थिति एवं कार्यों के केन्द्रीकरण के परिणामस्वरूप विकास केन्द्रों के रूप में अभिनिर्धारण हो जाता है । ऐसी बस्तियाँ ही सम्बन्धित कार्यों द्वारा अपने समीपवर्ती क्षेत्रों को सेवा प्रदान करती हैं, जिससे उन्हें सेवा केन्द्र के रूप में अभिहित

किया जाता है ।<sup>9</sup> इस प्रकार की बस्तियों की पहचान सर्वप्रथम मार्क जेफरसन<sup>10</sup> ने केन्द्र स्थल (सेन्ट्रल प्लेस) के रूप में किया था । इसी आधार पर क्रिस्टालर<sup>11</sup> ने 'केन्द्र स्थल सिद्धान्त' का प्रतिपादन किया । सेवा केन्द्रों का आधार छोटे गाँव से लेकर वृहद् नगरों तक होता है । ये केन्द्र विकास तथा नवाचार के जनक होते हैं । इन सेवा केन्द्रों के आधार पर पेराउक्स<sup>12</sup> महोदय ने, जो एक अर्थशास्त्री थे, विकास ध्रुव सिद्धान्त का प्रतिपादन किया । बोडेविले<sup>13</sup> ने इस सिद्धान्त को भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में नया आयाम दिया ।

### 3.2 विकास केन्द्र एवं केन्द्रीय कार्य

कोई भी विकास केन्द्र चाहे जिस आकार प्रकार का हो वह सामाजिक - आर्थिक कार्यों का संग्रह केन्द्र होता है तथा समीपवर्ती क्षेत्र की सेवा करता है । बड़े विकास केन्द्रों में विकास कार्यों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक होती है । किसी भी विकास केन्द्र की स्थापना एवं स्थायित्व उन सामाजिक - आर्थिक कार्यों पर निर्भर करता है, जिसके द्वारा समीपवर्ती क्षेत्र की सेवा प्रदान करता है । अतः ये केन्द्र परिधीय क्षेत्र से इष्टतम रूप में जुड़े होते हैं । इन केन्द्रों के सेवाओं का लाभ प्रत्येक जन तक पहुँचे, इसके लिए सम्पूर्ण क्षेत्र में विभिन्न स्तर के सेवा केन्द्रों का जाल होना चाहिए । वास्तव में ये केन्द्र सामाजिक - आर्थिक कार्यों के क्रीड़ा स्थल के रूप में होते हैं । इन सेवा केन्द्रों का स्वरूप स्थानीय इकाई के समान होता है, जिनके द्वारा अधिकांश सुविधाएँ एवं सेवाएँ प्रमुखतः निश्चित क्षेत्र के लोगों को दिए जाते हैं ।

सेवा केन्द्रों या केन्द्र स्थलों पर अनेक कार्यों का सकेन्द्रण होता है किन्तु इनमें से कुछ कार्य केन्द्र स्थल की जनसंख्या के लिए तथा कुछ कार्य समीपवर्ती क्षेत्र (सेवित क्षेत्र) की जनसंख्या के लिए होते हैं । स्वयं केन्द्र स्थल की जनसंख्या को सेवा प्रदान करने वाले कार्यों को सामान्य कार्य (नान बेसिक फंक्शन) तथा समीपवर्ती क्षेत्रों को सेवा प्रदान करने वाले कार्यों को आधारभूत कार्य (बेसिक फंक्शन) कहा जाता है, जिस पर ही उनकी अवस्थिति होती है । सामान्यतः सामान्य कार्य सभी बस्तियों द्वारा किये जाते हैं किन्तु आधारभूत कार्य कुछ विशिष्ट बस्तियों द्वारा ही सम्पादित होते हैं । क्रिस्टालर<sup>14</sup> ने इन

आधारभूत कार्यो को केन्द्रीयकार्य (सेन्ट्रल फक्सन) कहा है । भट्ट 15 ने तकनीकी, आर्थिक एवं सस्थागत कारणों से असर्वगत (नान यूबीक्यूट्स) तथा कुछ निश्चित क्षेत्रों की सेवा के लिए निश्चित स्थानों पर अवस्थित सेवाओं को 'केन्द्रीय कार्य' के रूप में माना है । राजकुमार पाठक 16 के अनुसार जिन कार्यो से लोगो का स्थानान्तरण संभव होता है उसे 'केन्द्रीय कार्य' कहते है। यह स्थानान्तरण दैनिक, मासिक, वार्षिक, स्थायी, अस्थायी आदि अनेक रूपों में हो सकता है। किन्तु किसी भी कार्य का केन्द्रीय कार्य होना इस बात पर निर्भर है कि उसका उस क्षेत्र में क्या महत्व है ? किसी विकास केन्द्र के केन्द्रीय कार्यो का महत्व, स्वयं उस केन्द्र एवं सम्बन्धित क्षेत्र के विकास में योगदान से है । सम्बन्धित केन्द्र एवं क्षेत्र का विकास केन्द्रीय कार्यो का प्रतिफल होता है । इन विकास केन्द्रों का विकास, परिधीय क्षेत्रों के योगदान का भी परिणाम है । वास्तव में केन्द्रीय कार्यो का सम्बन्ध सम्बन्धित विकास केन्द्र एवं क्षेत्र का विकास करने से है । अतः ऐसे कार्यो को 'केन्द्रीय विकास कार्य' (सेन्ट्रल ग्रोथ फक्सन) कहना अधिक उपयुक्त है । प्रस्तुत अध्ययन में प्रशासनिक, कृषि एवं पशुपालन, शिक्षा एवं मनोरंजन, परिवहन एवं संचार, चिकित्सा, वित्तीय तथा व्यापार एवं वाणिज्य से सम्बन्धित 35 कार्यो को केन्द्रीय विकास कार्य के रूप में प्रयुक्त किया गया है । सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र में व्याप्त इन कार्यो को प्रवेशी जनसंख्या (इन्ट्री प्वाइट पापुलेशन), संतृप्त जनसंख्या (सेचुरेशन प्वाइट पापुलेशन) और कार्याधार जनसंख्या (थ्रीशोल्ड पापुलेशन) के साथ प्रस्तुत किया गया है ।

### तालिका 3.1

#### केन्द्रीय विकास कार्य

कार्य	अध्ययन क्षेत्र में कुल संख्या	प्रवेशी जनसंख्या	संपृक्त जनसंख्या	कार्याधार जनसंख्या
1	2	3	4	5

#### (क) प्रशासनिक कार्य

1	जिला मुख्यालय	1	20669	20669	20669
2	तहसील मुख्यालय	2	8960	20669	14815.5
3.	विकासखण्ड केन्द्र	8	1078	20669	10873.5
4.	न्याय पंचायत केन्द्र	66	438	11413	5925.5
5.	थाना	12	334	43325	21839.5
6.	पुलिस चौकी	7	996	35247	18121.5

	1	2	3	4	5
<b>(ख) कृषि एवं पशुपालन</b>					
7. शीत भण्डार	1		20669	20669	20669
8. बीज, कीटनाशक एवं उर्वरक केन्द्र	78		264	1544	904
9. पशु अस्पताल	16		667	43345	22006
10. पशु सेवा केन्द्र	20		362	1863	1112.5
<b>(ग) शिक्षा एवं मनोरंजन</b>					
11. महाविद्यालय	2		8960	43345	26152.5
12. हायर सेकेन्ड्री वि०	30		508	6250	3379
13. सीनियर बेसिक वि०	96		317	6263	3275
14. जूनियर बेसिक वि०	715		122	658	390
15. छविगृह	5		9837	35247	22542
<b>(घ) परिवहन एवं संचार</b>					
16. रेलवे स्टेशन हॉल्ट सहित	26		539	12190	6364.5
17. बस स्टेशन	18		810	8901	4855.5
18. बस स्टाप	42		240	4381	2310.5
19. फेरी घाट	10		310	33383	16846.5
20. डाकघर	136		160	1851	1005.5
21. दूरभाष एवं तारघर	16		2250	6350	4300
<b>(ड) चिकित्सा</b>					
22. अस्पताल	5		8960	43345	26152.5
23. प्रा० स्वा० केन्द्र	29		456	6260	3353
24. आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय	17		448	35247	1883.5
25. होम्योपैथिक चिकित्सालय	20		320	43345	21832.5

1	2	3	4	5	
26	मातृ एव शिशु कल्याण केन्द्र एवं उपकेन्द्र	118	110	815	462.5
27.	पंजीकृत व्यक्ति-गत क्लिनिक	106	285	6250	3267.5
28	पजीकृत औषधालय	36	860	6250	3555
<b>(च) वित्तीय कार्य</b>					
29.	राष्ट्रीय बैंक	50	250	6250	3250
30	भूमि विकास बैंक	2	8960	20669	14815.5
31	जिला सहकारी बैंक	10	1300	35247	18273.5
32.	सयुक्त ग्रामीण बैंक	10	1248	35247	18247.5
<b>(छ) व्यापार एवं वाणिज्य</b>					
33.	फुटकर बाजार	46	48	863	455.5
34	थोक बाजार	8	2250	20669	13280
35.	साप्ताहिक बाजार	36	242	24310	12276

### 3.3 केन्द्रीय कार्यों का पदानुक्रम

जो कार्य जितना अधिक महत्वपूर्ण होता है उसका स्तर भी उतना ही ऊँचा होता है। कार्यों के महत्व से केन्द्र की केन्द्रीयता प्रभावित होती है। अतः किसी निश्चित स्तर के कार्यों से युक्त केन्द्र का महत्व और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, जब वह केन्द्र अधिक जनसंख्या की सेवा करता है। परन्तु उतनी ही मात्रा में उससे उच्च स्तर के कार्यों को सम्पादित करने वाले केन्द्र का महत्व अपेक्षाकृत अधिक होता है, क्योंकि वह और अधिक जनसंख्या की सेवा करता है। इसलिए केन्द्रीय कार्यों का पदानुक्रम निर्धारण, नितान्त आवश्यक

है । प्रत्येक केन्द्रीय कार्यों के निर्धारण में उनका तुलनात्मक महत्व निर्धारित होता है । 'कार्यों की प्रवेशी जनसंख्या' के आधार पर मिरयालगुडा तालुका के अध्ययन में, एल0 के0 सेन <sup>17</sup> ने कार्यों का पदानुक्रम निर्धारित किया है । किन्तु ऐतिहासिक और राजनीतिक कारणों से प्रवेशी जनसंख्या प्रभावित होती रहती है जो कार्यों के पदानुक्रम के निर्धारण में सर्वथा सक्षम नहीं होता है । अतः प्रस्तुत अध्ययन में कार्याधार जनसंख्या सूचकांक को पदानुक्रम निर्धारण में आधार बनाया गया है । 'कार्याधार जनसंख्या' किसी भी प्रदेश में किसी भी कार्य को उपयुक्त ढंग से सेवा प्रदान करने के लिए आवश्यक होता है, जो प्रदेश से सम्बन्धित कार्य की प्रवेशी और संपृक्त जनसंख्या के बीच की स्थिति होती है ।

प्रवेशी जनसंख्या से तात्पर्य किसी कार्य को सम्पादित करने से सम्बन्धित उस निम्नतम जनसंख्या से है जिस पर किसी बस्ती में किसी कार्य की अवस्थापना हो । प्रस्तुत अध्ययन में प्रवेशी जनसंख्या की गणना सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र के बस्तियों में से की गयी है । संपृक्त जनसंख्या वह जनसंख्या आकार है जिसके ऊपर किसी प्रदेश में कोई कार्य (यूबीक्वीटस ) हो जाता है ।<sup>18</sup> किन्तु, प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र में इस नियम का दृढता से पालन करना संभव नहीं है । उदाहरण स्वरूप जनपद मुख्यालय की जनसंख्या 20669 है । इसे संपृक्त जनसंख्या मानने में कठिनाई यह है कि इससे अधिक जनसंख्या वाले अध्ययन क्षेत्र में 4 केन्द्र (ओबरा - 43345, रेनुकूट - 25247, शक्तिनगर - 33383 तथा अनपरा - 24310) हैं किन्तु जनपद मुख्यालय तो एक ही हो सकता है । ऐसे कई कार्यों के संपृक्त जनसंख्या निर्धारण में, सम्बन्धित कार्य को करने वाले सबसे बड़े केन्द्र की जनसंख्या को संपृक्त जनसंख्या मान लिया गया है । कार्याधार जनसंख्या की गणना रीड मुच्च <sup>19</sup> विधि द्वारा की गयी है इसके बाद सबसे कम कार्याधार जनसंख्या वाले कार्य की जनसंख्या से सभी कार्यों की कार्याधार जनसंख्या में भाग देकर कार्याधार जनसंख्या सूचकांक की गणना की गयी है । पुनः कार्याधार जनसंख्या सूचकांक के निरीक्षण के बाद कार्यों के 4 पदानुक्रम निर्धारित किए गए हैं । तालिका 3.2 में कार्य, उनकी कार्याधार जनसंख्या तथा उनका सूचकांक तथा तालिका 3.3 में कार्यों का पदानुक्रम का विवरण दिया गया है ।

तालिका 3.2  
कार्य एवं कार्याधार जनसंख्या सूचकांक

क्रम सं०	केन्द्रीय कार्य	कार्याधार जनसंख्या	कार्याधार जनसंख्या सूचकांक
1	2	3	4
1	महाविद्यालय	26153	67.05
2	अस्पताल	26153	67.05
3	छविगृह	22542	57.80
4	पशु अस्पताल	22006	56.43
5	थाना	21840	56.00
6.	होम्योपैथिक चिकित्सालय	21832	55.98
7	जिला मुख्यालय	20669	52.99
8.	शीत भण्डार	20669	52.99
9	जिला सहकारी बैंक	18274	46.86
10.	संयुक्त ग्रामीण बैंक	18248	46.79
11	पुलिस चौकी	18122	46.47
12	फेरी घाट	16847	43.20
13.	तहसील मुख्यालय	14816	38.00
14.	भूमि विकास बैंक	14816	38.00
15.	थोक बाजार	13280	34.05
16.	साप्ताहिक बाजार	12276	31.48
17.	विकास खण्ड केन्द्र	10874	27.88
18.	रेलवे स्टेशन	6365	16.22
19.	न्याय पंचायत	5926	15.19
20.	बस स्टेशन	4856	12.45
21.	टेलीफोन एवं तारघर	4300	11.03
22.	पंजीकृत औषधालय	3555	9.12



1	2	3	4
23	हायर सेकेन्ड्री विद्यालय	3379	8 66
24.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	3353	8.59
25	सीनियर बेसिक विद्यालय	3275	8.40
26.	पंजीकृत व्यक्तिगत क्लिनिक	3268	8 38
27	राष्ट्रीय बैंक	3250	8 33
28.	बस स्टाप	2311	5.93
29.	आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय	1884	4 83
30	पशु सेवा केन्द्र	1113	2.85
31	डाकघर	1006	2.58
32.	बीज, कीटनाशक एवं उर्वरक केन्द्र	904	2 32
33.	मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र	463	1.19
34.	फुटकर बाजार	456	1.16
35	जूनियर बेसिक विद्यालय	390	1 00

तालिका 3.3

## कार्यों के चार पदानुक्रम

पदानुक्रम	कार्यधार जनसंख्या सूचकांक	कार्यों की संख्या
1	2	3
I	67.05 से अधिक	2
II	43.20 से 57.80	10
III	27.88 से 38.00	5
IV	1.00 से 16.22	18

### 3.4 विकास केन्द्रों का निर्धारण

भारत में वर्तमान विकास केन्द्रों का प्रतिरूप ऐतिहासिक-सांस्कृतिक शक्तियों तथा आर्थिक एवं राजनैतिक आवश्यकताओं का परिणाम है।<sup>20</sup> विकास केन्द्रों के निर्धारण से तात्पर्य अध्ययन क्षेत्र में अवस्थित बस्तियों में से उन बस्तियों का चयन करना जो वितरित बस्तियों का सेवा-केन्द्र के रूप में सेवा कर रहा हो। सेवा केन्द्रों के निर्धारण की प्रक्रिया सिद्धान्त रूप में जितनी आसान लगती है व्यावहारिक रूप में उतनी ही जटिल प्रक्रिया है। अध्ययन प्रदेश के विपुल बस्तियों में से किन-किन बस्तियों को किस मात्रा में तथा किस आधार पर सेवा-केन्द्र का अभिनिर्धारण किया जाय? वांछित आंकड़ों की अनुपलब्धता के कारण परिमाणात्मक मानदण्डों का उपयोग करना संभव नहीं हो पाता है। फलतः वास्तविक विकास केन्द्रों का सुनिश्चयन नहीं हो पाता है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से विभाजित एवं परिभाषित बस्तियों कभी-कभी समस्या खड़ी कर देती हैं। कुछ गाँवों में कई पुराने अनेक केन्द्रों के रूप में कार्य करते हैं तथा कभी-कभी राजस्व गाँव वास्तविक बस्ती की इकाइयों से मेल नहीं खाते। कभी-कभी एक ही सातत्यकीबस्ती कई राजस्व गाँवों में बटी होती है। कभी-कभी कुछ चौराहे, मोड़ या मुख्य सड़क की अवस्थितियाँ इतनी महत्वपूर्ण होती है कि मात्र एक या दो कार्यों के सम्पादन के बावजूद व्यावहारिक रूप में कई बड़े सेवा केन्द्रों से महत्वपूर्ण होते हैं। प्रायः यह भी देखने को मिलता है कि केन्द्रीय कार्यों की अवस्थिति सरकारी आँकड़ों में वस्तुतः प्रदर्शित नहीं होता है। अतः सेवा केन्द्र के केन्द्रीय कार्यों की गणना में प्रायः कठिनाई होती है। घोरावल विकास खण्ड का मुख्यालय घोरावल में न होकर खुरूवाव में है। नगवां विकास खण्ड का मुख्यालय वैनी में है। चतरा विकास खण्ड का मुख्यालय रामगढ़ में है। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि चतरा, राबर्ट्सगंज विकास खण्ड की बस्ती है जबकि रामगढ़ उक्त विकासखण्ड में नहीं आता है। ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं जो विकास केन्द्रों के निर्धारण में समस्या उत्पन्न करती हैं।

सामान्यतः सेवा केन्द्रों का निर्धारण केन्द्रीय सेवाओं की उपस्थिति, केन्द्रीयता तथा केन्द्रीयता सूचकांक, जनसंख्या आकार, कार्यशील व कुल जनसंख्या के अनुपात, केन्द्रीय कार्यों के कार्याधार जनसंख्या तथा बस्तियों के सेवा क्षेत्र के आधार पर या उपर्युक्त आधारों में से एकाधिक आधारों पर किया जा सकता है। विगत कुछ वर्षों में भारत में सेवा केन्द्रों

वे निर्धारण में महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। सुधीर वनमाली<sup>21</sup>, सेन<sup>22</sup>, नित्यानन्द<sup>23</sup>, कुमार एव शर्मा<sup>24</sup>, एस0बी0 सिंह<sup>25</sup> तथा खान<sup>26</sup> आदि विद्वानों ने कार्यों के सकेन्द्रण के आधार पर सेवा केन्द्रों का निर्धारण किया है जिसमें कार्यों के औसत कार्याधार जनसंख्या को भी स्थान दिया गया है। इसके अतिरिक्त दत्ता<sup>27</sup> ने परिवहन सूचकांक के आधार पर आलम<sup>28</sup> ने जनसंख्या के आधार पर, जी0के0 मिश्र<sup>29</sup> ने प्राथमिक कार्याधार जनसंख्या के आधार पर, जगदीश सिंह<sup>30</sup> जनसंख्या के आकार और कार्यों की उपस्थिति के आधार पर तथा भट्ट<sup>31</sup> एव पाठक<sup>32</sup> आदि विद्वानों ने बस्तियों की केन्द्रीयता को सेवा केन्द्रों के निर्धारण में आधार माना है।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि सेवा केन्द्रों के निर्धारण की अनेक प्रक्रियाएँ हैं। सभी प्रक्रियाएँ व्यक्तिनिष्ठ हैं क्योंकि सेवा केन्द्रों का चयन, केन्द्रीय कार्यों का चयन तथा सतृप्त जनसंख्या बिन्दु का चयन जिसके ऊपर ही सम्पूर्ण विश्लेषण संभव है, अध्ययनकर्ता के विवेक पर निर्भर करता है। प्रस्तुत अध्ययन में कार्यों की औसत कार्याधार जनसंख्या, परिवहन द्वारा बस्तियों की सम्बद्धता तथा केन्द्रीय कार्यों की अवस्थिति के माध्यम से सेवा केन्द्रों का अभिनिर्धारण किया गया है। सर्वप्रथम केन्द्रीय कार्यों को सम्पादित करने वाली बस्तियों में उन्हीं का चयन करने का प्रयास किया गया है जिनकी जनसंख्या सम्बन्धित कर्मों की कार्याधार जनसंख्या से ऊपर है। तत्पश्चात् किन्हीं दो केन्द्रीय विकास कार्यों को सम्पादित करने वाली बस्तियों का चयन किया गया है जिनका मान 3.16 से अधिक है। चयनित सेवा केन्द्रों में से अधिकांश केन्द्रों पर जूनियर बेसिक विद्यालय, मातृ एव शिशु कल्याण केन्द्र एवं उपकेन्द्र तथा फुटकर बाजार पाए जाते हैं। अतः सेवा केन्द्रों के कार्यात्मक अंक की गणना में उपर्युक्त कार्यों के मान को नहीं जोड़ा गया है। यद्यपि फुटकर बाजार के मान (2.17) से राष्ट्रीय बैंक (2), पजीकृत व्यक्तिगत क्लिनिक (0.94), डाकघर (0.74) सीनियर बेसिक विद्यालय (1.04) तथा न्याय पचायत (1.52) का मान कम है किन्तु इन कार्यों की कुछ सेवा केन्द्रों पर ही उपस्थिति के कारण इनके मान को जोड़ा गया है, उक्त मानदण्डों के आधार पर अध्ययन क्षेत्र में कुल 63 सेवा केन्द्रों को मान्यता प्रदान की गयी है। इन 63 सेवा केन्द्रों का जनसंख्या तथा सम्पादित होने वाले कार्यों की संख्या तालिका 3.4 में प्रदर्शित है। इन सेवा केन्द्रों द्वारा सम्पादित कार्यों का नाम तालिका 3.1 में तथा इनकी स्थानिक अवस्थितियाँ मानचित्र 3.1 में प्रदर्शित हैं।

तालिका 3.4  
जनपद में निर्धारित सेवा केन्द्र

क्रम संख्या	सेवा केन्द्रों का नाम	जनसंख्या 1991	सम्पादित होने वाले केन्द्रीय कार्यों की संख्या
1	2	3	4
1	राबर्ट्सगंज	20669	25
2	दुब्डी	8960	24
3	घोरावल	4361	16
4	रामगढ	2250	17
5	बेनी	1300	12
6	चोपन	8901	17
7	म्योरपुर	2747	15
8	बभनी	4326	15
9	चुर्क	6250	14
10	ओबरा	43350	20
11	डाला	4370	11
12	सलखन	978	9
13	गुरमा	4040	8
14	रेनूकूट	35247	17
15	पिपरी	12190	15
16	अनपरा	24310	18
17.	रेणूसागर	6350	7
18.	बीना	3710	11
19.	शक्तिनगर	33383	14
20.	रिहन्द नगर	9837	15
21.	खलियारी	1351	10

1	2	3	4
22	माची	996	6
23	पनिकप	663	3
24	पन्नूगज	334	3
25	तियरा	435	2
26	सिलथम	508	7
27	नई बाजार	710	6
28	ककराही	836	7
29	परासी दूबे	991	7
30	मारकुण्डी	1214	5
31	तेलगुडवा	810	4
32	कोन	1850	12
33	हाथीनाला	963	6
34	गुरमुरा	1660	6
35	सलई बनवा	854	4
36	बिल्ली	1488	6
37	परासपानी	1675	6
38	फफरा	693	5
39	बागेसुर्ती	761	4
40	खरूवाव	1078	4
41	शाह गज	1863	11
42	शिवद्वारा	1460	5
43	जमगाव	883	3
44	करमा	980	7
45	पसही	883	6
46	गोविन्दपुर	638	6
47	जरहा	6233	7

1	2	3	4
48	सागोवार	1851	8
49	नधिरा	4381	5
50	विण्ढमगज	1248	12
51	महुली	1438	8
52	अमवार	463	7
53	चपकी	1549	6
54	चेनपुर	1163	7
55	असनहर	807	7
56	महुअरिया	539	7
57	झारो	1661	9
58	हिन्दुआरी	461	4
59	लिलासी	662	3
60	आरगपानी	4347	4
61	रायपुर	973	4
62	चकरिया	739	2
63	अगोरी	944	3
64	किरविल	3355	2
65	सण्डी	523	2
66.	नाकों -	317	1

### 3.5 केन्द्रीयता का निर्धारण

केन्द्रीयता सेवा केन्द्रों के निर्धारण का अभिन्न अंग है। केन्द्रीयता से सेवाकेन्द्रों के महत्व का आंकलन तथा सापेक्षिक महत्व का पता चलता है। सेवा केन्द्रों का पदानुक्रम निर्धारण भी केन्द्रीयता के आधार पर किया जा सकता है। किसी केन्द्र की केन्द्रीयता उसके द्वारा सम्पादित कार्यों के गुण और उनकी मात्रा का द्योतक है।<sup>33</sup> भट्ट<sup>34</sup> ने कार्यों की मात्रा

# DISTRICT SONBHADRA SPATIAL DISTRIBUTION OF GROWTH CENTRES




FIG 31

एव गुण के साथ-साथ कार्यों की सभाव्यता को केन्द्रीयता कहा है। किसी भी केन्द्र की केन्द्रीयता का उसके जनसंख्या आकार से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है परन्तु यह अनिवार्य नहीं है। कभी-कभी जनसंख्या आकार तथा केन्द्रीयता में ऋणात्मक सम्बन्ध भी दृष्टिगत होता है।

केन्द्रीयता का निर्धारण एक जटिल एव व्यक्तिनिष्ठ प्रक्रिया है। इसका निर्धारण एक या एक से अधिक आधारों पर किया जा सकता है। क्रिटालर (1933)<sup>35</sup> ने दक्षिणी जर्मनी में टेलीफोन कनेक्शन के आधार पर केन्द्रीयता का निर्धारण किया। डनकन<sup>36</sup>, ब्रश<sup>37</sup>, स्मेल्ल्स<sup>38</sup>, कार्टर<sup>39</sup>, उल्मेन<sup>40</sup>, हार्टले एव स्मेल्ल्स<sup>41</sup> तथा कार<sup>42</sup> आदि विद्वानों ने किसी केन्द्र पर पाए जाने वाले सभी चयनित कार्यों के आधार पर केन्द्रीयता का निर्धारण किया। ब्रेसी<sup>43</sup> ने केन्द्रों के आकर्षण शक्ति के आधार पर तथा ग्रीन<sup>44</sup>, कैरुथर्स<sup>45</sup> ने आकर्षण शक्ति के साथ-साथ केन्द्रों की विभिन्न केन्द्रों से परिवहन सम्बद्धता को भी ध्यान में रखा है। सिद्दाल ने फुटकर और थोक व्यापार अनुपात तथा एबियोदन<sup>47</sup> ने 1967 में 'बहु-विचार विश्लेषण' (मल्टी वेरीएट एनालिसिस) के द्वारा केन्द्रीयता का निर्धारण किया। 1971 में प्रेस्टन<sup>48</sup> ने फुटकर व्यापार तथा औसत पारिवारिक आय के आधार पर केन्द्रीयता मॉडल प्रस्तुत किया किन्तु आकड़ों पर अत्यधिक निर्भरता, इसके व्यावहारिक प्रयोग को सीमित कर देती है। वाशिंगटन के स्नोहिमश काउन्टी के अध्ययन में बेरी और गेरिशन<sup>49</sup> ने 1958 में केन्द्रों के केन्द्रीयता निर्धारण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यों व उसकी कार्यधार जनसंख्या और पदानुक्रम का उपयोग किया।

भारतीय विद्वानों ने भी केन्द्रीय स्थलों की केन्द्रीयता का निर्धारण अधिकांशतः केन्द्रीय कार्यों के संख्या के आधार पर किया है। कार्यों के आधार पर विश्वनाथ (1967)<sup>50</sup> ओपीओ सिंह (1971),<sup>51</sup> प्रकाशराव (1974)<sup>52</sup>, जगदीश सिंह (1976)<sup>53</sup> आदि विद्वानों ने सराहनीय कार्य किया है। कार्यों की परस्पर यातायात सम्बद्धता के आधार बहुत कम कार्य हुआ है, फिर भी जैन (1971)<sup>54</sup> तथा ओपीओ सिंह (1971)<sup>55</sup> ने उल्लेखनीय कार्य किया है। केन्द्रीयता का निर्धारण सर्वाधिक प्रचलित केन्द्रीय कार्यों के आधार पर किया जाता है। विभिन्न कार्यों को महत्व प्रदान किया जाना स्वविवेक पर आधारित है। जगदीश सिंह (1977)<sup>56</sup>



ने शैक्षिक सेवाओं के लिए निम्न प्रकार से मान निर्धारित किया -

प्राइमरी स्कूल	1
जूनियर हाई स्कूल	2
हायर सेकेण्ड्री/इण्टर कालेज	3
डिग्री कालेज	4
विश्वविद्यालय/उच्च तकनीकी संस्थान	5

इस विधि से विभिन्न कार्यों के महत्व को आकना सर्वथा उपयुक्त नहीं होता है। उपर्युक्त विवरण में विश्वविद्यालय के महत्व को प्राइमरी स्कूल से मात्र 5 गुना अधिक बताया गया है, जो उचित नहीं है। अस्तु प्रस्तुत अध्ययन में उक्त दोषों से बचने के लिए कार्यों के महत्व के अनुसार मान निर्धारण की एक नवीन प्रक्रिया अपनायी गयी है। इस विधि में सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र में चुने गए 35 केन्द्रीय कार्यों में से सभी कार्य को बराबर महत्व प्रदान करते हुए प्रत्येक कार्य को 100 मान दिया गया है। इन कार्यों के प्रति इकाई महत्व को प्रदर्शित करने के लिए अध्ययन क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रत्येक केन्द्रीय कार्य की कुल संख्या से 100 को विभाजित किया गया है। इससे कार्यों के सापेक्षिक महत्व का निर्धारण होता है। उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत अध्ययन में जूनियर बेसिक विद्यालय का मान इस विधि से 0.14 इकाई है तो महाविद्यालय का महत्व 50 इकाई है। विभिन्न कार्यों का मान निर्धारण तालिका 3.5 में प्रदर्शित है।

### तालिका 3.5

#### विभिन्न कार्यों का महत्वानुसार मान

क्रम संख्या	केन्द्रीय कार्य	क्षेत्र में उनकी संख्या	क्षेत्र में उनका प्रति कुल महत्व	इकाई महत्व
(क)	प्रशासनिक कार्य			
1	जिला मुख्यालय	1	100	100.00
2.	तहसील मुख्यालय	2	100	50.00

1	2	3	4	5
3	विकास खण्ड केन्द्र	8	100	12 50
4	न्याय पचायत केन्द्र	66	100	1 52
5	थाना	12	100	8 33
6	पुलिस चौकी	7	100	14 29
(ख)	<b>कृषि एवं पशुपालन</b>			
7	शीत भण्डार	1	100	100 00
8	बीज, कीटनाशक एवं उर्वरक केन्द्र	78	100	1 28
9	पशु अस्पताल	16	100	6 25
10	पशु सेवा केन्द्र	20	100	5 00
(ग)	<b>शिक्षा एवं मनोरंजन</b>			
11	महाविद्यालय	2	100	50 00
12	हायर सेकेन्ड्री विद्यालय	30	100	3 33
13	सीनियर बेसिक विद्यालय	96	100	1 04
14	जूनियर बेसिक विद्यालय	715	100	0 14
15	छवि गृह	5	100	20 00
(घ)	<b>परिवहन एवं संचार</b>			
16	रेलवे स्टेशन हॉल्ट सहित	26	100	3 85
17	बस स्टेशन	18	100	5 56
18	बस स्टाप	42	100	2 38
19	फेरी घाट	10	100	10 00
20	डाकघर	136	100	0 74
21	टेलीफोन एवं तारघर	16	100	6 25
(ङ)	<b>चिकित्सा</b>			
22	अस्पताल	5	100	20 00
23.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	29	100	3 45
24	आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय	17	100	5.88

1	2	3	4	5
25	होम्योपैथिक चिकित्सालय	20	100	5 00
26	मातृ एव शिशु कल्याण केन्द्र	118	100	0 85
27	पजीकृत व्यक्तिगत क्लिनिक एव उपकेन्द्र	106	100	0 94
28	पजीकृत औषधालय	36	100	2.78
<b>(च) वित्तीय वर्ष</b>				
29	राष्ट्रीय बैंक	50	100	2 00
30	भूमि विकास बैंक	2	100	50 00
31	जिला सहकारी बैंक	10	100	10 00
32	सयुक्त ग्रामीण बैंक	10	100	10 00
<b>(छ) व्यापार एवं वाणिज्य</b>				
33	फुटकर बाजार	46	100	2 17
34	थोक बाजार	8	100	12 50
35	साप्ताहिक बाजार	36	100	2 78

पूर्व के अध्ययनों में कार्यों के महत्व के अनुसार ही केन्द्रों के सापेक्षिक महत्व को आकने का प्रयास किया जाता रहा है किन्तु उनके द्वारा सेवित जनसंख्या से भी केन्द्रों के सापेक्षित महत्व का ज्ञान होता है। सामान्यतया उच्च स्तरीय कार्यों और केन्द्रों द्वारा सेवित क्षेत्र एव जनसंख्या का आकार बड़ा होता है किन्तु यह आवश्यक नहीं है।<sup>56</sup> छोटे-छोटे प्रशासनिक सेवा केन्द्रों का सेवा क्षेत्र एव सेवित जनसंख्या का आकार बहुत बड़ा होता है क्योंकि सम्बन्धित प्रशासनिक सेवा केन्द्र के सम्पूर्ण जनसंख्या को अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उस सेवा केन्द्र का ही आश्रय लेना पड़ता है, भले अन्य सेवा केन्द्र की अपेक्षा वह दूर ही अवस्थित हो। कार्यों के महत्व की तीव्रता का अनुमान किसी केन्द्र द्वारा सम्पादित सम्पूर्ण कार्यों के महत्व को जोड़कर किया गया है तथा इसे 'कार्यात्मक अंक' (फंक्शनल स्कोर) की सजा प्रदान की गयी है। कार्यों के महत्व की तीव्रता क्षेत्र में व्याप्त उनकी संख्या पर निर्भर है जिनका मान तालिका 3 5 में प्रदर्शित

है। अध्ययन क्षेत्र में निर्धारित केन्द्र स्थलों में से सबसे कम कार्यात्मक अंक से सभी केन्द्र स्थलों के कार्यात्मक अंकों को भाग देकर कार्यात्मक सूचकांक (फक्शनल इंडेक्स) प्राप्त किया गया है। प्रत्येक केन्द्र का कार्यात्मक अंक एवं सूचकांक तालिका 3.6 में प्रदर्शित है। प्रत्येक केन्द्र की कुल सेवित जनसंख्या को न्यूनतम जनसंख्या वाले केन्द्र की जनसंख्या से विभाजित करके सेवित जनसंख्या सूचकांक प्राप्त किया गया है। कार्यात्मक सूचकांक की ही भांति सेवित जनसंख्या सूचकांक भी सापेक्षित महत्त्व को उपयुक्त ढंग से व्यक्त करता है। प्रत्येक केन्द्र के कार्यात्मक सूचकांक और सेवित जनसंख्या सूचकांक को जोड़कर उनके केन्द्रीयता अंक निर्धारित किए गए हैं। इस केन्द्रीयता अंक से उपर्युक्त विधि द्वारा केन्द्रीयता सूचकांक परिकल्पित की गयी है। केन्द्रीयता अंक की अपेक्षा केन्द्रीयता सूचकांक केन्द्रों की सापेक्षिक केन्द्रीयता को व्यक्त करने में अधिक समर्थ है। तालिका 3.6 में विभिन्न केन्द्रों के केन्द्रीयता सूचकांक प्रदर्शित हैं।

### तालिका 3.6

#### सेवा केन्द्रों का केन्द्रीयता सूचकांक

क्रम संख्या	विकास केन्द्र	कार्यात्मक अंक	कार्यात्मक सूचकांक	सेवित जनसंख्या	सेवित जनसंख्या सूचकांक	केन्द्रीयता अंक	केन्द्रीयता सूचकांक
1	2	3	4	5	6	7	8
1	राबर्ट्सगंज	443.85	83.12	1075041	874.01	957.13	478.57
2	दुब्डी	261.49	48.99	404079	328.52	377.51	178.76
3	घोरावल	79.45	14.88	8947	7.27	22.15	11.08
4	रामगढ़	82.84	15.51	67441	54.83	70.34	35.17
5	बेनी	57.88	10.84	54518	44.32	55.16	27.58
6	चोपन	83.30	15.60	166693	135.52	151.12	75.56
7	म्योरपुर	68.49	12.83	192719	156.68	169.51	84.76
8	बभनी	67.95	12.72	57618	46.84	59.56	29.78
9	चुर्क	53.28	9.98	10394	8.45	18.43	9.22
10	ओबरा	163.96	30.70	85930	69.62	100.32	50.16
11	डाला	33.22	6.22	7856	6.93	12.61	6.31
12	सलखन	20.78	3.60	8330	6.77	10.37	5.19

1	2	3	4	5	6	7	8
13	गुरमा	19.82	3 71	6312	5 13	8 84	4 42
14	रेनूकूट	96.61	18 09	68972	56 07	74 16	37 06
15	पिपरी	77 83	14 57	15403	12 52	27 09	13 55
16	अनपरा	111.08	20 80	44350	36 06	56 86	28 43
17	रेणूसागर	17.20	3.22	8380	6 81	10 03	5 02
18	बीना	31 22	5 85	7736	6.29	12 14	6 07
19	शक्तिनगर	62 05	11 62	62382	50 71	62 33	31 17
20	रिहन्द नगर	77 83	14 57	29542	24 02	38 59	19 29
21	खलियारी	22 01	4 12	5233	4 25	8 34	4 17
22	माची	30.34	5 68	8342	6.78	12 46	6 23
23	पनिकप	6 92	1.30	1840	1.50	2 8	1 4
24	पन्नुगज	11 45	2 14	67441	54 83	59 77	29 89
25	तियरा	5 83	1 09	2226	1.81	2 9	1 5
26	सिलथम	13.89	2.60	3832	3 12	5 72	2 86
27	नई बाजार	11 09	2 08	2638	2.14	4 22	2 11
28	ककराही	16.06	3 00	6763	5.50	8 50	4 25
29.	परासी	18.37	3 44	8988	7.30	11 74	5 87
30	मारकुण्डी	7 64	1 43	1962	1 60	3 03	1 52
31	तेलगुड़वा	10.02	1.88	2150	1.75	3 63	1 32
32	कोन	42 04	7.87	7430	6 04	13 91	6 96
33	हाथीनाला	16 30	3 05	2316	1.88	4.93	2.47
34	गुरमुरा	11 97	2.24	3640	2 96	5.2	2.60
35.	सलई बनवा	9 95	15.29	3177	2.55	17 84	8 92
36.	बिल्ली	11.73	2.20	4780	3.86	6, 06	3.03
37.	परसपानी	15.69	2.94	5360	4.36	7.30	3 65
38.	फफरा	9.95	1.86	4070	3.31	5.17	2.09

1	2	3	4	5	6	7	8
39	बागे सुर्ती	6 84	1 28	3843	3 12	4 40	2 20
40	खरूवाव	16.90	3 16	160324	130 34	133 50	66 75
41	शाह गज	35 52	6 65	6311	5 13	11 78	5 89
42	शिवद्वार	10 34	1 95	5411	4 40	6 35	3 18
43	जमगाव	5 84	1 09	2612	2 12	3 21	1.61
44	करमा	24 81	4 65	8613	7 0	11 65	5 83
45	पसही	10 23	1 92	9663	7 86	9 78	4 89
46	गोविन्दपुर	16 23	30 04	6678	5 43	35 47	17 74
47	जरहा	15 62	2 93	14312	11 64	14 57	7 29
48	सागोवार	19 44	3 64	13478	10 14	13 78	6 89
49	नधिरा	13 06	2 45	9908	8 06	10 51	5 26
50	विण्ढमगज	54 55	10 22	15680	12 74	22 96	11 48
51	महुली	20 64	3 86	10072	8 18	12 04	6 02
52	अमवार	24 14	4 52	8020	6 52	11 04	5 54
53	चपकी	21 05	3 94	11342	9 22	13 16	6.58
54	चैनपुर	14 74	2 76	14342	11 66	14 42	7 21
55	असनहर	16.67	3.12	6204	5 04	22 59	11 30
56	महुअरिया	16 73	3.13	5441	4 42	7.55	3 78
57	झारो	23.33	4.37	13463	10 95	15.32	7 66
58	हिन्दुआरी	5 34	1 00	1230	1 00	2 00	1 00
59	लिलासी	8.82	1 65	6370	5 18	6 83	3 42
60	आरगपानी	6.08	1.14	11307	9.19	10 33	5 17
61	रायपुर	18.69	3.50	3050	2.48	5 98	4 99
62	चकरिया	6 28	1.17	4310	3.50	4.67	2 34
63.	अगोरी	16.23	3.04	3380	2 74	5.78	2.89

### 3.6 विकास-केन्द्रों का पदानुक्रम

केन्द्र-स्थलों का पदानुक्रमीय व्यवस्था केन्द्र स्थल सिद्धान्त का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके अन्तर्गत सम्पूर्ण केन्द्र स्थलो मे परस्पर सम्बद्धता तथा कार्यात्मक संश्लिष्टता पायी जाती है। कार्यात्मक संश्लिष्टता के परिणामस्वरूप केन्द्र स्थलों मे कार्यात्मक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो जाती है, फलतः उनमे पदानुक्रमीय भिन्नता उत्पन्न हो जाती है। क्रिस्टालर<sup>57</sup> के अनुसार वस्तुओं एव सेवाओं का प्रवाह उच्च स्तरीय केन्द्र से निम्न स्तरीय केन्द्र की ओर होता है। इसके साथ ही उच्च स्तरीय केन्द्र निम्न स्तरीय केन्द्रों के कार्यों के सम्पादन के साथ कुछ विशिष्ट कार्यों को भी सम्पादित करते है, जो निम्न स्तरीय मे नहीं पाए जाते है। व्यावहारिक दृष्टि से प्रत्येक केन्द्र स्थल मे कुछ कार्यात्मक विशिष्टीकरण पाया जाता है। अतः निम्न स्तरीय केन्द्र भी उच्च स्तरीय केन्द्र को सेवा प्रदान करते है। केन्द्र स्थल सिद्धान्त के अनुसार कि पदानुक्रम के किसी भी स्तर से सम्बन्धित विभिन्न केन्द्रों की केन्द्रीयता समान होगी, एक आदर्शवादी परिकल्पना है। व्यावहारिक रूप में ऐसा संभव नहीं है। अतः प्रस्तुत अध्ययन मे केन्द्रीयता की असमानता को ध्यान मे रखकर केन्द्रों का पदानुक्रम निर्धारित किया गया है। केन्द्र स्थलो के पदानुक्रम के विभिन्न स्तरों के निर्धारण के लिए उनके केन्द्रीयता सूचकांक के सातत्य को भंग करने वाले अलगव बिन्दुओं को सीमा माना गया है। तालिका 3.6 तथा चित्र 3.2 से स्पष्टतः तीन अलगव बिन्दु दृष्टिगत होते है जिनके आधार पर अध्ययन क्षेत्र के केन्द्र स्थलों के चार पदानुक्रमीय व्यवस्था बनायी गयी है। चारों स्तरों से सम्बन्धित केन्द्रीयता सूचकांक वर्ग तथा उनके अन्तर्गत सम्मिलित केन्द्रों की संख्या तालिका 3.7 मे प्रदर्शित है।

तालिका 3.7

#### केन्द्र स्थलों की पदानुक्रमीय व्यवस्था

पदानुक्रमीय स्तर	केन्द्रीयता सूचकांक वर्ग	केन्द्रों की संख्या
I	178.76 से अधिक	2
II	50.16 से 84.76	4
III	11.08 से 37.08	13
IV	1 से 9.22	44

# DISTRICT - SONBHADRA HIERARCHICAL LEVEL OF SERVICE CENTRES




Fig. 3.2



अध्ययन क्षेत्र में प्रथम स्तर के 2 केन्द्र, द्वितीय स्तर के 4 केन्द्र, तृतीय स्तर के 13 केन्द्र तथा चतुर्थ स्तर के 44 केन्द्र विद्यमान हैं, जिनका प्रदर्शन मानचित्र 3.2 में किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में कार्यों तथा स्थलों के पदानुक्रमीय व्यवस्था में, साम्यता है दोनों का निर्धारण 'अलगाव बिन्दु' से किया गया है तथा दोनों के पदानुक्रमों में चार स्तर निर्धारित हुए हैं।

### 3.7 विकास केन्द्रों का स्थानिक वितरण

अध्ययन क्षेत्र में विकास केन्द्रों का स्थानिक वितरण असमान है (मानचित्र 3.1)। आर.0 सी.0 शर्मा के अनुसार विकास केन्द्रों के वितरण पर जनसंख्या और बस्तियों के घनत्व का प्रभाव पड़ता है। विकास केन्द्रों का असमान वितरण प्रतिरूप अध्ययन क्षेत्र के किसी एक भाग में नहीं है वरन् सम्पूर्ण भाग में है। बेलन घाटी में विकास केन्द्रों की संख्या अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक है। बेलन घाटी कृषि प्रधान क्षेत्र है, इसलिए विकास केन्द्रों की संख्या अधिक है। रिहन्द जलाशय के चतुर्दिक विकास केन्द्रों की स्थिति औद्योगीकरण से प्रभावित है। शेष विकास केन्द्रों की स्थिति परिवहन मार्गों से प्रभावित है। हिन्दुआरी, तेलगुडवा व हाथीनाला का विकास केन्द्रों के रूप में विकास सड़क जंक्शन के कारण ही है। विकास केन्द्र फफरा, बिल्ली, गुरमुरा, झारो, ककराही आदि रेलवे स्टेशन के कारण विकसित हुए। विकास खण्ड म्योरपुर के लगभग सभी विकास केन्द्र (रिहन्द नगर, शक्तिनगर, म्योरपुर, रेनूकूट, पिपरी, अनपरा, रेणूसागर, बीना आदि) औद्योगिक केन्द्र होने के कारण बेलन घाटी के विकास केन्द्रों की अपेक्षा उच्च स्तरीय है। वनों, पठारों तथा पहाड़ियों वाले क्षेत्रों में विकास केन्द्र बहुत कम हैं। सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र के विकास केन्द्रों के अन्तरालन को नियन्त्रित करने वाले प्रमुख कारक निम्न हैं।

- 1 धरातलीय स्वरूप
- 2 कृषि योग्य भूमि तथा जल की उपलब्धता
- 3 परिवहन एवं संचार माध्यम
- 4 औद्योगीकरण

जिन क्षेत्रों में उद्योग स्थापित हुए हैं, अन्य कारकों के विपरीत होने के बावजूद धीरे-धीरे विकास केन्द्रों का स्वतः विकास हो गया है। विकास खण्ड नगवा से दुद्धी के बीच (उत्तर दक्षिण में) बहुत बड़े क्षेत्र में एक भी विकास केन्द्र नहीं है। विकास खण्ड चोपन में ओबरा,

डाला, चोपन व तेलगुडवा तथा कुछ रेलवे स्टेशन युक्त विकास केन्द्रों को छोड़कर पूर्व से पश्चिम में बहुत बड़े क्षेत्र पर एक भी विकास केन्द्र नहीं है।

### 3.8 प्रस्तावित विकास केन्द्र एवं केन्द्रीय कार्य

किसी भी क्षेत्र का विकास सामाजिक आर्थिक सुविधाओं के त्वरित उपलब्धता पर निर्भर करता है। उक्त सुविधाओं के त्वरित उपलब्धता का सुनिश्चयन विकसित सेवा केन्द्रों/विकास केन्द्रों की मात्रा एवं सुविधाजनक अवस्थिति पर निर्भर करता है। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में विकास केन्द्रों का वितरण उचित एवं पर्याप्त नहीं है, जिसके कारण पर्याप्त मात्रा में कार्यात्मक रिक्तता विद्यमान है। जूनियर बेसिक विद्यालय, डाकघर तथा मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र जैसी सुविधा भी प्रत्येक बस्ती को नहीं है। अतः जनपद में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन एवं संचार, कृषि, उद्योग एवं व्यापार आदि सुविधाओं की सुलभता के लिए कुछ नए सेवा केन्द्रों/विकास केन्द्रों को विकसित किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही वर्तमान सेवा केन्द्रों को और अधिक विकसित करने की आवश्यकता है। वर्तमान सेवा केन्द्रों एवं प्रस्तावित सेवा केन्द्रों पर प्रस्तावित कार्यों की तालिका 3.8 में दर्शाया गया है। प्रस्तावित विकास केन्द्रों की अवस्थिति निर्धारित करने में निम्न तथ्यों को ध्यान में रखा गया है -

- 1 धरातलीय स्थिति
- 2 बस्तियों की जनसंख्या
- 3 कार्यात्मकता रिक्तता
- 4 विकास केन्द्रों की गम्यता सीमा
- 5 सड़कों की स्थिति एवं स्तर
- 6 परिवहन साधन तथा
- 7 विकास केन्द्र होने की सभाव्यता।



तालिका 3.8  
प्रस्तावित विकास केन्द्र

क्रम सख्या	विकास केन्द्र	जनसंख्या
1	ओबराडीह	836
2	बिसहार	752
3	मुडिलाडीह	698
4	वर्दिया	730
5	दुरावल	905
6	वकोली	511
7	सिरसाई	389
8	मोरसिम	763
9	धनावल	848
10	लोहाड़ी	972
11	परसौना	761
12	लहास	653
13	पुरखास	1011
14	रतवल	412
15	बभनोली	930
16	पापी	878
17	केथी	1113
18	बडागांव	1530
19	सण्डी	523
20	भरसही	605
21	सोढ़ा	663
22	नाकों	317
23	शिवपुर	252

1	2	3
24	भुसोलिया	802
25	बिर्घी	530
26	पडरी	478
27	नन्दना	992
28	कजियारी	775
29	गड़ाव	683
30	नौडीहा	478
31	चेरूई	1182
32	आमडीह	699
33	आसनडीह	472
34	डूभा	648
35	गोहडा	1286
36	घघरा	1278
37	चप - चपकी	1210
38	सतबहनी	950
39	कोंगा	1496
40	अरझट	868
41	कोरची	1815
42	वीडर	1113
43	केवाल	1315
44	पकरी	908
45	बघाडू	1400
46	महु अरिया	1350
47	किरविल	3355
48	रणहोर	1747
49	देवरी	1260

1	2	3
50	बेलाही	850
51	जामपानी	1130
52	जोगोडीह	2350
53	वेलहत्थी	898
54	सिन्दुरिया	1138
55	सेमिया	690
56	जुगैल	963
57	मगरदहा	1560
58	मिर्चाधुरी	1890
59	चतरवार	1342
60	कचनरवा	2250
61	कोटा	1740

तालिका 3 8 व 3 9 से स्पष्ट है कि अधिकांश प्रस्तावित केन्द्रों पर निम्न स्तरीय केन्द्रीय कार्यों का ही सम्पादन होता है। चूंकि केन्द्रीय कार्यों में औद्योगिक कार्यों को सम्मिलित नहीं किया गया है इसलिए इन कार्यों को प्रस्तावित नहीं किया गया है। जूनियर बेसिक विद्यालय, डाकघर, फुटकर बाजार, बीज एवं उर्वरक केन्द्र तथा मातृ एवं शिशु कल्याण कार्य की उपस्थिति अधिकांश प्रस्तावित सेवा केन्द्रों पर है। इन सेवा केन्द्रों को और प्रभावी बनाने के लिए कुछ मध्यम स्तर के कार्यों को सम्पादित करने का प्रस्ताव है। अध्ययन क्षेत्र में तीन तहसील (रामगढ़, ओबरा व रेनूकूट) बनाने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही पांच विकास खण्ड (रिहन्द नगर, अनपरा, पिपरी, शाहगंज तथा ओबरा) तथा 25 न्याय पंचायत बनाने का प्रस्ताव है। शिक्षा स्वास्थ्य तथा कृषि एवं पशुपालन आदि सुविधाओं की वृद्धि पर विशेष जोर दिया गया है।

प्रस्तावित 61 विकास केन्द्रों पर केन्द्रीय कार्यों की उपस्थिति को दो चरणों में पूरा कराना चाहिए प्रथम चरण 1995 तक तथा द्वितीय चरण 2000 तक होना चाहिए । इसके बाद प्रस्तावित केन्द्रीय कार्यों के नियोजन की पुन आवश्यकता होगी । इस नियोजन को पूरा करने में सरकार के विशेष सहयोग की आवश्यकता होगी । प्रस्तावित विकास केन्द्रों की अवस्थितियाँ मानचित्र 3.3 में तथा इन पर प्रस्तावित कार्य तालिका 3.9 में देखी जा सकती है ।

### तालिका 3.9

वर्तमान एवं प्रस्तावित सेवा/विकास केन्द्रों पर वर्तमान एवं प्रस्तावित सुविधाएँ/कार्य

क्रम सं०	विकास/सेवा केन्द्र	वर्तमान सेवाएँ/कार्य	प्रस्तावित सुविधाएँ/कार्य
1	2	3	4
<b>(अ) वर्तमान सेवा केन्द्र</b>			
1	राबर्टसगंज	जि.मु.,त.मु.,वि.मु., था., शी.भ., बी.के., उ के , प.अ., कृ.गर्भा., हा.से., सी बे.वि., जू.बे.वि., सिने., रे.स्टे., ब.स्टे., डा.घ., दू.भा., अस्पा., प्रा स्वा.के., आ यू.चि., हो.चि , मा शि.के., प.व्य.क्लि., पं.औ., सा.स्वा.के., उ.स्वा.के., प.नि.के, रा.बैं., भू.वि.बैं ,जि.स.बैं., सं ग्रा.बे., ग्रा.बैं., थो.बा , फु.बा., कु वि के.,	पु.चौ , प से के., म.वि , त.शि.स., औ प्र स , ब स्टा., सू.वि के , भे वि के. म वि.के.,
2.	दुब्डी	त मु ,वि मु ,था., बी के , उ के , प अ., कृ.गर्भा., पु.चौ , शी भ , प से.के , त शि स , म वि., हा.से.वि., सी.बे.वि., जू बे.वि., रे स्टे., सिने , आ यु चि , सा.स्वा के ,उ.स्वा ब स्टे., फे.घा., डा.घ., ता.घ., दू भा , अस्प , के., कु.पा के , सू वि.के , भे वि के., प्रा:स्वा.के., मा.शि.के., पं.व्य.क्लि., पं.औ., प नि म वि के , के , रा.बैं., भू.वि.बैं., जि.स.बैं., सं.ग्रा.बैं , ग्रा बैं., थो.बा., फु.बा.,	

1	2	3	4
3.	घोरावल	था., बी.के., उ.के., प.अ., हा.से., सी.बे.वि., जू.बे.वि , ब.स्टे., डा.घ., ता.घ., दू.भा., प्रा. स्वा.के., हो.चि., मा.शि.के., पं.व्य.क्लि., पं. औ , रा.बैं., जि.स.बैं., सं.ग्रा.बैं., थो.बा., फु. बा.,	शी.भं., म.वि , सिने. , अस्प., आ.यु. चि., कु.वि.के., सू.वि.के., भे.वि के , म.वि के., सा.स्वा के.,
4.	रामगढ	वि मु., न्या.के., बी.के., उ.के., प.अ., हा. से., सी.बे.वि., जू.बे.वि., डा.घ., ता.घ., आ. यू.चि , मा.शि.के., पं.व्य.क्लि., पं.औ., रा.बैं., जि.स.बैं., सं.ग्रा.बैं., फु.बा., थो.बा.,	त.मु., पु चौ., शी भं., म.वि., सिने., रे.स्टे., ब.स्टे., दू भा., अस्प., प्रा स्वा के., हो.चि., भू.वि.बैं., सा.स्वा.के.,
5.	वैनी	वि.मु , न्या के., बी.के., उ.के., प.अ., जू.बे वि., ब.स्टा., डा.घ., प्रा.स्वा.के , हो चि., मा. के., पं औ , जि स.बैं., स.ग्रा.बैं, फु.बा., ग्रा.बैं, था , शी.भं., म.वि , हा से., सी.बे.वि , ब.स्टे., रे स्टे., ता.घ , दू भा., अस्प , आयु.चि., पं व्य क्लि., भू वि.बैं , थो बा भे.वि.के., कु.वि.के.,	
6.	चोपन	वि.मु., था., बी.के., उ.के., प अ., हा.से. सी बे.वि., जू.बे.वि., रे.स्टे., ब.स्टे., डा.घ., ता. घ., दू.भा., प्रा.स्वा.के., हो.चि., मा.शि.के., पं.व्य.क्लि., पं.औ., जि.स.बैं., सं.ग्रा.बैं., फु. बा.,	शी भे., म.वि., सिने , फे घा., अस्प., आ.यू.चि., भू वि वैं , थो बा , कृ गृर्भा., म.वि के., भे.वि.के., कु.वि.के., ग्रा बैं. सा.स्वा.के.,
7.	म्योरपुर	वि.मु., न्या.के., बी.के., उ.के., प.अ., सी. बे.वि., जू.बे.वि., रे.स्टे., ब.स्टे., ब.स्टा., डा.घ., प्रा.स्वा.के., मा.शि.के., पं.व्य.क्लि., पं.औ., रा.बैं., फु.बा., सा.बा., कु.वि.के ,	पु.चौ., शी.भं., हा.से., दू.भा., ता.घ., अस्प., आ.यू.चि , हो.चि., भू.वि.बैं., सं ग्रा.बैं., थो.बा., भे.वि.के., सू.वि.के.,
8.	बभनी	वि.मु., न्या.के., पु.चौ., बी.के., उ.के., प. अ., सी.बे.वि., जू.बे.वि., ब.स्टे., डा.घ., ता. घ., प्रा.स्वा.के., मा.शि.के., रा.बैं., सं.ग्रा.बैं., फु.बा.,	था., शी भं., हा.से., दू.भा., अस्प., हो चि , आ.यू.चि., प.व्य.क्लि., भू.वि.बैं. थो.बा., कु.पा.के., भे.वि.के.,



1	2	3	4
9.	चुर्क	न्या.के., पु. चौ., बी.के., उ.के., हा.से., सी बे.वी., जू.बे.वि., डा.घ., ता.घ., प्रा.स्वा. के., आ.यू.चि., मा.शि.के., पं.व्य.क्लि., पं. औ., रा.बैं., फु.बा.,	सिने., दू.भा., जि.स.बैं , स.ग्रा.बैं. थो.बा., कु.वि.के., सा.स्वा.के ,
10.	ओबरा	था., बी.के., उ.के., प.अ., म.वि., हा.से., सी.बे.वी., जू.बे.वि., सिने., रे.स्टे., ब.स्टे., डा.घ., ता.घ., दू.भा., अस्प., प्रा.स्वा.के., आ.यू.चि., हो.चि., मा.शि.के., पं.व्य.क्लि., पं.औ., रा.बैं., फु.बा., थो.बा.,	त.मु., वि.मु., शी भं., फे.घा., जि.स. बैं., स.ग्रा.बैं., कु वि.के., सू.वि.के., म.वि.के., ग्रा.बैं., कृ0गर्भा.
11	डाला	बी.के., उ.के., हा.से., सी.बे.वि., जू.बे.वि., ब.स्टे., डा.घ., ता.घ., प्रा.स्वा.के., आ.यू.चि., मा.शि.के., पं.व्य.क्लि., प.औ., रा.बैं., फु.ब.,	प.अ., दू.भा., हो.चि , जि.स.बैं. स.ग्रा.बैं., कु.वि.के., सा.स्वा.के., कृ0 गर्भा ,
12.	सलखन	न्या.के., बी.के., उ.के., प.स.के., सी.बे.वि., जू.बे.वि., ब.स्टा., डा.घ., आ.यू.चि., मा.शि. के., पं.व्य.क्लि., रा.बैं., फु.बा.,	पु.चौ., हा.से.वि., रे.स्टे., ता घ., प्रा.स्वा.के., प.औ., ग्रा.बैं., जि.स.बैं., कु.वि.के., सू.वि.के.,
13.	गुरमा	बी.के., उ.के., हा.से.वि., सी.बे.वि., जू.बे.वि., रे.स्टे., ब.स्टा., हो.चि., मा.शि.के., पं.व्य. क्लि., रा.बैं., फु.ब.,	कृ.गर्भा., आ.यू.चि., प.औ., ग्रा. बैं., भे.वि.के., कु.वि.के., प्रा.स्वा.के.,
14.	रेनूकूट	उ.च., बी.के., उ.के., हा.से.वि., सी.बे.वि., जू.बे.वि., सिने., रे.स्टे., ब.स्टे., डा.घ., ता.घ., दू.भा., प्रा.स्वा.के., आ.यू.चि., मा.शि.के., पं.व्य.क्लि., पं.औ., रा.बैं., जि.स.बैं., फु.बा., थो. बा., भे.वि.के.	जि.मु.था., वि.मु., शी.भं , प अस्प., म.वि., फे.घा., अस्प , हो.चि., भू.वि.बैं., कु.वि.के , के., ग्रा. बैं
15.	पिपरी	था., बी.के., उ.के., प.अ., हा.से.वि., सी.वे. वि., जू.वे.वि., ब.स्टे., फे.घा., डा.घ., ता.	वि.मु., म.वि., अस्प., जि.स.बैं., थो.बा , कु.वि.के., म.वि.के., ग्रा.

1	2	3	4
		घ., दू.भा., प्रा.स्वा.के., आ.यू.चि., मा.शि.के., पं.व्य.क्ति., पं.औ., फु.बा.	बैं., औ.पु.स.
16	अनपरा	था., वी.के., उ.के., प.अ., हा.से., सी.बी.वि., जू.बे.वि., सिने., रे.स्टे., ब.स्टे., डा.घ., ता.घ., दू.भा., अस्प., प्रा.स्वा.के., मा.शि.के., पं.व्य. क्ति., प.औ., रा.बैं., कु.बा., थो.बा.	वि.मू., शी भ., म.वि., फे घा , आ.यू.चि , हो.चि., भू.वि.बैं., सं.ग्रा.बैं., कु.वि.के., म.वि.के., सू.वि.के., औ प्र.सं., त.शि.सं.
17.	रेणूसागर	सी बे.वि., जू.वे.वि., डा.घ., प्रा.स्वा.के., ता.घ., मा.शि.के., पं.व्य.क्ति., पं.औ., रा.बैं., फु.बा.	उ.चौ., प.से.के., हा.से.वि., सा.स्वा.के., दू.भा., आ.यू.चि., हो.चि., जि.स.बैं., थो बा , कु.वि.के , म वि.के , म वि., वी.के , उ.के , ब.स्टा.
18.	बीना	वी.के., उ.के., हा.से.वि., सी.बे.वि., जू बे. वि., रे.स्टे., ब.स्टे., डा.घ., ता.घ., प्रा.स्वा.के. मा.शि.के., पं.व्य.क्ति., पं.औ., रा.बैं., फु.बा.,	पु.चौ , प से के., सिने., दू भा., अस्प., आ.यू.चि., ग्रा.बैं., थो.बा., भे.वि.के., कु.वि.के.
19.	शक्ति नगर	था., बी.के., उ.के., हा.से.वि., सी.बे.वि., जू.बे.वि., रे.स्टे., ब.स्टे., फे.घा., डा.घ., ता.घ., प्रा.स्वा.के., मा.शि.के., प.व्य.क्ति., पं.औ., रा.बैं., थो.बा., फु.बा.	वि मु., शी.भं., म.वि., प अ., कृ गर्भा., सिने , दू.भा., अस्प., आ.यू.चि., भू.वि.बैं., जि.स.बैं., सं.ग्रा.बैं., कु.वि.के., म.वि.के., भे.वि.के., औ.प्र.सं.
20.	रिहन्द नगर	था., बी.के., उ.के., प.अ., हा.से.वि., सी.बे. वि., जू.बे.वि., सिने., ब.स्टे., फे.घा., डा.घ., ता.घ., दू.भा., प्रा.स्वा.के., आ.यू.चि., मा.शि. के., पं.व्य.क्ति., पं.औ., रा.बैं., फु.बा.	वि.मु., म वि., रे.स्टे., अस्प., हो.चि., भू.वि.बैं., जि.स.बैं., सं.ग्रा.बैं., कु.वि.के., म.वि.के., भे.वि.के., थो.बा.
21.	खलियारी	न्या.के. , बी.के., उ.के., सी.बे.वि., जू.बे.वि., ब.स्टा., डा.घ., प्रा.स्वा.के., आ.यू.चि., मा.शि. के., पं.व्य.क्ति., पं.औ., रा.बैं., फु.बा.	था., प.आ., हा.से.वि., म.वि., सिने., रे.स्टे., ब.स्टे., ता.घ., अस्प., हो.चि., ग्रा.बैं., जि.स.बैं.,

1	2	3	4
			कु.वि.के., भे.वि.के , थो बा., कृ०गर्भा.
22.	माची	पु.चौ., बी.के., उ.के., प.से के., डा.घ., मा.शि.के., फु.बा., सा.बा.	हा.से.वि , सी.बे.वि , ब स्टा , ता घ., प्रा स्वा.के., आ यू.चि., भे वि के
23	पनिकप	सी बे.वि., जू.वे.वि., आ.यू.चि.,मा.शि के.	फु.बा , कृ गर्भा , ग्रा.बै.,कु.वि.के , न्या के
24	पन्नूगज	था , ब स्टा., डा घ ,म.शि के	ता घ , दू भा , प्र स्वा के , प व्य क्लि , रा.बै , जि स बै , फु.बा , प स के., प नि के.
25.	सिलथम	हा.से.वि., न्या.के., वी.के., उ.के., प.से.के., डा.घ., मा.शि.के., रा.बै., फु.बा.	पु.चौ , सी बे.वि , जू बे वि , ग्रा बै , कु वि.के., भे वि के ता घ , प्रा स्वा.के.
26.	नई बाजार	बी.के., उ.के., सी.बे.वि., जू.बे.वि., ब.स्टा., प्रा.स्वा.के., मा.शि.के., पं.व्य.क्लि., रा.बै., फु.बा.	कृ.गर्भा , हा से.वि., डा.घ., ता.घ., पं.औ., ग्रा.बै., कु.वि के., पु.चौ., न्या.के.
27.	ककराही	प.से के., सी.बे.वि., जू बे.वि., रे.स्टे., ब.स्टा. प्रा.स्वा.के., मा.शि.के., पं.व्य.क्लि., रा.बै., फु.बा.	न्या.के., वी के., उ.के., हा.से. वि., डा घ., सा.स्वा.के., पं.औ., ग्रा.बै., कु.वि.के
28.	परासी	न्या.के., बी.के., उ.के., हा.से., जू.बे.वि., ब.स्टा., डा.घ., हो.चि., पं.व्य.क्लि., फु.बा.	कृ.गर्भा., सी.बे.वि., प्रा.स्वा.के., पं.औ., कु वि.के., प.नि के., ग्रा बै., रा बै.
29.	मारकुण्डी	बी.के., उ.के., सी.बे.वि., जू.बे.वि., ब.स्टा., फु.बा.	न्या.के., ब.स्टे , डा.घ., सा.स्वा. के., प.नि.के , भे.वि.के., ग्रा.बै. म.वि.के.

1	2	3	4
30.	तेलगुड़वा	जू.बे.वि., ब.स्टे., डा घ., मा.शि.के., पं.व्य. क्लि., फु.बा., सा.बा.	बी.के , उ.के , प.से.के., प.औ., कु.वि.के., ग्रा.बै., रा.बै.
31.	कोन	न्या.के., था., बी.के., उ.के., प.अ., हा.से., सी.बे.वि., जू.बे.वि., डा.घ., फे.घ., ब.स्टा., प्रा.स्वा.के , म.सि.के., प्रं.व्य.क्लि., फु.बा., सा.बा.	म.वि , रा.बै , ग्रा.बै., सा.स्वा.के., भे.वि.के , कु.वि.के., सू.वि.के., म.वि.के., थो.बा.
32.	हाथी नाला	बी.के., उ.के., प.से.के., जू.बे.वि., ब.स्टे., डा घ., मा.शि.के., पं.व्य.क्लि., फु.बा., सा.बा.	न्या.के., पु चौ., सी.बे.वि., हा.के., ता.घ , दू भा., थो.बा., उ.स्वा.के., रा बै., सं.ग्रा.बै.
33.	गुरसुरा	बी.के., उ.के., प.अ., जू.बे.वि., रे.स्टे., ब.स्टा., डा.घ., मा.शि.के , पं.व्य.क्लि., फु.बा., सा.बा	न्या.के., हा.से.वि., सी.बे.वि., ता.घ. सा.स्वा.के., प नि के., रा.बै , कु.वि के., भे.वि के., सू वि.के.
34.	सलई बनवा	जू.बे.वि., रे.स्टे., ब.स्टा., म.शि.के., प.व्य. क्लि., फु.बा., सा.बा.	रा.बै., जि.स.बै., कृ.गर्भा , हो.चि., प.नि.के., भे.वि.के., बी.के., उ के.
35.	बिल्ली	सी.बे.वि., जू बे.वि., रे.स्टे., ब.स्टा., डा.घ., मा.शि.के., पं.व्य.क्लि., फु.बा., थो.बा.	प.से.के., बी.के., उ.के., ता घ , सा. स्वा.के., हो चि., सा ग्रा.बै., भे.वि.के., न्या. के.
36.	परासपानी	जू.बे.वि., रे.स्टे., ब.स्टा., डा.घ., हो.चि., मा. शि.के., पं.व्य.क्लि., फु.बा., सा.बा	सी.बे.वि., बी.के., उ.के., कृ.गर्भा., प नि.के., उ.स्वा के., भे.वि.के., पं औ.
37.	फफरा	जू.बे.वि., रे.स्टे., ब.स्टा., डा.घ., मा.शि.के. पं.व्य.क्लि., फु.बा.सा.ब.	सी.बे.वि., न्या.के., बी.के., उ.के., प.से.के., प औ., सं.ग्रा.बै., जि स.बै. भे.वि.के.
38.	बागसुर्ती	जू.बे.वि., ब.स्टा., डा.घ., मा.शि.के., पं.व्य.क्लि., फु.बा., सा.बा.	बी.के., उ.के., न्या.के., सी.बे.वि., भे.वि के., जि.स.बै.

1	2	3	4
39	खुरूवाव	वि.मु , बी.के , उ.के., जू.बे.वि., ब.स्टा., डा.घ.,	सी.बे.वि , ता घ., प.अ., सा स्वा के , मा.शि.के., फु.बा. हो चि , कु.वि.के., भे वि.के., प नि. के., रा.बैं., जि.स बैं.
40.	शाहगंज	न्या.के., पु.चौ., बी.के., उ.के., हा.से.वि., सी.बे.वि., जू.बे.वि., ब.स्टा., डा.घ., प्रा.स्वा.के. मा शि के., पं.व्य.क्लि., रा बैं., स.ग्रा.बैं., फु.बा.	वि मु , प औ., प अ., कृ गर्भा ,ता घ सा.स्वा के., म.वि.के , भे.वि.के , कु.वि.के., थो.बा
41.	शिवद्वार	बी.के., उ.के., प.से.के , जू.बे.वि., मा शि.के , पं व्य.क्लि., फु.बा.	न्या.के., सी बे वि , सा.स्वा.के., प नि.के., कृ गर्भा , रा.बैं., ग्रा बैं , भे.वि.के., प औ.
42.	जमगांव	न्या.के., बी.के., उ.के., सी.बे.वि., जू.बे.वि., मा.शि.के., फु.बा.	ग्रा बैं., कृ.गर्भा., कु.वि.के., प नि के डा.घ
43.	करमा	था., बी.के., उ.के., सी.बे.वि., रे.स्टे., ब.स्टा., डा.घ., मा.शि.के., पं.व्य.क्लि.	न्या.के., रा.बैं., उ स्वा.के., आ.यू.चि., कु.वि.के., प नि के., प से.के.
44	पसही	बी.के., उ.के., सी.बे.वि., जू.बे.वि., रे.स्टे., ब स्टा., डा.घ., मा.शि.के., पं.व्य.क्लि , फु.बा.	न्या.के., कृ.गर्भा., उ स्वा.के., कु.वि. के., रा बैं , ग्रा बैं
45.	गोविन्दपुर	डा.घ., हा.से.बि., जू.बे.वि., मा.शि.के., ब.स्टा., रा.बैं., फु.बा., सा.बा.	बी.के., उ.के., ता घ., सी.बे.वि., ब.स्टे., ग्रा बैं , भे.बि.के., सू.वि.के., न्या.के.
46.	जरहा	न्या.के., बी.के., उ.के., सी.बे.वि., जू.बे.वि., ब.स्टा., डा.घ., आ.यू.चि., मा.शि.के., फु.बा. सा.बा.	कृ.गर्भा., प.नि.के., प.से.के., ग्रा.बैं., उ.स्वा.के., भे.वि.के , हा.से
47.	सांगोवार	न्या.के., बी.के., उ.के., प.अ., सी.बे.वि., जू बे. वि., ब.स्टा., डा.घ., प्रा.स्वा.के., मा.शि.के., फु.बा., सा.बा.	पु.चौ., हो.चि., प.नि.के., भे.वि.के. ग्रा.बैं.

1	2	3	4
48	नधिरा	बी के., उ.के., जू बे.वि., ब.स्टा , डा.घ., आ. यू.चि., फु.बा., सा.बा.	न्या.के., सी.बे.वि., उ.स्वा.के., प.नि.के., प.आ , ग्रा.बैं., कु.वि.के., भे.वि.के.
49.	विण्ढमगंज	पु.चौ., बी.के., उ.के., प.अ., हा.से., सी.बे.वि., जू बे.वि., रे.स्टे., ब.स्टे., डा.घ., प्रा.स्वा.के., मा.शि.के., रा बैं., सं.ग्रा.बैं., फु.बा., सा.बा.	था., न्या.प., कृ.गर्भा., सिने., ता घ., हो.चि., सू.बि.के., भे वि के., कु.वि.के., म वि.के
50	महुली	न्या.के., प.से.के., सी.बे.वि., जू.बे.वि , ब.स्टा., आ यू.चि., मा.शि.के., रा.बैं., फु.बा., सा.बा.	बी.के., उ के., उ स्वा के., हो.चि., भे.वि.के., प.अ.
51.	अमवार	प.से.के., सी.बे.वि., जू.बे.वि., ब.स्टा., आ.यू.चि., मा.शि.के., रा.बैं., फु.बा., सा.बा फे.घा.	न्या.के., बी.के , उ.के., कु.पा के., उ.स्वा.के
52.	चपकी	हा.से., जू.बे वि., ब.स्टा., डा.घ., आ.यू.चि., हो.चि., मा.शि.के., फु.बा., सा.बा.	सी.वे., बी.के., उ के., कृ.गर्भा , ग्रा.बैं., कु.वि के., उ स्वा के , न्या के.
53.	चैनपुर	न्या.के., बी.के., उ.के., सी.बे.वि., जू.बे.वि., डा.घ., हो.चि., मा.शि.के., फु.बा., सा.बा.	हा.से., रा.बैं., ग्रा बैं., उ.स्वा.के., प.नि.के , कृ गर्भा., भे.वि.के., पं औ.
54.	असनहर	बी.के., उ.के., सी.बे.वि., जू.बे.वि., ब.स्टा., डा.घ., प्रा.स्वा.के., हो.चि., मा.शि.के., फु.बा. सा.बा.	न्या के., प.अस्प., सा.स्वा के., प.औ. भे.वि के., ग्रा.बैं.
55.	महुअरिया	सी.बे.वि., जू.बे.वि., रे.स्टे., ब.स्टा., डा.घ., हो.चि., मा.शि.के., पं.व्य.क्लि., फु.बा., सा.बा.	रा.बैं., बी.के., उ के., प.से.के , उ.स्वा.के., आ यू चि., भे.वि.के.
56.	झारो	न्या.के , बी.के., उ.के., सी.बे.वि., जू.बे.वि., रे.स्टे., ब.स्टा., डा.घ., हो.चि., मा.शि.के., रा.बैं., फु.बा., सा.बा.	प्रा.स्वा.के., हा.से., ता.घ., आ.यू.चि. कृ.गर्भा., ग्रा.बैं., कु.वि.के., भे.वि.के , सू.वि.के.
57.	हिन्दुआरी	बी.के., उ.के., पं.व्य.क्लि., जू.बे.वि., ब.स्टा., डा.घ., मा.शि.के., कु.बा.	सी.बे.वि., रे.स्टे., ब.स्टे., रा.बैं., उ.स्वा.के., सू वि.के., कु.वि.के., ग्रा.बैं.

1	2	3
58. लिलालसी	हो.चि., सी.बे.वि., मा.शि.के., सा.बा.,जू.बे.वि.,	प.नि.के , उ.स्वा.के., ग्रा बै , बी.के., उ.के., कृ.गर्भा , कु.वि.के., डा घ , फु.बा.
59. आरगपानी	डा.घ., सी.बे.वि., न्या.के., सा.बा., मा.शि.के., जू.बे.वि.	बी.के., उ.के., प.से.के , हो.चि , सा.स्वा.के., प.औ , ब.स्टा.
60 रायपुर	बी.के., उ.के., पु.चौ., मा.शि.के., डा.घ., ब. स्टा., जू.बे.वि.	सी.बे.वि., न्या.के., कृ.गर्भा , हो.चि. प.नि.के., ग्रा.बै
61. चकरिया	हो.चि., उ.के., जू.बे.वि., मा.शि.के.	बी.के., डा.घ , कृ.गर्भा , प नि.के., आ.यू.चि , ग्रा.बै., भे वि.के., सी.बे.वि., प.औ.
62. अगोरी	रे.स्टे., ब.स्टा., फे घा., जू.बे.वि.	सी.बे वि., प नि के., आ.यू.चि., पं.औ., ग्रा बै., कु.वि.के., ता.घ , उ.स्वा.के., भे.वि.के.
63 तियरा	प्रा स्वा.के , प व्य क्लि , जू बे वि	प सु के , मा शि के , म वि के , कु वि के , डा घ

### ब. प्रस्तावित केन्द्र

1. ओबराडीह न्या.के., जू.बे.वि., डा.घ. उ.के., बी.के., फु.बा., कु.वि.के.,  
सी.बे.वि , हा से , ग्रा.बै., आ.यू.चि.,  
प.से.के.
2. बिसहार जू.बे.वि., उ.के., मा.शि.के. सी.बे.वि., न्या.के., प.नि.के.,  
कृ.गर्भा.,कु.बी.के., डा घ., फु.बा.  
हो.चि.

1	2	3	4
3.	मुड़िलाडीह	जू.बे.वि., आय.यू.चि.	पं.औ., सी.बे.वि., डा.घ., मा.शि.के, बी.के., उ.के., प.नि.के., प.से.के., भे.वि.के., ग्रा.बैं., रा.बैं.
4.	बर्दिया	जू.बे.वि., ब स्टा., उ.के.	बी.के., आ.यू.चि, हा से., उ.स्वा.के., ग्रा.बैं., मा.शि.के., डा घ.
5	दुरावल	जू.बे.वि., मा.शि.के.	बी.के., उ.के., डा.घ, कृ.गर्भा, हो चि., कु.वि.के., फु बा., ग्रा बैं., सी बे वि
6.	बकौली	न्या के, मा.शि.के.	जू.बे.वि., सी.बे.वि., डा घ., ग्रा बैं, फु बा., बी के., उ.के., प्रा.स्वा.के., कु वि के.
7.	सिरसाई	बी के. मा.शि.के.	जू.बे.वि., सी.बे.वि., डा घ., कृ गर्भा, प नि के., सू.वि.के., फु.बा
8	मोरसिम	जू.बे.वि., उ.के., फु.बा.	मा.शि.के., डा.घ., बी के., प.नि.के, सी.बे वि., उ.स्वा.के, पं.औ, प.से के, कु.वि.के, न्या.के.
9.	धनावल	जू.बे.वि., मा.श.के., फु.बा.	सी.बे.वि., हा.से., ग्रा.बैं., प औ, कु वि के., म.वि.के., प.से के. डा घ.
10.	लोहाड़ी	सी.बे.वि., जू.बे.वि.,	उ.के., बी.के., हा.से., प अस्प., आ.यू चि., प.औ. प.नि.के., सू वि.के., डा घ., रा.बैं.
11.	परसौना	डा.घ., जू.बे.वि.	प्रा.स्वा.के., सी.बे.वि., प से.के., रा बैं., उ.के., बी.के., भे.वि.के., न्या.के
12.	लहास	मा.शि.के., उ.के., बी.के., जू.बे. वि.	सी.बे.वि., उ.स्वा.के., प.स.के., ग्रा.बैं., प.औ., डा.घ.
13.	पुरखास	उ.के., बी.के., जू.बे.वि., डा.घ.	आ.यू.चि., हो.चि., सी.बे.वि., ग्रा.बैं., कु.वि.के., मा.शि.के.
14.	रतवल	जू.बे.वि., न्या.पं.	सी.बे.वि., डा.घ., उ.स्वा.के., मा.शि.के., फु.बा., बी.के., उ.के.



1	2	3	4
15.	बभनौली	उ.के., बी.के., डा.घ., जू.बे.वि.	फु.बा., सी.बे.वि., मा.शि.के., प.से.के., आ.यू.चि., प्रं.औ., ग्रा.बैं.
16.	पापी	जू.बे.वि., डा.घ.	बी.के., उ.के., मा.शि.के., हो.चि., कृ.गर्भा., फु.बा., सी.बे.वी.
17.	कैथी	जू.बे.वि.	डा.घ., सी.बे.वि., आ.यू.चि., कृ.गर्भा., ब.स्टा., ग्रा.बैं., फु.बा., प.नि.के., उ.के., बी.के.
18.	बड़ागाव	जू.बे.वि., सी.बे.वि.	डा.घ., बी.के., उ.के., मा.शि.के., प.नि.के., हो.चि., कु.वि.के., ग्रा.बैं.
19	सण्डी	सी.बे.वि., डा.घ., मा.शि.के.	जू.बे.वि., बी.के., उ.के., प.नि.के., प.अस्प., आ.यू.चि., ग्रा.बैं., हा.से. फु.बा
20	भरसही	सी.बे.वि.	जू.बे.वि., डा.घ., उ.के., बी.के., मा.शि.के., कु.या.के., फ.बा.
21	सोढ़ा	सी.बे.वि., जू.बे.वि.	बी.के., उ.के., आ.यू.चि., कु.बा., प्रा.स्वा.के. प.औ., प.से.के., मा.शि.के., कु.वि.के., रा.बैं.
22	नाकॉ	सी.बे.वि., मा.शि.के.	जू.बे.वि., बी.के., उ.के., उ.स्वा.के., रा.बैं. मा.शि.के., हा.से., प.से.के.
23.	शिवपुर	जू.बे.वि.	उ.के., बी.के., मा.शि.के., कृ.गर्भा., फु.बा.
24.	भुसौलिया	मा.शि.के., जू.बे.वि.	सी.बे.वि., बी.के., उ.के., फु.बा., हो.चि. कृ.गर्भा., ग्रा.बैं., डा.घ.
25.	वीर्धी	सी.बे.वि., जू.बे.वि.	हा.से., बी.के., उ.के., मा.शि.के., प.से.के. उ.स्वा.के., फु.बा., डा.घ., प.औ.
26.	पडरी	सी.बे.वि., जू.बे.वि.	डा.घ., हा.से., मा.शि.के., आ.यू.चि., कु.वि.के. कृ.गर्भा., न्या.प.
27.	नन्दना	जू.बे.वि., मा.शि.के. उ.के.	बी.के., डा.घ., सी.बे.वि., प.नि.के., आ.यू.चि. फु.बा., कु.वि.के., ग्रा.बैं.
28.	कजियारी	मा.शि.के., उ.के.	सी.बे.वि., जू.बे.वि., बी.के., प.अ., डा.घ.

1	2	3	4
			कु.बा., ग्रा.बैं., भे.वि के., न्या प.
29	गडाव	न्या.प., जू.बे.वि.	सी.बे.वि., हा से.वि , उ के., बी के., फु बा., ग्रा.बैं.,उ.स्वा के., प.से के , मा शि.के., भे वि के., म.वि.के.,सू वि के
30	नौडीहा	न्या.पं., मा.शि के , जू बे.वि.	सी.बे.वि., बी के., उ के , फु बा., कृ.गर्भा , प.नि.के., हो.चि , डा.घ
31.	चेरूई	जू बे.वि.	सी.बे.वि., उ.स्वा के., प.से के , बी.के., उ के , फु.बा ,म सि के , डा घ
32	आमडीह	जू.बे वि., ब.स्टा., मा.शि.के., न्या.प	सी.बे.वि., हा से.वि., बी.के., उ.के., प्रा.स्वा के., रा.बैं., ग्रा बैं., फु बा , कु वि के., सू वि के , डा.घ.
33	आसनडीह	मा शि के., जू.बे.वि.	सी.बे.वि., कृ.गर्भा , डा घ , उ.स्वा के , प.नि के , फु बा
34	डूभा	हो चि., जू.बे.वि.,	सी.बे.वि , प से.के., प नि के , मा शि.के , डा घ., ता घ., कु.वि के , भे वि.के , उ के., बी के
35	गोहड़ा	मा शि.के., जू.बे.वि., डा.घ.	सी.बे.वि., आ.यू चि , उ.के , बी.के , प.नि के., कृ गर्भा., पं.औ.
36	घघरा	फु.बा., डा.घ., जू.बे.वि.	उ.के., बी के., हो.चि , प.अस्प., पं औ., कु.वि.के.,सी.बे.वि., सू वि.के , ग्रा बैं., न्या प
37.	चप-चपकी	जू.बे.वि., उ.के., फु.बा., मा.शि.के.	बी के , न्या.पं., उ.स्वा के., प.नि के., प से.के., डा.घ., ग्रा.बैं.
38.	सतबहनी	डा.घ., जू.बे.वि.	बी.के., उ.के., ब.स्टा , आ.रू चि., उ.स्वा.के., प.औ., प.से.के., ग्रा.बैं., मा.शि के
39.	कोगा	सी.बे.वि., जू.बे.वि., डा.घ.	उ.के., बी.के., हा से.वि., पं औ., हो.चि., प्रा.स्वा.के.,फु.बा , भे.वि के., ब.स्टे.

1	2	3	4
40.	अरझट	मा शि.के., जू.बे.वि., फु.बा.	सी.बे.वि., डा.घ., आ.यू.चि., हो.चि., बी.के., उ.के.,कृ.गर्भा., कु वि.के.
41	कोरची	जू.बे.वि., डा.घ., मा.शि.के.	उ.के., बी.के., सी.बे.वि., फु.बा., भे.वि.के., सू.वि.के.,म.वि.के., कृ.गर्भा., उ.स्वा.के., ग्रा.बैं
42	वीडर	सी.बे.वि., जू.बे.वि., फु.बा.	डा.घ., मा.शि.के., आ.यू.चि., हो.चि., प.नि.के., भे.वि.के., प.से.के.
43	केवाल	जू.बे.वि., मा.सि.के. डा.घ.	उ.के., बी.के., उ.स्वा.के., हो.चि., फु.बा., ग्रा.बैं., सी.बे.वि., प.से.के.
44	पकरी	उ.के., बी.के., जू.बे.वि.	सी.बे.वि., प.नि.के., डा.घ., आ.यू.चि., प.औ., प.से.के., कु.वि.के., सू.वि.के.
45.	बघाडू	सी.बे.वि., जू.बे.वि., मा.शि.के., फु.बा.	डा.घ., हा.से., बी.के., उ.के., प.से.के., प.औ., उ.स्वा.के., ब.स्टा., भे.वि.के.
46	महुअरिया	रे.स्टे., जू.बे.वि., फु.बा.	सी.बे.वि., उ.के., बी.के., प.से.के., उ.स्वा.के., प.नि.के., ग्रा.बैं., कु.वि.के., भे.वि.के., न्य.प.
47.	किरविल	डा.घ., सी.बे.वि., न्या.पं., जू.बे.वि.	हा.से., पु.चौ., उ.के., बी.के., प्रा.स्वा.के., प.अ., रा.बैं., ग्रा.बैं., ब.स्टा., सू.वि.के., कु.वि.के., भे.वि.के., मा.शि.के.
48	रणहोर	सी.वे.बि., जू.बे.वि., मा.सि.के.	डा.घ., उ.के., बी.के., प.से.के., उ.स्वा.के., आ.यू.चि., पं.औ., प.नि.के.
49.	देवरी	उ.के., बी.के., जू.बे.वि., मा.शि.के.	सी.बे.वि., डा.घ., कृ.गर्भा., आ.यू.चि., हो.चि., पं.औ., फु.बा.
50.	बेलाही	जू.बे.वि., फु.बा.	सी.बे.वि., उ.के., बी.के., कृ.गर्भा., उ.स्वा.के., पं.औ., कु.वि.के., भे.वि.के., डा.घ., मा.शि.के.
51	जामपानी	जू.बे.वि., उ.के., बी.के., मा.शि.के.	सी.बे.वि., डा.घ., उ.स्वा.के., प.नि.के., प.से.के., फु.बा., कु.वि.के.

1	2	3	4
52	जोगीडीह	जू.बे.वि., रे.स्टे., सी.बे.वि., फु.बा.	डा.घ., बी.के., उ.के., प.से.के., उ.स्वा.के., मा.शि.के., ग्रा.बैं., न्या.प.
53	बेलत्थी	जू.बे.वि.	सी.बे.वि., उ.के., बी.के., मा.शि.के., कृ.गर्भा, उ.स्वा.के., भे.वि.के., डा.घ., न्या.पं.
54	सिन्दुरिया	न्या.प., जू.बे.वि.	मा.शि.के., सी.बे.वि., हा.से., उ.के., बी.के., भे.वि.के., प्रा.स्वा.के., प.औ., ग्रा.बैं., डा.घ., प.से.के., फु.बा.
55	सेमिया	जू.बे.वि., मा.शि.के., उ.के., बी.के.	सी.बे.वि., प.नि.के., उ.स्वा.के., प.से.के., फु.बा. कु.वि.के., भे.वि.के.
56	जुगेल	जू.बे.वि., मा.शि.के., फु.बा.	सी.बे.वि., उ.के., बी.के., प.नि.के., हो.चि. उ.स्वा.के., कु.वि.के., कृ.गर्भा, डा.घ.
57.	मगरदहा	जू.बे.वि., रे.स्टे., फु.बा.	बी.के., उ.के., सी.बे.वि., प्रा.स्वा.के., आ.यू.चि. प.से.के., ग्रा.बैं., मा.शि.के., पं.औ., डा.घ.
58.	मिर्चाघुरी	जू.बे.वि., रे.स्टे., मा.शि.के., बी.के.	उ.के., सी.बे.वि., उ.स्वा.के., प.अ., प.नि.के. कु.वि.के., भे.वि.के., डा.घ., न्या.प.
59.	चतरवार	जू.बे.वि., सी.बे.वि., बी.के., उ.के.	डा.घ., मा.शि.के., आ.यू.चि., हो.चि., कृ.गर्भा. न्या.के., सु.वि.के., डा.घ., प.औ.
60.	कचनरवा	जू.बे.वि., डा.घ., मा.शि.के.	उ.के., बी.के., सी.बे.वि., प.से.के., उ.स्वा.के. प.औ., प.नि.के., कृ.गर्भा, ग्रा.बैं., भे.वि.के. हा.से.
61.	कोटा	जू.बे.वि., मा.शि.के., बी.के., उ.के.	सी.बे.वि., प्रा.स्वा.के., हो.चि., प.अ., डा.घ. भे.वि.के., ग्रा.बैं., पं.औ., हा.से.

### शब्द संक्षेप

जि.मु.

जिला मुख्यालय

त.मु.

तहसील मुख्यालय

## शब्द-संक्षेप

वि मु.	विकास खण्ड मुख्यालय	पं. व्य. विल	पजीकृत व्यक्तिगत क्लिनिक
न्या पं के	न्याय प्रचायत केन्द्र	पं. औ.	पजीकृत औषधालय
था	थाना	सा. स्वा. के.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
पु. चौ.	पुलिस चौकी	उ. स्वा. के.	उप स्वास्थ्य केन्द्र
शी भं.	शीत भण्डार	प. नि. के.	परिवार नियोजन केन्द्र
बी. के.	बीज वितरण केन्द्र	रा. बैं.	राष्ट्रीय बैंक
उ. के.	उर्वरक वितरण केन्द्र	भू. वि. बैं	भूमि विकास बैंक
प. अ	पशु अस्पताल	जि. स. बैं.	जिला सहकारी बैंक
प. से. के	पशु सेवा केन्द्र	सं. ग्रा. बैं.	सयुक्त ग्रामीण बैंक
कृ. गर्भा.	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	ग्रा. बैं.	ग्रामीण बैंक
म. वि.	महाविद्यालय	थो. बा.	थोक बाजार
हा. से.	हायर सेकेण्ड्री विद्यालय	फु. बा.	फुटकर बाजार
सी. बे वि.	सीनियर बेसिक विद्यालय	सा. बा.	साप्ताहिक बाजार
त शि. सं.	तकनीकी शिक्षण संस्थान	कु. वि. के.	कुक्कुट पालन विकास केन्द्र
औ. प्र सं.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	सू. वि. के.	सुअर पालन विकास केन्द्र
सिने.	छविगृह	भे. वि. के.	भेड़ पालन विकास केन्द्र
रे. स्टे.	रेलवे स्टेशन	म. वि. के.	मत्स्य पालन विकास केन्द्र
ब. स्टे.	बस स्टेशन	जू. बे. वि.	जूनियर बेसिक विद्यालय
ब स्टा.	बस स्टाप		
डा. घ.	डाक घर		
ता. घ.	तार घर		
दू. भा.	दूरभाष		
अस्प.	अस्पताल		
प्रा. स्वा. के.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र		
आ यू. चि.	आयूर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय		
हो. चि.	होम्योपैथिक चिकित्सालय		
मा. शि. के.	मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र		

## संदर्भ

1. पद्मनाभन्, अन्नत 'मनुष्य व वातावरण', राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली, पृष्ठ 79.
2. शर्मा, लक्ष्मी नारायण 'अधिवास भूगोल', राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 1983 पृष्ठ 70.
3. Thaha, A : 'Indentification of Hierarchical Growth centres and Delineating of their Hinterlands', 10th cources of IRD, NICD, Hyderabad, Sept.-Oct. 1977, p.1 (Cyclostyled paper).
4. Ahmad, E.. Rural settlement types in Uttar Pradesh, A.A.A.G., vol.42 1952, pp. 223-46.
5. Meitzen, R.: Siedlung and Agrawesen der westgermanen und obstgermanen, der Kelten, Romer, Finner and slaven (3 vols. and atlas) (Berlin : W. Herty, 1895).
6. सिंह, इकबाल भारत मे ग्रामीण विकस, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, 1986, पृष्ठ 1.
7. Pathak, R.K. : Environmental Planning Resources and Development, Chugh Publication, Allahabad, 1990, p. 54.
8. Mishra, R.P., Sundram, K.P. and Prakasa Rao, V.L.S. : Regional Development Planning in India: New Strategy, Vikas Publishing House, New Delhi, 1974.
9. Babu, R. : Micro-Level Planning : A Case study of Chhibramau Tahsil (Farrukhabad District, U.P.),

Unpublished Thesis, Geography Department, Allahabad University, 1981.

10. Jefferson, M. : 'The Distrubution of World's City Folks', Geographical Review, Vol. XXI, p. 453.

11. Christaller, W. Die Zentralen orte in Suddent - Schland, Jena, G. Fisher, 1933, Tramspated by C.W. Basikin, Englewood Cliffes, N.J., 1966.

12. Perroux, F. : 'La Nation de Crossance', Economique Applique, Nos. 1 and 2, 1955.

13. Boudeville, T.R. : Problem of Regional Economic Planning, Edinburgh University Press, 1966.

14. op. cit., fn. 11.

15. Bhat, L.S. Micro - Level Planning - A Case study of Karanal Area, Haryana, India, Vikas, New Delhi, 1976, p. 45.

16. op. cit. fn.7. p.55.

17. Sen, L.K. : 'Planning of Rural Growth Centres for Integrated Area Development - A Study in Miryalguda Taluka', NICD, Hyderabad., 1971, p.92.

18. op. cit. fn.7, p.61.

19. Haggett, P. etal. : 'Determination of Population Threshold for Settlement Functions by Read Muench Method', Professional Geographer, Vol 16, 1964, pp. 6-9.

20. Roy, P. and Patil, B.R. (eds) : Manual for Block - Level Planning, Mackmillan, New Delhi, 1977, p. 25.

21. Wanmali, S. : 'Regional Planning for social Facilities - A Case Study of Eastern Maharashtra', NICD, Hyderabad, 1970, p.45.
22. *op. cit.*, fn. 17, p.92.
23. Nityanand, P. and Bose, S. : 'An Integrated Tribal Development Plan for Keonjhar District Orissa', NICD, Hyderabad, 1976.
24. Kumar, A. and Sharma, N. : Rural Centres of Services', Geographical Review of India, Vol. 39, No. 1, 1977, pp. 19-29.
25. Singh, S.B. : 'Spatial Organisation of Settlement Systems', National Geographer, Vol. XI No.2, 1976, pp. 1930-140.
26. Khan, W. etal. : 'Plan for Integrated Development in Pauri Garhwal,' NICD, Hyderabad, 1976, pp. 15-21.
27. Dutta, A.K. : 'Transportation Index in West Bengal - A Means to Determine Central Place Hierarchy', National Geographical Journal of India, Vo. 16. No. 3 and 4, 1970, pp. 199 - 207.
28. Alam, S.M., Gopi, K.N. and Khan, W.A.: 'Planning for Metropolitan Region of Hyderabad - A Case Study', in S.P. Chatterjee, etal. (ed), Proceedings of Symposium on Regional Plannig, National Committee of Georgaphy, Calcutta, 1971.
29. Mishra, G.K. : 'A Methodology for Indentifying Service Centres in Rural Area', Behavioural



Sciences and Community Development, Vo. 6, No. 1, 1972, pp. 48 - 63.

30. Singh, J. : Central Place and spatial Organisation in a Backward Economy - Gorakhpur Region - A Case Study Integrated Regional Development, Uttar Bharat Bhoogol Parishad, Gorakhpur, 1979.

31. op. cit., fn. 15.

32. op. cit., fn. 7, p. 45.

33. Prakasha Rao, V.L.S. . 'Problems of Micro - Level Planning', Behavioural Sciences and Community Development, Vol. 6, No. 1, 1972, p. 151.

34. op. cit., fn. 7, p. 45.

35. op. cit., fn. 11,

36. Duncun, J.S. . 'New - Zealand Towns as Service Centres', N.Z.G., Vol. 11, 1955, pp. 119-38.

37. Brush, J.E. : 'The Hierarchy of Central Places in South - Western Wisconsin', Geographical Review, Vol. X LIII, No. 3, 1953, pp. 380 - 402.

38. Smailes, A.E. : 'The Urban Hierarchy in England and Wales', Geography, 1944, Vol. 29.

39. Carter, H. : 'Urban Grades and Spheres of Influence in South - West Wales', Scot Geography Mag., Vol. 71, 1955, pp. 43 - 58.

40. Ullman, E.L. : 'Trade Centres and Tributary Areas of Phillippines', Geographical Review, Vol. 50, 1960, pp. 203 - 218.

41. Hartley, G. and A.E. Smailes : 'Shopping Centres in Greater London Areas', *Trans. Inst. Br. Geog.*, 29, 1961, pp. 201 - 213.

42. Kar, N.R. : 'Urban Hierarchy and Central Functions Around the City of Calcutta and its Significance', in L. Norgery (ed.), *proceedings of the I.G. II. Symposium in Urban Geography, Lund, 1962.*

43. Bracey, H.E. : 'Town as Rural Services Centres', *Trans, Inst. Br. Geog.*, 19, 1962, pp. 95-105.

44. Green, F.H.W. : 'Motor Bus Centres in South - West England Considered in Relation to Population and Shopping Facilities', *Trans. Inst. Br. Geo. Vo. 14, 1948, pp. 57 - 69.*

45. Carruthers, W.I. . 'A Classification of Services Centres in England and Wales', *Geographical Journal, Vo. 123, 1957, pp. 371 - 85.*

46. Siddal, W.R. : 'Wholesale Retail Trade Ratios as Indices of Urban Centrality', *Economic Geography, Vol. 37, 1961.*

47. Abioden, J.O. : 'Urban Hierachy in a Developing Country', *Economic Geography, Vol. 43 (4), 1967, pp. 347 - 367.*

48. Preston, R.E. : 'The Structure of Central Place Systems, *Economic Geography*', Vol. 47 (2), 1971, pp. 136 - 55.

49. Berry, B.J.L. and Garrison, W.L. : 'The Functional Bases of the Central Places Hierarchy', *Economic Geography*, Vo. 34 (2), 1958, pp. 145 - 54.

50. Vishwanath, M.S. : *A Geographical Analysis of Rural Markets and Urban Centres in Mysore*, Ph.D. Thesis, B.H.U. Varanasi.

51. Singh, O.P. : 'Towards Determining Hierarchy of Service Centres - A Methodology for Central Place Studies', *N.G.J.I.* Vol. XVII (4), 1971, pp. 165 - 177.

52. Rao, V.L.S.P. : 'Planning for An Agricultural Region, in *New Strategy*, Vikas, New Delhi, 1974.

53. Singh, J. . 'Nodal Accessibility and Central Place Hierarchy - A Case Study in Gorakhpur Region', pp. 101 - 112.

54. Jain, N.G. : 'Urban Hierarchy and Telephone Services in Vadarbh (Maharashtra)', *N.G.J.I.*, Vo. XVII (2 and 3), 1971, pp. 134 - 37.

55. *op. cit.*, fn. 51.

56. *op. cit.*, fn. 30.

*op. cit.*, fn. 11.

XXXXXXXXXX

## अध्याय 4

### कृषि के विकास की पृष्ठभूमि एवं नियोजन

अध्ययन क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ कुल कार्यशील जनसंख्या का 70.88% भाग कृषि तथा उससे सम्बद्ध कार्यों में लगा हुआ है। सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र के 26.45% भाग पर कृषि होती है। जबकि देश के लगभग 51% भाग पर कृषि होती है। कृषि क्षेत्र के आधार पर अध्ययन क्षेत्र को कृषि प्रधान क्षेत्र नहीं कहा जा सकता किन्तु कृषि कार्य में लगी कार्यशील जनसंख्या के आधार पर निःसंदेह अध्ययन क्षेत्र को कृषि प्रधान क्षेत्र कहा जा सकता है। आधुनिक वृहद् उद्योगों का विकास भी कृषि के महत्त्व एवं उस पर निर्भरता को सकुचित नहीं कर पा रही है। वास्तविक रूप में अध्ययन क्षेत्र की आर्थिक क्रियाकलापों एवं संस्कृति का आधार कृषि ही है। कृषि, यहाँ के लोगों के लिए जीविकोपार्जन का साधन नहीं वरन् जीवन शैली है।

#### 4.1 कृषि-सम्प्रत्यय

कृषि का प्रारम्भ, नव पाषण युग में हुआ, वेदों तथा अन्य धार्मिक ग्रन्थों में भी कृषि का उल्लेख है। वास्तव में यह एक ऐसा आर्थिक कार्य है जिसका विकास लेखन-कला के पूर्व हुआ था। अनेक प्रौद्योगिकी तथा औद्योगिक विकास के बावजूद कृषि का महत्त्व अक्षुण्ण है। कृषि उत्पादन की विफलता से सम्पूर्ण आर्थिक तन्त्र अव्यवस्थित हो जाती है। कृषि सम्पूर्ण आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ है।

मिट्टी को जोतने-गोड़ने तथा फसल उगाने एवं पशु-पालन करने की कार्य प्रणाली, कला एवं विज्ञान को कृषि कहते हैं।<sup>1</sup> बुकानन (1959)<sup>2</sup> ने कृषि शब्द को मिश्र-शब्द कहा है जिसका बड़ा व्यापक अर्थ है और इसके अन्तर्गत मानव प्रयोग के लिए खाद्य पदार्थ अथवा कच्चे माल उत्पन्न करने के लिए मिट्टी का उपयोग करने वाली अत्यन्त साधारण से लेकर विषम विधियाँ आती हैं। इसी तथ्य को मेकार्टी (1966)<sup>3</sup> ने सोदेश्य फसलोत्पादन एवं पशुपालन कहा है। कृषि के इस व्यापक अर्थ को अंग्रेजी का 'एग्रीकल्चर' शब्द आंशिक रूप में ही व्यक्त करता है, जिसका अर्थ भूमि को जोतकर फसल पैदा करना है। परन्तु कृषि

के अन्तर्गत फसल उत्पन्न करने के साथ-साथ पशुपालन तथा सिंचाई आदि क्रियाएँ भी सम्मिलित की जाती हैं। कृषि ने मानव के घुमक्कड़ प्रवृत्ति को स्थायित्व प्रदान किया। मानव बस्तियों के प्रतिरूप एवं कृषि में घनिष्ठ सह-सम्बन्ध है। जिम्मरमेन<sup>4</sup> के अनुसार कृषि मानव के उन उत्पादक प्रयासों को कहते हैं जिनके द्वारा वह भूमि पर बस कर उसके उपयोग की कोशिश करता है और यथासंभव पौधों एवं पशुओं के प्राकृतिक प्रजनन एवं वृद्धि की प्रक्रिया को तीव्र एवं विकसित करता है। इन सभी कार्यों का उद्देश्य मानव के लिए आवश्यक या उसके द्वारा वांछित वानस्पतिक एवं पशु उपजें उत्पन्न करना है। जसवीर सिंह (1974)<sup>5</sup> ने कृषि की सविस्तार व्याख्या की है; उनके अनुसार, कृषि फसलोत्पादन से अधिक व्यापक है। यह मानव द्वारा ग्रामीण पर्यावरण का रूपान्तरण है जिससे कतिपय उपयोगी फसलों एवं पशुओं के लिए सम्भव अनुकूल दशाएँ सुनिश्चित की जा सकें। इनकी (फसलों एवं पशुओं की) उपयोगिता सतर्क चयन से बढ़ायी जाती है। इनमें उन सभी पद्धतियों को सम्मिलित किया जाता है, जिनका प्रयोग कृषक कृषि के विभिन्न तत्वों को विवेकपूर्ण ढंग से संगठित करने और अनुकूलतम उपयोग से करता है।

मानवीय आर्थिक क्रियाओं में कृषि सबसे अधिक प्रचलित और महत्वपूर्ण है।<sup>6</sup> मैक मास्टर<sup>7</sup> द्वारा प्रतिपादित कृषि के भौगोलिक अध्ययन के तीन उपागमों - पारिस्थितिकी भूमि उपयोग तथा सांख्यिकीय में भूमि उपयोग उपागम को अपनाया गया है। आंकड़ों एवं सूचकांकों की अनुपलब्धता के कारण अन्य दो उपागमों पर ध्यान नहीं दिया गया है।

#### 4.2 कृषि योग्य भूमि

अध्ययन क्षेत्र की 86.61% जनसंख्या गाँवों में रहती है जहाँ उत्पादन का मुख्य स्रोत भूमि है। भूमि पर अधिकार आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्तर को व्यक्त करता है। स्वतन्त्रता के बाद भूमि सुधार के लिए किए गए पुनर्वितरण ने सार्वजनिक पद्धति में विशेष स्थान ले लिया है जैसे ग्रामीण उत्पादन पद्धति कृषि पर ही केन्द्रित थी, भूमि सुधार भी कृषि से ही सम्बन्धित था। भूमि पर कृषि-कार्य किया जाना भूमि उपयोग का एक माध्यम है। फ्राक्स<sup>8</sup> ने भूमि उपयोग के प्रारम्भिक अवस्था को 'भूमि प्रयोग' (लैण्ड यूज) तथा द्वितीय सोदेश्य उपयोग को 'भूमि उपयोग' (लैण्ड यूटीलाइजेशन) बताया। चौहान<sup>9</sup>, वैनजेटी<sup>10</sup> तथा

वुड<sup>11</sup> ने भी सूक्ष्म अन्तर के साथ यही विचार व्यक्त किया है ।

भूमि का अपना कोई महत्व नहीं है, इसका मूल्यांकन मानवीय प्रयासों से आका जाता है - भूमि का उपजाऊ और बंजर रूप में वर्गीकरण उसके सम्भावित सामाजिक उपयोग से है। पारम्परिक रूप में कृषि ही भूमि का सबसे उपयुक्त उपयोग है। इसलिए कृषि-उत्पादकता ही भूमि वर्गीकरण का आधार रहा है। भूमि की उपयोगिता की धारणा स्थिर न होकर आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय परिवर्तन के साथ बदलती रहती है। पारम्परिक रूप में कृषि ही भूमि का सबसे उपयोगी प्रयोग रहा है। फिर भी अध्ययन क्षेत्र में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि का एक बड़ा हिस्सा है जिसके समुचित उपयोग की आवश्यकता है ।

कृषि योग्य भूमि के अन्तर्गत शुद्ध बोये गए क्षेत्रफल के अतिरिक्त कृषि योग्य बजर भूमि, वर्तमान परती भूमि तथा अन्य परती भूमि को सम्मिलित किया गया है। इसके अन्तर्गत कुल भौगोलिक क्षेत्रफल (681928 हेक्टेयर) के 38.61 प्रतिशत भाग समाहित हैं। शेष का 49.11% वन, 8.87% ऊसर एवं कृषि के अयोग्य भूमि, 6.12% कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग में लायी गयी भूमि, 0.04%, चारागाह तथा 1.24% भाग पर उद्यान वृक्षों का प्रसार है (तालिका 4.1)। सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता विकास खण्ड राबर्ट्सगंज, चतरा तथा घोरावल में क्रमशः 75.66%, 65.24%, तथा 60.38% है। सबसे कम कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता विकास खण्ड नगवां, म्योरपुर, दुट्टी, चोपन तथा बभनी में क्रमशः 20.60%, 29.60%, 33.38%, 33.74% तथा 35.39% है (तालिका - 4.1) ।

#### (अ) शुद्ध बोया गया कृषि-क्षेत्र

शुद्ध बोये गए क्षेत्र के अन्तर्गत केवल वास्तविक कृषित क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। अध्ययन क्षेत्र का शुद्ध बोया गया क्षेत्र 180354 हेक्टेयर है जो सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र का 26.45% है तथा कुल कृषि योग्य भूमि का 68.42% है। कुल भौगोलिक क्षेत्र का शुद्ध बोया गया कृषि क्षेत्र सबसे अधिक विकास खण्ड राबर्ट्सगंज में 64.28% तथा सबसे कम विकास खण्ड नगवां में 13.23% है। किन्तु कृषि योग्य भूमि का शुद्ध बोया कृषि क्षेत्र सबसे अधिक तथा न्यून क्रमशः विकास खण्ड चतरा में 92.20% तथा म्योरपुर में

49.22% है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का शुद्ध बोया गया कृषि क्षेत्र अवनत क्रम में क्रमशः राबर्ट्सगंज (64.28%), चतरा (60.15%), घोरावल (48.20%), बभनी (25.14%), दुहड़ी (22.76%), चोपन (19.78%), म्योरपुर (14.57%), तथा नगवा (13.23%) है। इसी प्रकार कुल कृषि योग्य भूमि का शुद्ध बोया गया कृषि क्षेत्र अवनत क्रम में क्रमशः विकास खण्ड चतरा (92.20%), राबर्ट्सगंज (84.96%), घोरावल (79.83%), बभनी (71.05%), दुहड़ी (68.19%), नगवा (59.11%), चोपन (58.62%), तथा म्योरपुर (49.22%) है। स्पष्ट है कि विकास खण्ड वार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कुल कृषि योग्य भूमि एवं शुद्ध बोया कृषि क्षेत्र तथा कृषि योग्य भूमि का शुद्ध बोये गए कृषि क्षेत्र का क्रम समान नहीं है। इसका प्रमुख कारण धरातलीय स्वरूप है। अपेक्षाकृत मैदानी भागों में कृषि योग्य भूमि के अधिकतम भाग पर कृषि कार्य होता है।

#### (ब) एक से अधिक बार बोया गया कृषि-क्षेत्र

कुछ कृषि क्षेत्रों में विभिन्न समयों में एक से अधिक फसल उगायी जाती है। विभिन्न समयों में एक ही कृषि क्षेत्र में एक से अधिक बार बोये गए क्षेत्र को इसके अन्तर्गत सम्मिलित करते हैं। एक से अधिक बार बोया गया कृषि क्षेत्र बहुफसली क्षेत्र से स्पष्टतः भिन्न है। बहुफसली कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत एक ही समय में एक साथ एक से अधिक फसलों को बोया जाता है जबकि एक से अधिक बार बोये गये कृषि-क्षेत्र के अन्तर्गत फसलों को एक वर्ष में एक से अधिक बार बोया जाता है। किसी क्षेत्र में एक से अधिक बार फसलों का बोया जाना सिंचाई सुविधा, मृदा की उर्वरा शक्ति, नयी टेक्नालजी आदि कृषि निवेश (इनपुट) पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त लघु जोतों के आकार वाले भागों में वृहद् जोतों के आकार वाले भागों की अपेक्षा एक से अधिक बार कृषि क्षेत्र के बोये जाने की सम्भाव्यता अधिक पायी जाती है। इसी प्रकार शिक्षित युवकों द्वारा कृषि कार्य करने पर कृषि क्षेत्र के एक से अधिक बार बोए जाने की सम्भावना बढ़ जाती है। अध्ययन क्षेत्र के कुल शुद्ध बोए गए कृषि क्षेत्र के 41.56% (74966 हेक्टेयर) भाग पर एक से अधिक बार कृषि कार्य होता है। विकास खण्ड राबर्ट्सगंज में सबसे अधिक 64.22% भाग पर एक से अधिक बार कृषि कार्य होता है। इसके बाद क्रमशः घोरावल (59.22%), नगवा (48.03%), चतरा (43.25%), चोपन (37.72%), दुहड़ी (18.82%), बभनी (15.93%) तथा म्योरपुर (13.18%) का स्थान आता है।

## तालिका 4.1

शुभे उपयोग (हेक्टेयर में) 1990 - 91

विकासखण्ड	भौगोलिक क्षेत्रफल	कुल कृषि योग्य भूमि हेक्टेयर में	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि प्रति 10 में	शुद्ध बोया गया क्षेत्र 0	कुल भौगो 0 का प्रतिशत	कृषि योग्य भूमि का शुद्ध बोये गए क्षेत्र प्रति 10 में	वर्तमान कृषियोग्य बजर भूमि	वर्तमान परती भूमि	अन्य परती भूमि	उसर और कृषि के अयोग्य भूमि	कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग में लायी गयी भूमि	चारागाह	उद्यान वृक्षों का क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
शोरवल	81873	49433	60.38	39464	48.20	79.83	3290	2481	4198	1381	4057	111	1191
रार्डसगज	44245	33477	75.66	28442	64.28	84.96	1254	1760	2021	3251	4555	26	436
चतरा	25485	16627	65.24	15330	60.15	92.20	593	240	494	478	4197	3	610
नगवा	91620	20500	22.60	12118	13.23	59.11	4287	1900	2195	1352	5060	2	4540
चोपन	171297	57798	33.74	33885	19.78	58.62	11850	2323	9740	23381	12285	130	1543
म्पूरपुर	133789	39614	29.60	19499	14.57	49.22	7704	5584	6827	2048	6114	-	105
दुब्डी	70745	23617	33.38	16104	22.76	68.19	2028	1360	4125	1001	2616	-	11
बभनी	60826	21524	35.39	15293	25.14	71.05	2428	670	3133	318	1528	4	8
योग	679880	262620	38.63	180135	26.50	68.59	33434	16318	32733	33210	40412	276	8444
नगरीय योग	2048	642	31.35	219	10.69	34.11	31	169	223	52	1354	-	-
जनपद योग	681928	263262	38.61	180354	26.45	68.42	33465	16487	32956	33262	41766	276	8444



# DISTRICT SONBHADRA LAND USE 1990-91





FIG 41

DISTRICT SONBHADRA  
AGRICULTURAL AREA




FIG 4 2

### 4.3 फसल प्रतिरूप

फसल प्रतिरूप के अन्तर्गत फसलों के स्थानिक एवं कालिक वितरण का अध्ययन किया जाता है। अनेक फसलों के स्थानिक और कालिक वितरण से बने स्वरूप को फसल प्रतिरूप कहते हैं।<sup>12</sup> फसल प्रतिरूप पर भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, तथा सस्थागत कारकों का प्रभाव पड़ता है। अध्ययन क्षेत्र के फसल प्रतिरूप वितरण के लिए कालिक पक्ष को अपनाया गया है क्योंकि इसमें स्थानिक प्रतिरूप का स्वतः समावेश हो जाता है। अध्ययन क्षेत्र में खरीफ एवं रबी दो मुख्य फसलें हैं। जायद फसल की खेती नहीं के बराबर होती है। जायद फसल कुछ सब्जियों एवं फलों तक ही सीमित है। अध्ययन क्षेत्र के खरीफ, रबी एवं जायद फसलों के अन्तर्गत समाहित कृषि क्षेत्र को तालिका 4.2 में प्रदर्शित किया गया है।

#### (अ) खरीफ - फसल

जून-जुलाई में मानसून आगमन के समय बोई जाने वाली फसल को खरीफ फसल कहते हैं। चावल, गन्ना, कपास, ज्वार, बाजरा, मक्का, जूट, मूंगफली, तिल, तम्बाकू, मूंग, अरहर, उड़द तथा मोठ आदि खरीफ की फसलें हैं। अध्ययन क्षेत्र में 146153 हेक्टेयर क्षेत्र पर खरीफ की खेती की जाती है जो सकल बोये गए क्षेत्र का 57.24% तथा कृषि योग्य भूमि का 55.52% है। सकल बोये गए कृषि क्षेत्र के सर्वाधिक 80.76% भाग पर विकास खण्ड बभनी में कृषि होती है। खरीफ फसलों का क्षेत्रफल, सकल बोए गए क्षेत्र का अवनत क्रम में विकासखण्ड बभनी, म्योरपुर, दुब्डी, नगवां, चोपन, घोरावल, चतरा तथा राबर्ट्सगंज में क्रमशः 80.76%, 73.29%, 66.07%, 64.73%, 57.50%, 51.24%, 48.40%, तथा 46.40% है। पहाड़ी विकास खण्डों में उच्च प्रतिशत होने का कारण रबी फसल, के लिए आवश्यक सिंचाई व्यवस्था का अत्यन्त अभाव तथा मृदा संरचना है। इन विकास खण्डों में खरीफ फसलों में मक्के का प्रतिशत सबसे अधिक है। जबकि, विकास खण्ड चतरा, राबर्ट्सगंज तथा घोरावल (जो अपेक्षाकृत समतल है) में धान की अच्छी खेती होती है। गन्ना, खरीफ एवं रबी दोनों फसल मौसम में होता है, इसलिए इसका विवरण अलग से प्रस्तुत किया गया है। सकल बोए गए कृषि क्षेत्र में धान का प्रतिशत 22.69, ज्वार का प्रतिशत 1.31, मक्का का प्रतिशत 5.34, तथा बाजरा का प्रतिशत 0.19 है (तालिका 4.3)।

तालिका 4 2  
विभिन्न फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल हेक्टेयर में 1991

विकासखण्ड	राकल नोया क्षेत्रफल हे०	प्रतिशत	खरीफ फसल में नोया गया क्षेत्रफल	प्रतिशत	रबी फसल में नोया गया क्षेत्रफल	प्रतिशत	जायद फसल में नोया गया क्षेत्रफल	प्रतिशत	मन्ना फसल का क्षेत्रफल	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 घोरावल	62336	24 61	32200	51.24	29955	47 67	64	0.10	617	0.98
2 राबर्ट्सगंज	46707	18 29	21594	46 23	24968	53 46	23	0.05	122	0.26
3 चतरा	21961	8 60	10630	48.40	11331	51 60	-	-	-	-
4 नगवा	17939	7 03	11612	64 73	6327	35.27	-	-	-	-
5 चौपल	46666	18 27	26833	57.50	19809	42.00	-	-	24	0.50
6. म्यौरपुर	22069	8 64	16175	73.29	5990	26.69	4	0.02	-	-
7 कुटी	19134	7 50	12642	66.07	6489	33 91	3	0.02	-	-
8 बभनी	17729	6 95	14318	80 76	3411	19 24	-	-	-	-
ग्रामीण योग	255041	99.89	146004	57.25	108180	42.42	94	0.04	763	0.30
समस्त नगरीय योग	279	.11	149	53.41	130	46.45	-	-	-	-
जनपद योग	255320	100.00	146153	57.24	108310	42.42	94	0.04	763	0.30

स्रोत: सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद सोनभद्र, 1992, पृष्ठ 45-46 एवं संगणित ।

DISTRICT SONBHADRA  
CROPPING PATTERN  
1990-91




FIG 4.3

## तालिका 4.3

खरीफ एवं रबी फसलों के अन्तर्गत प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत वितरण 1990-91

फसल	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	सकल बोये गए 255320 हेक्टेयर का प्रतिशत
कुल खाद्यान्न	218016	85.39
कुल धान्य	189722	74.30
कुल दलहन	28294	11.08
कुल तिलहन	20234	7.92
धान	70469	27.69
गेहूँ	47803	18.72
जौ	22223	8.70
ज्वार	3351	1.31
मक्का	13630	5.34
बाजरा	496	0.19
गन्ना	763	0.30
आलू	522	0.20


स्रोत: सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद सोनभद्र, 1992 से संगणित ।

## (ब) रबी-फसल

रबी की फसलों की बुवाई अक्टूबर से दिसम्बर माह तक होती है। इन फसलों की कटाई मार्च-अप्रैल माह में होती है। इन फसलों की उत्पादकता सिंचाई पर निर्भर करती है। गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, मसूर, अलसी तथा बरसीम आदि मुख्य रबी की फसलें हैं। अध्ययन क्षेत्र में खरीफ फसलों की तुलना में रबी के फसलो का कम विकास हुआ है। रबी फसलों के अन्तर्गत 108310 हेक्टेयर क्षेत्रफल आता है जो सम्पूर्ण कृषि योग्य भूमि का 41.14%, तथा सकल बोए गए कृषि क्षेत्र का 42.42% है। सकल बोए गए क्षेत्र का विकास खण्डवार रबी फसल में बोए गए क्षेत्र, अवनत क्रम में इस प्रकार हैं -

# DISTRICT SONBHADRA

## AREA UNDER DIFFERENT CROPS : 1990 - 91



CROPS

Fig 4.4

राबर्ट्सगज (53.46%), चतरा (51.60%), घोरावल (47.67%), चोपन (42.00%), नगवां (35.27%), दुब्डी (33.91%), म्योरपुर (26.69%), तथा बभनी (19.24%) (तालिका 4.2)।

रबी की मुख्य फसल गेहूँ है जो सकल बोए गए क्षेत्र के 18.72% भाग पर बोई जाती है। जौ की बुवाई 8.70% भाग पर होती है (तालिका 4.3)। गेहूँ का कृषि क्षेत्र अवनत क्रम में क्रमशः विकास खण्ड घोरावल, राबर्ट्सगज, चतरा, चोपन, नगवां, दुब्डी, म्योरपुर तथा बभनी में हैं।

तालिका 4.3 से स्पष्ट है कि खरीफ एवं रबी फसलों के अन्तर्गत सम्पूर्ण खाद्यान्नों, धान्यों, दलहनों तथा तिलहनों की बुवाई क्रमशः 218016, 189722, 28294 तथा 20234 हेक्टेयर पर की जाती है। सकल बोये गए कृषि क्षेत्र में खाद्यान्नों का प्रतिशत 85.39% है जबकि धान्यों, दलहनों एवं तिलहनों की बुवाई क्रमशः 74.30%, 11.08%, तथा 7.92% भाग पर होती है। गन्ने की बुवाई सकल बोये गए क्षेत्र के 0.30% भाग पर होती है। सम्पूर्ण गन्ना क्षेत्र का 80.87% विकास खण्ड घोरावल में, 15.99% राबर्ट्सगज में तथा 3.15% चोपन में पाया जाता है। आलू का कृषि क्षेत्र भी अति न्यून (522 हेक्टेयर) है।

#### (स) जायद - फसल

खरीफ तथा रबी के ग्रीष्मकालीन सक्रमण काल में जायद की कृषि की जाती है, जिसमें उड़द, मूंग, खरबूज, तरबूज, ककड़ी तथा सब्जियों का उत्पादन किया जाता है।

अध्ययन क्षेत्र में जायद फसल के अन्तर्गत केवल सब्जियों का उत्पादन होता है। इसके अन्तर्गत क्षेत्रफल अत्यधिक न्यून, 94 हेक्टेयर है, जो सकल बोए गए कृषि क्षेत्र का 0.04% है। सिंचाई सुविधा की कमी इस फसल को निरूसाहित करती है। कुछ नगरीय क्षेत्रों के आस-पास क्षेत्रों में जायद फसलों का उत्पादन होता है।

#### (द) औद्योगिक - फसल

औद्योगिक फसलों के अन्तर्गत उन फसलों को सम्मिलित किया गया है जिनका



उत्पादन उद्यानों के रूप में किया जाता है । खरीफ, रबी तथा जायद फसलों की तरह इसका कोई स्पष्ट विभाजन नहीं है। आधुनिक प्रौद्योगिकी ने इन्हे 'बारहमासा' (वर्ष भर) बना दिया है। इसके अन्तर्गत फलों, सब्जियों, मशालों तथा फूलों को सम्मिलित किया गया है। यद्यपि इनमें से कुछ को खरीफ, रबी एवं जायद फसलों के अन्तर्गत सम्मिलित किया जा सकता है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से तालिका 4.4 में उल्लिखित फसलों को औद्योगिक फसल की सजा दी गयी है ।

#### तालिका 4.4

#### औद्योगिक फसल 1992-93

प्रमुख फल/सब्जी/ मशाला तथा फूल	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	उत्पादन क्विंटल में	उत्पादकता क्विंटल / हेक्टेयर
1	2	3	4
<b>1. फल</b>			
आम	1303	7516.00	57 67
अमरूद	2115	11575.00	54 72
केला	10	40.00	40 00
नीबू प्रजाति	37	172.72	46.48
ऑंवला देशी	727	3565.37	49 05
बेर	925	4916.37	53 15
अन्य	3327	13717.22	41.23
<b>योग</b>	<b>8444</b>	<b>41502.25</b>	<b>49 15</b>
<b>2. सब्जियाँ</b>			
आलू	529	6880.00	130.00
टमाटर	517	4924.42	95.25
बैंगन	435	3967.20	91 20
भिर्च	365	2110.68	57 20

1	2	3	4
गोभी प्रजाति	210	1745.10	83.10
कद्दू प्रजाति	874	5943.20	68.00
मटर	403	3304.60	82.00
भिण्डी	517	2505.00	50.00
अन्य	993	8172.39	80.30
योग	4847	39632.59	81.76

### 3. मशाला

हल्दी	25	336.84	120.30
मिर्च	217	193.13	8.90
धनिया	435	506.92	11.6
मेथी	315	318.00	12.0
सौंफ	18	20.16	11.2
प्याज	503	6840.80	136.0
लहसुन	85	425.00	50.0
अन्य	103	640.66	62.20
योग	1706	9341.51	54.76

### 4. फूल

गुलाब	3	2.46	8.20
गेंदा	4	4.04	10.10
रजनी गंधा	1	0.35	3.50
अन्य	2	1.44	7.20
योग	10	8.29	8.29

तालिका 4.4 से स्पष्ट है कि औद्योगिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल बहुत कम है । अमरूद के बाग आम के बाग से अधिक हैं । केला का क्षेत्रफल मात्र 10 हेक्टेयर है। आलू और टमाटर का कृषि क्षेत्र लगभग समान है किन्तु उत्पादन तथा उत्पादकता में महत्वपूर्ण अन्तर है । मशालों में धनिया की खेती सबसे अधिक क्षेत्रफल पर की जाती है । अध्ययन क्षेत्र के 10 हेक्टेयर भूमि पर फूल उगाए जाते हैं, जिनमें गुलाब तथा गेंदा प्रमुख हैं । तालिका 4.4 में विस्तृत विवरण उल्लिखित है ।

#### 4.4 फसल प्रतिरूप में परिवर्तन

तालिका 4.5 में 1960-61 तथा 1990-91 का फसल प्रतिरूप प्रदर्शित किया गया है जिससे स्पष्ट है कि इन वर्षों के अन्तराल में फसल प्रतिरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है । इस परिवर्तन के प्रमुख कारण शुद्ध बोये गए क्षेत्र में विस्तार, सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि तथा अन्य कृषि निष्पत्तियों (इनपुट्स) एवं विधियों के विकास तथा कृषकों द्वारा उन्हें अपनाए जाने के जागरूकता के कारण संभव हो सका । सर्वाधिक परिवर्तन खाद्यान्नों में हुआ । अध्ययन क्षेत्र की चावल हमेशा प्रमुख फसल रही है । वर्ष 1990 - 91 में भी एक चौथाई से अधिक (27.69%) भाग पर बोई जाती है । सबसे अधिक गुणात्मक परिवर्तन चावल की फसल में

#### तालिका 4.5

#### फसल प्रतिरूप में परिवर्तन

फसल	सकल बोये गए क्षेत्र का प्रतिशत		परिवर्तन
	1960-61	1990-91	
चावल	17.31	27.69	+ 10.38
गेहूँ	11.68	18.72	+ 7.04
जौ	16.27	8.70	- 7.57
ज्वार	4.70	1.31	- 3.39
मक्का	11.60	5.34	- 6.26
बाजरा	2.60	0.19	- 2.41
गन्ना	- -	0.30	+ 0.30

किसी इकाई क्षेत्र में उत्पन्न की जाने वाली प्रमुख फसलों के समूह को फसल - संयोजन कहते हैं जो वहाँ की प्राकृतिक - आर्थिक दशाओं तथा कृषक की सामाजिक एवं वैयक्तिक गुणों के अन्योन्य क्रिया का परिणाम होता है ।<sup>14</sup>

### (अ) फसल - कोटि निर्धारण

फसल- कोटि निर्धारण के अन्तर्गत फसलों का सापेक्षिक महत्त्व निर्धारित किया जाता है जो सकल बोए गए क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में ज्ञात किया जाता है । प्रस्तुत अध्ययन में सकल बोये गए क्षेत्र से सभी फसलों के बोए गये क्षेत्र का प्रतिशत ज्ञात किया गया है । इसके पश्चात उसे अवनत क्रम में रखकर प्रत्येक विकासखण्ड की फसल - कोटि निर्धारित की गयी है । कोटि निर्धारित करते समय अध्ययन क्षेत्र के सकल बोए गए क्षेत्र का सम्बन्धित फसल का क्षेत्रफल यदि 1.00% से कम है तो छोड़ दिया गया है । यदि सम्बन्धित बोए गए फसल का क्षेत्रफल विकासखण्ड स्तर पर 1.00% से कम है किन्तु जनपद स्तर पर 1.00% से अधिक है तो उसे कोटि - निर्धारण में सम्मिलित किया गया है ।

उपर्युक्त मानदण्डों के आधार पर कोटि - निर्धारण के लिए कुल 10 फसलों (चावल, गेहूँ, मक्का, चना, जौ, मसूर, तिल, अरहर, अलसी तथा ज्वार ) का चयन किया गया है । यद्यपि जनपद स्तर पर प्रथम कोटि चावल (27.69%) का, द्वितीय कोटि गेहूँ (18.72%) का, तृतीय कोटि जौ (8.70%) का चतुर्थ कोटि चना (6.05%) का तथा पंचम कोटि मक्का (5.34%) का है । किन्तु विकासखण्ड स्तर पर इसमें काफी विभिन्नता है । सामान्यतौर पर चावल प्रथम कोटि की फसल है । किन्तु विकासखण्ड राबर्ट्सगंज -चोपन तथा म्योरपुर में इसकी द्वितीय कोटि है । एक विकासखण्ड (राबर्ट्सगंज ) में गेहूँ की प्रथम कोटि तथा तीन विकासखण्डों (घोरावल - चतरा तथा नगवां) में द्वितीय कोटि है । विकासखण्ड म्योरपुर व दुहड़ी में इसकी षष्ठम कोटि है । विकासखण्ड म्योरपुर में जौ प्रथम कोटि की फसल है । विकासखण्ड दुहड़ी व बभनी में मक्का द्वितीय कोटि की फसल है । अलसी को विकासखण्ड घोरावल, राबर्ट्सगंज, चतरा तथा नगवां में क्रमशः तृतीय, चतुर्थ, तृतीय तथा तृतीय कोटि प्राप्त है, जबकि शेष विकासखण्डों में महत्वपूर्ण कोटि नहीं प्राप्त है । तिल, ज्वार, मसूर तथा अरहर को सामान्यतः निम्न कोटि प्राप्त है । उल्लेखनीय है कि मोटे अनाजों को अपेक्षाकृत उच्च कोटि प्राप्त है (तालिका - 4.6) ।

## तालिका 4.6

फसल कोटि, जनपद सोनभद्र वर्ष, 1990-91

फसलों की कोटियां एवं उनका एकल बोधे गए क्षेत्र से प्रतिभत

विकासखण्ड	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. घोरावल	चा0 38.14	गे0 28.52	अ0 5.87	चा0 5.04	जो1 2.98	म0 2.76	मसू0 1.79	अर0 0.92	ज्वा0 0.62	ति0 0.46
2. राबर्ट्सगंज	गे0 45.41	चा0 32.41	चा0 5.29	अ0 5.22	मसू0 2.72	जो 1.80	म0 0.92	ज्वा0 0.76	अर0 0.60	ति0 0.13
3. चतरा	चा0 46.88	गे0 30.11	अ0 8.08	चा0 2.78	जो 2.60	मसू0 2.41	म0 0.90	अर0 0.82	ज्वा0 0.24	ति0 0.23
4. नगवां	चा0 37.70	गे0 12.92	अ0 7.06	जो 6.48	म0 5.00	अर0 1.91	चा0 1.78	ति0 1.30	मसू0 1.11	ज्वा0 0.66
5. चोपन	चा0 23.81	चा0 18.92	म0 15.05	गे0 14.29	ज्वा0 3.66	अर0 3.65	अ0 3.32	ति0 2.45	जो 1.82	मसू0 0.72
6. म्योरपुर	जो 29.15	चा0 13.49	म0 10.81	ति0 6.58	ज्वा0 4.44	गे0 3.97	चा0 1.72	अर0 1.26	अ0 0.98	मसू0 0.23
7. दुन्डी	चा0 20.85	म0 16.50	जो0 15.45	चा0 9.11	ति0 4.17	गे0 3.80	अर0 2.73	अ0 1.60	मसू0 0.62	ज्वा0 0.37
8. बभनी	चा0 19.69	म0 16.67	जो 14.71	ति0 8.30	गे0 7.45	अर0 4.08	चा0 1.65	अ0 1.20	ज्वा0 0.76	मसू0 0.14

स्रोत: सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद सोनभद्र, 1992, पृष्ठ 43-55 से संगणित ।

चा0	चावल	अर0	अरहर
गे0	गेहूं	ति0	तिल
म0	मकका	जो0	जो
मसू0	मसूर	ज्वा0	ज्वार
अ0	अलसी	चा0	चना

## (ब) फसल - संयोजन प्रदेश


फसल - संयोजन प्रदेश का निर्धारण सांख्यिकीय विधियों पर आधारित है। जानसन<sup>15</sup>, थामस,<sup>16</sup> वीवर<sup>17</sup> तथा अय्यर<sup>18</sup> आदि विद्वानों द्वारा निर्धारित सांख्यिकीय विधियाँ महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक संरचना के विश्लेषण में दोई<sup>19</sup> द्वारा अपनायी गयी विधि तथा नगरों के कार्यात्मक वर्गीकरण में नेल्सन<sup>20</sup> द्वारा अपनायी गयी सांख्यिकीय विधि भी काफी महत्वपूर्ण है। इनमें वीवर तथा दोई द्वारा अपनायी गयी सांख्यिकीय विधिया सबसे अधिक महत्वपूर्ण है तथा कुछ सुधारों के साथ अनेक विद्वानों द्वारा अपनायी जा रही हैं। किन्तु प्रस्तुत अध्ययन में इन विद्वानों द्वारा प्रतिपादित विधियों को नहीं अपनाया गया है, क्योंकि इनकी विधियाँ वही प्रयोज्य हो सकती है जहाँ सकल बोए गए क्षेत्र के 50% क्षेत्र के अन्तर्गत ही दो या दो से अधिक फसलों का प्रतिनिधित्व हो।

अतः अध्ययन क्षेत्र को स्पष्ट और उचित फसल - संयोजन में विभक्त करने के लिए अलग विधि को अपनाया गया है। यदि किसी विकासखण्ड में उसके सकल बोये गए भाग के 50 प्रतिशत से अधिक भाग पर किसी फसल का अकेला भाग है या अकेला आधिपत्य है तो उसे एक फसली साहचर्य प्रदेश के अन्तर्गत रखा गया है। इसके साथ ही विकासखण्डों के फसल - संयोजन में उतनी ही फसलों को सम्मिलित किया गया है जिनके द्वारा बोए गए क्षेत्रों का योग 75% तक है। उक्त विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन क्षेत्र में द्विफसली से लेकर 10 फसली तक चार प्रकार के फसल - संयोजन प्रदेश निर्धारित हुए हैं। मानचित्र 4.5 से स्पष्ट है कि एक फसली संयोजन किसी भी विकास खण्ड में नहीं है। विकासखण्ड चतरा में द्विफसली संयोजन है तथा घोरावल एवं राबर्ट्सगंज में चार फसली संयोजन है। विकासखण्ड दुहरी में सात फसली संयोजन तथा म्योरपुर, चोपन एवं बभनी में दस फसली संयोजन है।

## 4.6 फसल - गहनता

कृषि उपज को बढ़ाने के लिए फसल - गहनता बढ़ाना अनिवार्य है। बढ़ती आबादी के भरण - पोषण एवं सीमित कृषि - क्षेत्र की समस्या का समाधान फसल गहनता से ही सम्भव है। फसल - गहनता का अर्थ है - एक ही खेत पर एक वर्ष में अधिक - से - अधिक बार फसलों को उगाना। फसल - गहनता से भूमि उपयोग की तीव्रता का ज्ञान होता

DISTRICT SONBHADRA  
CROP-COMBINATION REGION 1990-91



0 4 8 KM

RICE	R
WHEAT	W
MA SOOR	m
MAIZE	M
ALSI	a
ARHAR	A
TIL	T
BARLEY	B
JWAR	J
GRAM	G

- TWO CROP COMBINATION
- FOUR CROP COMBINATION
- SEVEN CROP COMBINATION
- TEN CROP COMBINATION

FIG 45

है। किसी भी क्षेत्र में फसल गहनता को हरित क्रान्ति से बढ़ायी जा सकती है। प्रस्तुत अध्ययन में फसल गहनता सूचकांक की गणना निम्न सूत्र के माध्यम से की गयी है -

$$\text{फसल - गहनता सूचकांक} = \frac{\text{कुल बोया गया क्षेत्र}}{\text{शुद्ध बोया गया क्षेत्र}} \times 100$$

#### तालिका 4.7


##### फसल - गहनता सूचकांक

विकास खण्ड	सकल बोया गया क्षेत्र	शुद्ध बोया गया क्षेत्र	फसल-गहनता सूचकांक
घोरावल	62836	39464	159 22
राबर्ट्सगंज	46707	28442	164 22
चतरा	21961	15330	143 25
नगवा	17939	12118	148 04
चोपन	46666	33885	137 72
म्योरपुर	22069	19499	113 18
दुब्डी	19134	16104	118 82
बभनी	17729	15293	115 93
ग्रामीण योग	255041	180135	141 58
नगरीय योग	279	219	127 39
जनपद योग	255320	180354	141 .56




स्रोत: सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद सोनभद्र, 1992 से संगणित ।



# DISTRICT SONBHADRA CROP INTENSITY 1990-91



CROP INTENSITY

HIGH		>150
MODERATE		125-150
LOWER		100-125

0 4 8 KM

FIG 46

अध्ययन क्षेत्र में औसत फसल-गहनता सूचकांक 141.56 है। किन्तु विकासखण्ड स्तर पर इसमें भिन्नता है। विकासखण्ड राबर्ट्सगंज में फसल गहनता 164.22 तथा घोरावल में 159.22 है अर्थात् 150 से अधिक फसल गहनता वाले केवल दो विकासखण्ड नगवा, चतरा तथा चोपन हैं। 100 से 125 फसल-गहनता के अन्तर्गत भी तीन विकास खण्ड दुद्धी (118.82), बभनी (115.93) तथा म्योरपुर (113.18) हैं (मानचित्र 4.6)।

#### 4.7 सिंचाई

कृषि के लिए जल की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति प्राकृतिक तथा कृत्रिम साधनों द्वारा होती है। सिंचाई का प्राकृतिक साधन वर्षा है। वर्षा के अभाव तथा अनिश्चितता के कारण कृत्रिम साधनों द्वारा जल उपलब्ध कराना ही सिंचाई कहलाता है। मानसूनी वर्षा की अनिश्चितता, अनियमितता, असामयिकता तथा विषमता सिंचाई की आवश्यकता को अनिवार्य बना देती है।


अध्ययन-क्षेत्र में न केवल सिंचाई साधनों का वरन सिंचाई स्रोतों का भी अभाव है। शुद्ध बोये गए क्षेत्र का 28.81% भाग ही शुद्ध सिंचित क्षेत्र (तालिका 4.8) है। रिहन्द जलाशय के जल का उपयोग सिंचाई के लिए नहीं किया जाता है क्योंकि अध्ययन क्षेत्र के सम्पूर्ण जल विद्युत एवं ताप विद्युत गृहों का आधार यही जलाशय है। दो प्रमुख बाध कर्मनाशा नदी पर नगवा-सिलहट बाध (जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं) (विकासखण्ड नगवा) तथा घाघर नदी पर धधरोल बाध (विकासखण्ड चतरा) से ही मुख्यतः सिंचाई होती है। नगवा बाध से सिलहट तथा धधरोल बाध में भी जल की आपूर्ति की जाती है। नगवा एवं सिलहट बाध का जलग्रहण क्षेत्र विस्तृत है तथा ये दोनों बाध सलग्न हैं। सिलहट तथा धधरोल बाध का निर्माण 1918 में पूर्ण हुआ जबकि नगवा बाध 1948 में तैयार हुआ। नगवा बाध की ऊँचाई में वृद्धि की जा रही है, शीघ्र ही रबी फसल में भी सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि धधरोल बांध से निकली नहरों द्वारा अधिकांश सिंचित क्षेत्र मीरजापुर तथा वाराणसी जिलों में है।

विकास खण्ड राबर्ट्सगंज, चतरा एवं नगवा में उपर्युक्त बाधों के अतिरिक्त अनेक छोटी-छोटी बन्धिया हैं जिनसे 3-4 किलोमीटर नहर निकाल कर या सीधे बाध से खेतों


तालिका 4-8  
सिंचाई

क्रमाख्या	विकासखण्ड	शुद्ध बीया गणा क्षेत्रफल हेक्टेयर में	शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल प्रतिशत में	नहर	नलकूप	कूप	तालाब/झील	अन्य
1	घोरावल	39464	48 39	82 1	1 6	0 8	9 1	6 4
2	राबर्ट्सगज	28442	54 57	70 9	1 1	0 6	27 4	0 9
3	चतरा	15330	53 65	66 5	1 7	1.2	28 8	1 8
4	नगावां	12118	15 60	44 9	-	2 7	45 5	6.9
5	चोपन	33885	0 82	23 3	5 4	4 3	43 3	23 7
6	म्योरपुर	19499	0 94	53 6	-	13 1	9 8	23 5
7	दुखी	16104	7 63	66 1	-	21 7	-	12 2
18	बभनी	15293	0 44	-	-	-	-	100.0
-----								
	ग्रामीण योग	180135	25 81	72 7	1 3	1.6	20 1	4.2
	नगरीय योग	219	23 29	-	-	7 8	-	99 2
-----								
	जनपद योग	180354	25.81	72.7	1.3	1.5	20.1	4.3

# DISTRICT SONBHADRA IRRIGATION 1990-91



IRRIGATED AREA IN  
HECTARES



0 4 8  
KM

SOURCE OF IRRIGATION





-  CANAL
-  WELL & TUBE WELL
-  TANK
-  OTHERS

FIG 47

तक जल पहुँचाया जाता है। चोपन के पास सोनपम्प नहर से, जो बारह पम्पों की क्षमता वाली है, विकासखण्ड चोपन में खरीफ एवं रबी दोनों फसलों की सिंचाई की जाती है। व्यक्तिगत स्तर पर तालाब एवं पोखरों से सीमित स्तर पर खरीफ फसलों की सिंचाई होती है। अध्ययन क्षेत्र के पठारी स्वरूप तथा जल स्तर अत्यधिक निम्न होने के कारण नलकूप एवं कूप से बहुत कम क्षेत्रों पर सिंचाई की जाती है। विकासखण्ड राबर्ट्सगंज, चतरा तथा घोरावल के बेलन घाटी तथा चोपन के सोनघाटी क्षेत्र में सीमित स्तर पर नलकूप द्वारा सिंचाई की सम्भावना है।

अध्ययन क्षेत्र के शुद्ध बोए गए क्षेत्र के चौथाई भाग पर ही सिंचाई होती है। इन सिंचित क्षेत्रों में से 72.72% भाग पर नहरों से, 13% भाग पर नलकूपों से, 15% भाग पर कूपों से, 20.1% भाग पर तालाबों व झीलों से तथा 4.3% भाग पर अन्य साधनों से सिंचाई होती है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र के विकासखण्ड राबर्ट्सगंज में 54.57% भाग पर, चतरा में 53.65% भाग पर, घोरावल में 48.39% भाग पर, नगवा में 15.60% भाग पर दुद्धी में 7.63% भाग पर सिंचाई होती है। विकासखण्ड चोपन, म्योरपुर तथा बभनी का सिंचित क्षेत्र एक प्रतिशत से भी कम है (तालिका 4.8)। विकासखण्ड बभनी में नहरों, नलकूपों, कूपों तथा तालाब आदि से सिंचाई नहीं होती है। विकासखण्ड नगवा म्योरपुर तथा दुद्धी में भी एक भी नलकूप नहीं है (तालिका 4.8)। उल्लेखनीय है कि सिंचाई की अधिकांश सुविधाएँ खरीफ फसलों को ही उपलब्ध हैं। बाधों का जल स्रोत वर्षा है इसलिए रबी फसलों के लिए सिंचाई उपलब्ध नहीं हो पाती है। सोन पम्प नहर से सीमित स्तर पर ही रबी फसलों की सिंचाई होती है। भूमिगत जल स्तर, ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक नीचे चला जाता है जिस कारण इससे रबी फसलों के सिंचाई की सम्भावना समाप्त हो जाती है। अध्ययन क्षेत्र में कृषि के पिछड़ेपन का प्रमुख कारण सिंचाई सुविधाओं का अभाव है।

#### 4.8 जोतों का आकार

जोत का आशय उस समग्र भूमि से है जिसके समग्र या आंशिक भाग पर कृषि उत्पादन एक तकनीकी इकाई के तहत केवल एक व्यक्ति या कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ किया जाता है। तकनीकी इकाई से तात्पर्य उत्पादन के अन्य साधन तथा उनके प्रबन्धन

से है। <sup>21</sup> जोतो के आकार से मानव-भूमि सम्बन्ध का ज्ञान होता है।

**तालिका 4.9**  
**जनपद सोनभद्र में जोतों की संख्या एवं आकार**  
**1991-92**

आकार (हेक्टेयर में)	संख्या	प्रतिशत	क्षेत्रफल	प्रतिशत
1	2	3	4	5
1 सीमान्त(1 से कम)	59129	52 19	24802	9 71
2 लघु (1 से 2)	24955	22 09	35930	14 07
3. उपमध्यम्(2 से 3)	9889	8 73	24265	9 50
4 मध्यम् (3 से 5)	9030	7 97	34808	13 63
5 वृहद् (5 से अधिक)	10293	9 08	135515	53 08
<b>योग</b>	<b>113296</b>	<b>100.00</b>	<b>255320</b>	<b>100.00</b>

स्रोत : एकीकृत जिला योजना, जनपद सोनभद्र, 1992-93, पृष्ठ 8 एव उससे संगठित ।

तालिका 4 9 से ज्ञात होता है कि अध्ययन क्षेत्र में कुल जोतो की संख्या 113296 है जिसके अन्तर्गत 255320 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र सम्मिलित है। अध्ययन क्षेत्र में 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल की सीमान्त जोतो की संख्या सर्वाधिक (52 19%) है किन्तु इसके अन्तर्गत 9 71% कृषि क्षेत्र ही सम्मिलित है। 1 से 2 हेक्टेयर वाली लघु जोतों के अन्तर्गत 22.09% जोते और 14.07% कृषि क्षेत्र सम्मिलित है। 2 से 3 हेक्टेयर क्षेत्रफल की उपमध्यम जोतें तथा 3 से 5 हेक्टेयर क्षेत्रफल की मध्यम जोतें के अन्तर्गत क्रमशः कुल जोतों का 8 73 व 7 97 प्रतिशत तथा कृषि क्षेत्र का 9 50 व 13 63 प्रतिशत भाग सम्मिलित है। 5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाली वृहद् जोतों की संख्या 9 08 प्रतिशत है किन्तु

# DISTRICT SONBHADRA LAND HOLDINGS




FIG. 4.8

किन्तु इसके अधीन 53.08% कृषि क्षेत्र सम्मिलित है। स्पष्टतः अध्ययन क्षेत्र में सीमान्त एवं लघु जोतों की अधिकता है किन्तु अधिकांश कृषि क्षेत्र बृहद् जोतों के अन्तर्गत है।


#### 4.9 कृषि का यन्त्रीकरण

प्रायः अल्पविकसित देशों में यह समझा जाता है कि आर्थिक विकास और औद्योगिक विकास को एक ही संदर्भ में विचार करना चाहिए। वस्तुतः कृषि का पिछड़ापन आर्थिक तथा औद्योगिक विकास की धीमी गति का ही परिणाम है।<sup>22</sup> वास्तव में अर्थव्यवस्था के अन्य प्रक्षेत्रों के विकास के लिए कृषि-विकास एक आधार है।<sup>23</sup> कृषि विकास के सम्बन्ध में तैयार एक नीति के अन्तर्गत अधिकाधिक क्षेत्र में अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों का उत्पादन, सिंचाई सुविधाओं का विकास, विशेषकर भूमिगत जल-स्रोतों का उपयोग, उर्वरकों के पर्याप्त एवं सतुलित उपयोग, आवश्यकता पर आधारित पौध संरक्षण उपायों को अपनाया जाना और कृषि के काम आने वाली वस्तुओं, जिसमें सस्थागत एवं अन्य वित्तीय सगठनों से प्राप्त होने वाला ऋण भी सम्मिलित है, कि सुव्यवस्थित एवं नियमित आपूर्ति आते हैं।<sup>24</sup> भारतीय कृषि को यन्त्रीकृत करके रूपान्तरित करने का श्रेय हरित क्रान्ति को है। अमरीकी विद्वान विलियम गेड ने सर्वप्रथम हरित क्रान्ति शब्द का प्रयोग करते हुए अधिक उपज देने वाली किस्मों के प्रयोग का उल्लेख किया था। यह जैव प्राविधिकी के विकास का आरम्भिक चरण था।<sup>25</sup>

अध्ययन क्षेत्र में एच0वाई0पी0 (हाई यील्डींग वेरायटीज) किस्म के बीजों के प्रयोग के आकड़े उपलब्ध नहीं हैं। किन्तु इन बीजों का प्रयोग सीमित स्तर पर सीमित फसलों में ही हो रहा है। क्योंकि इसके लिए आवश्यक अन्य सुविधाओं का अभाव है। सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र में 1100 ट्रेक्टर कृषि कार्य हेतु हैं, इनमें से मात्र 37 ट्रेक्टर तहसील दुहड़ी में हैं। लकड़ी के देशी हलों का प्रयोग व्यापक पैमाने पर होता है। सम्प्रति 103588 लकड़ी के देशी हल, 2821 लोहे के हल तथा 4042 उन्नति हैरों तथा कल्टीवेटर का प्रयोग हो रहा है। कुल थ्रेसिंग मशीन की संख्या 1373, स्प्रेयर की संख्या 127 तथा उन्नत बोआई यन्त्र की संख्या 6563 है।<sup>26</sup> तहसील दुहड़ी में अभी-भी उन्नत बोवाई यन्त्र, स्प्रेयर तथा हैरो व कल्टीवेटर का प्रयोग नहीं हो रहा है। उपर्युक्त तथ्यों से कृषि में यन्त्रीकरण के अभाव की स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो जाती है। कृषि को प्रोन्नति करने में विभिन्न प्रकार के बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किन्तु अध्ययन क्षेत्र में बैंकों की नितान्त कमी है (मानचित्र 4.9 व तालिका 3.1)।



# DISTRICT SONBHADRA SPATIAL PATTERN OF BANKING FACILITIES



- EXISTING (1990-91) PROPOSED
- LAND DEVELOPMENT BANKS ○
- DISTRICT COOPERATIVE BANKS ⊖
- OTHER NATIONALIZED BANKS ▲
- NATIONAL GRAMIN BANKS □

FIG 4.9

अध्ययन क्षेत्र में 1990-91 में कुल 5898 मीट्रिक टन उर्वरकों का वितरण किया गया। इसमें से विकासखण्ड राबर्ट्सगंज, घोरावल, चतरा, नगवा, दुब्डी, बभनी, चोपन तथा म्योरपुर में क्रमशः 2580, 2182, 501, 185, 146, 139, 97 तथा 68 टन कुल उर्वरकों का वितरण हुआ।<sup>27</sup> उर्वरकों के प्रयोग की दृष्टि से विकास खण्ड राबर्ट्सगंज व घोरावल की स्थिति को ही सतोष जनक कहा जा सकता है। कृषि क्षेत्र के चौथाई भाग पर ही सिंचाई होती है इसलिए भी अध्ययन क्षेत्र में हरित क्रान्ति का सपना साकार नहीं हुआ है।

#### 4.10 पशुपालन

पशुपालन का विकास विविधीकृत कृषि अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग होता है। पशुधन की संख्या का प्रभाव न केवल कृषि के कुल उत्पादन पर अपितु खेत पर भी पड़ता है। पशुधन की विभिन्न नस्लों में चौपाए ही अधिक प्रमुख हैं, केवल इसलिए नहीं कि इनकी संख्या अधिक है, बल्कि इसलिए भी कि ये पशु कृषि कार्यों और किसान की सम्पन्नता में अधिक सहयोग देते हैं। कृषि के लगभग सभी कार्यों के लिए उपलब्ध शक्ति पशु ही है। खेत जोतना, खाद लादना, पानी प्राप्त करना, फसल की दाय (भड़ाई) देना और यातायात प्रमुख कृषि कार्य हैं, जो पशु प्रमुख रूप से करते हैं। मौस, खाल, ऊन, बाल और मुर्गीपालन को छोड़कर पशुधन के अन्य सभी कामों में चौपायों का महत्वपूर्ण स्थान है। पशुओं का गोबर कृषि क्षेत्र की खाद की महत्वपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति करता है। ईंधन के अन्य साधन उपलब्ध न होने के फलस्वरूप देश में उपलब्ध गोबर का दो - तिहाई भाग ईंधन के रूप में जला दिया जाता है। पशुओं से न केवल कृषि उत्पादन में सहायता मिलती है, बल्कि दूध और दूध से बने पदार्थों की सहायता से शारीरिक जरूरत के अनुरूप गुणकारी पदार्थ भी मिल जाते हैं।

तालिका 4.10 से स्पष्ट है कि कुत्ते को छोड़कर कुल पशुओं की संख्या 740402 है जिसमें से 517318 तहसील राबर्ट्सगंज में तथा 223084 दुब्डी में है। पशुओं में सर्वाधिक संख्या गो जातीय पशुओं की है जिसकी कुल संख्या 481363 है, इसमें से तहसील राबर्ट्सगंज में 349825 तथा दुब्डी में 131538 है। महिष जातीय पशुओं की संख्या तहसील दुब्डी में राबर्ट्सगंज की अपेक्षा अधिक है। भेड़ों की अपेक्षा (संख्या 20679) बकरा-बकरियों की संख्या (140150), 6.78 गुना अधिक है। घोड़ों-टट्टों तथा सूअरों की संख्या लगभग

## तालिका 4.10

जनपद सोनभद्र में पशुओं की संख्या 1988

पशु	राबर्टसगंज तहसील	दुद्धी तहसील	योग
1	2	3	4
1 कुल गो जातीय पशु	349825	131538	481363
2 कुल महिष जातिय पशु	70105	21166	91271
3 कुल भैंड	18970	1709	20679
4 कुल बकरा एवं बकरिया	74419	65731	140150
5 कुल घोडे एव टट्टू	2206	1097	3303
6 कुल सुअर	1560	1806	3366
7 कुल पशु कुत्ते			
को छोडकर	517318	223084	740402
8 कुल कुक्कुट	111516	96145	207661

स्रोत सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद सोनभद्र,

1992, पृष्ठ 73-78

बराबर है। अध्ययन क्षेत्र में कुक्कुट पालन भी किया जाता है। कुल कुक्कुटों की संख्या 207661 है, इसमें से 11516 कुक्कुट तहसील राबर्टसगंज में तथा 69145 कुक्कुट दुधड़ी में पाये जाते हैं। अध्ययन क्षेत्र में मत्स्य पालन नहीं होता है। नदियों, बाधों, तथा बन्धियों में कुछ मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। मत्स्य पालन का अभी व्यावसायीकरण नहीं हुआ है। अध्ययन क्षेत्र में चराई की सुविधा उपलब्ध है इसलिए पशुपालन की पर्याप्त संभावना है। किन्तु ये अपरदन के सक्रिय कारक हैं इसलिए चराई की बहुत अधिक छूट नहीं दी जा सकती है।

#### 4.11 कृषि - विकास नियोजन

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र की कृषि अत्यन्त पिछड़ी हुई है। कृषि - विकास में गति प्राप्त किए बिना समग्र विकास को प्राप्त नहीं किया जा सकता। कृषि के लिए आवश्यक है कि इसके विकास के लिए उत्तरदायी विभिन्न अवयवों को नियोजित ढंग से विकसित किया जाय। इस उद्देश्य की प्राप्ति सुसंगठित प्रयास से ही संभव है जिसमें प्रशासक और योजना निर्माता, शोध करने वाले वैज्ञानिकों, प्रसार कार्यकर्ताओं, वित्तीय ऋण उपलब्ध कराने वाली एजेंसियों, जनसंचार माध्यमों तथा कृषकों के सहयोग की आवश्यकता है। अध्ययन क्षेत्र के कृषि की सहनशीलता सबसे उल्लेखनीय तथ्य है। लगातार अववर्षण के बावजूद कृषक देव-अधीन कृषि कार्यों में लगे हुए हैं।

अध्ययन क्षेत्र की समृद्धि बढ़ाने के लिए समन्वित फसल, पशुधन, मत्स्य-पालन तथा बागवानी जैसे उद्यमों के जरिए कृषि में विभिन्नता लाकर कृषि आमदनी को अधिक-से-अधिक बढ़ाना होगा। कृषि के क्षेत्र में सामान्य वृद्धि से ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी पर सीधे आक्रमण करने की नीति अपनाकर एक सचेष्ट परिवर्तन लाना होगा क्योंकि कृषि विकास के बिना अध्ययन क्षेत्र की गरीबी को दूर करने की कल्पना ही नहीं की जा सकती। हमें कृषि विकास को केवल और अधिक अनाज उपजाने के साधनों के रूप में ही नहीं लेना है बल्कि गाँव की आमदनी बढ़ाने और रोजगार की और अधिक अवसर उपलब्ध कराने के माध्यम के रूप में भी लेना है। कृषि विकास नियोजन के लिये भूमि - सुधार, कृषि यंत्रीकरण, पशुधन एवं डेयरी विकास, दलहन एवं तिलहन विकास, औद्योगिक फसलों का विकास, मिश्रित खेती, शुष्कभूमि कृषि, खरपतवार नियन्त्रण, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार तथा कृषि रसायनों एवं उर्वरकों के प्रयोग पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त वित्तीय ऋण उपलब्ध कराने, बचत को

बढावा देने तथा महाजनी ऋण जाल से मुक्ति प्रदान करने के लिए बैंकिंग सुविधाओं में वृद्धि करने की आवश्यकता है।

### (अ) भूमि सुधार

भूमि ससाधन हमारी पवित्र ससाधन है। हमारा उत्तरदायित्व है कि हम इसके केवल अक्षुण्ण रूप में ही नहीं बल्कि सुधरे हुए रूप में आगामी पीढ़ियों के लिए सौंपें। इसके लिए कृषि विकास की प्रक्रिया में भूमि ससाधन की वहन क्षमता तथा इसके सामर्थ्य और पर्यावरण सुरक्षा के पहलुओं की ओर हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए। भूमि तथा जल चक्रों के बीच तालमेल का सम्बन्ध बनाने के लिए कार्यक्रम तैयार करने की, उपलब्ध भूमि की उत्पादकता बढाने, उत्पादकता फिर से प्राप्त करने, भूमि का फिर से सुधार करने और कम उपजाऊ भूमि का विकास करने व ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन के स्तर में सुधार लाने की आवश्यकता है। भूमि ससाधन के अधिकतम उपयोग तथा सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों के संरक्षण आवश्यकताओं को लेकर कृषि तथा इसके अन्य आनुषंगिक माध्यमों से अध्ययन क्षेत्र के लोगों के लिए समृद्धि लायी जा सकती है।

अध्ययन क्षेत्र के पहाड़ी तथा पठारी धरातलीय स्वरूप होने के कारण कृषि-भूमि को बहुत अधिक नहीं बढायी जा सकती है। अतः कृषि उत्पादकता को बढाना तथा कृषि योग्य भूमि को कृषिभूमि में बदलना, यही दो विकल्प हैं। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 12.18% (82908 हेक्टेयर) भाग को (बंजर एवं परती भूमि) कृषि भूमि में, आठवीं पंचवर्षीय योजना तक परिवर्तित करने की आवश्यकता है। 49443 हेक्टेयर परती भूमि को भूमिहीन कृषक मजदूरों में बांट देने से एक दो वर्ष में ही सम्पूर्ण भूमि उपजाऊ हो जाएगी। 33262 हेक्टेयर ऊसर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदलने के लिए आधुनिक तकनीक तथा वैज्ञानिक विधि की आवश्यकता है। इसके लिए सरकार को कुछ आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए। ऊसर भूमि को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित कर देने पर कृषि योग्य भूमि में 4.88% और वृद्धि हो जाएगी। शुष्कता, बहुत कम तथा अनिश्चित वर्षा, अत्यन्त कम उर्वरा मृदा, भूमि तथा जल पर भारी जैव दबाव तथा अपर्याप्त भूमिगत जल की समस्या को धीरे-धीरे दूर करने का प्रयास प्रारम्भ कर देना चाहिए।

कृषि-उत्पादन के लिए भूमि सुधारों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए चकबंदी, वास्तविक काश्तकारों को भूमि पर कब्जा, भूमि की सीमा निर्धारित करना और सीमा से अधिक भूमि को कमजोर वर्षों में वितरित करना अत्यन्त आवश्यक है। दूसरी

तरफ ऐसे नये कानून बनाने चाहिए जिससे भूमि के और टुकड़े न हों और कृषि - भूमि को गेर - कृषि प्रयोजनों में न लगाया जाए। इन भूमि - सुधारों के प्रति किसानों के दृष्टिकोण की समीक्षा होनी चाहिए जिससे यह पता लगाया जा सके कि उनकी सफलता और असफलता के कारण क्या है और असफलताओं के निवारण के लिए क्या उपाय किया जाना चाहिए। यह बात ध्यान में रखी जानी चाहिए अध्ययन क्षेत्र में भूमि की स्थिति वर्तमान गरीबी और कृषि की प्रगति दोनों दृष्टियों से अत्यन्त महत्वपूर्ण कारण है। अतः भूमि सुधारों को उच्च प्राथमिकता देने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं है।

### (ब) सिंचाई

अध्ययन क्षेत्र के पहाड़ी भागों में अनेक छोटी-छोटी बन्धियों का निर्माण करके सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि की पर्याप्त संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं को देखते हुए कहा जा सकता है कि अल्प खर्च में सम्पूर्ण कृषि भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा सकती है। भूमिगत जल तथा नलकूपों से सिंचाई की सीमित संभावना है, इसलिए तालाबों, बांधियों एवं बाधों पर सिंचाई को निर्भर करना चाहिए। इनके निर्माण से भूमिगत जल-स्तर भी ऊपर उठेगा। अध्ययन क्षेत्र में बांधों का निर्माण अत्यन्त आसान है। दो पहाड़ियों के बीच में एक ओर ऊँची दीवाल खड़ी कर देने से बाध का निर्माण हो जाता है। सिलहट तथा नगवा बाध (नगवा विकास खण्ड) उसी तरह बनाए गए हैं। नहरों के निर्माण के लिए व्यापक सर्वेक्षण की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त निर्माणाधीन अनेक बांधियों का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए।

सोन, रिहन्द, कनहर, पांडव तथा कर्मनाशा आदि नदियों से पम्प द्वारा जल उठाकर नहरों के माध्यम से वर्ष भर सिंचाई की जा सकती है। चोपन स्थित सोन पम्प नहर की तरह अन्य स्थानों पर भी पम्प नहर बनाने की आवश्यकता है। इस माध्यम से उँची - नीची भूमि पर भी सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा सकती है। दुब्डी स्थित अमवार कनहर परियोजना, जिसका निर्माणाधीन कार्य 15 वर्ष से ठप पड़ा हुआ है, शीघ्र पूर्ण करने की आवश्यकता है। कोन क्षेत्र के मध्य बहने वाली 'पांडव नदी लिफ्ट योजना' तथा कर्मनाशा नदी पर 'जसौली परियोजना' का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने की आवश्यकता है।

गोविन्दपुर स्थित बनवासी सेवा आश्रम द्वारा बधी बनाने की एक नयी तकनीक का प्रयोग किया गया है, जिसे व्यापक स्तर पर अपनाए जाने की आवश्यकता है। अध्ययन क्षेत्र के दक्षाचल में ऊँची - नीची एवं असिंचित क्षेत्र है। जहाँ सरकार द्वारा सिंचाई उपलब्ध कराये जाने के विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बावजूद सम्पूर्ण क्षेत्र में सिंचाई की दस प्रतिशत सुविधा भी उपलब्ध होना सम्भव नहीं है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए छोटे - छोटे नालों पर छोटे - छोटे बंधियों के निर्माण के प्रथम चरण में 17 योजनाएँ, आश्रम द्वारा ली गयी हैं। इसमें से 5 योजनाओं का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। ऐसी बंधियों को 'लूजरॉक फिल डैम' के नाम से जाना जाता है। जो किसी भी नाले पर सामान्य किस्म के पत्थर को एक लोहे की जाली में बधी के रूप में बाध दिया जाता है और नदी या नाले का पानी रुक जाता है। डूब क्षेत्र अपनी पूरी क्षमता में कायम रहेगा। इन बंधियों के डूब क्षेत्र के दोनों किनारों पर 'किनों' द्वारा पानी खेत में डालकर पर्याप्त खेती की जा रही है।

अध्ययन क्षेत्र जल ससाधनों की दृष्टि से समृद्ध होते हुए भी सामाजिक - आर्थिक कठिनाईयों के कारण सिंचाई के क्षेत्र में पिछड़ा है। इस क्षेत्र की उत्पादन क्षमता को, उपयुक्त जल-संसाधन प्रबंध-व्यवस्था से बढ़ायी जा सकती है। इसके विकास के लिए जल-निकासी, सिंचाई साधनों का इस्तेमाल तथा विद्युत आपूर्ति का सहारा लेना आवश्यक है। बाधों से खेतों तक पानी ले जाने और वितरण के लिए सिंचाई इंजीनियरों, कृषि विशेषज्ञों तथा कृषकों से सलाह लेनी चाहिए।

### (स) कृषि का वाणिज्यीकरण

फसल प्रतिरूप के अध्ययन से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में चावल, गेहूँ, तथा मक्का की कृषि बड़े पैमाने पर होती है। शेष फसलों का उत्पादन घरेलू आपूर्ति तक ही सीमित है। गन्ना, तिलहन एवं दलहन फसलों का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है। गन्ना की खेती सम्पूर्ण बेलन घाटी में सिंचाई सुविधाओं को उपलब्ध कराकर की जा सकती है। तिलहन फसलों के लिए आरम्भ की गयी 'टेक्नालाजी मिशन' को प्रसारित करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार दलहन फसलों के उत्पादन पर भी अधिक बल दिया जाना चाहिए। इससे किसानों की आय बढ़ेगी तथा क्रय शक्ति का विकास होगा। अध्ययन क्षेत्र की बन्धियों में मत्स्य

पालन किया जा सकता है तथा औद्योगिक केन्द्रों के निकट व्यावसायिक स्तर पर कुक्कुट पालन की पर्याप्त सम्भावना है। यदि अच्छी नश्ल के पशुओं का पालन करके डेयरी विकास किया जाय तो ग्रामीणों के गरीबी का दुश्चक्र शीघ्र समाप्त हो सकता है। चराई की सुविधा के कारण पशुपालन बेहतर ढंग से किया जा सकता है। इस प्रकार कृषि के विविध क्षेत्रों को वाणिज्यीकृत करके विकासकी प्रक्रिया को तेज की जा सकती है ।

#### (द) असिंचित भूमि में कृषि

अध्ययन क्षेत्र का 75% कृषि भूमि असिंचित है। सम्पूर्ण कृषि क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध कराना कठिन कार्य है। अतः जब तक असिंचित कृषि क्षेत्रों का सही उपयोग नहीं होता तब तक कृषि विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। असिंचित क्षेत्रों के रबी मौसम में नमी की कमी मुख्य समस्या है जिससे रबी फसलों का उत्पादन प्रभावित होता है। अतः उक्त ज्वलन्त समस्या के समाधान के लिए खरीफ फसल में जल का उचित संरक्षण तथा उसका रबी के लिए दक्षतापूर्ण उपयोग नितान्त आवश्यक है। जल संरक्षण के लिए निम्न विधियाँ अपनायी जानी चाहिए -

- 1 खेतों को समतल करके मेडबन्दी करना चाहिए ।
- 2 ढाल के विपरीत समोच्च रेखा पर कृषि कार्य करना चाहिए ।
- 3 कठोर पर्त को तोड़ने के लिए गहरी जुताई करनी चाहिए जिससे जल का नीचे प्रवेश हो तथा अपवाह कम हो ।
- 4 जैविक खादों का प्रयोग करना चाहिए जो न केवल पोषक तत्वों के लिए आवश्यक है वरन् जल धारण क्षमता बढ़ाने में विशेष सहायक होते हैं।
- 5 फसलों को ढाल के विपरीत मेड़ों पर बोना चाहिए । अतिवृष्टि में मेड़ों पर फसलें तथा कूड़े में पानी सुरक्षित रहता है ।
- 6 अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने 'जल शक्ति' नामक रसायन का विकास किया है जो अपने भार से 100 गुनी पानी सोख कर लम्बी अवधि तक रोकने की क्षमता रखता है। अतः इसका प्रयोग शीघ्र प्रारम्भ करना चाहिए ।
- 7 वाष्पोत्सर्जन विरोधी 'पारस' रसायन का प्रयोग करके पंक्तियों से वाष्पोत्सर्जन को कम करना चाहिए । पत्तियों पर 'कैओलीन' तथा पौधों पर 'साइकोसिल' का छिड़काव करके



करके ऊपरी बढ़वार को कम करके वाष्पोत्सर्जन को कम करना चाहिए ।

असिंचित कृषि क्षेत्रों में गहरी जड़ों वाली फसल या किस्में विशेष उपयोगी होती हैं जिससे वे सूखे के समय नीचे की तहों से नमी खींच सकें। सूखे की दशा के अनुकूल विभिन्न फसलों की उपयुक्त कुछ प्रमुख प्रजातियों का चयन निम्न प्रकार से करना चाहिए

धान-	कावेरी, झोना - 349, साकेत - 4, गोविन्द, नरेन्द्र - 1
गेहूं-	के - 65, सी- 306, मुक्ता, के - 72, के - 8027
जौ-	आजाद, रत्ना, लखन, मजूला।
ज्वार-	वर्षा, मऊ टा 1, मऊ टा 2, सी एस एच - 5
बाजरा-	डब्ल्यू सी सी 75, एम पी. - 15, एम पी - 19, बी के 560
मक्का-	आजाद उत्तम, कचन, श्वेता, तरुण, नवीन।
अरहर-	बहार, टा 7, टा 17, टा 21, यू पी ए एस 120
चना -	अवरोधी के 468, के 250, टा. 1
अलसी -	श्वेता, शुभ्रा, लक्ष्मी 271

असिंचित कृषि क्षेत्रों में सहफसली खेती एक ऐसी पद्धति है जिससे उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। परम्परागत सहफसली (मिश्रित खेती) का मुख्य उद्देश्य उत्पादन की अनिश्चितता को खत्म करना है। इससे उत्पादन के साथ मृदा की उर्वराशक्ति भी बढ़ती है ।

### (य) जायद कृषि

अध्ययन क्षेत्र में जायद फसलों को विकसित करना चाहिए । जायद कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि उत्पादन वृद्धि हेतु उपलब्ध साधनों का समुचित एवं सामयिक उपयोग परम् आवश्यक है। आश्वस्त सिंचन सुविधा सम्पन्न क्षेत्रों में जायद के खेत में मूंग, उर्द, सूरजमुखी, मक्का, हरा चारा तथा साग सब्जी की फसलें ली जा सकती हैं, इससे प्रति इकाई क्षेत्र से अधिक उपज मिलने के साथ-साथ सिंचाई साधनों का भरपूर उपयोग होता है तथा रोजगार के अवसर

भी बढ़ते हैं। आवश्यकतः सिंचाई सुविधा निजी नलकूप एवं राजकीय नलकूप पर ही सभव है, नहरी क्षेत्रों को जायद फसल हेतु चुनना विशेष उपयुक्त नहीं होता है ।

अध्ययन क्षेत्र के अधिकांश कृषक उन्नत बीजों, उर्वरकों, कीटनाशक दवाओं तथा नवीन कृषि यन्त्रों का प्रयोग धनाभाव के कारण नहीं कर पाते हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि - कृषकों को रियायती दर पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराए । कृषि - विकास नियोजन के लिए निम्न सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाना भी आवश्यक है ।

1. कृषकों में शिक्षा व कृषि - शिक्षा का अधिकाधिक प्रसार किया जाए जिससे वे सामाजिक कुरीतियों से मुक्त हों, अन्धविश्वास व भाग्यवाद को त्यागें तथा खेती के आधुनिक तरीके अपनाएं जिससे आर्थिक प्रगति का वातावरण बन सके ।

2. कृषि में उत्पादन बढ़ाने के लिए नवीन यन्त्रों व तकनीकों को ग्रामीणों तक पहुँचाना एवं उसके संचालन के लिए समयानुसार सलाहकारी सुविधाओं का प्रबन्ध होना चाहिए ।

3. साख सुविधाओं का यथा ग्रामीण बैंकों तथा अन्य बैंकों की शाखाओं द्वारा जाल बिछाया जाना चाहिए जिससे कृषकों की फसलें नष्ट न हों तथा गरीब एवं मध्यम वर्गीय कृषकों के लिए पर्याप्त साख की व्यवस्था उपलब्ध हो सके ।

4. प्राकृतिक तत्वों यथा सूखा, ओलावृष्टि एवं अन्य कारणों से फसल नष्ट हो जाने पर उसकी क्षति पूर्ति के लिए फसल बीमा योजना को प्रभावी बनाया जाना चाहिए ।

5. सरकार को कृषि विकास के लिए जिला स्तर पर जिला कृषि केन्द्र की स्थापना करनी चाहिए । औद्योगिक सुविधाओं की तरह कृषि सुविधाओं को भी उपलब्ध कराना चाहिए ।

6. कृषि आदाय तत्वों (बीज, खाद, नवीन यन्त्र, कीटनाशक दवाएँ) को सीमान्त तथा मध्यम वर्गीय कृषकों तक उपलब्ध कराया जाना चाहिए ।

7 कृषकों को अधिक उत्पादन के लिए पर्याप्त प्रेरणा देने हेतु 'गारण्टी न्यूनतम कीमतों' के रूप में उचित आय का आश्वासन दिया जाय ।

इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र को वांछित प्रगति के स्तर पर लाने के लिए समुचित वैज्ञानिक तथा तकनीकी सेवाओं, सरकारी नीतियों एवं शासन तन्त्र को एक साथ मितव्ययिता के साथ समायोजित करने की सख्त जरूरत है। जब सम्पूर्ण जनपद में कृषि, ग्रामीण-उद्योग तथा ग्रामीणों की त्रिवेणी का समन्वित विकास किया जायेगा तो निर्माण एवं विकास क्रिया का ऐसा महास्रोत उत्पन्न होगा जिससे प्रगति, स्वावलम्बन, पूर्ण रोजगार तथा समृद्धि की धाराएँ स्वतः निकल पड़ेगी। अतः कृषि भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए नवीन प्रौद्योगिकी की नवीन व्यूह रचना के अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं है। क्योंकि भूमि सीमित है। इसी के द्वारा अध्ययन क्षेत्र की भूख, अभाव, बेरोजगारी तथा पिछड़ापन जैसी भयंकर समस्याओं से लोगों का उद्धार किया जा सकता है ।

### सन्दर्भ

1. हुसैन, माजिद 'मानव एवं आर्थिक भूगोल', राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् नई दिल्ली, 1986, पृष्ठ 61.
- 2 Buchanan, R.O.. Some Reflections of Agriculture Geography, Geog. 44, 1959, pp.1-13.
- 3 Mc Carty, H.H. and Lindberg, J.B.. A Preface to Economic Geography: Englewood Cliff, N.J.: Prentice Hall, 1966.
- 4 Zimmerman, E.W.: World Resources and Industries, New York, Harper and Brothers, 1951.
- 5 Singh, Jasbir: Agricultural Atlas of India, Kurukshetra, Vishal Publication, 1974.
6. कुरेशी, एम0एच0 भूगोल के सिद्धान्त, भाग 11, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली, 1989, पृष्ठ 50

7. Mc Master, D.N.: 'A Subsistence crop Geography of Uganda', The World Land use Survey Occasional Papers No.2, Geographical Publication, 1962. p.IX.
8. Fox, K. and Tanber, R: Spatial Equilibrium Models of the Livestock Feed Economy, American Economic Review, as, 1955, pp. 801-802.
9. Chauhan, D.S.: Studies in Utilization of Agricultural Land, 1966, p.171.
10. Vanzetti, C.: Landuse and Natural Vegetation in International Geography, edited by W.Peter Adams and Frederick, M.Helleiner, Toronto University, 1972, pp.1105-1106.
11. Wood, H.A.: A Classification of Agricultural Landuse for Development Planning, International Geogr. (22, I.G.U., Canada), Univ. of toronto Press, 1972, p.1106.
12. सिंह, ब्रजभूषण कृषि भूगोल, ज्ञानोदय प्रकाशन, गोरखपुर, 1988, पृष्ठ 165
13. Weaver, J.C.: 'Crop Combination Regions in the Middle West'. Geographical Review, 44, 1954, p.175.
14. कुमार, पी०तथा शर्मा, एस के.: 'कृषि भूगोल', मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, 1985, पृष्ठ 408
15. Johnson, B.L.C.: 'Crop Combination Regions in East Pakistan', Geography, 43, 1958, pp. 86-103.
16. Thomas, D.: 'Agriculture in Wales during the Neopleanic War', Cradiff, 1963, pp. 80-81.

17. पूर्वोक्त सदर्थ सख्या 15.
18. Ayyar, N.P.: 'Crop Regions of Madhya Pradesh- A Study in Methodology', *Geographical Review of India*, 31.1, 1969, pp. 1-19.
19. Doi, K.: 'The Industrial Structure of Japanese Prefecture', *Proceedings of I.G.U. Regional Conference in Japan, 1957-59*, pp. 310-316.
20. Nelson, H.J.: 'A Service Classification of American Cities', *Economic Geography*, 31, 1955, pp. 189-200.
21. दत्त, आर० एव सुन्दरम, के०पी०एम० भारतीय अर्थव्यवस्था, एस०चन्द्र एण्ड कम्पनी प्रा०लि०, नई दिल्ली, 1990, पृष्ठ 587
22. सिंह इकबाल 'भारत मे ग्रामीण विकास', राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली, 1986, पृष्ठ 32
23. कुरेशी, एम०एच० 'भारत, ससाधन और आर्थिक विकास', राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली 1990, पृष्ठ 49
24. 'भारत', वार्षिक सदर्थ ग्रन्थ 1986, सूचना और प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार, पृष्ठ 378-79.
25. Ramachandran, R. *The Hindu Survey of Indian Agriculture, Madras, 1988.*
26. साख्यकीय पत्रिका, जनपद सोनभद्र, 1992, पृष्ठ 68
27. वही, पृष्ठ 69.

## अध्याय 5

### औद्योगिक पृष्ठभूमि एवं विकास-नियोजन

सभ्यता के प्रारम्भ से ही उद्योग मानव का सबसे बड़ा सहयोगी रहा है। प्रगति के अनेक सोपानों का निर्माण करते हुए इसने मानव को आदिम गुफाओं की स्थिति से चन्द्रमा तक पहुँचाया। उद्योग मानव जीवन का अभिन्न अंग है। मानव प्रयासों के जिन-जिन क्षेत्रों की ओर हम दृष्टिपात करते हैं, हमें औद्योगिक गति विधियों की अमिट छाप देखने को मिलती है। गत चार दशकों में हुई औद्योगिक प्रगति भारतीय आर्थिक विकास की एक महत्वपूर्ण घटना है। इस अवधि में औद्योगिक उत्पादन में गुणात्मक, परिमाणात्मक व विविधता की दृष्टि से द्रुत गति से विकास हुआ है तथा औद्योगिक आधार में काफी विविधताएँ आयी हैं।<sup>1</sup> साधारणतः आर्थिक भूगोल में 'उद्योग' शब्द का व्यवहार वस्तु निर्माण के लिए किया जाता है। शाब्दिक अर्थ में 'उद्योग' किसी भी व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध कार्य को कहते हैं।<sup>2</sup> कच्ची सामग्री को सशोधित और परिवर्तित करके परिष्कृत सामग्री तैयार करना निर्माण उद्योग कहलाता है।<sup>3</sup> विनिर्माण प्रक्रिया के अन्तर्गत वे सभी कार्य आते हैं जिनके द्वारा मानव कच्चे माल का स्वरूप परिवर्तित करके उसको अधिक उपयोगी बनाता है। ऐसे परिवर्तन कार्य कारखानों में होते हैं, जहाँ अनेक स्थानों से कच्चा माल लाकर एकत्र किया जाता है।<sup>4</sup> मिलर<sup>5</sup> तथा एलेक्जेंडर<sup>6</sup> ने वस्तुओं को अधिक मूल्यवान स्वरूप परिवर्तन को ही विनिर्माण उद्योग बताया है। एच०आर० जैरेट<sup>7</sup> ने उद्योगों को ही विनिर्माण उद्योग कहा है। उनके अनुसार विनिर्माण उद्योग का तात्पर्य उन विभिन्न प्रक्रियाओं से है जिनकी सहायता से व्यापार में बिकने वाली वस्तुओं का निर्माण किया जाता है।

#### 5.1 औद्योगिक स्वरूप

आज के युग में किसी भी समाज की औद्योगीकरण की स्थिति का सीधा सम्बन्ध उसकी अर्थव्यवस्था से है। वास्तव में औद्योगीकरण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन गया है। यहाँ नहीं, औद्योगीकरण से कृषि के क्षेत्र में भी अभिवृद्धि हुई है। अतः यह अत्यन्त आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए और विकास स्तर को बढ़ाने के लिए औद्योगीकरण की ओर सरकार द्वारा विशेष ध्यान देने के साथ-साथ प्राथमिकता भी दी जाये।<sup>8</sup> औद्योगीकरण के महत्त्व को सभी स्वीकार करते हैं किन्तु इसके स्वरूप के बारे में एक मत नहीं है। ऐतिहासिक दृष्टि से औद्योगिक स्वरूप तीन अवस्थाओं से गुजरा है। प्रथम अवस्था का सम्बन्ध प्राथमिक वस्तुओं से माल तैयार करना है। द्वितीय अवस्था का सम्बन्ध कच्चे माल के रूप परिवर्तन से है तथा तृतीय में उन मशीनों तथा पूँजी यन्त्रों का निर्माण होता है जो प्रत्यक्ष रूप से किसी तकनीकी

आवश्यकताओं की सतुष्टि नहीं करती वरन् भावी उत्पादन क्रिया को सुविधाजनक बनाती है।

औद्योगिक विकास के रूसी सरचना मे सीधे प्रथम अवस्था से द्वितीय अवस्था मे प्रवेश किया गया किन्तु ब्रिटिश ढाँचे में धीरे - धीरे विकास किया गया। इसी प्रकार पिछड़े क्षेत्रों में अपनी आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार औद्योगीकरण के विभिन्न स्वरूप विकसित किए जा सकते हैं। पिछड़े क्षेत्रों एवं देशों के औद्योगीकरण के स्वरूप में पूँजी अभाव को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। श्रम की अधिकता को देखते हुए श्रम प्रधान औद्योगिक स्वरूप अधिक उपयुक्त होता है। अत्यन्त पिछड़े क्षेत्र को विकसित करने के उद्देश्य से चयनित उद्योग ही लगाना चाहिए जिससे वास्तविक रूप में क्षेत्र विकास हो सके। राष्ट्रीय स्तर पर आयात - प्रतिस्थापक एवं निर्यात संवर्धन उद्योग में संतुलन स्थापित करना चाहिए। वास्तव में किसी भी देश या क्षेत्र का औद्योगिक स्वरूप नियोजकों के नियोजन व प्राथमिकता तथा ससाधनों पर आश्रित है।

अध्ययन क्षेत्र का औद्योगिक स्वरूप पूर्णतया असंतुलित है। जनपद सोनभद्र में बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना सार्वजनिक एवं निजी दोनों ही क्षेत्रों में किया गया है। किन्तु लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास बिल्कुल नहीं हो रहा है। कहा जाता है कि एक जनपद के विकास के लिए एक वृहद् उद्योग आवश्यक एवं पर्याप्त है। किन्तु जनपद सोनभद्र में अनेक भारी उद्योगों की उपस्थिति भी पिछड़ेपन को खत्म नहीं कर पा रही है। इसका प्रमुख कारण वृहद् एवं लघु औद्योगिक स्वरूप में सहसम्बन्ध न होना तथा लघु एवं कुटीर उद्योगों के औद्योगिक स्वरूप एवं विविधता में कोई संवृद्धि न होना है।

## 5.2 ऐतिहासिक पर्यवेक्षण

पश्चिमी एशिया के इतिहास में 1000 - 3000 ई0पू0 में बीच की अवधि में पहली औद्योगिक क्रान्ति घटित हुई, क्योंकि इसी अवधि में लोगों ने कृषि का, बुनाई का और पशुओं को पालतू बनाना आदि कलाओं का अविष्कार किया।<sup>9</sup> भारत में उद्योगों की परम्परा सिधु घाटी सभ्यता से चली आ रही है। यहाँ उस समय सूती वस्त्र, मिट्टी के बरतन तथा कासे की वस्तुएं आदि बनायी जाती थीं। देश धातु विज्ञान में उन्नत था। अठारहवीं शताब्दी तक भारत जलयान निर्माण में भी आगे था। उत्तम प्रकार के वस्त्र, धातु के बर्तन मसाले तथा

अन्य वस्तुएँ बहुत प्रसिद्ध थीं।<sup>10</sup> आधुनिक औद्योगिक प्रणाली के विकास के पूर्व, भारतीय निर्मित वस्तुओं का बाजार विश्वव्यापी था। 19वीं शताब्दी से पहले औद्योगिक दृष्टि से एक वृहद् उत्पादक देश था। भारतीय उद्योग न केवल स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करते थे अपितु औद्योगिक उत्पादों का निर्यात भी किया जाता था। भारत के निर्यात की मुख्य वस्तुओं में सूती, रेशमी, सिल्क, ऊनी कपड़ा, चीनी, नमक, तलवारे, तोपे आदि सम्मिलित थे। ब्रिटेन द्वारा भारत को राजनीतिक उपनिवेश बनाने एवं औद्योगिक क्रान्ति के पश्चात् भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों का पतन प्रारम्भ हो गया। भारत में मशीनों से निर्मित वस्तुओं की भरमार हो गयी। भारत में हस्तशिल्प उद्योगों के पतन से जो स्थान रिक्त हुआ, उसकी पूर्ति भारत में आधुनिक ढंग से उद्योग स्थापित करके नहीं की गयी क्योंकि ब्रिटिश सरकार की नीति मशीनों द्वारा निर्मित वस्तुओं का भारत में आयात तथा भारतीय कच्चे माल के निर्यात को प्रोत्साहन देने की थी।

स्वतन्त्रता आन्दोलन के समय से ही राष्ट्रवादियों ने औद्योगीकरण के महत्व एवं उसके स्थापना की वकालत की। प्रो० बिपिन चन्द्र<sup>12</sup> के अनुसार शुरूवाती राष्ट्रवादियों में इस मुद्दे पर पूरी तरह आमराय थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था को आधुनिक तकनीकी और पूँजीवादी उद्योगों पर आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना उनकी सभी प्रमुख आर्थिक नीतियों का पहला लक्ष्य है। औद्योगीकरण को उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण माना। प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों को कुछ सीमा तक विकसित होने का अवसर मिला। किन्तु वास्तविक औद्योगिक विकास स्वतन्त्रता प्राप्त के पश्चात्, सरकार द्वारा अपनायी जाने वाली नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 और 30 अप्रैल 1956 की औद्योगिक नीति की प्रस्ताव से माना जाता है।

सन् 1948 के नीति प्रस्ताव में इस बात पर बल दिया गया कि बढ़ते हुए उत्पादन में निरन्तर वृद्धि और समान वितरण के लिए औद्योगीकरण का बहुत महत्व है। साथ ही, राज्यों के कार्यक्रमों में उद्योगों के विकास के लिए उनके सक्रिय योगदान पर बल दिया गया। अध्ययन क्षेत्र में 1954 में चूर्क सीमेण्ट फैक्ट्री की स्थापना करके, औद्योगिक विकास की नींव रखी गयी। 1956 की औद्योगिक नीति में औद्योगीकरण की गति तेज करने, सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार करने तथा निजी क्षेत्र को भी विकास और विस्तार का संमुचित अवसर प्रदान



करने पर बल दिया गया।<sup>13</sup> 1956 की औद्योगिक नीति में समय की माँग के साथ 1973, 1977 तथा 1980 में आवश्यक संशोधन किया गया। 1973 की औद्योगिक नीति में उन बड़े उद्योगों का वर्णन किया गया जिनमें बड़े औद्योगिक घरानों और विदेशी कम्पनियों के विनियोग को अनुमति दी गयी थी। औद्योगिक नीति 1977 में विकेन्द्रीकरण तथा गृह उद्योगों पर विशेष बल दिया गया जबकि 1980 की औद्योगिक नीति ने घरेलू बाजार में प्रतियोगिता को बढ़ावा देने, तकनीकी विकास तथा आधुनिकीकरण पर ध्यान केन्द्रित किया। पुनः औद्योगिक विकास के लिए 1985 और 1986 में औद्योगिक नीति में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए जिससे उद्योगों और उद्यमियों को अधिकाधिक स्वतन्त्रता और विदेशी पूँजी निवेश एवं तकनीकी सहयोग को प्रोत्साहन दिया जा सके। विश्व बाजार में निरन्तर हो रहे परिवर्तनों और आर्थिक स्थिति ने इन नीतियों में आमूलचूल परिवर्तन को अनिवार्य बना दिया था। फलतः नवीन औद्योगिक नीति 1991 का उदय हुआ जिसके द्वारा वर्तमान औद्योगिक नीति में क्रान्तिकारी परिवर्तन किए गए हैं। इस नीति में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने तथा प्रदूषणमुक्त औद्योगिक विकास पर विशेष बल दिया गया है।

अध्ययन क्षेत्र में स्वतन्त्रता के पूर्व से विभिन्न परियोजनाएँ शुरू कर दी गयी थी, जिसका विकास स्वतन्त्रता प्राप्ति के साथ द्रुतगति से हुआ एवं 1954 में रेलवे लाइन चोपन तक पहुँच गई। राज्य सरकार ने चूर्क सीमेण्ट फैक्ट्री की स्थापना 1954 में की। डाला सीमेण्ट फैक्ट्री की स्थापना 1965 में की गयी तथा 1972 से उत्पादन प्रारम्भ हो गया। निजी क्षेत्र का अल्पमिनियम कारखाना 'हिंडालको' की स्थापना 1958 में रेनूकूट में की गयी तथा उत्पादन 1962 में प्रारम्भ हुआ। रिहन्द जलविद्युत गृह से विद्युत उत्पादन भी 1962 में प्रारम्भ हुआ। 'हिंडालको' में विद्युत आपूर्ति के लिए निजी क्षेत्र में 1964 में रेणूसागर ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना की गयी, उत्पादन 1967 से प्रारम्भ हुआ। ओबरा ताप विद्युत गृह से भी 1967 में उत्पादन प्रारम्भ हुआ। सिंगरोली सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एन.टी.पी.सी.) की पहली परियोजना थी जिसे दिसम्बर 1976 में सरकारी अनुमोदन मिला। इस थर्मल पावर से उत्पादन 1982 में प्रारम्भ हुआ। अनपरा थर्मल पावर की स्थापना 1978 में तथा उत्पादन 1986 में प्रारम्भ हुआ। रिहन्द सुपर थर्मल पावर की स्थापना 1983 में तथा उत्पादन 1991 में प्रारम्भ हुआ। अध्ययन क्षेत्र में औद्योगिक अधिनियम 1984 के अन्तर्गत लगभग 54 उद्योग पंजीकृत हैं। साथ ही लगभग 500 लघु इकाइयाँ भी वर्तमान समय में कार्यरत हैं। चूना उद्योग

कालीन उद्योग, रसायन उद्योग तथा कुटीर उद्योग यत्र - तत्र पाए जाते हैं ।

### 5.3 उद्योगों का वर्गीकरण

अध्ययन क्षेत्र में अनेक प्रकार के उद्योग पाए जाते हैं जिनका वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया जा सकता है -

(अ) आकार के अनुसार वर्गीकरण

1. बृहद् उद्योग
2. लघु उद्योग
3. कुटीर उद्योग

(ब) उत्पादों के स्वरूप के आधार पर वर्गीकरण

1. आधारभूत उद्योग
2. उपभोक्ता उद्योग

(स) कच्चे माल के आधार पर वर्गीकरण

1. कृषि पर आधारित उद्योग
2. वन - उत्पाद पर आधारित उद्योग
3. धातु उद्योग -

(क) अलौह - धातु उद्योग

(ख) लौह - धातु उद्योग

4. रसायनिक उद्योग

(द) स्वामित्व एवं प्रबन्ध के आधार पर वर्गीकरण

1. पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत उद्योग
2. साम्यवादी अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत उद्योग
3. मिश्रित अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत उद्योग

(य) उत्पाद की किस्म के अनुसार वर्गीकरण

1. प्राथमिक उद्योग
2. गोष्प उद्योग
3. तृतीयक उद्योग

एल्सवर्थ हन्टिंगटन<sup>14</sup> ने उद्योगों को चार भागों में विभक्त किया है -

1. प्रारम्भिक उद्योग
2. साधारण प्रकार का उद्योग
3. समुदाय आधारित उद्योग
4. आधुनिक प्रकार के जटिल उद्योग

प्रस्तुत अध्ययन में उद्योगों को निम्न तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है -

- (अ) बड़े पैमाने के उद्योग
- (ब) लघु पैमाने के उद्योग
- (स) ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग

#### (अ) बड़े पैमाने के उद्योग



इस प्रकार के उद्योगों में ऊर्जा चालित मशीनों का प्रयोग किया जाता है, श्रमिक व पूँजी की अधिक आवश्यकता होती है। अध्ययन क्षेत्र में बड़े पैमाने के उद्योगों के अन्तर्गत सीमेण्ट, अल्युमिनियम, ताप विद्युत, जल विद्युत तथा रसायन उद्योग आते हैं।

#### (1) सीमेंट उद्योग

सीमेंट आधुनिक विनिर्माण उद्योग का एक महत्वपूर्ण संघटक है। सीमेंट उद्योग, में मूल कच्चे पदार्थों के रूप में चूना पत्थर, मृत्तिका और शेल का उपयोग होता है। इसके अतिरिक्त कोयला और जिप्सम का उपयोग भी सीमेंट विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाले अन्य घटकों के साथ किया जाता है।<sup>15</sup> अध्ययन क्षेत्र में राज्य सरकार के अधीन दो सीमेंट कारखानों चूर्क एवं डाला में है। चूर्क एवं डाला में सीमेंट कारखानों के स्थापना का प्रमुख कारण स्थानीय क्षेत्र गुरमा एवं कजरहट में चूना पत्थर की उपलब्धता है। चूना पत्थर की अधिकता तथा परिवहन लागत में कमी के उद्देश्य से क्षेत्र के सन्निकट ही सीमेंट उद्योग लगाया जाता है। सीमेंट उत्पादन की दो विधि है - आर्द्र विधि (वेट मेथेड) और शुष्क विधि (ड्राई मेथेड)। चूर्क सीमेंट कारखाने से केवल आर्द्र विधि से सीमेंट तैयार किया जाता है। इस कारखाने से उत्पादन 1954 - 55 में प्रारम्भ हुआ। डाला सीमेंट कारखाने से आर्द्र एवं शुष्क दोनों विधियों से सीमेंट बनाया जाता है। आर्द्र विधि से सीमेंट उत्पादन 1970-71 में तथा शुष्क विधि से 1981-82 में प्रारम्भ हुआ। आर्द्र विधि की अपेक्षा शुष्क (ड्राई) विधि को आधुनिक माना जाता है।

# DISTRICT SONBHADRA INDUSTRIAL UNITS

(LARGE-SCALE)









-  THERMAL POWER
-  HYDEL POWER
-  ALUMINIUM
-  CEMENT
-  CAUSTIC SODA
-  CHEMICAL


FIG. 5.1

तालिका 5।  
क्लिकर एवं सीमेंट का उत्पादन

वर्ष	क्लिकर उत्पादन				सीमेंट उत्पादन			
	चुर्क आर्द्र	डाला आर्द्र	शुष्क	योग	चुर्क आर्द्र	डाला आर्द्र एवं शुष्क	योग	
1954-55	101887			101887	84459		84459	
1959-60	208659			208659	203891		203891	
1964-65	329063			379063	410793		410793	
1969-70	331380			331380	364116		364116	
1970-71	338292	32238		372530	344246	14100	358346	
1971-72	328930	163000		491930	362735	108681	471456	
1972-73	374418	242300		616718	438437	273237	711674	
1973-74	291064	267200		558264	315327	244830	560157	
1974-75	301108	201500		502608	302076	228600	530676	
1975-76	315750	300500		616250	384495	315960	600455	
1976-77	358491	277000		635491	386154	296700	683854	
1977-78	315663	270900		586563	336158	270700	606858	
1978-79	317984	238200		556184	336314	247000	583314	
1979-80	252313	179300		431613	267462	183768	450230	
1980-81	273766	228150		401916	303638	212337	515975	
1981-82	32988	277400	44477	654865	287002	120274	512975	
1982-83	339759	285400	52204	677363	232880	43000	275880	
1983-84	306000	233550	216700	756250	212000	85497	297497	
1984-85	277000	188921	222003	687924	186000	81976	267996	
1985-86	301776	192476	264120	758369	5084	49773	54857	
1986-87	326649	201206	278633	806488	66510	33698	100208	
1987-88	217182	238868	438972	895022	97288	28656	125944	
1988-89	218512	243352	408197	870061	84199	89098	173297	
1989-90	167252	226980	365839	760071	11874	8187	20061	
1990-91	109756	226335	220062	536153	67856	52244	120100	
1991-92	895221	102740	101855	294121				

स्रोत: डाला सीमेंट कारखाने से संग्रहित।

# TOTAL CLINKER AND CEMENT PRODUCTION OF CHURK AND DALLA CEMENT FACTORY



\* 1955 Means April 1954 to March 1955 & so on

FIG 5.2

# CEMENT PRODUCTION




FIG 5 3

क्विकर सीमेट उत्पादन के पूर्व की अवस्था है । चुर्क व डाला मे क्विकर का निर्माण न केवल स्वयं के कारखाने के लिए बल्कि चुनार स्थित कजरहट सीमेट कारखाने के लिए भी होता है । उल्लेखनीय है कि डाला के समीप स्थित कजरहट चूना पत्थर क्षेत्र के नाम पर ही चुनार स्थित सीमेट कारखाने का नाम कजरहट सीमेट कारखाना है । तालिका 3 । से स्पष्ट है कि 1954 - 55, 1961 - 62, 1971 - 72, 1981 - 82, तथा 1991 - 92, मे कुल क्विकर उत्पादन क्रमश 101887, 218461, 491930, 654865 तथा 294121 मीट्रिक टन हुआ । इसी प्रकार सीमेट उत्पादन वर्ष 1954 - 55, 60 - 61, 1970 - 71, 1980 - 81, तथा 1990 - 91 मे क्रमश 84459, 244131, 364116, 515975, 120100 मीट्रिक टन हुआ । तालिका 5 । तथा चित्र 5 । से स्पष्ट है कि आर्द्र, शुष्क तथा कुल क्विकर व सीमेट उत्पादन मे उतार चढाव है ।

## (2) अल्युमिनियम उद्योग

धातु उद्योगों मे लौह इस्पात के बाद अल्युमिनियम उद्योग का प्रमुख स्थान आता है । अध्ययन क्षेत्र मे अल्युमिनियम उद्योग की स्थापना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना मे 1958 मे स्व जी ई बिडला ने 'कैसर अल्युमिनियम केमिकल कम्पनी' (संयुक्त राज्य अमरीका की कम्पनी) के सहयोग से किया । इस उद्योग की अवस्थिति, जिला मुख्यालय राबर्ट्सगज से लगभग 72 कि० मी० दक्षिण, विकासखण्ड म्योरपुर मे रिहन्द जलाशय के तट पर रेनूकूट मे है । इस उद्योग का नाम हिन्दुस्तान अल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड (हिडालको) रखा गया । अल्युमिनियम का उत्पादन स्थापना के 4 वर्ष बाद, 1962 मे प्रारम्भ हुआ ।

अल्युमिनियम धातु की प्राप्ति बाक्साइट अयस्क से होती है । बाक्साइट मुख्यतः बिहार से मँगाया जाता है । यद्यपि स्थानीय रूप मे निम्न कोटि का बाक्साइट उपलब्ध है किन्तु कम्पनी के निजी क्षेत्र मे होने के कारण उत्तम बाक्साइट गढ़वा व पालामऊ से मँगाया जाता है । यहाँ के बाक्साइट मे 50 से 60% तक अल्युमिनियम आक्साइड पाया जाता है । बाक्साइट को शुद्ध करने के लिए कास्टिक सोडा रेनूकूट मे स्थित कास्टिक सोडा उद्योग से प्राप्त किया जाता है । अल्युमिनियम उद्योग की स्थापना के लिए अन्य प्रमुख कारक विद्युत शक्ति की प्राप्ति, बिडला के ही 'रेणूसागर ताप विद्युत केन्द्र' से की जाती है । उद्योग के लिए आवश्यक



। जल विद्युत - देश में जल विद्युत के विकास के लिए 1975 में राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति निगम (एन एच पी सी) की स्थापना की गयी। बियला तथा पेट्रोलियम ऊर्जा, अनव्यकरणीय ससाधन हैं जबकि जल ऊर्जा का नव्यकरणीय ससाधन है। अध्ययन क्षेत्र में जल विद्युत के निम्न दो केन्द्र हैं -

(क) रिहन्द जल विद्युत गृह पिपरी - रिहन्द जलविद्युत गृह की अवस्थिति रेनूवूट से सलग्न तथा ओबरा से लगभग 45 कि० मी० दक्षिण में है। इस विद्युत गृह का 300' ऊँचा बाध, रेणू नदी के तट पर कंक्रीट ग्रेविटी पद्धति पर निर्मित है। 180 वर्ग मील में फैला इसका जलाशय (गोविन्द वल्लभ शत सागर) 8.6 मिलियन एकड फीट जल संग्रह कर सकता है। इस जलविद्युत गृह की 6 इकाइयों की उत्पादन क्षमता 300 मेगावाट है (तालिका 5.2)।

तालिका 5.2

## रिहन्द जलविद्युत गृह पिपरी

इकाइयों	उत्पादन क्षमता (मेगावाट में)	उत्पादन वर्ष
I	50	मार्च 1962
II	50	फरवरी 1962
III	50	फरवरी 1962
IV	50	मार्च 1962
V	50	मार्च 1962
VI	50	नवम्बर 1966

50 - 50 मेगावाट की मेसर्स इंगलिश इलेक्ट्रिक (यूके०) की उपर्युक्त 6 इकाइयों 45.78 करोड़ की लागत से, विगत 31 वर्षों से कार्यरत हैं। यह विद्युत केन्द्र 'पीकिंग केन्द्र' है, सामान्यतः प्रातः एवं सायंकाल जल विद्युत की माँग सर्वाधिक होती है, चलाया जाता है इसके जलाशय में अधिकतम 880' तक पानी का स्तर रखा जा सकता है। यह स्तर विगत

वर्षों में मात्र 4 बार 1964-65, 1971-72, 1987-88 एवं 1991-92 में ही पहुँच पाया है तथा स्पिलिंग किया गया है। इसका न्यूनतम स्तर 830' से नीचे नहीं चलाते हैं। क्योंकि इस जलाशय के चतुर्दिक शक्तिनगर, रिहन्द नगर, विध्यनगर (मध्य प्रदेश), अनपरा, रेणूसागर आदि थर्मल पॉवर इसी जलाशय से जल लेते हैं।

### तालिका 5 3

#### रिहन्द जलविद्युत गृह पिपरी

वर्ष	विद्युत उत्पादन (मिलियन यूनिट में)
1985-86	702
1986-87	957
1987-88	866
1988-89	931
1989-90	867
1990-91	619
1991-92	1265
1992-93	388

तालिका 5 3 से स्पष्ट है कि जलविद्युत उत्पादन में प्रति वर्ष काफी असमानता है। इसका प्रमुख कारण वर्षा एवं जल स्तर है। 1991-92 में जल स्तर अधिकतम होने के कारण विद्युत उत्पादन भी सबसे अधिक (1265 मि यू) हुआ। 1992-93 में जल स्तर निम्नतम था इसलिए विद्युत उत्पादन भी निम्नतम (388 मि यू) रहा। रिहन्द जलाशय के चतुर्दिक ताप विद्युत केन्द्रों को जल उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से भी, रिहन्द जल विद्युत गृह से सीमित जल विद्युत का ही उत्पादन किया जाता है।

(ख) ओबरा जल विद्युत गृह- ओबरा जलविद्युत गृह रिहन्द बाँध से जल प्रवाह की दिशा में 32 कि० मी० की दूरी पर (उत्तर में) सोन एवं रिहन्द नदी के सगम स्थान से जल प्रवाह की विपरीत दिशा में (दक्षिण) 11 कि० मी० की दूरी पर ओबरा ताप विद्युत गृह के समीप स्थित है। यह भी 'पीकिंग' विद्युत गृह है और रिहन्द जलविद्युत से निकले

जल का सदुपयोग करके चलाया जाता है । इसके जलाशय का क्षेत्रफल 18 वर्ग कि० मी० है । इस विद्युतगृह में मेसर्स भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (बी एच ई एल ) निर्मित 33 मेगावाट की तीन इकाइयों, रू० 27 25 करोड़ की लागत से बनायी गई । ओबरा तापविद्युत गृह के परिचालन के दृष्टिकोण से जलाशय के तल को लगभग 192 से 193 मीटर के मध्य रखना अनिवार्य है । ओबरा जलविद्युत गृह की स्थापना 1963 में हुई और उत्पादन मई 1970 में प्रारम्भ हुआ । तीनों इकाइयों की उत्पादन क्षमता तथा उत्पादन वर्ष तालिका 5 4 में प्रदर्शित है ।

#### तालिका 5 4

##### ओबरा जलविद्युत गृह

इकाइयों	विद्युत उत्पादन क्षमता (मेगावाट में)	उत्पादन वर्ष
I	33	मई 1970
II	33	दिसम्बर 1970
III	33	अप्रैल 1974

#### तालिका 5 5

##### ओबरा जलविद्युत गृह

वर्ष	विद्युत उत्पादन (मिलियन यूनिट में)
1974-75	185
1975-76	182
1976-77	448
1977-78	313
1978-79	339
1979-80	323
1980-81	309
1981-82	280

1982-83	243
1983-84	198
1984-85	331
1985-86	250
1986-87	342
1987-88	299
1988-89	216
1989-90	302
1990-91	222
1991-92	454
1992-93	153

-----  
 स्रोत जल विद्युत गृह से संग्रहित एवं संगणित ।

तालिका 5 5 में विभिन्न वर्षों में जलविद्युत उत्पादन को प्रदर्शित किया गया है । तालिका से स्पष्ट है कि जलविद्युत उत्पादन में स्थिरता एवं समरूपता का अभाव है । इसका प्रमुख कारण जलाशय का जल स्तर एवं ओबरा ताप विद्युत गृह को जल उपलब्धता सुनिश्चित करना है ।

2 ताप विद्युत - कोयला, डीजल तथा जल पर आधारित ताप विद्युत गृहों की स्थापना से देश में विद्युत उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई है । देश का 60% विद्युत ताप विद्युत गृहों से प्राप्त किया जाता है । कोयला एवं डीजल के क्षयशील ससाधन होने के बावजूद ताप विद्युत ही निरन्तर साधन है । जलविद्युत का उत्पादन अनावृष्टि काल में अविश्वसनीय है। 'काश्मीर की बेटी' कही जाने वाली धरती का वह भू-भाग जिसे सिंगरौली स्टेट के नाम से जाना जाता था,<sup>20</sup> के कोयला पर आधारित 6 तापविद्युत गृह ऊर्जा को निरन्तर उत्पादित कर रहे हैं । इनमें से एक (विद्याचल सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन) मध्य प्रदेश में है तथा शेष पाँच अध्ययन क्षेत्र में अवस्थित हैं । दो ताप विद्युत गृहों, रिहन्द सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन तथा अनपरा ताप विद्युत गृह का निर्माण अभी भी जारी है , इसे दीर्घ अवधि में पूरा किया जाना है । शेष तीन ताप विद्युत गृहों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है । ओबरा ताप विद्युत

# HYDRO ELECTRICITY GENERATION




FIG 5 4

गृह को छोड़कर सभी ताप विद्युत गृह नित् नये कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं । उल्लेखनीय है कि ओबरा ताप विद्युत गृह सबसे प्राचीन है तथा प्रशिक्षण गृह के रूप में प्रयुक्त होता रहा है । अपेक्षाकृत नूतन टेक्नालजी का प्रयोग ओबरा ताप विद्युत में नहीं हो पाया है ।

(क) **सिगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन** - एन टी पी सी की यह पहली परियोजना थी जिसे दिसम्बर, 1976 में सरकारी अनुमोदन मिला । आरम्भ में 200 मेगावाट की तीन इकाइयों के लिए (कुल 600 मेगावाट) इसके विस्तार चरण को, जिसमें 200 मेगावाट की दो इकाइयाँ और 500 मेगावाट की दो इकाइयाँ सम्मिलित थी, जुलाई, 1979 में स्वीकृति मिली और इस प्रकार इसकी कुल क्षमता 2000 मेगावाट हो गयी ।

देश के विद्युत उत्पादन क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले एन टी पी सी के सिगरौली वृहत् ताप विद्युत गृह ने 13 फरवरी, 1992 को अपनी पहली इकाई के उत्कृष्ट उत्पादन का सफलतापूर्वक एक दशक पूरा किया । वर्ष 1982 की इसी तारीख को एन टी पी सी व सिगरौली की पहली इकाई शुरू (सिक्रोनाइज) हुई थी । एन टी पी सी और सिगरौली के इतिहास में यह तारीख इसलिए भी सर्वाधिक महत्व रखती है क्योंकि इसी दिन विद्युत उत्पादन की आधारशिला रखी गयी थी । इसके पश्चात् 200 मेगावाट की चार तथा 500 मेगावाट की दो इकाइयों को एक के बाद एक शुरू किया गया ।

शैशवावस्था से ही सिगरौली का उत्पादन स्तर ऊँचा रहा है । इस दशक में इसने एक के बाद एक कई कीर्तिमान स्थापित किये और उल्लेखनीय पुरस्कार अर्जित किये जहाँ तक विद्युत उत्पादन का प्रश्न है, जनवरी 1992 के अन्त तक सिगरौली विद्युत गृह का इन दस वर्षों का औसतन पी एल एफ 73.13% (वाणिज्यिक) रहा है । सिगरौली और भी ज्यादा उत्पादन कर सकता था परन्तु ग्रिड प्रतिबन्धों के कारण करीब 6.5% पी एल एफ की क्षति हुई । इसकी सफलता का आकलन इसी से लगाया जा सकता है कि गत दशक की अवधि में देश के विभिन्न ताप विद्युत गृहों का औसत पी एल एफ 48.6% से लेकर 56.5% के बीच ही रहा । इसकी उपलब्धियों के क्रम में 200 मेगावाट की चौथी इकाई द्वारा वर्ष 1986-87 में 1710 मिलियन यूनिट के उत्पादन का कीर्तिमान अंकित है जो कि 76.6% पी एल एफ के बराबर है ।

तेल खपत की दृष्टि से भी सिगरौली विद्युत गृह का प्रदर्शन सर्वोत्कृष्ट रहा है । जहाँ तक एक दिनी उत्पादन का प्रश्न है इस विद्युत गृह ने 25 अक्टूबर, 91 को 48 91 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पन्न कर अपना अधिकतम उत्पादन का कीर्तिमान बनाया है।

### सिगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन एक नजर में -

- 1 कुल क्षमता (मेगावाट) -2000
- 2 अनुमोदित क्षमता (मेगावाट) - 2000
- 3 ट्रांसमिशन प्रणाली 400 के वी सर्किट किलोमीटर - 2337
- 4 कोयला प्राप्त का स्रोत - जयन्त /बीना खदान
- 5 कूलिंग वाटर स्रोत/प्रणाली - रिहन्द जलाशय (200 क्यूसेक पानी की खपत)
- 6 लाभान्वित होने वाले राज्य - उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं दिल्ली ।
- 7 अनुमोदित पूँजीनिवेश करोड रूपया - 1374 93
- 8 चालू हो चुकी इकाइयों 5×200+2×500 मेगावाट
- 9 इकाइयों के चालू होने का कार्यक्रम

बिजलीघर	चालू करने की वास्तविक तिथि	ट्रांसमिशन
यूनिट 1 (200 मेगावाट)	फरवरी 1982	सिगरौली - ओबरा
यूनिट 2 (200 मेगावाट)	नवम्बर 1982	सिगरौली - कानपुर I
यूनिट 3 (200 मेगावाट)	मार्च 1983	सिगरौली - लखनऊ
यूनिट 4 (200 मेगावाट)	नवम्बर 1983	लखनऊ - मुरादाबाद
यूनिट 5 (200 मेगावाट)	फरवरी 1984	मुरादाबाद - मुरादनगर
यूनिट 6 (500 मेगावाट)	दिसम्बर 1986	मुरादनगर - पानीपत
यूनिट 7 (500 मेगावाट)	नवम्बर 1987	सिगरौली - कानपुर II

10. कोयले की खपत - पूर्ण क्षमता के लिए 8 4 मिलियन टन प्रति वर्ष

11 कोयले की आपूर्ति - 17कि0मी0 लम्बी मेरी-गो-राउण्ड प्रणाली

12 पानी के प्रदूषण का समाशोधन -

वायु एव पानी के प्रदूषण की स्वीकृति प्राप्त 1989 के नवीनीकरण की प्रक्रिया चालू

13 कर्मचारियों की सख्या -

कार्यपालक 582, अकार्यपालक 1964, योग = 2546

14 अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता -

600 मेगावाट 150 मिलियन अमरीकी डालर आई डी ए से 171 20 मिलियन डी एम के एफ डब्ल्यू से

1400 मेगावाट 300 मिलियन अमरीकी डालर आइ डी ए से 240 मिलियन डी एम के एफ डब्ल्यू से

(ख) रिहन्द सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन - यह विद्युत गृह रिहन्द जलाशय के दक्षिणी - पश्चिमी तट पर बीजपुर मे स्थित है । 19 2 83 को स्थापित इस विद्युत गृह से 1991 मे विद्युत उत्पादन प्रारम्भ हुआ । इस ताप विद्युत गृह को, तीन चरणों मे (2x500, 2x500 एव 2x500) विस्तारित करके 3000 मेगावाट विद्युत क्षमता प्रदान करने का उद्देश्य है । प्रथम चरण 2x500 (1000 मेगावाट) का कार्य पूर्ण हो गया है । वर्ष 1991 मे 6282 72 मिलियन यूनिट तथा वर्ष 1992 मे 6090 29 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन हुआ । रिहन्द सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन ने तीसरी बार अद्वितीय प्रदर्शन करते हुए मार्च 1993 मे 100% से अधिक प्लाण्ट लोड फैक्टर पर विद्युत उत्पादन एव 100% सयन्त्र उपलब्धता प्राप्त करके एक नया राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किया है । यह उत्पादन परियोजना के प्रथम चरण मे 500 मेगावाट की दो इकाइयों द्वारा प्राप्त किया गया है जिसने 100 53% प्लाण्ट लोड फैक्टर एव लगभग 100% उपलब्धता पर 7479 लाख विद्युत इकाई का उत्पादन किया है । प्रथम इकाई ने 3772 लाख विद्युत इकाई का उत्पादन 100 32% प्लाण्ट लोड फैक्टर पर तथा द्वितीय इकाई ने 3747 लाख विद्युत इकाई का उत्पादन 100 75% प्लाण्ट लोड फैक्टर पर किया । इसके पूर्व जनवरी 1992 मे 100 84% एव फरवरी 1993 मे 100 22% प्लाण्ट लोड फैक्टर पर विद्युत उत्पादन का कीर्तिमान स्थापित किया जा चुका है ।<sup>21</sup> रिहन्द सुपर थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट को सरकार द्वारा वर्ष 1991 के लिए विशिष्ट उत्पादकता पुरस्कार से सम्मानित किया गया । संभवतः यह



देश का प्रथम विद्युत गृह है, जिसने विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में देश के इस सर्वोच्च पुरस्कार को अपने व्यावसायिक उत्पादन के प्रथम वर्ष में ही प्राप्त किया है।<sup>22</sup>

रिहन्द सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन एक नजर में -

1 कुल क्षमता (मेगावाट)	3000
प्रथम चरण	2×500 मेगावाट
द्वितीय चरण	2×500 मेगावाट
तृतीय चरण	2×500 मेगावाट
2 अनुमोदित क्षमता (मेगावाट)	1000
3 ट्रांसमिशन प्रणाली 400 के वी सर्किट किलोमीटर	1410/910 600
4 कोयला प्राप्ति का स्रोत	सिगरौली कोयला क्षेत्र के अमलोरी खान से
5 जमीन की आवश्यकता	5000 एकड़
6 जल स्रोत	रिहन्द जलाशय
7 लाभान्वित होने वाले राज्य	पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू एवं काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली एवं चण्डीगढ़
8 अनुमोदित पूँजी निवेश (करोड़ रुपये)	1614 70
9 स्थापित की जाने वाली इकाइयों का अवार	6×500
10 चालू हो चुकी इकाइयों	2×500
11 इकाइयों के चालू होने का कार्यक्रम	1988 - 89 में 1×500 मेगावाट मार्च 1988 में तथा 1989-90 में 1×500 मेगावाट जुलाई 1989 में
12 अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता	ब्रिटेन सरकार से 344 मिलियन डालर की निर्यात ऋण सुविधा तथा 117 मिलियन डालर की वित्तीय सहायता
13 अधिकतम कोयला खपत	31000 मीट्रिक टन / प्रतिदिन
14 कोयला परिवहन का माध्यम	मेरी-गो-राउण्ड-सिस्टम

15	अधिकतम पानी की आवश्यकता	4500 क्यूसेक्स
16	खपत की आवश्यकता	300 क्यूसेक्स
17	सीमेंट आवश्यकता	280000 मीट्रिक टन
18	स्टील आवश्यकता	61400 मीट्रिक टन
19	चिमनी की ऊँचाई	224 5 मीटर

(ग) ओबरा ताप विद्युत गृह - ओबरा ताप विद्युत परियोजना जनपद मुख्यालय राबर्ट्सगंज से लगभग 37 कि० मी० दक्षिण में है । यह परियोजना तीन चरणों में प्रस्तावित थी । प्रथम चरण में 5×50 मेगावाट की इकाइयों 1967-71 के बीच रूस की सहायता से स्थापित हुई । द्वितीय चरण में 3×100 मेगावाट की इकाइयों 1973-76 के बीच बी एच ई एल की सहायता से स्थापित की गयी । तृतीय चरण में 5×200 मेगावाट की इकाइयों 1978-82 के बीच बी एच ई एल की सहायता से स्थापित की गई थी । इस प्रकार ओबरा ताप विद्युत गृह की कुल उत्पादन क्षमता 1550 मेगावाट है । 550 मेगावाट (5×50 + 3×100 मेगावाट) की इकाई को ओबरा 'अ' ताप विद्युत गृह तथा 1000 मेगावाट (2×200 मेगावाट) की इकाई को ओबरा 'ब' ताप विद्युत गृह कहते हैं । 100 एव 200 मेगावाट क्षमता की भारत की यह प्रथम इकाई थी । सम्पूर्ण इकाइयों के प्रारम्भ होने का वर्ष तालिका 5 6 में प्रदर्शित है ।

#### तालिका 5 6

#### ओबरा ताप विद्युत गृह

इकाई संख्या	स्थापित क्षमता(मेगावाट)	प्रारम्भ होने का दिनांक
1	50	29 6 67
2	50	12 2 68
3	50	25 8 68
4	50	11 6 69
5	50	7 6 71
6	100	18 7 73
7	100	14 12 74
8	100	15 9 75
9	200	13.3 80
10	200	6 3 79
11	200	14 3 78
12	200	29 5 81
13	200	29 7 82

इस परियोजना के लिए कोयला सिंगरौली कोयला क्षेत्र से तथा पानी रिहन्द जलाशय से प्राप्त किया जाता है । रिहन्द जलाशय का पानी पिपरी स्थित रिहन्द जलविद्युत गृह द्वारा प्रयुक्त रिहन्द नदी के माध्यम से, ओबरा जलविद्युत गृह के जलाशय में आता है । पुन इस जलाशय के पानी का प्रयोग जल विद्युत के साथ - साथ ताप विद्युत गृहों में भी किया जाता है । तालिका 5 7 में 1967-68 से 1992-93 तक के विद्युत उत्पादन का विवरण दिया गया है । 1988-89 में 7894 तथा 1987-88 में 7260 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन हुआ । फलत ओबरा ताप विद्युत गृह को 1987 एवं 1988 में 'श्रेष्ठ उत्पादकता पुरस्कार से, भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया था ।

तालिका 5 7  
ओबरा ताप विद्युत गृह

वर्ष	550 मेगावाट का उत्पादन(मिलियन यूनिट)	1000 मेगावाट का उत्पादन (मिलियन यूनिट)	योग
1	2	3	4
1967-68	153		153
1968-69	695		695
1969-70	846		846
1970-71	1159		1159
1971-72	1389		1389
1972-73	1356		1356
1973-74	1468		1368
1974-75	2058		2058
1975-76	2458		2458
1976-77	2780		2780
1977-78	2730		2730
1978-79	2216		2216
1979-80	2030		2030
1980-81	2046		2046
1981-82	2036		2036
1982-83	2081		2081
1983-84	2190	2663	4853
1984-85	1596	2438	4034
1985-86	1749	3135	4884
1986-87	1471	3657	5128
1987-88	1677	5583	7260
1988-89	2181	5713	7894
1989-90	2295	4710	7005

1990-91	2170	6062	6232
1991-92	1617	4947	6564
1992-93	1624	5440	7064

-----  
 स्रोत ओबरा ताप विद्युत गृह से संग्रहीत ।

### (घ) अनपरा ताप विद्युत गृह

अनपरा ताप विद्युत परियोजना की स्थापना 1978 में की गयी। इसकी अवस्थिति रिहन्द जलाशय के उत्तरी किनारे पर रेणुसागर के समीप है। यह परियोजना सिगरौली कोयला क्षेत्र के समीप है। अनपरा 'अ' ताप विद्युत गृह की तीनों इकाइयों (3×210 मेगावाट) का उत्पादन क्रमशः 24 3 86, 28 2 87 तथा 12 3 88 को प्रारम्भ हुआ। अनपरा 'ब' ताप विद्युत गृहकी दो इकाइयों (2×500 मेगावाट) में से प्रथम इकाई का उद्घाटन 28 7 93 को हुआ । 'ब' तापीय परियोजना का निर्माण भारत एवं जापान के सहयोग से किया जा रहा है। इस परियोजना का प्रथम चरण जिसकी उत्पादन क्षमता 3×210 मे0वा0 है, पहले ही पूरा किया जा चुका है। 'अ' परियोजना अपने उत्कृष्ट उत्पादन के लिए लगातार तीन वर्षों से राष्ट्रपति पुरस्कार अर्जित करता चला आ रहा है ।

'ब' परियोजना नवम्बर 1993 से व्यावसायिक उत्पादन में लायी जानी है। दूसरी निर्माणाधीन इकाई सम्भवतः मार्च 1994 में पूर्ण हो जाएगी। जिस प्रकार से वित्तीय सकट आ रहा है, उसे देखते हुए द्वितीय इकाई को समय से पूर्ण होने में सदेह है। अनपरा 'ब' परियोजना का निर्माण कार्य सितम्बर 1989 में प्रारम्भ हुआ था। इस परियोजना के पूर्ण होने से लगभग 50000 नलकूपों 10000 गांवों एवं 10000 लघु उद्योगों को बिजली दी जा सकेगी, जो राष्ट्रीय विकास की एक मजबूत कड़ी होगी।<sup>23</sup>

अनपरा 'ब' तापीय परियोजना के 2×500 मेगावाट के प्रथम 500 मेगावाट के सभी सयन्त्र एवं दोनों इकाइयों के लिए सामान्य उपकरण एवं पद्धतियों की आपूर्ति मितसुई एण्ड कम्पनी जापान द्वारा ओईसीएफ के पैकेट के अन्तर्गत की जा रही है। दूसरी इकाई के सयन्त्रों की आपूर्ति जापान के ही एक्विजिमेंट बैंक की सहायता से मितसुई एण्ड कम्पनी द्वारा की जा रही है। विद्युत गृह के लिए कोयला नार्दर्न कोल फील्ड (एनओसीएलओ) के खडिया बीना एवं ककरी खान से प्राप्त की जाती है। खडिया, खान से कोयला लाने के लिए

'भेरी-गो-राउण्ड', का निर्माण भारत सरकार के उपक्रम 'इरफान' द्वारा कराया जा रहा है। इस विद्युत गृह में 36 लाख टन कोयला प्रतिवर्ष खपता है। इस परियोजना से निकलने वाली राख के विसर्जन हेतु वर्तमान में परियोजना से 2 किमी० दूर 10 लाख घन मीटर धारक क्षमता के बाध का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त 10 किमी० दूर ग्राम वेलवादह के पास भस्म तालाब तक राख निस्तारण का कार्य प्रस्तावित है।

इस परियोजना की अनुमानित लागत 2432 करोड़ रुपये थी जो अब 3825 करोड़ हो गयी। परियोजना को ओईसी०एफ० जापान द्वारा 2020 करोड़ रुपये, एक्जिम बैंक जापान द्वारा 620 करोड़ रुपये तथा भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1185 करोड़ रुपये वित्तीय सहायता प्रदान किया गया है। जून 1993 तक परियोजना पर 3100 करोड़ रुपया व्यय हो चुका है।<sup>24</sup>

अनपरा तापीय परियोजना की चिमनी की ऊँचाई 275 मीटर है, जो अब तक देश में लगी सभी परियोजनाओं की चिमनीओं से ऊँची है। परियोजना के द्वितीय चरण के पूर्ण होने पर तृतीय चरण (2x500 मेगावाट) की शुरुवात होगी है। सम्पूर्ण इकाइयों की स्थापना के बाद अनपरा ताप विद्युत गृह की सस्थापित क्षमता 2650 मेगावाट हो जाएगी ।

#### तालिका 5 8

#### अनपरा ताप विद्युत गृह

वर्ष	उत्पादन मिलियन यूनिट में
1987-88	1509
1988-89	2217
1989-90	3342
1990-91	3743
1991-92	3929
1992-93	4109

स्रोत अनपरा ताप विद्युत से गृह से संग्रहित ।




FIG 55.A




FIG 55.B

तालिका 5 8 से स्पष्ट है कि अनपरा ताप विद्युत गृह से विद्युत उत्पादन लगातार बढ़ रहा है तथा पिछले कीर्तिमानों को भंग करता जा रहा है। इन वर्षों में लक्ष्य से अधिक उत्पादन हो रहा है।

### (ड) रेणुसागर ताप विद्युत गृह

इस परियोजना की स्थापना 6 मार्च 1964 को हुई। इसकी अवस्थिति रिहन्द जलाशय के तट पर अनपरा के समीप है। इस विद्युत गृह से रेनूकूट अल्यूमिनियम कारखाने को बिजली प्रदान की जाती है। कोयले की आपूर्ति रज्जु मार्ग से सिंगरौली कोल फील्ड के झिगुरदह खान से तथा जल की आपूर्ति रिहन्द जलाशय से होती है। डीजल की आपूर्ति इंडियन आयल के मुगलसराय केन्द्र से होती है। इस विद्युत गृह के पांच इकाइयों एवं पांच ब्वायलर के प्रारम्भ होने का समय तालिका 5 9 में प्रदर्शित है।

तालिका 5 9  
रेणुसागर ताप विद्युत गृह

इकाई	प्रारम्भ होने का दिनांक
I इकाई	4 10 68
II इकाई	9 9 67
III इकाई	2 11 81
IV इकाई	9 4 83
V इकाई	31 3 89
I ब्वायलर	17 6 67
II ब्वायलर	22 11 67
III ब्वायलर	8 6 82
IV ब्वायलर	1 2 83
V ब्वायलर	18.9 81

रेणूसागर ताप विद्युत गृह से वर्ष 1990-91, 1991-92 तथा 1992-93 में क्रमशः 2603, 2851 तथा 2740 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन हुआ ।

#### तालिका 5 10

#### रेणूसागर ताप विद्युत गृह से विद्युत उत्पादन

वर्ष	वास्तविक उत्पादन (एम0डब्ल्यू0एच0 मे)
1967	98341
1968	630706
1969	1019093
1970	944335
1975	959540
1980	1023923
1985	2197784
1990-91	2602662
1991-92	2850669
1992-93	2739672

स्रोत रेणूसागर ताप विद्युत गृह से संग्रहित ।

#### (ब) लघु पैमाने के उद्योग

लघु पैमाने के उद्योग की परिभाषा विभिन्न औद्योगिक नीति में भिन्न-भिन्न रही है। वर्तमान औद्योगिक नीति में लघु उद्योग में 5 लाख से अधिक तथा 60 लाख से कम निवेश वाले उद्योगों को सम्मिलित किया गया है। निर्यातानुसुखी इकाइयों में यह सीमा 75 लाख तक कर दी गयी है। मशीनों का प्रयोग लघु उद्योग को कुटीर उद्योग से अलग कर देती है । अध्ययन क्षेत्र में लघु उद्योग अपेक्षाकृत कम है। प्रमुख, लघु पैमाने के उद्योग निम्न है -

(1) चूना उद्योग- मारकुण्डी से सोननदी के तट तक चूने की अनेक भट्टियाँ लगी हुई है। सलखन एव पटवध चूना उद्योग के प्रमुख केन्द्र है। चूना पत्थर की स्थानीय उपलब्धता इस उद्योग की स्थापना के प्रमुख कारण है ।



# RENUSAGAR THERMAL POWER HOUSE ELECTRICITY GENERATION

(FROM 1967 - 92)




Fig 5 6

(2) **ऊनी कालीन उद्योग**— ऊनी कालीन उद्योग मुख्यतः भदोही एवं मिर्जापुर जनपद में पाया जाता है। अध्ययन क्षेत्र में भी ऊनी कालीन उद्योग का विकास हो रहा है। सस्ते श्रम की उपलब्धता तथा बेरोजगारी इस उद्योग के स्थापना के प्रमुख कारण है। इस उद्योग के प्रमुख केन्द्र उरमौरा, बैराही, गुरमा, घुआस, ककराही, जूडी, पसही, पुरौली, बहुअरा, दुरावल कला, पापी, बसुहा, गुलख, पापीरा, कसया कला, शिवखरी, जमगाव, शिवद्वार, घोरावल, मुडिलाडीह, बकौली, चुर्क, चोपन, ओबरा, शक्तिनगर, चपकी, सिद्धरिया, जगदीशपुर आदि हैं। इस उद्योग ने एक ओर बाल श्रम को बढ़ावा दिया है तो दूसरी ओर रोजगार के अवसर प्रदान किये हैं।

(3) **बजरी-बालू एवं मोरम उद्योग**— अध्ययन क्षेत्र का यह प्रमुख उद्योग है। बजरी तोड़ने के लिए चोपन, ओबरा तथा डाला क्षेत्र में हजारों 'क्रैशर उद्योग' लगे हुए हैं। इन क्षेत्रों की सम्पूर्ण पहाड़ियों को तोड़कर समतल रूप प्रदान किया जा रहा है। यहाँ की बजरी भवनों, परियोजनाओं, औद्योगिक भवनों, पुलों तथा सड़कों आदि के निर्माण के लिए दूर दूर तक जाती है। बजरी की ढुलाई ट्रकों व ट्रैक्टरों से की जाती है। इससे परिवहन उद्योग में काफी वृद्धि हुई है।

अध्ययन क्षेत्र की सभी नदियाँ (सोन, कर्मनाशा, कनहर, रिहन्द आदि) पहाड़ी हैं। इन नदियों से निर्मित बालू की मात्रा एवं गुण उत्तम प्रकार का है। यहाँ के बालू के कड बड़े तथा चमकीले हैं, जिसका उपयोग बाधों, भवनों, कारखानों, पुलों आदि में किया जाता है। यहाँ की बालू अपनी उत्तमता के कारण अन्य प्रदेशों में भी भेजी जाती है, जो ट्रके अन्य स्थानों से सामान लेकर सोनभद्र आती है उन्हें वापसी कार्य के रूप में बजरी बालू एवं मोरम मिल जाता है। बालू से परिवहन एवं निर्माण उद्योग का विकास हो रहा है।

अध्ययन क्षेत्र के सभी विकासखण्डों में मोरम की खानें पायी जाती हैं। इसका उपयोग रब बनाने, पेट बनाने तथा सड़क निर्माण में किया जाता है। स्थानीय कच्ची एवं खडजा सड़कों पर मोरम बिछाकर सड़कों को आवागमन के अनुकूल बनाया गया है।

(4) **फर्नीचर उद्योग**— प्रकाष्ठ की माँग बढ़ जाने तथा लकड़ी चिराई (आरा) मशीनों की स्थापना से सोनभद्र में इस उद्योग का विकास तेजी से हो रहा है। अनेक औद्योगिक केन्द्रों की स्थापना से इस उद्योग को स्थानीय बाजार भी उपलब्ध है। रेनूकूट के समीप मुर्धवा लकड़ी चिराई एवं फर्नीचर उद्योग का सबसे बड़ा केन्द्र है। इसके अतिरिक्त राबर्ट्सगंज, चोपन,

ओबरा, रेनूकूट, अनपरा व शक्तिनगर अन्य प्रमुख केन्द्र है। पर्यावरण सतुलन से साम्य स्थापित करते हुए फर्नीचर उद्योग को और अधिक विकसित किया जा सकता है। वनों से बिना चीरी लकड़ी (बल्ली, एव गोला) निकाली जाती है। मुर्घवा एव दुब्डी प्रमुख प्रकाष्ठ मण्डियाँ है। साल, असना, सिद्धा, हल्दू, धौ, सलई, सिरिस, साल आदि इस उद्योग मे प्रमुखत प्रयुक्त होती है।

(5) ईट उद्योग- जनपद के औद्योगिक विकास से इस उद्योग का स्वत विकास हो गया । विकास खण्ड चोपन, म्योरपुर तथा दुब्डी मे अनेक ईट के भट्ठे चल रहे है। कोयले की प्राप्ति सिंगरौली कोयला क्षेत्र से हो जाती है तथा स्थानीय रूप से उपलब्ध सस्ते श्रमिक व स्थानीय बाजार इस उद्योग के विकास के प्रमुख कारण है ।

उपर्युक्त उद्योगों के अतिरिक्त निम्न लघु उद्योग अध्ययन क्षेत्र मे यत्र- तत्र फैले हुए है -

- दाल मिल
- खाद्य तेल मिल
- आटा पीसने का उद्योग
- बेकरी उद्योग
- मोमबत्ती उद्योग
- चमड़ा उद्योग
- एल्यूमिनियम के सामान

#### (स) ग्रामीण एव कुटीर उद्योग

ग्रामीण एव कुटीर उद्योग को साधारणतया एक समान माना जाता है। यद्यपि काल एव स्थान के अनुसार इनमे सूक्ष्म भेद बताया जाता है। कुटीर उद्योग ऐतिहासिक दृष्टिकोण से आधुनिक निर्माण उद्योग का आधार है। इसके अन्तर्गत दस्तकार अपनी पैतृक दक्षता के आधार पर अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से घर मे ही वस्तुए बनाता है। इस उद्योग की प्रमुख विशेषता स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग है। इनके उत्पादों की उपादेयता स्थानीय लोगों के लिए अधिक होती है। इन उद्योगों का उत्पादन छोटे स्तर पर होता है तथा बहुत साधारण औजारों

एन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है।<sup>25</sup> विस्तृत अर्थों में ग्रामीण एन कुटीर उद्योगों में उन सभी उद्योगों को सम्मिलित किया जा सकता है। जो ग्रामीणों द्वारा आंशिक या पूर्णकालिक व्यवसाय के रूप में किये जाते हैं। ये उद्योग जातिगत अथवा परम्परागत उद्योग के रूप में हो सकते हैं।<sup>26</sup> अध्ययन क्षेत्र में कृषि एवं वनों पर आधारित अनेक लघु उद्योग पाये जाते हैं, जिनमें प्रमुख निम्न हैं -

(1) तेंदू पत्ता- तेंदू के पत्ते का उपयोग बीडी बनाने में किया जाता है। तेंदू पत्ता व्यापार अधिनियम 1972 के लागू हो जाने के उपरान्त समस्त तेंदू पत्ते का व्यापार शासन ने अपने हाथ में ले लिया है। सन 1983 से यह कार्य उ०प्र० वन निगम द्वारा सम्पन्न हो रहा है। तेंदू पत्ते का संग्रहण स्थानीय श्रमिकों द्वारा किया जाता है और पचास-पचास पत्ते की गड़्डिया बनायी जाती है। इस प्रकार बांधी गयी एक हजार गड़्डियों से एक मानक बोरा बनता है। तेंदू पत्ते का निर्गम, मानक बोरों या छोटे-छोटे बोरों जिन्हें 'झाल' कहते हैं, में किया जाता है। तेंदू पत्ता का संग्रहण वन निगम के निर्धारित डिपो मुर्धवा, दुब्डी, तथा विण्डमगज में किया जाता है।

सोनभद्र के वन प्रभाग के राजस्व का लगभग 3/4 भाग तेंदू पत्ते से प्राप्त होता है। जिस वर्ष गर्मी अधिक पड़ती है तथा 'लू' अधिक चलती है, उस वर्ष तेंदू पत्ता अच्छी तरह पनपता है। पत्तियों को तोड़ने का कार्य मई से मध्य जून तक होता है। अध्ययन क्षेत्र में तेंदू पत्ते की उपलब्धता को देखते हुए बीडी उद्योग की पर्याप्त सम्भावनाएँ हैं।

## (2) ईंधन एकत्रीकरण

ईंधन के रूप में लकड़ियों की स्थानीय माँग पिपरी, रेनूकूट, दुब्डी, विण्डमगज शक्तिनगर, अनपरा, रेणूसागर, रिहन्द नगर, ओबरा, डाला, चुर्क तथा राबर्टसगज आदि में बढ़ती जा रही है। मिर्जापुर, इलाहाबाद तथा वाराणसी इसकी प्रमुख मण्डियाँ हैं। ईंधन के रूप में धौ, ककोर, सिद्धा तथा बेर की लकड़ियाँ अच्छी समझी जाती हैं। पर्यावरण सतुलन की समस्या को देखते हुए ईंधन एकत्रीकरण के उद्योग के विकास को प्रश्रय नहीं दिया जा सकता है। पुराने तथा बेकार वृक्षों की लकड़ियों का प्रयोग ईंधन के रूप में अवश्य किया जा सकता है।

### (3) मिट्टी के बर्तनों का उद्योग-

अध्ययन क्षेत्र में कुम्हार जाति द्वारा घड़ा, सुराही, कुल्हड आदि मिट्टी के बर्तन बनाये जाते हैं। दीपावली के अवसर पर दीपक तथा खिलौने बनाए जाते हैं। मिट्टी के बर्तन बनाने का उद्योग बरसात के दिनों में नहीं होता है। कच्चे बर्तनों एम खिलौनों को पकाकर तैयार किया जाता है तथा उन्हें बाजार में विक्रय हेतु लाया जाता है।

(4) ग्रामीण चमड़ा उद्योग- इस उद्योग में मृत जानवरों की खाल निकालना, सफाई करना तथा उससे जूता, चप्पल तथा उपयोगी वस्तुएँ बनायी जाती हैं। इस कार्य में अध्ययन क्षेत्र के कुछ विशिष्ट लोग ही लगे हुए हैं।

(5) चावल उद्योग- अध्ययन क्षेत्र में विकसित खण्ड चतरा, राबर्टसगज व घोरावल की अधिकांश ग्राम सभाओं में 'हालर' द्वारा धान की कुटाई की जाती है। सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र में एक भी चावल मिल नहीं है।

(6) बगई घास- यह एक विशिष्ट प्रकार की घास है, जिसका उपयोग रस्सी बनाने में होता है। जनपद सोनभद्र में बगई घास लगभग सभी विकासखण्डों में पायी जाती है। किन्तु विकसितखण्ड नगवा चोपन, म्योरपुर, बभनी व दुद्धी में यह अधिक पायी जाती है। बगई घास की अधिकता को देखते हुए रस्सी बनाने के कुटीर उद्योग विकसित करने की पर्याप्त सभावना है। यद्यपि स्थानीय निवासियों द्वारा हाथ से बनायी गयी रस्सी, कुछ जरूरतों की पूर्ति करती है। कुछ उपयोग मीरजापुर, अहरौरा, चुनार व राबर्टसगज, के क्षेत्रों में किया जाता है। बगई घास का उपयोग कागज उद्योग में भी किया जाता है। इस हेतु कुछ घासों का निर्यात छेहरी आनसोन, डालमिया नगर आदि स्थानों को भी होता है। इस तरह सोनभद्र में कागज उद्योग स्थापित करने की पर्याप्त सभाव्यता है।

(7) कम्बल उद्योग- पठारी क्षेत्र होने के कारण भेड़पालन पर्याप्त रूप में होता है। चरवाहों द्वारा भेड़ों का उपयोग दूध के अतिरिक्त बालों से कम्बल बनाने व भेड़ों के मल मूत्र से खाद बनाने के रूप में किया जाता है। कम्बल, कुछ चरवाहों के परिवार

स्वयं बनाते हैं जबकि कुछ चरवाहे बालों को बेचकर धन अर्जित करते हैं। कम्बल बनाने में दक्षता का अभाव होने के कारण उत्तम कोटि का कम्बल तैयार नहीं हो पाता है, जिससे कम्बलो का बाजार स्थानीय है। इन कम्बलों का उपयोग यहाँ के मूल निवासियों द्वारा न केवल शीत ऋतु में होता है वरन् ग्रीष्म ऋतु में भी 'लू' से बचने व 'पूजा' आदि में भी किया जाता है। भेड़ों के मलमूत्र से उत्तम कोटि की खाद बनती है। यहाँ भेड़ों के झुण्ड को 'उर्वरक-कारखाना' कहा जाता है। किन्तु रसायनिक उर्वरकों के कारण इन 'प्राकृतिक उर्वरक कारखानों' का महत्त्व घटता जा रहा है। खाद के रूप में इसे पुनः प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता है, जो वैज्ञानिक प्रेरणा से ही सम्भव है। अपनी गुणवत्ता की तुलना में भेड़ों की खाद बहुत सस्ती है।

(8) रस्सी उद्योग (बकेल)- पलास के क्षैतिज जड़ों से निर्मित बकेल मजबूत एवं टिकाऊ होती है। यद्यपि इसका उपयोग बारीक कामों में नहीं होता है फिर भी पशुओं के बाधने की रस्सी (पगहा, पसेल, खोंचा व छान आदि), कुओं से पानी खींचने की रस्सी (लेजूर), चारपाई कसने की रस्सी, कच्चे मकानों के छाजन आदि घरेलू उपयोग में किया जाता है। बकेल पलास का जड़ होता है, जिसे अप्रैल से जून माह में 2'-3' तक जमीन में खुदाई करके निकाला जाता है, पुनः इसके रेशों को अलग कर लिया जाता है। बकेल से रस्सी बनाने का काम स्थानीय लोगों द्वारा स्थानीय उपयोग के लिये किया जाता है। जनपद सोनभद्र में पलास की अधिकता को देखते हुए बकेल से रस्सी बनाने के काम को कुटीर उद्योग के रूप में विकसित किया जा सकता है।

(9) सीक उद्योग- स्थानीय रूप से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध 'जूर' से उत्पन्न सीक का उपयोग झपोली, कुरूई व झाड़ू बनाने में किया जाता है। सीक से झाड़ू बनाने का कार्य सोनभद्र व उसके समीपवर्ती क्षेत्र को छोड़कर भारत में कहीं नहीं होता है। झपोली, कुरूई व झाड़ू सोनभद्रवासियों द्वारा अपने अतिथियों को उपहार में दी गयी विशिष्ट वस्तु मानी जाती है। सीक से निर्मित वस्तुओं को कुटीर व हस्तकला उद्योग के रूप में विकसित करने की पर्याप्त संभावनाएँ हैं। एक ऐसा उद्योग जिसमें पूँजी की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, केवल श्रम की आवश्यकता है। कृषक अनभिज्ञता वस 'जूरों' को समाप्त करते जा रहे हैं।

अतः इसे रोकने की आवश्यकता है। थोड़ी सी रूचि व दक्षता के प्रयोग से सीकों से अनेक कलात्मक वस्तुएँ बनायी जा सकती हैं, जो नगरों व महानगरों के भवनों में सजावटी वस्तुओं के रूप में प्रयुक्त हो सकती हैं। इससे न केवल आय में वृद्धि होगी वरन् कला का भी विकास होगा तथा महिलाओं के रोजगार में विशेष वृद्धि होगी।

(10) **बास-निर्मित वस्तुएँ** - बास से घरेलू उपयोग की अनेक वस्तुएँ यथा डलिया, दौरी, पखा, सूप आदि का निर्माण विशेषतः धरकार व डोम जातियों द्वारा किया जाता है। सोनभद्र में बास पर्याप्त रूप में पाया जाता है किन्तु इससे निर्मित वस्तुओं का सम्बन्ध विशिष्ट जाति से होने के कारण विकास कम हो पाया है। जरूरत है इसे कुटीर उद्योग के रूप में विकसित करने की। डोम, धरकार चलते-फिरते निर्माण केन्द्र के रूप में कार्य करते हैं।

(11) **बासुरी व झहनाई का निर्माण** - सीमित पैमाने पर डोम व धरकार जाति द्वारा किया जाता है। उचित प्रोत्साहन देकर कुटीर उद्योग के रूप में विकसित कर, इसके बाजार क्षेत्र को राज्य व राष्ट्र स्तरीय बनाया जा सकता है।

(12) **डफला वाद्ययन्त्र** - इसे धरकार लोग सीमित स्तर पर बनाते हैं। इसे कुटीर उद्योग के रूप में विकसित कर, आय व रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं।

(13) **चरखा उद्योग** - दुब्डी तहसील में 'पनिका' जाति के लोग चरखा का निर्माण करते थे तथा स्वयं कपास की खेती कर सूत कातने कपड़ा बुनने का कार्य करते थे। इस तरह कपड़ा उद्योग में वे पूर्णतया आत्मनिर्भर थे। किन्तु मशीनीकृत वस्त्रों के भरमार व इस क्षेत्र में बड़े उद्योगों की स्थापना से पनिका जाति के लोग पुश्तैनी धंधे का परित्याग कर अन्य कार्यों में लग गये हैं। वर्तमान समय में 'गोविन्दपुर आश्रम' के स्वावलम्बी अर्थव्यवस्था के प्रोत्साहन के फलस्वरूप आश्रम द्वारा स्वयं व उसके आसपास के क्षेत्रों में सीमित स्तर पर चरखे से कपड़ा बुनाई का काम किया जा रहा है। इस उद्योग में रोजगार के पर्याप्त अवसर हैं। अतः कपास की खेती को विकसित कर, चरखा बनाने व उससे सूत कातने तथा कपड़ा बुनने के उद्योग को पुनर्जीवित करना चाहिए।

(14) **गोदना उद्योग** - विशेषत अनुसूचित जाति एव जनजाति मे प्रचलित है। गोदना गोदने का काम 'वादी' जाति के लोग करते है। हाथ-पाव मे गोदना से निशान बनाकर अनेक उद्देश्यों की पूर्ति करते है। **प्रथम** - गोदना परिचय - पत्र का कार्य करता है। अशिक्षित लोगों मे यह विशेष तौर पर कारगर होता है। गोदना अपने प्रिय की याद व पहचान के रूप मे भी कराया जाता है। **द्वितीय** - गोदना के निशान लोगों के आभूषण की महत्वाकाक्षा की पूर्ति करते है। **तृतीय** - कहा जाता है कि गोदना से अनेक रोग नहीं होते है। अत यह टीकाकरण के उद्देश्य की भी पूर्ति करता है। **चतुर्थ** - स्वयं मे एक कला है। गोदना के साथ - साथ कानो व नाकों मे छिद्र करने की भी प्रथा है। कान व नाक मे छिद्र करने की प्रथा न केवल सोनभद्र मे बल्कि नगरों व महानगरों मे भी सामान्य तौर पाया जाता है। शास्त्रों मे तो नाक व कान छेदने को, सस्कार के रूप मे वर्णित किया गया है। 'गोदना' चीनी चिकित्सा पद्धति 'एक्यूपचर' विधि से साम्य रखती है। अत ऐसा लगता है कि गोदना उद्योग प्राचीन काल से ही फल-फूल रहा है। गोदना को समाज मे विशेष मान्यता नहीं है, फिर भी इसके कलात्मक रूप आज भी दर्शनीय है व इसे उद्योग के रूप मे प्रसारित किया जा सकता है।

(15) **कत्था उद्योग** - कत्था मुख्यत दुखी तहसील मे पाया जाता है। दुधिया कत्था की वाराणसी तथा मिर्जापुर मे और साधारण कत्थे की कानपुर मुख्य मण्डी है। इस क्षेत्र मे दोनों प्रकार का कत्था बनता है। सोनभद्र मे कत्था निर्माण उद्योग को और विकसित किया जा सकता है।

(16) **गोंद** - खैर, धौ, कुर्लू तथा पीपल के वृक्षों से निकाला जाता है। इसकी मण्डी अहरोरा, हाथरस तथा दिल्ली मे है।

(17) **कोरैया** - मण्डी मे कोरैया शब्द का प्रयोग दोनों प्रजातियों होलोराइना तथा राइटिया के लिए होता है। यह खिलौना बनाने के लिए बहुत ही उपयुक्त लकडी है। इसका निर्यात वाराणसी तथा अहरोरा को किया जाता है। लकडी के निर्यात की जगह सोनभद्र वासियों द्वारा खिलौना बनवा कर निर्यात करना चाहिए। इस कुटीर उद्योग से आय व रोजगार



में वृद्धि होगी ।

(18) **रेशम एवं टसर उद्योग** - रेशम के कीट असना (टर्मिनेलिया अलाटा) शहतूत (मोरस इण्डिका) के वृक्षों पर पाले जाते हैं जिनसे देश का कोआ प्राप्त किया जाता है। इसी प्रकार टसर के कीट अर्जुन या कहवा (टर्मिनेलिया अर्जुना) के वृक्षों पर पाले जाते हैं। दुग्धी तहसील में इसके विकास की पर्याप्त संभावनाएँ हैं। असना के वृक्ष कोन रेश में अधिक पाये जाते हैं जहाँ पर रेशम विकास विभाग की सहायता से रेशम उत्पादन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अर्जुन के शुद्ध रोपण टसर उत्पादन के उद्देश्य से किये जा रहे हैं। ऐसे क्षेत्रों में टसर के उत्पादन को बढ़ावा देने से स्थानीय निवासियों, आदिवासियों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

(19) **रेशम कीट पालन एवं कोया उत्पादन** - कीटोण्डों से प्रस्फुटित रेशम कीट अत्यन्त सूक्ष्म होते हैं। इसलिए इस अवस्था में इनके पोषण में बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है। समस्त कोया की बिक्री उचित दरों पर रेशम विभाग द्वारा करायी जाती है। उचित मात्रा में कर्षण कार्य तथा खाद एवं पानी उपलब्ध कराकर प्रति एकड़ पत्ती उत्पादन और बढ़ाया जा सकता है। फलस्वरूप कोया उत्पादन में भी वृद्धि अवश्यम्भावी है। इसके अतिरिक्त यदि कृषक अपने उत्पादित कोया से चरखा द्वारा धागाकरण प्रारम्भ कर दें तो उनकी आय बढ़ जायेगी। क्योंकि प्रति 10-12 किलोग्राम कोया से लगभग 1 किलोग्राम रेशम धागा प्राप्त होता है, जिसका बाजार मूल्य लगभग 450-550 ₹0 प्रति किलोग्राम है।

(20) **मधुमक्खी पालन** - उ०प्र० खादी ग्रामोद्योग द्वारा प्रकाशित एवं प्रचारित पुस्तक 'मधुमक्खी पालन उद्योग' से मौन पालन सम्बन्धी संक्षिप्त रूप रेखा प्रस्तुत है जो कि इस क्षेत्र के आदिवासियों व स्थानीय निवासियों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण लघु उद्योग के रूप में विकसित किया जाता है। इस जनपद में अनेक उगाई जाने वाली एवं जंगली वनस्पतियाँ ऐसी हैं, जो मधुमक्खियों के लिए उपयोगी हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है - जामुन, तुन, रीठा, जकरेन्डा, खैर, दालचीनी, वाटल बुश, आवला, सहजन, नीम, इमली, कचनार, साल, अर्जुन, जंगली जलेबी, जंगली बेर तथा अमरूद आदि।

#### 5 4 ग्रामीण एव कुटीर उद्योगों का महत्व

बढ़ती हुई जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध कराने, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या का जीवन स्तर ऊपर उठाने, आर्थिक विषमता को कम करने एव बढ़ती शहरीकरण की समस्या के समाधान का एकमात्र विकल्प है - ग्रामीण एव कुटीर उद्योगों का विकास । तेजी से बढ़ती हुई ग्रामीण जनसंख्या को कृषि-क्षेत्रों में रोजगार के सीमित अवसर को देखते हुए सबको काम नहीं दिया जा सकता । इन उद्योगों का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यही है कि प्राकृतिक रूप से श्रमिकों को अपने अनुकूल वातावरण में कार्य मिल जाता है। जिससे आन्तरिक सुख प्राप्त होता है। उनके सामर्थ्य, इच्छा, और रूचि के अनुरूप तथा व्यक्तिगत योग्यता एव प्रवृत्ति के अनुसार व्यवसाय चलाने की सम्भावना भी बन जाती है। अध्ययन क्षेत्र में कच्चा माल, स्थानीय योग्यता और स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप ग्रामीण एव कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। अध्ययन क्षेत्र में श्रम के बाहुल्य तथा पूंजी के अभाव को देखते हुए कुटीर उद्योगों का बहुत अधिक महत्व है। ग्रामीण एव कुटीर उद्योगों का महत्व निम्न तथ्यों के कारण लगातार बढ़ता जा रहा है।

1. गाँव के कच्चे माल पर आधारित ग्रामीण एव कुटीर उद्योग, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए उपयुक्त है।

2. ग्रामीण क्षेत्रों में इन उद्योगों की स्थापना करके ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर अर्द्ध बेरोजगारी अदृश्य बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जा सकता है ।

3. ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आय स्तर को सुधारने हेतु क्षेत्रीय प्राकृतिक और मानवीय संसाधन का प्रयोग किया जा सकता है ।

4. इन उद्योगों की स्थापना से बहुसंख्यक ग्रामीणों की क्रय शक्ति में सुधार होगा, फलस्वरूप उद्योगों पर आधारित वस्तुओं की माँग में वृद्धि होगी और उनके जीवन स्तर में सुधार होगा ।

5 ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण एव कुटीर उद्योगों की स्थापना करके गाँवों से नगरों की ओर जनसंख्या के पलायन को रोका जा सकता है ।

6 इन उद्योगों से कृषि एव उद्योगों के सहयोग से सतुलित विकास की प्राप्ति हो सकेगी ।

7 ग्रामीण एव कुटीर उद्योगों की स्थापना से कुछ सीमा तक उद्योगों का विकेन्द्रीकरण किया जा सकता है ।

8 धन एव आय की असमानता को समाप्त किया जा सकता है ।

9 ग्रामीण एव कुटीर उद्योगों से शीघ्रतापूर्वक उत्पादन किया जा सकता है क्योंकि इसमें तकनीकी ज्ञान की कम आवश्यकता होती है और इन्हें यथाशीघ्र प्रारम्भ किया जा सकता है ।

### 5.5 औद्योगिक समस्याएँ

अध्ययन क्षेत्र में बड़े उद्योगों में जहाँ प्रबन्धन की प्रमुख समस्या है वहीं लघु एव कुटीर उद्योगों में ससाधनों तथा वित्तीय अनुपलब्धता की समस्या है। जब तक सभी उद्योगों के समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता तब तक समन्वित औद्योगिक विकास नहीं किया जा सकता। चूर्क एव डाला में स्थित सीमेंट कारखाने की समस्या उसके निजी क्षेत्र में हस्तान्तरण के प्रस्ताव से उत्पन्न हुयी थी। श्रमिकों एव कर्मचारियों के हडताल से कई वर्ष उत्पादन स्थिथिल रहा। सरकार द्वारा इसे निजी क्षेत्र में हस्तान्तरण का प्रमुख कारण 'घाटा' बताया गया था। किन्तु उचित प्रबन्धन तथा ससाधनों की समुचित आपूर्ति से इस घाटे की समस्या को समाप्त किया जा सकता है ।

चूँकि सभी कोयला क्षेत्र केन्द्र सरकार के अधीन है, इसलिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) के अन्तर्गत आने वाले ताप विद्युत गृहों (रिहन्द नगर तथा सिंगरोली

सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन) को उत्तम कोटि का बिट्यूमिनस कोयला प्रदान किया जाता है, जबकि राज्य सरकार के अधीन अनपरा एव ओबरा ताप विद्युत गृह को सब-बिट्यूमिनस कोयले की आपूर्ति की जाती है। राष्ट्रीय हित में इस तरह की समस्याओं को कम किया जाना चाहिए। निजी क्षेत्र के रेणुसागर ताप विद्युत गृह को भी उच्च मूल्य पर बिट्यूमिनस कोयले की आपूर्ति की जाती है। ओबरा ताप विद्युत गृह में कोयले की उचित मात्रा सही समय पर न पहुँचने से प्रायः बहुत कम विद्युत उत्पादन होता है। अध्ययन क्षेत्र में उर्जा के वृहद् स्रोत होने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बहुत कम होती है, जिससे लघु उद्योग सबसे अधिक प्रभावी होता है। कुटीर व ग्रामीण उद्योग भी बिजली की अनुपलब्धता से सौर्य प्रकाश पर ही निर्भर करते हैं। इससे दस्तकारों व श्रमिकों का समय नष्ट होता ही है, समुचित उत्पादन भी नहीं हो पाता है।

परिवहन के साधनों का अभाव लघु एव कुटीर उद्योगों के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। इसके अभाव में इन उद्योगों का बाजार से सम्पर्क नहीं हो पाता है जिससे उचित मूल्य मिलने में एव औद्योगिक उत्पादों के प्रसार में बाधा पहुँचती है। नयी टेक्नालॉजी का अभाव व पूँजी का अभाव अध्ययन क्षेत्र के औद्योगिक गति को अवरूद्ध कर रहे हैं। पूँजी के अभाव में अनेक बेरोजगार युवक कुटीर एव लघु उद्योग नहीं स्थापित कर पा रहे हैं। इसके अभाव में अध्ययन क्षेत्र के साधनों का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। फलतः इस क्षेत्र के साधनों से अन्यत्र औद्योगिक विकास हो रहा है। उदाहरणार्थ तेंदू पत्ते की प्रचुरता के बावजूद बीडी उद्योग का विकास नहीं हो पाया है। धान की प्रचुरता के बावजूद चावल मिल की स्थापना नहीं हो पायी है।

उल्लेखनीय है कि अध्ययन क्षेत्र में जो भी उद्योग है, वे सार्वजनिक क्षेत्र तथा बाहर के बड़े-बड़े पूँजीपतियों के हाथ में हैं। इस क्षेत्र के लोगों के पास श्रम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अतः यदि इस समस्या पर समय से ध्यान नहीं दिया गया तो स्थानीय लोगों का असन्तोष विद्रोह के रूप में प्रस्फुटित होगा। उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी न होना विपणन के लिए सड़कों एवं बाजार का अभाव तथा कुछ सरकारी नीतियाँ अनेक रूपों में औद्योगिक समस्याएँ उत्पन्न कर रहीं हैं।

इसके अतिरिक्त वृहद् उद्योगों द्वारा पर्यावरण प्रदूषण स्थानीय लोगों की प्रमुख समस्या है। डाला में यह लोकोक्ति प्रचलित है कि 'सीमेंट के लिए कारखाने में मत जाओ बल्कि किसी पेड़ को हिला दो पर्याप्त सीमेंट मिल जायेगा।' इसी प्रकार सोनपार के क्षेत्रों में यह लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि 'सरकार सबसे अधिक धूम्रपान की सुविधा दे है जिसका पैसा भी नहीं लेती है'। इन लोकोक्तियों से अध्ययन क्षेत्र में उद्योगजनित समस्याओं का चित्र उभड़ता है। वास्तव में हमारी सम्पूर्ण विकास नीति दृढ़ में फँस गयी है। उद्योगों की स्थापना एवं विकास की समस्या को दूर करने के लिए जहाँ अनेक योजनाएँ व नीतियाँ हैं, वहीं उद्योग जनित समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी नीतियों का सर्वथा अभाव है।

## 5.6 औद्योगिक सभाव्यता एवं विकास नियोजन

अध्ययन क्षेत्र में खनिज ससाधन तथा वन ससाधन की प्रचुरता को देखते हुए अनेक नये उद्योगों की स्थापना की जा सकती है। कृषि उपजों को सशोधित करने हेतु अनेक उद्योगों की स्थापना की आवश्यकता है। वनस्पतियों तथा जड़ी बूटियों से आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को सुदृढ़ बनाया जा सकता है। अनेक प्रकार के पत्थरों, क्रिस्टलों तथा ककड़ों से उपयोगी वस्तुएँ बनायी जा सकती हैं। वर्तमान में बड़े उद्योगों पर आधारित उनके सह-उत्पाद से कुटीर एवं लघु उद्योगों की स्थापना की जा सकती है। अध्ययन क्षेत्र में कुछ ऐसे औद्योगिक उत्पादों की आवश्यकता है जिसे स्थापित करने के लिए नियोजन की आवश्यकता है। अध्ययन क्षेत्र के वर्तमान औद्योगिक स्वरूप के वर्णन से स्पष्ट है कि बड़े उद्योगों का पर्याप्त विकास हो चुका है। किन्तु लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना की पर्याप्त आवश्यकता है जिससे कुटीर, लघु व बड़े उद्योगों तथा कृषि एवं उद्योगों में सह-सम्बन्ध स्थापित हो सके। अध्ययन क्षेत्र में पर्यटन उद्योग के विकास की पर्याप्त सभाव्यता है। क्योंकि यहाँ प्राचीन किलों, मन्दिरों, जल प्रपातों, नदी-नालों, पर्वतों की सुरम्य घाटियों, बड़े बड़े झीलों जलाशयों तथा उद्योगों की अधिकता है।

### (अ) पर्यटन उद्योग

अध्ययन क्षेत्र में सड़कों की सुदृढ़ व्यवस्था, होटलों का निर्माण व पर्यटक स्थलों का पुनरुद्धार करके पर्यटन उद्योग को उच्च स्तर पर विकसित किया जा सकता है। मारकुण्डी मोड़ की घुमावदार सड़कों से सलग्न पहाड़ियाँ तथा घाटियाँ, गोविन्द वल्लभ पन्त सागर की प्राकृतिक छटा तथा ष्ढरौल, नगवा व सिलहट बाघ किसी भी पर्यटक को आकर्षित

करने में सक्षम है। इन जलाशयों में नौकायन की व्यवस्था करके पर्यटकों को लुभाया जा सकता है। सभी ताप विद्युत, जल विद्युत, सीमेंट उद्योग तथा अल्यूमिनियम उद्योग को सीमित पैमाने पर पर्यटकों को देखने के लिए छूट देने पर पर्यटन उद्योग को और विस्तृत किया जा सकता है। पर्यटकों को आकृष्ट करने के लिए प्राकृतिक स्थलों के अतिरिक्त ऐतिहासिक स्थल महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अध्ययन क्षेत्र के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों, गढ़, किला, मन्दिरों आदि का विवरण निम्न प्रकार है।

### (1) विजयगढ़ किला

राबर्टसगंज से 15 किमी० दक्षिण पूर्व में है। यह किला काशी नरेश राजा चेत सिंह के आधिपत्य में अंग्रेजों के आने के समय तक रहा है। यह किला चारों ओर से दीवारों से घिरा है, जिस पर तोपची निशाना लगाए बैठे रहते होंगे। किले के मुख्यद्वार को सीढियों से जोड़ा गया था जो अब टूट चुकी है। कहते हैं कि यह तिलस्मी किला है तथा इराके नीचे भी एक किला छिपा है, ऐसा देखने से प्रतीत होता है।

मुख्य द्वार से आगे बढ़ने पर रानी का महल है। रानी के महल में पत्थर की कलात्मक कलाकारी की गयी है। मजार के चारों ओर अब दीवार बनायी जा रही है जिसमें चुने दो पत्थरों को देखने से पता चलता है कि वहाँ एक शिला पर कुछ लिखा है जो हिन्दू परम्परा तथा धर्म से सम्बन्धित है। इस मकबरे के पास एक बड़ा तालाब है जिसका पानी साफ है। आगे चलकर राम सागर तालाब है। इसके साथ ही राजा का महल है। खिडकी का दरवाजा बन्द कर दिया गया था जिसे फिर खोलकर उधर से चढ़ने उतरने का रास्ता बनाया गया है। रास्ते में एक गणेश की प्रतिमा है। वर्तमान में गर्मी के दिन में यहाँ पर मेला लगता है। किले की मरम्मत करके तथा वहाँ तक पक्का मार्ग बनाकर विदेशी पर्यटकों को भी आकृष्ट किया जा सकता है। इसके पास ही में 'कैमूर वन्यजीव विहार' भी है।

### (2) अगोरी गढ़

राबर्टसगंज से 25 किमी० दक्षिण, चोपन से 7 किमी० पश्चिम, अगोरीगढ़ का भग्नावशेषरेड, विजुल एव सोन नदी से घिरा है। इस किले में कहावत के अनुसार बहुत सम्पदा

है एव यह भी तिलस्मी किला है । मोलागत राजा से लोरिक का युद्ध यहीं पर हुआ था। इस किले में देवी दुर्गा की कलात्मक मूर्ति आगन के द्वार पर है। कोठिया एव छत गिरते जा रहे हैं । यहाँ एक कुआँ है जो बहुत गहरा है तथा सोन नदी से इसका सम्बन्ध बताया जाता है । यहाँ भी दुर्गा जी की एक कलात्मक मूर्ति स्थापित है । यहाँ पर देवी की पूजा करने लोग दूर-दूर से आते हैं । दुर्ग को चारों ओर से नालों तथा खाई से सुरक्षित किया गया है दुर्ग से निकलने पर एक गेरूआ पहाड दिखता है, लोग कहते हैं इस पहाड पर लाखों वीरों की तलवार की धार उतारी गयी थी । सोननदी की धारा में एक हाथी की शकल का पत्थर है इसे लोग मोलागत राजा का कमलिल हाथी बताते हैं जो लोरिक द्वारा मारा गया था ।

(3) सोढ़री गढ़ - घोरावल से आठ कि० मी० उत्तर - पश्चिम में शिवद्वार मन्दिर के पहले यह दुर्ग भग्नावशेष के रूप में मौजूद है । इसके चारों ओर गहरी खाई है । इसकी खुदाई में बहुत सी मूर्तियाँ मिली हैं जिनमें से कुछ खण्डित हैं जो शायद मुगल काल में तोड़ दी गयी होंगी । यहाँ गहडवाल राजाओं का कभी राज्य था ।

(4) शिवद्वार - राबर्ट्सगंज से 30 कि० मी० घोरावल से 8 कि० मी० पश्चिम - उत्तर में शिवद्वार गाँव से । 5 कि० मी० पहले ही शिवद्वार का शिव मन्दिर है । इस मन्दिर में शिव पार्वती की सृजन की एक काले पत्थर की करीब तीन फीट की प्रतिमा है । इसका मूल्य आजकल करोड़ों में आका जाता है । इसी के समीप भग्न अन्य मूर्तियाँ भी हैं । कलात्मकता की दृष्टि से ये मूर्तियाँ महत्वपूर्ण हैं ।

(5) गौरी - शकर - राबर्ट्सगंज से करीब 7 कि० मी० उत्तर यह मूर्ति घोरावल रोड पर एक खुले मन्दिर में स्थित है । पंचमुखी, गौरीशकर, कन्डाकोट तथा रोप के मन्दिर के 'शिवलिंग' चारों दिशाओं में स्थित तथा एक ही काल के राजा के एक ही कारीगर द्वारा बनाये गये हैं।

(6) दधिया नाला - एक प्राचीन मन्दिर मऊ गाँव के आगे धधरोल बाध से करीब 4 कि० मी० पर स्थित है । इसकी शिवलिंग करीब 1.5' से 2' व्यास का 3' ऊँचा है । इसी मन्दिर के साथ खुले में दो और शिवलिंग हैं जो एक ही मोटाई तथा ऊँचाई के हैं एक पर सहस्रनाग

की प्रतिमाएँ बनी हैं । सहस्रनाग शिवलिंग का भग्नावशेष शिवद्वार में भी देखा गया है परन्तु वह करीब एक फीट का ही है । यहाँ पर काले पत्थर की एक अष्टभुजी की प्रतिमा है।

(7) कण्डाकोट - राबर्ट्सगंज से दक्षिण - पश्चिम कोण पर लगभग 12 कि० मी० की दूरी पर यह दुर्ग स्थित है । इसके प्राचीन ध्वसावशेष हैं । यहाँ पर कण्डेश्वर महादेव का मन्दिर तथा कई गुफाएँ हैं, जहाँ पर शैलाश्रित गुहा चित्र देखे जा सकते हैं । दुर्ग के चारों ओर खाई तथा हरे जंगल हैं । शिवरात्रि एवं बसंत पर यहाँ मेला लगता है । यहाँ से दो कि० मी० पर कुडारी देवी का मन्दिर एवं गुफाएँ हैं ।

(8) द्वार घाटी शिवगुफा - डाला से ओबरा जाने वाली सड़क पर रेलवे फाटक से एक कि० मी० बगैर, पहाड़ी पर स्थित यह गुफा हाल ही में ज्ञात हुई है । कहते हैं कि स्टोन क्रशर को लगाने समय, इस गुफा का उद्भव हुआ । करीब 15 मीटर लम्बी इस गुफा के साथ अन्य गुफाएँ भी जुड़ी मालूम पड़ती हैं । जिसके अन्तिम छोर पर एक नन्दी-नुमा तथा दो पत्थर लम्बे आकार के गोल पत्थर, इन्हें शिव तथा पार्वती का रूप माना जाता है, विद्यमान हैं । विशेष बात यह है कि यहाँ पर बहुत सी चट्टानें लटकी पड़ी हैं, परन्तु किसी से धात्विक ध्वनि नहीं आती है । केवल एक ही ऐसा पत्थर है जिसे हाथ से ठोकने पर डमडम की धात्विक ध्वनि आती है । इसी से प्रतीत होता है कि आदिकाल में शिव की आराधना यहाँ के लोग करते रहे होंगे और उसी के लिए इस प्रकार के स्थान का चुनाव करके शिव प्रतिमा, नन्दी आदि स्थापित किये होंगे । यहाँ के पत्थर पानी गिरने से अनोखे प्राकृतिक रूप धारण करते हैं जो पर्यटक का मन मोह लेते हैं । सरकार द्वारा यहाँ कोई प्रबन्ध नहीं है जबकि इस प्रकार का स्थान कदाचित ही मिलता है ।

(9) बरकन्हरा - शिवद्वार मार्ग से 5 कि० मी० तथा घोरावल से 13 कि० मी० पर बरकन्हरा गाँव स्थित है । यहाँ पर एक पाकड के पेड़ के नीचे छोटे मन्दिर में माँ अष्टभुजी की काले पत्थर की करीब 3 फीट ऊँची प्रतिमा है जो ऐसा लगता है कि उसी काल की बनी है जब शिवद्वार की शिव पार्वती की प्रतिमा बनायी गयी होगी । भगवान विष्णु की सफेद पत्थर की 1.5 फीट की बहुत सुन्दर प्रतिमा भी मिली है । इसे वही स्थापित करने हेतु मन्दिर का निर्माण हुआ है । उसकी कीमत लगभग डेढ़ से दो करोड़ तक आकी गयी है ।



(10) **ज्वाला देवी** - सुदूर दक्षिणाचल में राबर्ट्सगंज से करीब 140 कि० मी० पर यह स्थान है । यहाँ पर ज्वाला देवी का अति प्राचीन शक्तिपीठ है । यहाँ बस द्वारा जाया जा सकता है । मन्दिर के पास ही । कि० मी० पहाड़ी पर गुफा है, जिसमें प्राचीन कलाकृतियाँ बनी हैं । मंदिर के द्वार पर अष्टभुजी की काले पत्थर की सुन्दर प्रतिमा दर्शनीय है ।

इसके अतिरिक्त मुखादरी, कडिया ताल - अगोरी किले की देवी, अमिला भवानी, मच्छरमारा भवानी एवं औड़ी महाबीर आदि की प्रतिमाएँ प्राचीन एवं दर्शनीय हैं । साथ ही रेनूकूट में बिडला द्वारा नया स्थापित रेणुकेश्वर महादेव का मन्दिर, देवी सम्पदा मडल का राधा - कृष्ण मन्दिर एवं ओबरा का गीता मन्दिर आदि अत्यन्त सुन्दर हैं जो पर्यटकों का मन मोह लेते हैं । अध्ययन क्षेत्र में अनेक गुफाएँ व प्रपात हैं । इनका अति संक्षिप्त विवरण निम्न है -

(11) **ओबरा गुफा**-ओबरा में पानी हेतु टकी तथा पाइप लाइन बिछाने का कार्य चलते समय ये गुफाएँ मिलीं । जैसे तीन गुफाएँ स्पष्ट दिखाई देती हैं । प्रमुख गुफा करीब 20' गहरी 10' ऊँची तथा 20' चौड़ी है जिसको देखने से यह प्रतीत होता है कि जब भौगर्भिक हलचल या भूकम्प आया होगा तो कठोर चट्टानों के चटकने से इनका निर्माण हुआ होगा ।

(12) **मुखादरी जल प्रपात** - जनपद में सबसे सुन्दर जल प्रपात मुखादरी है जो शिवद्वार से करीब 8 कि० मी० पश्चिम में बेलन नदी पर स्थित है । बीच रास्ते में कडिया ताल है जिसे विकसित कर झील का रूप दिया जा सकता है, जहाँ नौका बिहार एवं होटल, पर्यटक दृष्टि से प्राभावी होगा । मुखा-दरी की गुफाओं में बहुत से शैलाश्रित गुहा चित्र हैं जो प्राचीनतम एवं महत्वपूर्ण हैं । यहीं देवी की प्रतिमा तथा मन्दिर है ।

(13) **हाथीनाला जल प्रपात** - यह राबर्ट्सगंज से करीब 60 कि० मी० दक्षिण- पूर्व में दुद्धी मार्ग पर अंग्रेजों द्वारा निर्मित कृत्रिम प्रपात है । यहाँ पर ठहरने के लिए 'हट' भी निर्मित है जिसका उपयोग पर्यटकों के लिए किया जाता है । इससे करीब 35 कि० मी० पर म्योरपुर के पास नदी में भी एक प्रपात दर्शनीय है ।

(14) **पेड के कटे तने पत्थर हो गए** - राबर्ट्सगंज पिपरी मार्ग पर सलखन नामक स्थान पर मुख्य मार्ग से । कि० मी० पश्चिम गरगजवा पहाड़ी है । यहाँ पर पेड के कटे तनों की आकृति

की चट्टाने अभी हाल ही में पायी गयी है । इसके विषय में कहा जाता है कि इस पेड़ के कटे तने लगभग डेढ़ अरब वर्ष पुराने हैं जो कालान्तर परत-दर-परत चढ़ने पर पत्थर की आकृति में परिवर्तित हो गए ।

### (ब) चिकित्सा उद्योग

अध्ययन क्षेत्र में चिकित्सा उद्योग विशेषतः आयुर्वेदिक चिकित्सा के विकास की पर्याप्त सभाव्यता है । सोनभद्र में ऐसे अनेक पेड़-पौधे तथा जड़ी-बूटियाँ हैं जिनका प्रयोग स्थानीय लोगों द्वारा किया जाता है । इस क्षेत्र के वनस्पतियों, जड़ी-बूटियों, वैद्यों के अनुभव तथा कुछ आधुनिक आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में साम्य बैठाया जाय तो अनेक असाध्य रोगों की भी दवा दी जा सकती है । वास्तव में उत्तम स्वास्थ्य विकास का एक प्रमुख लक्षण है । कुछ प्रमुख जड़ी-बूटियों तथा वनस्पतियों के औषधीय गुण निम्न हैं, जिन्हें पहचानने, प्रयोग करने एवं प्रसारित करने की महती आवश्यकता है ।

1. कुचिला - अगोरी के पास गोठानी क्षेत्र में पर्याप्त रूप में मिलता है । इससे निर्मित दवा वायुविकार में प्रयोग की जा सकती है ।

2. गुस्चि - यह एक प्रकार की लता है जो बुखार में प्रयुक्त होती है ।

3. पथर चट्टी - धातु सम्बन्धी समस्त रोगों में गुणकारी होती है ।

4. गदह पुरना - पीलिया रोग की अमोघ दवा है ।

5. हड़-जोड़ - टूटी हुई हड़डी को जोड़ने के काम में आता है ।

6. घतूर की पत्ती - इसे गर्म सरसों के तेल में डालकर, बरसात के मौसम में सड़ी सँगुलियों में लगाया जाता है । इसका दूध दर्द-निवारक है ।

7. नीम का तेल - चर्मरोगों में प्रयुक्त होता है ।

8. महुआ का तेल - अध्ययन क्षेत्र में इसे डोरी का तेल भी कहते हैं । इसका प्रयोग शुष्क अंगों को मुलायम बनाने तथा सर्दी-जुकाम में होता है । महुआ का वृक्ष सर्वत्र विद्यमान है ।

9. कूटज - इसका वृक्ष कर्मनाशा नदी के किनारे बड़ी संख्या में पाया जाता है । यह पेचिस के रोग में उपयोगी होता है ।

10. **कहवा (अर्जुन)** - इसकी छाल को दूध में पकाकर सेवन करने से हृदय रोग कभी भी नहीं हो सकता। यह सोनभद्र के सभी विकास खण्डों में पाया जाता है। इसके वृक्ष म्योरपुर, बभनी, नगवा व चोपन में अधिक संख्या में पाये जाते हैं।

11. **ऑँवला** - ऑँवला में अनेक औषधीय गुण होते हैं। इससे च्यवनप्राश, त्रिफला का चूर्ण आदि बनाया जाता है। ऑँवला आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का आधार है।

12. **हरर (हरण)** - इसके बारे में कहा जाता है कि माता कुपित हो सकती है किन्तु हरर का सेवन मिथ्या नहीं हो सकता। हरर का चूर्ण पाचक होता है तथा खासी की उपयुक्त दवा है।

13. **बहेरा** - यह त्रिफला का घटक है तथा कफ निस्सारक है। हरर व बहेरा के वृक्ष पर्याप्त पाए जाते हैं।

14. **कचनार** - गलगड रोग में प्रयुक्त होता है। फरवरी - मार्च में इसका फूल देखने योग्य होता है। इन फूलों का प्रयोग सब्जी के रूप में भी होता है।

15. **चिरौंजी** - 'पियार' का फल खाने में स्वादिष्ट होता है तथा इसकी गुठली से चिरौंजी निकाली जाती है। चिरौंजी पीस कर बच्चों को लगाने से, चर्मरोग नाशक तथा हड्डी को मजबूत करने वाला होता है।

16. **भिलावा** - इसका प्रयोग रासायनिक दग्ध (केमिकल काटराइज) के रूप में किया जाता है। इन क्षेत्रों में लोग इससे त्वचा को दागकर (जलाकर) रोगों को दूर करते हैं।

17. **करवन** - इसका न केवल फल खाया जाता वरन् इसके जड़ को पीसकर, ज्वर में पीने से ज्वर समाप्त हो जाता है।

18. **खादिर (खैर)** - इससे कत्था बनाया जाता है। खादिर रक्तशोधन, कुष्ठरोग तथा खासी में प्रयुक्त होता है।

19. **पलास** के बीज का प्रयोग मनुष्य एवं जानवरों के उदर में कृमि नाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है।

20. **सतावरी** - दूध व शक्ति बढ़ाने के लिए विशेषतः जानवरों को पीस कर पिलाया जाता है।

21. **लिसोढ़ा** - इसके पत्ते का काढ़ा बनाकर पीने से खासी - जुकाम समाप्त हो जाता है।

22 शिवनाक - दस्तावर के रूप में प्रयोग किया जाता है ।

23 जगली जानवरों के हड्डी, चमड़ा, सींग तथा अनेक जड़ी - बूटियों व पत्थरों का प्रयोग चिकित्सा के लिए किया जाता है ।

### (स) प्रस्तर उद्योग

अध्ययन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के प्रस्तर (पत्थर) पाए जाते हैं । इन पत्थरों से पेन्ट, भवन निर्माण सामग्री तथा मूर्तियों का निर्माण, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग के रूप में किया जा सकता है । इन पत्थरों का उपयोग करने के लिए सरकार को छूट या लाइसेंस देने की आवश्यकता है । इस क्षेत्र के पत्थरों से कुटीर उद्योग के रूप में निम्न वस्तुएं बनायी जा सकती हैं ।

1. हरे रंग का पत्थर - इसे पीस कर हरा रंग तैयार किया जा सकता है ।

2. रॉक एव कैल्शियम क्रिस्टल - यह पहाड़ियों में बहुतायत रूप में है । इससे 'नग' एवं अन्य आभूषण बनाया जा सकता है । इससे न केवल धनार्जन होगा वरन् एक विशिष्ट कला का भी विकास होगा ।

3. रेड ऑक्साइड (गेरू) - पेन्ट के रूप में इसका इस्तेमाल प्राचीन काल से किया जा रहा है । प्रागैतिहासिक कालीन चित्र इसी से पेन्ट किए गए थे जो आज तक अपनी अमिट छाप छोड़ रहे हैं । गेरू की रंगाई से जग नहीं लगता है । अतः गेरू से रंग एवं पेन्ट बनाने का काम लघु एवं कुटीर उद्योग में विकसित किया जा सकता है । शहरों में गमलों एवं गाँवों में दीवारों की रंगाई (पुताई) गेरू से ही किया जाता है । उल्लेखनीय है कि अध्ययन क्षेत्र में गेरू बहुतायत में उपलब्ध है ।

4. चाइना क्ले (चीनी मिट्टी) - यह दुबड़ी क्षेत्र में प्रचुर रूप में उपलब्ध है चुनार की तरह यहाँ भी चीनी मिट्टी के बर्तन व खिलौने बनाने का लघु एवं कुटीर उद्योग प्रारम्भ किया जा सकता है । इस उद्योग को विकसित करने की प्रमुख समस्या दक्ष कारीगरों को आकृष्ट करने की है ।

5. मोरग - इसका वितरण सर्वत्र है । इसका उपयोग रंग व पेन्ट बनाने में किया जा सकता है ।

6. सगमरमर - यह दुबड़ी व शक्तिनगर क्षेत्र में पाया जाता है । यहाँ का सगमरमर उत्तम कोटि का नहीं है, फिर भी फर्स बनाने व मुजैक के रूप में प्रयोग किया जा

सकता है । इन्हे श्रमिकों व कारीगरों द्वारा उपयुक्त आकार देने की आवश्यकता है ।

7 चूना पत्थर - कैमूर पहाड़ी के दक्षिणी भाग में, बसुहारी क्षेत्र में चूना पत्थर के विशाल भण्डार हैं । यहाँ सीमेण्ट उद्योग के रूप में एक बड़ा उद्योग तथा चूना उद्योग के रूप में लघु उद्योग स्थापित किया जा सकता है । इससे उद्योगविहीन एवं पिछड़े विकासखण्ड नगवा में विकास की लहर दौड़ जाएगी है ।

8 अध्ययन क्षेत्र के लाल एवं बलुआ पत्थर से 'पटिया' बनाने की पर्याप्त सभावना है । उचित प्रोत्साहन देने पर चुनार की तरह 'घटिया' निर्माण का केन्द्र हो सकता है ।

9 पहाड़ी नदियों में बिखरे पत्थरों को कुटीर उद्योगों में तराशकर मूर्तियाँ, अलंकारिक वस्तुएँ, 'पैपर वेट' व अन्य उपयोगी वस्तुएँ बनायी जा सकती है ।

#### (द) हस्तकला उद्योग

इस प्रकार के उद्योगों में ऊनी दरी, चादी के आभूषण, पत्थर के आभूषण, म्यूजिकल इन्स्ट्रुमेंट्स, बेंत, बास व लकड़ी के खिलौने, फैंसी आइटम, जरी, पीतल के बर्तन तथा अन्य उत्कृष्ट उत्पादों के विकास की पर्याप्त सभावनाएँ हैं ।

#### (य) खादी तथा हैण्डलूम उद्योग

सूती तथा ऊनी कपड़े, पाली खादी, बनारसी साडी, सिल्क साडी तथा खादी ग्रामोद्योग द्वारा चीनी मिट्टी के बर्तन, काष्ठ कला, लौह कला तथा चर्मशोधन के इकाईयों को स्थापित करने की आवश्यकता है ।

#### (र) कृषि आधारित उद्योग

खाद्य तेल मिल, दाल मिल, चावल मिल, आटा मिल, गन्ना मिल, फल संरक्षण, पोल्ट्री फार्म, डेयरी उद्योग, मकई एवं रागी का प्रशोधन आदि के लिए उद्योगों को स्थापित करने तथा औद्योगिक इकाईयों में वृद्धि की आवश्यकता है ।

#### (ल) वन आधारित उद्योग

बीड़ी उद्योग, माचिस उद्योग, फर्नीचर, अगरबत्ती, कत्था निर्माण, गोंद और रेजिन निर्माण, लाख निर्माण, कागज के प्याले, पत्तियों के प्याले व तश्तरी, खस की टट्टी, झाड़ू

निर्माण, वनोत्पाद का संग्रह, प्रशोधन और पैकिंग आदि उद्योगों का विकास किया जा सकता है ।

#### (व) फाइबर आधारित उद्योग

इस प्रकार के उद्योगों में हथकरघा उद्योग को छोड़कर होजरी, नायलान के मोजे, इम्ब्रायडरी जूट के उत्पाद आदि सम्मिलित हैं । इन उद्योगों के विकास की पर्याप्त सम्भावनाएँ हैं ।

#### (ख) रासायनिक तत्वों पर आधारित उद्योग

डिटर्जेंट सोप, चमड़े के सामान, रबर एवं रेक्सिन के सामान, पीओवीओसीओ पाइप, कैन्डिल, मोम पर आधारित उद्योग, सौंदर्य प्रसाधन, हेयर आयल, ग्लास केयर आदि उद्योगों के विकास की पर्याप्त सम्भावना तथा आवश्यकता है ।

#### (घ) खनिज पदार्थों पर आधारित उद्योग

पाटरी, स्टोन क्रेशर, सीमेन्ट जाली, सीमेन्ट पाइप, पत्थरों पर नक्काशी, प्लास्टर आफ पेरिस की मूर्तियाँ, वाशिंग पाउडर, डिस्टेम्पर, इस्टेन्सिल केमिकल, टाइल्स, स्लेट, पेन्ट, रजक आदि उद्योगों के विकास की आवश्यकता है ।

#### (ङ) सामान्य इंजिनियरिंग उद्योग

इस प्रकार के उद्योगों में विद्युत सामान, स्टील ट्रक, अल्यूमिनियम ईगाट, काटिदार तार, आटो रिपेयरिंग, डिजल इंजन रिपेयरिंग आदि उद्योग आते हैं, जिनके विकास की आवश्यकता है ।

औद्योगिक नियोजन में केवल उद्योगों के स्थापना पर ही विशेष बल देना उपयुक्त नहीं है । उद्योगों की स्थापना के साथ-साथ पर्यावरण सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । मनुष्य एवं पर्यावरण के बीच सतुलन वृहद् उद्योगों के कार्यसूची का प्रमुख विषय होना चाहिए । सभी उद्योगों को अपने आसपास के क्षेत्रों में पर्यावरण प्रभाव का अध्ययन करना चाहिए । उच्च क्षमता वाले 'इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर', चिमनी से निकलने वाले धुएँ

मे व्याप्त कणों की रोकथाम के लिए लगाया जाना चाहिए । चिमनी की ऊँचाई अधिकतम होनी चाहिए । जिससे प्रदूषण का प्रभाव कम हो । विभिन्न परियोजनाओं को स्वयं वृक्षारोपण कराना चाहिए । यद्यपि ओबरा, अनपरा, रेणुसागर, शक्तिनगर एवं रिहन्द नगर में व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण किया गया है ।

सयन्त्र से निष्कासित रॉख को सावधानी पूर्वक 'ऐश बैंक' में जमा करना चाहिए। इन रॉखों से ईट निर्माण उद्योग की स्थापना की जा सकती है । इन रॉख क्षेत्रों को अवाछनीय क्षेत्र समझा जाता है, इसलिए इसे हरित क्षेत्र में परिवर्तित करने के लिए शोध की आवश्यकता है । यद्यपि रामागुडम सुपर थर्मल पॉवर परियोजना के राख क्षेत्रों में यूकेलिप्टस ग्लोब्युलस, अकेसिया औरीव्यूलीफोरमिस, इपोमिया कारनोसा और न्यूसीना ग्लोका आदि प्रजातियों का सीमित स्तर पर रोपण किया जा रहा है ।

उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए तथा सभी औद्योगिक आवश्यकताओं को एक ही छत के नीचे पूर्ति के लिए सरकार ने 1977 में जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम की शुरुवात की थी । इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अध्ययन क्षेत्र के प्रत्येक विकासखण्ड मुख्यालय पर 'विकासखण्ड उद्योग केन्द्र' के स्थापना की आवश्यकता है । अध्ययन क्षेत्र में औद्योगिक सभाव्यता बहुत अधिक है जिसे एक केन्द्र (राबर्ट्सगज) से पूरा करना असम्भव है । अध्ययन क्षेत्र में औद्योगिक विकास के अवरूद्धता का प्रमुख कारण वित्तीय एवं तकनीकी अनुपलब्धता है । अतः इसे सरकारी प्रोत्साहन, ऋण तथा छूट आदि से समाप्त करने की आवश्यकता है। कुशल कारीगरों तथा दस्तकारों को आकृष्ट करके लघु एवं कुटीर उद्योग में परिमाणात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है ।

## 5.7 प्रस्तावित उद्योग

अध्ययन क्षेत्र के औद्योगिक सभाव्यता के वर्णन से स्पष्ट है कि कुछ उद्योगों को सस्थापित करने की अत्यधिक आवश्यकता है । प्रत्येक विकासखण्ड में निम्न प्रस्तावित उद्योग है ।

**राबर्ट्सगंज** - चावल मिल, फर्निचर, स्टोन गिट्स, चर्मशोधन, चूना, जनरल इंजिनियरिंग टायर रिट्रेडिंग, आटो मोबाइल सर्विसिंग, साबुन, फिनायल, कागज/दफ्ती आदि के कारखाने स्थापित करने की आवश्यकता है ।

**घोरावल** - आरामशीन से लकड़ी की चीराई, फर्निचर, बास की टोकरी, बीडी उद्योग, चर्मकला, बेकरी, तेल मिल, ईट भट्ठा तथा जनरल इंजिनियरिंग आदि ।

**चोपन** - स्टोन गिट्स, चूना, मुजक टाइल्स, आर० सी० सी० पाइप, सेनेटरी फिटिंग्स, बीडी, साबुन, फिनायल, चर्मकला तथा जनरल इंजिनियरिंग आदि ।

**नगवा** - सीमेंट उद्योग, चूना, बीडी, दाल मिल, तेल मिल, चावल मिल, दियासलाई साबुन, क्राफ्ट पेपर तथा स्ट्राबोर्ड आदि ।

**चतरा** - चावल मिल, ईट, स्टोन गिट्स, हथकरघा, आइसक्रेण्डी, बेकरी, साबुन तथा फिनायल आदि ।

**दुन्डी** - कत्था उद्योग, रस्सी उद्योग, तेल उद्योग, आरामशीन व लकड़ी के फर्निचर, बीडी, कागज व स्ट्राबोर्ड, दियासलाई, स्टोनगिट्स, कालीन व दरी, कृषि यन्त्र तथा तेल मिल आदि ।

**म्योरपुर** - कत्था उद्योग, दियासलाई की तिली, स्टोनगिट्स, मार्बल चिप्स, कालीन एव दरी, चर्मकला, इण्डस्ट्रियल गैसेज प्लाण्ट, नट वोल्ट, वायरनेल्स, फेरिक ग्लम, स्टील पाइप, जनरल इंजिनियरिंग वर्कशाप तथा अल्यूमिनियम के बर्तन आदि ।

**बभनी** - दरी, लाख, चर्मकला, काष्ठकला, बाँस की टोकरी, आरामशीन व लकड़ी के फर्निचर, जनरल इंजिनियरिंग, आइस फैक्ट्री, अल्यूमिनियम के बर्तन तथा साबुन उद्योग ।

इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र में उपर्युक्त लघु एव कुटीर उद्योगों की स्थापना करके औद्योगिक विकास को विस्तृत आधार प्रदान कर, विकास प्रक्रिया की गति को तीव्र की जा सकती है ।

### संदर्भ

1. 'भारत' प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली, 1988-89, पृष्ठ 388
2. सिंह, काशीनाथ एव सिंह, जगदीश 'आर्थिक भूगोल के मूलतत्त्व', वसुन्धरा प्रकाशन, गोरखपुर, 1984, पृष्ठ 296



3 कौशिक, एस डी 'आर्थिक भूगोल के सरल सिद्धान्त', रस्तोगी पब्लिकेशन, मेरठ, 1980-81, पृष्ठ 188

4 Richards, T 'The Geography of Economic Activity', Mc Graw Hill Book Co, Inc 1962, p 456

5 Miller, E Willard A Geography of Manufacturing, prentice Hall, Inc Englewood Cliffs, N J 1962, p 1

6 Alexander, J W 'Economic Geography', p 288

7 Jarret, H R A Geography of Manufacturing (Second edition), Macdonald and Evans Estover Plymouth, 1977, p VII

8 'उत्तर प्रदेश वार्षिकी', सूचना एव जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, 1990-91 व 1991-92, पृष्ठ 109

9 शर्मा, आर एस प्राचीन भारत का इतिहास, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एव प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली, पृष्ठ 21

10 दास, शिवतोष 'भारत स्वतन्त्रता के बाद', प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मन्त्रालय, नई दिल्ली, 1987, पृष्ठ 115

11 माहेश्वरी, श्री कृष्ण 'भारत में आयोजन और आर्थिक विकास', हिन्दी माध्यम, कार्यान्वयन निदेशालय, नई दिल्ली, 1980, पृष्ठ 261

12. चन्द्र, बिपिन भारत का स्वतन्त्रता संघर्ष, हिन्दी माध्यम, कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, 1990, पृष्ठ 65

13 पूर्वोक्त सदर्थ सख्या -1

14 लोढ़ा, राजमल औद्योगिक भूगोल, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 1990

15. कुरेशी, एम एच 'भारत, ससाधन और प्रादेशिक विकास', राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली, 1990, पृष्ठ 71.

- 16 चौहान, वीरेन्द्र सिंह एव गौतम, अलका 'भारत का भूगोल', रस्तोगी पब्लिकेशन, मेरठ, 1990-91, पृष्ठ 336
- 17 केशरी, अर्जुनदास लोकनार्थ, पर्यावरण विशेषांक, सेवाश्रम प्रिंटिंग प्रेस, हरतीरथ, वाराणसी
- 18 'भारत, सूचना और प्रसारण मन्त्रालय, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली, 1986, पृष्ठ 457
- 19 वहीं, पृष्ठ 458
- 20 दैनिक जागरण, वाराणसी प्रकाशन, 28 जुलाई 1993, पृष्ठ 9
- 21 वही, 5 अप्रैल 1993, पृष्ठ 9
- 22 वही, 28 अप्रैल 1993, पृष्ठ 9
- 23 वही, 28 जुलाई, पृष्ठ 9
- 24 वही
- 25 कुरेशी, एम0एच0 भूगोल के सिद्धान्त, भाग-2, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली, 1989, पृष्ठ 78 एव 79
- 26 सिंह, इकबाल 'भारत मे ग्रामीण विकास', राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली, 1986, पृष्ठ 75

XXXXXXXXXXXX

## अध्याय 6

### परिवहन एव संचार व्यवस्था की पृष्ठभूमि एव नियोजन

परिवहन तन्त्र आर्थिक विकास का मुख्य आधार है। देश के लगभग 6 लाख गाँवों के लिए एक अच्छी परिवहन प्रणाली का होना आवश्यक है। देश में कृषीय और औद्योगिक उत्पादन, कार्यक्षम परिवहन व्यवस्था के विकास से सम्बद्ध है। परिवहन स्वयं उत्पादन की प्रक्रिया का एक चरण है क्योंकि विभिन्न प्रकार के उत्पादों को देश भर में फैले हुए उपभोक्ताओं तक पहुँचाना होता है, जो कि परिवहन के साधनों से ही सम्भव है।<sup>1</sup> विकसित परिवहन व्यवस्था से कृषि-विकास और औद्योगीकरण में भी सहायता मिलती है। परिवहन व्यवस्था का एक अन्य पहलू भी है। प्रायः परिवहन के साधनों का पर्याप्त विकास होने पर देश के सामाजिक जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं, जिनसे आर्थिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार होता है।<sup>2</sup> किसी भी देश, प्रदेश या क्षेत्र के सतुलित विकास के लिए एकीकृत परिवहन तन्त्र की आवश्यकता होती है। परिवहन एव संचार माध्यमों से 'क्षेत्रीय विशिष्टीकरण का लाभ पिछड़े क्षेत्रों को भी मिल जाता है। इस प्रकार परिवहन जाल, पिछड़े क्षेत्रों में भी ससाधनों के उपयोग को बल देकर वृद्धि एव विकास की स्थिति उत्पन्न करेगा।<sup>3</sup> आर्थिक विलगन, राजनैतिक विखण्डन और सामाजिक दूरियों को एकीकृत एव समन्वित परिवहन एव संचार माध्यमों से खत्म किया जा सकता है। उपभोग एव उत्पादन बिन्दुओं में संयोजन, गाँव एव शहर से सम्बन्ध स्थापित करने तथा प्राकृतिक आपदा के समय ये बहुत ही सार्थक सिद्ध होते हैं। परिवहन तन्त्र न केवल राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को एकीकृत करता है वरन् स्थानीय बाजारों को राष्ट्रीय बाजार से और राष्ट्रीय बाजार को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ता है।<sup>4</sup> विश्व स्तर पर आर्थिक विकास एव परिवहन साधनों के विकास में समानता मिलती है।<sup>5</sup> प्रायः सोनभद्र के जिन क्षेत्रों में सड़कों का विकास हुआ है, उन भागों का अपेक्षाकृत आर्थिक विकास अधिक हुआ है।

अध्ययन क्षेत्र जनपद सोनभद्र अत्यन्त पिछड़ा है किन्तु विकास के लिए उत्तरदायी अधिकांश ससाधनों की बहुलता है। किन्तु ससाधनों का प्रमुख संयोजक तत्व परिवहन एव संचार का अत्यन्त अभाव है। जल परिवहन की सीमित सम्भावना है। वायु परिवहन के माध्यम नहीं है। रेलमार्गों का अभाव है। रेलमार्ग इकहरा है तथा यात्री रेलगाड़ियों का अभाव है। अव्यवस्थित तथा अविकसित सड़कें परिवहन के मुख्य साधन हैं। जनपद की संचार प्रणाली

भी अविकसित है। अस्तु प्रस्तुत अध्याय में वर्तमान परिवहन एवं संचार माध्यमों का विश्लेषण कर भावी परिवहन एवं संचार के विकास के लिए सतुलित नियोजन प्रस्तुत करना है। अध्ययन की स्पष्टता के लिए प्रस्तुत अध्याय दो खण्डों में विभक्त है। प्रथम भाग में परिवहन एवं द्वितीय भाग में संचार के वर्तमान स्थिति का विश्लेषण एवं भावी सतुलित नियोजन प्रस्तुत किया गया है।

## 6। परिवहन माध्यम का प्रारूप

'माध्यम' का अर्थ 'मार्ग' जैसे सड़क, रेल, समुद्र, नदी, वायुमार्ग माना गया है जबकि 'साधन' का प्रयोग यातायात हेतु प्रयुक्त विविध वाहनों जैसे 'बस', ट्रक, कार, मालगाड़ी, सवारी-गाड़ी, नाव, जलयान, टैंकर आदि के लिए किया जाता है। 'आधुनिक युग में तीनों मण्डलों (स्थल मण्डल, जल मण्डल व वायु मण्डल) का उपयोग परिवहन के लिए किया जा रहा है। स्थल मण्डल में रेलमार्ग, सड़कें, रज्जुमार्ग तथा भूमिगत नलिकाएँ (टनेल पाइप लाइन्स) परिवहन के माध्यम हैं। जलमण्डल में समुद्र के साथ नौगम्य नदियों तथा नहरों का प्रयोग परिवहन के माध्यम के रूप में होता है तो वायुमण्डल मात्र वायुयान परिवहन तक ही सीमित है। स्थानीय यातायात के लिए इन माध्यमों में रेलमार्गों एवं सड़कों का विशेष महत्त्व है जिनके द्वारा क्षेत्र में सामाजिक सेवाओं के पहुँचाने का कार्य सर्वाधिक किया जाता है।<sup>7</sup> जनपद सोनभद्र में परिवहन माध्यमों का विवरण इस प्रकार है -

### (अ) जल परिवहन

जल परिवहन एक सस्ता परिवहन माध्यम है जो भारी सामान ढोने के लिए अत्यन्त उपयुक्त है।<sup>8</sup> सोनभद्र में जल परिवहन का विकास नगण्य है। पठारी क्षेत्र व ग्रीष्म ऋतु में जल का अति अभाव, जल परिवहन के लिए सबसे बड़ी बाधा है। बेलन, कर्मनाशा, कनहर, पाण्डु आदि नदियाँ जल परिवहन के लिए उपयुक्त नहीं हैं। सोन नदी में जल परिवहन की अल्प सम्भावना है। जल परिवहन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रिहन्द जलाशय है। रिहन्द नगर से शक्तिनगर के बीच लगभग 18 किमी० जलमार्ग की दूरी स्टीमर द्वारा तय किया जाता है। वर्तमान समय में दिन में एक ही स्टीमर तीन बार शक्तिनगर से रिहन्द नगर तथा तीन बार रिहन्द नगर से शक्तिनगर जाता है। इससे वस्तुओं एवं यात्रियों का परिवहन किया जाता है।

सोन नदी सोनभद्र के मध्य से, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित है। सोन नदी द्वारा विभक्त सोनभद्र के उत्तरी व दक्षिणी क्षेत्र को जोड़ने के लिए अनेक स्थानों से वर्ष भर नावे चलती है। नाव चलने वाले प्रमुख घाट है - गुरुदह, अगोरी करगरा, ससनई, कोन, चकरिया, हरदी, अमवार, गढाव व बसुहारी आदि। बेलन, कर्मनाशा, पाण्डु व कनहर नदी में 15 अक्टूबर से 15 जून तक जल प्रवाह की न्यूनता के कारण कुछ खास स्थलों पर लोग पैदल ही इन नदियों को पार कर जाते हैं। इन नदियों का तल पथरीला व कडा होने के कारण भारी वाहनों (बसों, ट्रकों आदि) को भी उक्त समय में पार करने में कठिनाई नहीं होती है। किन्तु 15 जून से 15 अक्टूबर तक इन नदियों पर पुलों के अभाव के कारण लोग नावों का सहारा लेते हैं किन्तु वाहनों के आवागमन में बाधा पहुँचती है। इन नदियों के बरसाती स्वभाव (एकाएक बढ़ आना) तथा उबड़ खाबड़ तल होने के कारण नौका परिवहन खतरनाक होता है।

#### (ब) रेल परिवहन

जनपद में विशाल औद्योगिक केन्द्रों तथा खनिज ससाधनों व औद्योगिक उत्पादों के परिवहन क्षमता को देखते हुए रेलमार्गों का विकास कम हुआ है। कोयला, सीमेंट, अल्युमिनियम, क्लिकर, बजरी आदि को दूरवर्ती क्षेत्रों में ले जाने के लिए रेलमार्गों व रेलों के अभाव के कारण ट्रकों पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। अध्ययन क्षेत्र में 'ब्राड गेज' की 103.6 किमी० लम्बी रेलवे लाइन है। सम्पूर्ण रेलवे लाइन 17 स्टेशनों (करमा, रोराही, पसही, राबर्टसगज, चुर्क, अगोरी, चोपन, बिल्ली, सलैयाडीह, रेनूवूट, म्योरपुर, झारोखास, दुष्टी, विण्ढमगज, अनपरा (औडीमोड), बीना तथा शक्तिनगर से युक्त इकट्ठी है। जनपद का मुख्यालय राबर्टसगज, चुनार (मीरजापुर) व गढवा रोड (पलामू, बिहार) नामक दो जक्शन स्टेशन से जुड़ा हुआ है। चुनार से पटना व इलाहाबाद की ओर तथा गढवा रोड से पटना व हावड़ा की ओर जाया जा सकता है। बिल्ली स्टेशन से एक रेलवे लाइन कटनी (मध्य प्रदेश) जक्शन में मिलती है। यही रेलवे लाइन करेला रोड (मध्य प्रदेश) से अलग होकर मध्य प्रदेश के सीमा से होती हुई शक्तिनगर को जाती है।


अध्ययन क्षेत्र से होकर 3 एक्सप्रेस रेलगाडी-(1) त्रिवेणी एक्सप्रेस - शक्तिनगर से लखनऊ (2) मूरी एक्सप्रेस - हटिया से अमृतसर तथा (3) शक्तिपुज - शक्तिनगर से हावडा, अप में तथा डाउन में जाती है तथा 4 पैसेंजर रेलगाडी-(1) चोपन से मिर्जापुर (2) चोपन से गढवा रोड (3) चुनार से गढवा रोड तथा (4) चोपन से कटनी, गुजरती है। अध्ययन क्षेत्र के तीन विकासखण्ड (बभनी, चतरा व नगवा) रेलवे लाइन रहित है। रेलवे लाइन की सर्वाधिक लम्बाई विकासखण्ड चोपन में तथा सबसे कम घोरावल में है। प्रति 100 वर्ग कि० मी० क्षेत्र में रेलमार्गों की लम्बाई अध्ययन क्षेत्र में जहाँ 1.51 कि० मी० है वहीं उत्तर प्रदेश में 2.93 कि० मी० है। अर्थात् प्रदेश के औसत से अध्ययन क्षेत्र में लगभग 50% कम रेलवे लाइन है। उत्तर प्रदेश में प्रतिलाख जनसंख्या पर 7.78 कि० मी० लम्बी रेलवे लाइन का औसत है, जनपद सोनभद्र में यह औसत 9.6 कि० मी० है। स्मरणीय है कि उत्तर प्रदेश की अपेक्षा (476 व्यक्ति प्रति वर्ग कि० मी०) सोनभद्र में जनसंख्या घनत्व (157 व्यक्ति प्रति वर्ग कि० मी०) विरल है।

#### (स) रज्जु मार्ग (रोप-वे)

अध्ययन क्षेत्र सोनभद्र में परिवहन का अनोखा माध्यम रोप-वे है, जिस पर ट्रालियाँ चलती हैं। विषम स्थलाकृति वाले क्षेत्रों में यह सबसे उपयुक्त माध्यम है। विद्युत स्तम्भों से संयुक्त मोटे विद्युत तारों से हजारों की संख्या में लटकते हुए इन ट्रालियों से कोयला, चूना पत्थर व क्लिंकर की ढुलाई होती है। रोप-वे ट्राली से परिवहन रेणूसागर, डाला व चुर्क में होता है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र से कोयले की ढुलाई रेणूसागर ताप विद्युत केन्द्र के लिए इसी प्रणाली से होती है। डाला व चुर्क सीमेण्ट फैक्ट्री के लिए कजरहट व गुरमा क्षेत्र से चूना पत्थर की ढुलाई इसी माध्यम से होती है। इसमें मानव शक्ति की कम आवश्यकता पड़ती है, परिवहन अबाध गति से चलता है तथा प्रदूषण नहीं होता है। इस प्रणाली से विद्युत खर्च होता है किन्तु विषम भूवाकृतिक क्षेत्रों में जहाँ सड़क व रेल लाइन बनाना दुष्कर हो यह परिवहन प्रणाली सर्वाधिक उपयुक्त है। जनपद सोनभद्र में इस प्रणाली की आवश्यकता को देखते हुए अल्प विकास हुआ है।

#### (द) यातायात की धमनियाँ - सड़क परिवहन

किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए प्रथमतः सड़कें बनायी जाती हैं। ये सड़कें



यातायात की धमनियों कहलाती है। सिंधु - घाटी की सभ्यता, जो नगर सभ्यता कहलाती थी, में लम्बी, चौड़ी व समकोण पर काटने वाली सड़के थी। रामायण व महाभारत काल में न केवल सड़को का उल्लेख है वरन्, सड़को के बनाने की विधि का भी उल्लेख है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तो विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न वर्गों की सड़के बनाने का प्रावधान है। 200 बी सी से 200 ए डी तक जो आर्थिक समुन्नत का काल था, विभिन्न व्यापारिक मार्गों का उल्लेख किया गया है। विभिन्न क्षेत्रों में पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त अवशेषों से पता चलता है कि प्राचीन काल में शहरों एवं कस्बों में सड़कों के आश्चर्यजनक ढंग से योजनाबद्ध सजाल बने हुए थे।

प्राचीन काल से अठारहवीं शताब्दी तक (मौर्यकाल को छोड़कर) सम्पूर्ण भारत के एक शासनतन्त्र के नियन्त्रण में न रहने के प्रमुख कारणों में से एक था, सड़को एवं संचार माध्यमों की कमी। शेरशाह सूरी ने कई सड़कों और सरायों का निर्माण कराया, जिससे सभी क्षेत्रों का केन्द्र स्थलों से सीधा सम्बन्ध हो गया। उसकी चार सड़के अत्यन्त प्रसिद्ध हुईं। इनमें सबसे लम्बी सड़क थी - पूर्वी बंगाल में सोनार गँव से आगरा दिल्ली और लाहौर होते हुई सिन्धु नदी तक सड़क-ए-आजम अर्थात् ग्राड ट्रक सड़क। ब्रिटिश शासन काल में भी सड़कों के निर्माण पर विशेष बल दिया गया। भारत सरकार ने 1919 के अधिनियम के अन्तर्गत सड़के प्रांतों के अधिकार क्षेत्र में आती थीं और प्रान्तीय सरकार सड़को के काफी बड़े हिस्से की जिम्मेदारी स्थानीय स्वायत्त सस्थाओं को सौंप देती थी। देशभर के प्रान्तों और बड़ी रियासतों के मुख्य इंजीनियरों का दिसम्बर 1943 में एक सम्मेलन नागपुर में बुलाया और सम्पूर्ण भारत के लिए सड़क विकास की एक समग्र योजना निर्धारित की गयी तथा एक प्रतिवेदन (रिपोर्ट) तैयार किया गया। इसी रिपोर्ट को 'नागपुर रिपोर्ट' कहा जाता है, इसमें सड़कों की निम्न श्रेणियों बनायी गयी -

- 1 राष्ट्रीय राजमार्ग
- 2 प्रान्तीय राजमार्ग
- 3 जिला सड़के
4. ग्रामीण सड़के

राजमार्गों के इंजीनियरों की सस्था 'भारतीय सड़क कांग्रेस परिषद्' ने 'सड़क विकास योजना' तैयार की है जिसमें सन् 2001 तक देश के सभी गांवों तक सड़क पहुँचाने का लक्ष्य



तय किया गया है । इससे देश में कुल 27 लाख कि० मी० लम्बी सड़के हो जाएगी । इस योजना पर लगभग 64250 करोड़ रूपया खर्च होगा । योजना में राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्यों के राजमार्गों तथा ग्रामीण सड़कों सहित सभी सड़कों के सतुलित विकास के साथ - साथ बेहतर सड़कों से ईंधन की बचत, सड़क सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, निर्माण प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण तथा अनुसंधान गतिविधियों जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर जोर दिया गया है ।

## 6 2 सड़क परिवहन का महत्व

अपेक्षाकृत कम लागत के कारण रेल मार्गों की तुलना में सड़कों का अधिक विकास हुआ है । सड़क परिवहन रेल परिवहन की तुलना में प्राचीन है । सड़कों पर परिवहन साधनों की विविधता तथा मात्रा के कारण सड़कों के स्वरूप में पर्याप्त अन्तर मिलता है । वाराणसी से शक्तिनगर तक के सड़को को जहाँ वर्तमान चौड़ाई से भी तिगुना अधिक करने का प्रस्ताव है, वही अल्पविकसित क्षेत्रों में सड़क के नाम पर मात्र समतल धरातल की सफ़ीर्ण पट्टियाँ ही मिलती है । रेल मार्गों की तरह सड़कों की कोई मानक चौड़ाई के अभाव के कारण विभिन्न न्याय पचायतों व ब्लकों की सड़क - दूरी का तुलनात्मक अध्ययन कठिन होता है । लेकिन न्यूनतम स्तर पर यदि मोटरगाड़ी चलने योग्य मार्ग को सड़क मान लिया जाय तब कहीं सभी विकासखण्डों में उपलब्ध 'मार्ग लम्बाई' के आँकड़ों का विश्लेषण किया जा सकता है ।

सड़कों का आधुनिक महत्व इसी शताब्दी के आरम्भिक वर्षों से बढ़ा जब मोटरगाड़ियों के अत्यधिक प्रचलन से द्रुत सड़क परिवहन रेल परिवहन की बराबरी करने में समर्थ हुआ । अब दोनों ही परिवहन माध्यम (सड़क व रेलमार्ग) एक दूसरे के पूरक हो गए हैं । भारी खनिजों एवं औद्योगिक पदार्थों का अपेक्षाकृत दूर तक यातायात रेलगाड़ियों से होता है किन्तु कम मात्रा में तथा स्थानीय माल को गन्तव्य स्थान तक सावधानीपूर्वक पहुँचाने में सड़कों का विशेष महत्व है । अनपरा, शक्तिनगर, रिहन्द नगर आदि ताप विद्युत गृहों में, समीप के सिंगरोली क्षेत्र से कोयले की ढुलाई सड़कों से ही होती है । सोनभद्र जैसे पहाड़ी व विखरे गाँवों में सड़कों का विशेष महत्व है । प्रत्येक विकास केन्द्र को रेलमार्गों से जोड़ना असम्भव है किन्तु प्रत्येक विकास केन्द्र को सड़कों से जोड़ा जा सकता है । रेलमार्गों को सड़कों से जोड़कर अभिगम्यता और बढ़ायी जा सकती है । इसलिए लोच, विश्वसनीयता एवं गति को सड़क परिवहन की मुख्य विशेषता बताया गया है ।<sup>9</sup> सोनभद्र की अधिकांश जनसंख्या कृषि एवं वनोपज पर आधारित

है । अतः ऐसी अर्थव्यवस्था वाले क्षेत्रों में सड़कें विशेष लाभदायक होती हैं । भारत में सड़क निर्माण की दिशा में सर्वप्रथम प्रयास 1943 में 'नागपुर योजना' का आधार यह था कि विकसित कृषि क्षेत्रों में कोई गाँव किसी भी मुख्य सड़क से 5 मील (8 कि० मी०) से अधिक दूर तथा अन्य प्रकार की सड़कों से 2 मील (3 कि० मी०) से अधिक दूर न रहे एवं प्रमुख सड़क से औसत दूरी 2 मील से कम ही रहे । इसी प्रकार अकृषि क्षेत्रों में किसी गाँव की दूरी क्रमशः 20 मील तथा 5 मील से अधिक न रहे तथा औसत दूरी 6-7 मील रहे । किन्तु रियासतों के कारण यह उद्देश्य पूरा नहीं हो सका । इसके बाद 1961-81 तक के लिए सड़क निर्माण से सम्बन्धित 20 वर्षीय योजना प्रारम्भ की गयी, जिसके अनुसार विकसित कृषि क्षेत्र में कोई गाँव किसी पक्की सड़क से 6.5 कि० मी० से अधिक दूर न रहे तथा किसी सम्पर्क सड़क से 2.5 कि० मी० से अधिक दूर न हो । इसके अनुसार 1981 तक प्रति 100 वर्ग कि० मी० क्षेत्र में 32 कि० मी० सड़क होनी चाहिए । किन्तु तालिका 6.3 से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र के 12.67% (170 गाँव) गाँव ही पक्की सड़कों पर स्थित हैं । पक्की सड़क से 1 कि० मी० की दूरी तक 9.54% (128 गाँव) तथा 1-3 कि० मी० की दूरी तक 15.95% (214 गाँव) गाँव अवस्थित हैं । पक्की सड़क से 3 कि० मी० की दूरी तक 38.15% (512 गाँव) गाँव हैं तथा 3 कि० मी० से अधिक दूर स्थित गाँवों का प्रतिशत 61.85% (830 गाँव) है ।

तालिका 6.1 से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में प्रति 100 वर्ग कि० मी० पक्की व खडजा सड़कों का घनत्व 12.75 कि० मी० है । पक्की सड़कों का घनत्व 7.24 कि० मी० प्रति 100 वर्ग कि० मी० है । अतः राष्ट्रीय मानक के अनुसार कि प्रति 100 वर्ग कि० मी० में 32 कि० मी० पक्की सड़क होनी चाहिए, के तुलना में सोनभद्र में सड़कों का घनत्व बहुत कम है ।

अध्ययन क्षेत्र में सड़कों का वितरण असमान है । जनपद में कुल सड़कों की लम्बाई 935 कि० मी० है जिसमें से 494 कि० मी० (52.83%) पक्की सड़क तथा 441 कि० मी० (47.17%) खडजा सड़क है (तालिका 6.2) । 494 कि० मी० पक्की सड़क में 68 कि० मी० नगरों में तथा 426 कि० मी० ग्रामीणी क्षेत्रों में है । सर्वाधिक 97 कि० मी० पक्की

## तालिका 6.1

## जनपद सोनभद्र में सड़क अभिगम्यता एवं धनत्व

सड़क धनत्व कि० मी० -

प्रति 100 वर्ग कि० मी० प्रति 100000  
कि० मी० जनसंख्या

विकसखण्ड	क्षेत्रफल वर्ग कि०मी०	जनसंख्या 1991	अभिगम्यता क्षेत्रफल %	अगम्य क्षेत्रफल %	सड़क लम्बाई कि० मी०	प्रति 100 वर्ग कि० मी०	प्रति 100000 जनसंख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1 बोरावल	818 73	155963	44 46	55 54	118	14 41	75.66
2 राबर्ट्सगंज	442 45	137889	62 83	37 17	86	19 44	62 37
3 चतरा	254 85	67441	40 23	59 77	70	27 47	103 79
4 नावा	916 20	54518	24 20	75 80	89	9.71	163.25
5 चोपन	1712 97	165693	33 10	66 90	204	11 91	122 38
6 म्योरपुर	1337 89	192719	48 73	51 27	137	10 24	71 09
7 दुबडी	707 45	96533	70 39	29 61	121	17 10	125.35
8 बभनी	608 26	57618	16 77	83 23	42	6 90	72 89
समस्त विकसखण्ड	6798 80	929374	41 93	58 07	867	12 75	93.29
वन क्षेत्र	-	1584	-	-	-	-	-
ग्रामीण योग	6798 80	930958	41 93	58 07	867	12 75	93 29
नगरीय योग	20 48	144083	-	-	68	-	47 19
जनपद योग	6819.28	1075041	41 93	58.07	935	12.75	86 97

स्रोत : सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद सोनभद्र, 1992, पृष्ठ 28, 29 एवं मानचित्र संख्या 6। व 6.4 से परिकलित।

सडक की लम्बाई विकासखण्ड म्योरपुर मे है, इसके बाद क्रमश विकासखण्ड दुब्डी मे 71 कि० मी०, राबर्टसगज मे 66 कि० मी०, घोरावल मे 61 कि० मी०, चोपन मे 54 कि० मी०, बभनी मे 31 कि० मी०, नगवा मे 24 कि० मी० तथा चतरा मे 22 कि० मी० पक्की सडक है । खडजा सडको की सर्वाधिक 150 कि० मी० लम्बाई विकास खण्ड चोपन मे तथा सबसे कम 11 कि० मी० विकास खण्ड बभनी मे है (तालिका 6 2) । पक्की व खडजा सडकों की सयुक्त सर्वाधिक लम्बाई विकासखण्ड चोपन मे 204 कि० मी० है तथा सबसे कम विकासखण्ड बभनी मे 42 कि० मी० है (तालिका 6 2) ।

### तालिका 6 2

#### जनपद सोनभद्र मे सडकों की लम्बाई

क्रम सख्या	विकासखण्ड	कुल पक्की सडक कि०मी०	कुल खडजा मार्ग कि०मी०	सम्पूर्ण सडक कि० मी०
1	2	3	4	5
1	घोरावल	61	57	118
2	राबर्टसगज	66	20	86
3	चतरा	22	48	70
4	नगवा	24	65	89
5	चोपन	54	150	204
6	म्योरपुर	97	40	137
7	दुब्डी	71	50	121
8	बभनी	31	11	42
	ग्रामीण योग	426	441	867
	नगरीय क्षेत्र	68	-	68
	सम्पूर्ण योग	494	441	935

स्त्रोत मानचित्र सख्या 6 । से परिकल्पित ।


प्रमुख सडक मार्ग करमा से शक्तिनगर दे सडक की लम्बाई 156 कि० मी०, खलियारी से घोरावल की लम्बाई 66 कि० मी० तथा हाथीनाला से विण्डनगज की लम्बाई 45 कि० मी० है । जनपद मुख्यालय राबर्टसगज से प्रमुख सेवा केन्द्रों, बस स्टेशनों एव बस स्टापों की दूरी तालिका 6 6 मे दी गयी है । इस तालिका से विभिन्न सेवा केन्द्रों के बीच स्थित पक्की सडकों की लम्बाई ज्ञात की जा सकती है ।

### 6 3 सडक घनत्व

सडक परिवहन का अधिकाधिक प्रयोग अपेक्षाकृत कम दूरी के यातायात के लिए किया जाता है । पिछडे क्षेत्र के आर्थिक तन्त्र के प्रादेशिक सन्तुलन के लक्ष्यपूर्ति को रेल की अपेक्षा सडक अधिक उपादेय सिद्ध होती है । किन्तु सडकों के उपादेयता के विश्लेषण मे उनकी लम्बाई की अपेक्षा सघनता का प्रयोग अधिक समीचीन प्रतीत होता है । सडकों के घनत्व का आर्थिक विकास, क्षेत्रीय विस्तार, जनसंख्या तथा आर्थिक कार्यकलापों के वितरण प्रतिरूप एव वैकल्पिक परिवहन साधनों के विकास के जटिल रूप मे अन्तर्सम्बन्धित है । अध्ययन क्षेत्र मे सडक घनत्व अत्यधिक न्यून है । सापेक्षिक दृष्टि से सडक घनत्व उन्हीं भागों मे अधिक है, जहाँ जनसंख्या एव आर्थिक कार्यकलाप की सघनता है ।

प्रस्तुत अध्ययन मे सडक घनत्व की गणना दो प्रकार से की गयी है । प्रथम विकासखण्ड स्तर पर प्रति 100 वर्ग कि० मी० क्षेत्रफल पर तथा द्वितीय 100000 की मानक जनसंख्या पर (विकासखण्ड स्तर पर)। इसका प्रदर्शन क्रमशः मानचित्र 6 2 व 6 3 मे किया गया है । इन मानचित्रों से सडक घनत्व को आसानी से प्रत्यक्षीकृत किया जा सकता है ।


तालिका 6 1 से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र मे प्रति 100 वर्ग कि० मी० क्षेत्र मे सडकों (पक्की एव खडजा) का घनत्व 12 75 कि० मी० है । विकासखण्ड चतरा मे सडकों का सर्वाधिक घनत्व 27 47 कि० मी० प्रति 100 वर्ग कि० मी० क्षेत्र मे है । पुन अवरोही क्रम मे क्रमशः विकास खण्ड राबर्टसगज (19 44 कि० मी०), दुब्डी (17 10 कि० मी०), घोरावल (14 41 कि० मी०), चोपन (11.91 कि० मी०), म्योरपुर (10 24 कि० मी०), नगवा (9 71 कि० मी०) तथा बभनी (6 90 कि० मी०) का स्थान आता है (तालिका 6 1)।



तालिका 6 3  
सोनभद्र में पक्की सड़क से बस्तियों की दूरी

क्रमसंख्या	विकासखण्ड	ग्राम सं	1किमी0 से कम	1-3 किमी0	3-5 किमी0	5 किमी0 से अधिक	योग
1	घोरावल	14	24	30	48	221	337
2	राबर्टसगंज	51	56	85	43	94	329
3	चतरा	31	33	61	20	23	168
4	नगवा	16	4	7	6	95	128
5	चोपन	15	6	9	16	45	91
5	म्योरपुर	12	-	8	7	93	120
7	दुहड़ी	19	4	12	4	49	98
8	बभनी	12	1	2	8	48	71
योग		170	128	214	162	668	1342
		(12 67%)	(9 54%)	(15 95%)	(12 07%)	(49 78%)	

स्रोत सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद सोनभद्र, 1992, पृष्ठ156





मानचित्र 6 3 को देखने से भी स्पष्ट होता है कि जनपद के दक्षिणी तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में सड़कों का घनत्व सबसे कम है सम्पूर्ण पश्चिमी भाग में घनत्व अति न्यून से थोड़ा अधिक है।

प्रतिलाख जनसंख्या पर सड़कों का औसत घनत्व 86 97 किमी<sup>0</sup> है। नगरीय क्षेत्र में सड़कों का घनत्व 47 19 किमी<sup>0</sup> तथा ग्रामीण क्षेत्र में 93 29 किमी<sup>0</sup> है (तालिका 6 1)। विकास खण्ड स्तर पर प्रति लाख जनसंख्या पर सड़कों का घनत्व अवरोही क्रम में इस प्रकार है - नगवा (163 25 किमी<sup>0</sup>), दुहड़ी (125 35 किमी<sup>0</sup>), चोपन (122 किमी<sup>0</sup>), चतरा (103 किमी<sup>0</sup>), घोरावल (75 66 किमी<sup>0</sup>), बभनी (72 89 किमी<sup>0</sup>), म्योरपुर (71 09 किमी<sup>0</sup>) तथा राबर्टसगंज, (62 37 किमी<sup>0</sup>)। मानचित्र 6 4 से भी स्पष्ट है कि जनपद के दक्षिण-पश्चिम तथा मध्य उत्तर में प्रति लाख जनसंख्या पर सड़क घनत्व सबसे कम तथा उत्तर-पूर्व व मध्य पूर्व क्षेत्र में सड़क घनत्व सबसे अधिक है। शेष भागों में सड़क घनत्व अपेक्षाकृत औसत है।

#### 6 4 सड़क अभिगम्यता

प्रायः मानव लक्ष्य की प्राप्ति में, क्रम से - कम समय तथा शक्ति का उपयोग करता है। लेकिन इसकी सम्भाव्यता सड़कों की अभिगम्यता की तीव्रता पर निर्भर है। सड़क अभिगम्यता का तात्पर्य यथा सम्भव कम समय तथा कम शक्ति के व्यय पर निर्वाह गति से सुगमतापूर्वक किसी सड़क या सेवा केन्द्र पर पहुँचने से है। सड़कों की अभिगम्यता से सड़कों की सघनता तथा गमनागमन की सुविधा का ज्ञान होता है। साथ ही इसकी तीव्रता से किसी क्षेत्र के विकास का स्तर एवं सड़क जाल की प्रभावोत्पादकता का मापन होता है। सामान्यतया मार्ग जाल की गम्यता परिवहन मार्गों से एक विशेष दूरी द्वारा प्रकट की जाती है। भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में एक ही दूरी को अभिगम्यता का मानक मापदण्ड नहीं माना जा सकता। अभिगम्यता का मापदण्ड साधारणतया व्यक्तिनिष्ठ होता है। सड़क तन्त्र विकसित होने पर अगम्य क्षेत्र लुप्तप्राय हो जाता है। भारत में सड़कों की अभिगम्यता मान में 'नागपुर योजना' तथा 'बम्बई योजना' द्वारा निर्धारित मानदण्ड इस प्रकार है -

## तालिका 6 4

नागपुर तथा बम्बई योजनाओं द्वारा निर्धारित सड़क अभिगम्यता मानदण्ड

क्रमसंख्या	क्षेत्र विवरण	किसी भी गाँव की अधिकतम दूरी (किमी०) किसी भी सड़क से	मुख्य सड़क से
1	नागपुर योजना		
	I कृषि क्षेत्र	3 22	8 05
	II कृषितर क्षेत्र	8 05	32 10
2	बम्बई योजना		
	I विकसित कृषि क्षेत्र	4 83	12 87
	II अविकसित कृषि क्षेत्र	8 05	19 31
	III विकसित कृषि क्षेत्र	2 41	6 44

राष्ट्रीय स्तर पर सड़क परिवहन के विश्लेषण में अधिकांशतया उपर्युक्त मानदण्डों को ही अपनाया जाता है किन्तु कृषि प्रधान, पठारी एवं कुछ बड़े उद्योगों से युक्त पिछड़े इस जनपद के लिए उक्त मानदण्ड उपयुक्त नहीं है। इसके दो प्रमुख कारण हैं। प्रथम, इस मानदण्ड के आर्थिक विकास के स्तर से सम्बन्धित होने के कारण सूक्ष्म स्तरीय क्षेत्रों में आर्थिक विकास के स्तर के अतिरिक्त भौतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्तर पर विभिन्नता पायी जाती है। तथा द्वितीय यह मापदण्ड अत्यधिक प्राचीन है। आज के बदले हुए भौगोलिक परिवेश में सोनभद्र जनपद में सड़कों की अभिगम्यता मापन के लिए उपर्युक्त मापदण्ड उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है। अतः व्यावहारिक अभिगम्यता को देखते हुए इस भाग में सड़क अभिगम्यता के मापन के लिए निम्नलिखित को अभिगम्य माना जा सकता है -

1. मुख्य पक्की सड़कों से 3 किमी० की दूरी पर स्थित बस्तियाँ,
2. अन्य पक्की सड़कों से 2 किमी० दूरस्थ सभी बस्तियाँ और

3 किसी भी कच्चे मार्ग या खडजा मार्ग से 1 किमी0 दूर तक स्थित बस्तियों।

उपर्युक्त मानदण्डों के आधार पर जनपद में वर्षभर परिवहन योग्य सड़कों का अभिगम्यता मानचित्र का निर्माण किया गया है (6 4 ) ।

मानचित्र 6 4 को देखने से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र की अभिगम्यता अच्छी नहीं है। जनपद के मध्य में उत्तर से दक्षिण में जाने वाली मुख्य पक्की सड़क के कारण मध्यवर्ती क्षेत्र में अभिगम्यता सतोष जनक नहीं जा सकती है। सोनभद्र में अनेक ऐसे पठारी तथा जंगली क्षेत्र हैं जहाँ सड़कों से अभिगम्यता स्थापित करना दुष्कर है। पूर्वी घोरावल सम्पूर्ण नगवा, बभनी, म्योरपुर, चोपन व दुद्धी विकास खण्ड में सड़कों से अभिगम्यता स्थापित करना अत्यन्त खर्चीला है। वर्तमान सड़क तन्त्र के आधार पर (मानचित्र 6 2) तालिका 6 1 में अभिगम्यता परिकल्पित की गयी है। सोनभद्र का 41 93% भाग अभिगम्य तथा 58 07% भाग अगम्य है। सर्वाधिक अभिगम्यता विकास खण्ड दुद्धी में (70 39%) है। इसके बाद क्रमशः राबर्ट्सगंज, म्योरपुर, घोरावल, चतरा, चोपन, नगवा, तथा बभनी में क्रमशः 62 83%, 48 73%, 44 46%, 40 23%, 33 10%, 24 20%, तथा 16 77% है। जनपद के औसत अभिगम्यता से विकास खण्ड दुद्धी, राबर्ट्सगंज, म्योरपुर तथा घोरावल में अधिक तथा चतरा, चोपन, नगवा व बभनी में निम्न है (तालिका 6 1) ।

### 6.5 सड़क सम्बद्धता

सड़कों की आपस में सम्बद्धता, सड़क परिवहन के विश्लेषण का एक अद्वितीय माध्यम है। परिवहन व्यवस्था की सुगमता, सड़क तन्त्र के विकास का स्तर तथा सघनता का बोध सड़क सम्बद्धता से ही स्पष्ट होता है। जिन क्षेत्रों में सम्बद्धता अधिक होती है, उन क्षेत्रों में सड़कों की सघनता तथा गम्यता अधिक होती है। पिछड़ी अर्थव्यवस्था के सड़क जाल प्रायः सुसम्बद्ध नहीं होते हैं जबकि विकसित अर्थव्यवस्था वाले क्षेत्रों में सड़क सम्बद्धता अधिक पायी जाती है। जहाँ सड़कें इस प्रकार वितरित हों कि कोई भी सड़क किसी आन्तरिक बिन्दु पर जाकर अकस्मात् समाप्त नहीं होती है वरन् उसके दोनों छोर अन्य सड़कों से सम्बन्धित हों तो उसे सुसम्बद्ध सड़क जाल कहा गया है। दूसरी ओर, जहाँ प्रमुख सड़कों से आबद्ध क्षेत्र

# DISTRICT SONBHADRA ROAD NETWORK AND ACCESSIBILITY




FIG 64

के मध्य अन्य सड़के अकस्मात किसी बिन्दु पर समाप्त हो जाती है अर्थात् उनके द्वारा हर दिशा में यात्रा बिना वापस लौटे नहीं की जा सकती तो उसे असम्बद्ध सड़क जाल कहा गया है। इन दोनों के बीच की स्थिति को सामान्य सम्बद्धता की दशा मानी गयी है जो सड़क जाल जितना ही सुसम्बद्ध होगा उसमें परिक्रमता उतनी ही कम होगी।<sup>12</sup> सोनभद्र में यह सम्बद्धता दो माध्यमों से ज्ञात की गयी है एक प्रमुख सेवा केन्द्र के सदर्भ में तथा दूसरा सड़क जाल संरचना के परिप्रेक्ष्य में।

### (अ) सेवा केन्द्रों की सम्बद्धता

सेवा केन्द्रों की सम्बद्धता के द्वारा इस तथ्य को ज्ञात करने का प्रयास किया गया है कि जनपद सोनभद्र के प्रमुख सेवा केन्द्र आपस में कितने सेवा केन्द्रों से जुड़े हुए हैं। इस सड़क सम्बद्धता को ज्ञात करने में केवल पक्की सड़कों को ही आधार माना गया है। यद्यपि कच्ची सड़कों द्वारा भी सेवा केन्द्रों में सम्बद्धता पायी जाती है किन्तु जनपद के पठारी क्षेत्र होने के कारण, नालों पर पुल न होने से बरसात के दिनों में सम्बद्धता भंग हो जाती है। अस्तु सेवा केन्द्रों की सम्बद्धता विश्लेषण में समरूपता लाने के लिए कच्ची सड़क एवं खड्डा मार्गों को छोड़ दिया गया है।

अध्ययन क्षेत्र के प्रमुख विकास केन्द्रों की आपस में पक्की सड़क से सम्बद्धता जानने के लिए मानचित्र 6। के आधार पर 'कनेक्टिविटी मैट्रिक्स' बनाया गया है। जिसे तालिका 6.5 के रूप में देखा जा सकता है। जनपद का सबसे सम्बद्ध क्षेत्र रावर्टसगंज है। यह प्रत्यक्षतः चार केन्द्रों (शाहगंज, करमा, रामगढ़ व चुर्क) से जुड़ा हुआ है। चोपन, डाला, हाथीनाला, दुब्दी अनपरा, गोविन्दपुर, म्योरपुर, रेनूकूट तीन केन्द्रों में सीधे जुड़े हैं तथा जनपद मुख्यालय के बाद इन केन्द्रों की सम्बद्धता द्वितीय - स्थान पर है। शाहगंज, रामगढ़, बैनी, चुर्क, सलखन, ओबरा, विण्ढमगंज, पिपरी, बीना, रिहन्द नगर, बभनी दो सेवा केन्द्रों से सीधे जुड़े हुए हैं जबकि कोन, घोरवल, करमा, खलियारी, रेणूसागर व शक्तिनगर की सम्बद्धता मात्र एक केन्द्र से है।

TABLE 6.5 METALLED ROAD CONNECTIVITY MATRIX

FROM		TO																									
SC	GW	SG	RB	KM	RG	VN	KR	CK	SK	CH	OB	DL	HN	DH	VG	PK	PR	AN	BN	RS	SN	GP	MP	RN	BH	KN	T
SC	1																										1
GW		1																									2
SG			1																								2
RB				1																							4
KM					1																						1
RG						1																					2
VN							1																				2
KR								1																			1
CK									1																		2
SK										1																	2
CH											1																3
OB												1															2
DL													1														3
HN														1													3
DH															1												3
VG																1											2
RK																	1										3
PR																		1									2
AN																			1								3
BN																				1							2
RS																					1						1
SN																						1					1
GP																							1				3
MP																								1			3
RN																									1		2
BH																									1		2
KN																											1
T	1	2	4	1	2	2	1	2	2	3	2	3	3	3	2	3	2	3	2	1	1	3	3	2	2	1	56

SC Service Centre  
 GW Chorawal  
 SG Shahganj  
 RB Robertsganj  
 KM Karma  
 RG Ramgarh  
 VN Vaini  
 KR Khaliyari  
 CK Churk  
 SK Salakhan  
 CH Chopan  
 OB Obrā  
 DL Dalla  
 HN Hathinala  
 DH Dudhi  
 VG Vindhanganj  
 RK Renukoot  
 PR Pipri  
 AN Anpara  
 BN Bina  
 RS Renuagar  
 SN Shaktinagar  
 GP Govindpur  
 MP Muirpur  
 RN Rihandnagar  
 BH Bahani  
 KN Kon  
 T Total

## (ब) मार्ग-जाल की सम्बद्धता

मार्ग जालों के वस्तुनिष्ठ विश्लेषण के लिए कई मापकों का उपयोग किया जाता है। इस विश्लेषण विधि में किसी भी मार्ग जाल को एक ग्राफ के रूप में माना गया है। जिसमें बिन्दु (वर्टिक्स) तथा बाहु (एजेज) दो मुख्य तत्व होते हैं। किसी भी परिवहन माध्यम के मार्ग जाल में जितने भी उद्गम, सगम तथा अंतिम या प्रमुख विकास केन्द्र होते हैं, उन्हें बिन्दु तथा इनको सीधे सम्बन्धित करने वाले मार्गों को बाहु के रूप में माना जाता है। इसमें दो बिन्दुओं के बीच की दूरी अर्थात् बाहुओं की लम्बाई पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अध्ययन क्षेत्र में पक्की सड़कों के जाल के सदर्भ में प्रमुख बिन्दुओं की संख्या 27 है। इन बिन्दुओं एवं बाहुओं के माध्यम से सड़क जाल सम्बद्धता को प्रदर्शित करने वाले अल्फा ( $\alpha$ ) बीटा ( $\beta$ ) तथा गामा ( $\gamma$ ) निर्देशकों की गणना की गयी है।

'अल्फा निर्देशक' से मार्ग जाल के सम्बद्धता स्तर का बोध होता है। इस निर्देशक का मान 0-1.00 के मध्य होता है। पूर्णतः असम्बद्ध मार्ग जाल का मान 0 होता है। पूर्णतः सुसम्बद्ध मार्ग जाल का निर्देशक 1.00 होता है। इस निर्देशक की गणना निम्न लिखित सूत्र से की गयी है<sup>13</sup>।

$$\alpha = \frac{e-v+g}{2v-5}$$

जहाँ

- $\alpha$  = अल्फा निर्देशक
- $e$  = बाहुओं की संख्या
- $v$  = बिन्दुओं की संख्या तथा
- $g$  = असम्बद्ध ग्राफों की संख्या

अध्ययन क्षेत्र के सड़क जाल का यह निर्देशक 0.04 है। इससे स्पष्ट होता है कि सड़क जाल न तो पूर्णतः सुसम्बद्ध है और न ही पूर्णतः असम्बद्ध है। इस निर्देशक (0.04) में 100 से गुणा करके सम्बद्धता को प्रतिशत में भी अभिव्यक्त किया जा सकता है। इस प्रकार जनपद का मार्ग जाल 4.00% सम्बद्ध है।

'बीटा निर्देशांक' से किसी मार्ग - जाल के बाहुओं एवं बिन्दुओं के अनुपात का बोध होता है। इस निर्देशांक के अनुसार असम्बद्ध मार्ग जालों का मान 1.00 से कम होता है। एक ही चक्र में विभिन्न केन्द्र बिन्दुओं को मिलाने वाले मार्ग जाल का मान 1.00 तथा केन्द्र बिन्दुओं के मध्य कई विकल्प वाले मार्ग जाल का मान 1.00 से अधिक होता है। इस निर्देशांक की गणना निम्नलिखित सूत्र द्वारा की जाती है<sup>14</sup> -

$$\beta = \frac{e}{v}$$

जहाँ

$\beta$  = बीटा निर्देशांक,

$e$  = बाहुओं की संख्या तथा

$v$  = बिन्दुओं की संख्या।

अध्ययन क्षेत्र के सड़क जाल के इस निर्देशांक का मान 1.04 है, जिससे स्पष्ट होता है कि सड़क जाल बहुत ही कम सम्बद्ध है।

'गामा निर्देशांक' से किसी मार्ग जाल के बाहुओं और बिन्दुओं के अनुपात का बोध होता है, किन्तु यह बीटा निर्देशांक से भिन्न है। यह निर्देशांक विद्यमान बाहुओं का अधिकतम बाहुओं के गुणांक का द्योतक है। इस निर्देशांक की गणना निम्नलिखित सूत्र से की जाती है<sup>15</sup> -

$$\gamma = \frac{e}{3(v-2)}$$

जहाँ

$\gamma$  = गामा निर्देशांक,

$e$  = बाहुओं की संख्या तथा

$v$  = बिन्दुओं की संख्या।

इस निर्देशांक का मान 0-1.00 के मध्य होता है। पूर्ण सम्बद्ध मार्ग जालों का मान 1.00 तथा अपूर्ण सम्बद्धता वाले मार्ग जालों का मान 1.00 से कम आता है। जनपद में सड़क जाल का गामा निर्देशांक 0.3733 है। इसमें 100 का गुणा करने पर सम्बद्धता



प्रतिशत में ज्ञात हो जाता है। इस प्रकार सड़क जाल सम्बद्धता 37.33% है। गामा निर्देशांक तथा अल्फा निर्देशांक के सम्बद्धता प्रतिशत में अन्तर का कारण है, अल्फा निर्देशांक उन्हीं सड़क जालों के लिए उपयुक्त है जिनमें कई असम्बद्ध ग्राफ हों।

## 6.6 यातायात प्रवाह

यातायात प्रवाह से न केवल परिवहन की कार्यात्मक विशिष्टताएँ स्पष्ट होती हैं अपितु क्षेत्रीय आर्थिक कार्यकलाप, आर्थिक अन्तर्सम्बन्ध प्रतिरूप एवं आर्थिक विकास का स्तर भी ज्ञात होता है। साधारणतः यातायात प्रवाह के अन्तर्गत वस्तुओं एवं यात्रियों के आवागमन प्रतिरूप का अध्ययन किया जाता है। इस विश्लेषण के अन्तर्गत तीन बातों का अध्ययन किया जा सकता है। प्रथम, वस्तुओं के उद्गम गन्तव्य स्थलों पर आने-जाने से व्यापारिक स्वरूप का बोध होता है, द्वितीय, प्रतिदिन, प्रति सप्ताह या प्रतिमाह परिवहन मार्ग पर कुल यातायात घनत्व का पता चलता है तथा तृतीय, परिवहन के साधनों तथा परिवहित वस्तुओं की संरचना के बारे में जानकारी मिलती है। परिवहित वस्तुओं के संरचना में परिवर्तन का प्रभाव परिवहन साधनों पर पड़ता है।


यातायात प्रवाह के उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से इस क्षेत्र के वर्तमान यातायात प्रवाह के स्वरूप की व्याख्या की जा सकती है। किन्तु किसी निर्धारित मापदण्ड के अभाव में यह निश्चित कर पाना कठिन है कि विद्यमान यातायात प्रवाह घनत्व की स्थिति पिछड़ी अर्थव्यवस्था का द्योतक है या विकसित अर्थव्यवस्था का, दूसरे, साधनों की कमी तथा समय के अभाव में इनके प्रवाह के आकड़ों का संग्रहण संभव नहीं हो सका।

चूँकि सोनभद्र विविधता युक्त जनपद है तथा इसमें समरूपता का अभाव है। इसलिए यातायात प्रवाह का विशेष महत्त्व है। अध्ययन क्षेत्र के तीन विकास खण्डों (चतरा, राबर्टसगंज व घोरावल) में अच्छी खेती होती है, इसे कृषि प्रधान विकास खण्ड कहा जा सकता है। तीन विकास खण्ड (म्योरपुर, चोपन व राबर्टसगंज) बड़े उद्योगों से युक्त हैं तथा जनपद का अधिकांश हिस्सा जंगली तथा पठारी है। म्योरपुर विकासखण्ड में कोयले की खानें हैं। औद्योगिक

क्षेत्रों में खाद्यान्नों, सब्जियों तथा दुग्ध आदि की आपूर्ति कृषि प्रधान विकास खण्डों से सड़क परिवहन से होता है। ताप विद्युत गृहों के लिए कोयले की आपूर्ति, सीमेन्ट उद्योग के लिए चूना पत्थर की आपूर्ति, अल्यूमिनियम उद्योग के लिए बाक्साइट की आपूर्ति तथा विनिर्मित वस्तुओं यथा सीमेन्ट, अल्यूमिनियम, केमिकल्स, सोडा व चूना आदि को दूरवर्ती क्षेत्रों में भेजने के लिए अधिकांश ट्रकों का उपयोग किया जाता है। बालू व बजरी का परिवहन न केवल स्थानीय आवश्यकता के लिए किया जाता है वरन् अन्तर्प्रदेशिक क्षेत्रों में भी भेजा जाता है। बड़े उद्योगों की स्थापना से यात्रियों का आवागमन दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बाहर से जनपद में आने वाली वस्तुओं तथा जनपद से बाहर जाने वाली वस्तुओं के लिए ट्रकों व रेलगाड़ियों का उपयोग होता है। बंधियों, सड़कों के निर्माण तथा भूमि के समतलीकरण के लिए मिट्टी को ट्रैक्टर व ट्रकों द्वारा ढुलाई की जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में मुख्य सड़कों से गोर्खों को जोड़ने के प्रमुख साधन बैलगाड़ी है। इक्का, साइकिलों, बैलगाड़ियों, ट्रैक्टरों, टैक्सी आदि का उपयोग यात्रियों एवं वस्तुओं के एकत्रीकरण व विकेन्द्रीकरण के लिए होता है। मौसम के अनुसार यातायात में परिवर्तन दृष्टि गोचर होता है।

किन्तु यातायात प्रवाह के उपर्युक्त आकड़ों का एकत्रीकरण निश्चित समय के अन्दर असम्भव है। दूसरे, यातायात प्रवाह में परिवर्तन बहुत अधिक होता है। वास्तव में यातायात प्रवाह अनेक परिवर्त्यों पर निर्भर करता है। इसलिए यात्रियों के आवागमन के आधार पर यातायात प्रवाह का विश्लेषण किया गया है। यात्रियों का यह प्रवाह सड़कों पर चलने वाले व्यक्तिगत तथा सरकारी बसों के माध्यम से मापने का प्रयास किया गया है। सड़कों पर चलने वाली बसों की गणना व्यक्तिगत सर्वेक्षण पर की गयी है। बसों की सम्पूर्ण सख्याओं का योग उनके (बसों के) आने व जाने के सदर्भ में किया गया है। सोनभद्र में बसों का प्रवाह मानचित्र 6 5 में प्रदर्शित है।

राबर्टसगंज से रेनूकूट तक प्रतिदिन लगभग 100 यात्री बसों का आवागमन होता है। मीरजापुर से व वाराणसी से आने वाली बसें हिन्दुआरी तिराहे से होकर राबर्टसगंज में प्रवेश करती हैं, इनमें से अधिकांश शक्तिनगर, रिहन्द नगर के लिए जाती हैं। अध्ययन क्षेत्र में सर्वाधिक यातायात प्रवाह इसी मार्ग पर सम्पन्न होता है।



रेनूकूट से अनपरा, बीना से होते हुए शक्तिनगर मार्ग पर लगभग 70 बसे प्रतिदिन गुजरती है। खलियारी से घोरावल मार्ग पर भी लगभग 65-70 बसों का आवागमन होता है। उल्लेखनीय है कि इस मार्ग पर केवल प्राइवेट बसें ही चलती हैं। जनपद का मुख्यालय दोनों ही सेवा केन्द्रों (खलियारी व घोरावल) के लगभग मध्य में पड़ता है। रेनूकूट से रिहन्द नगर मार्ग पर प्रतिदिन लगभग 50 बसों का आवागमन होता है। हाथीनाला से दुद्धी मार्ग पर लगभग 40 बसों का, शाहगंज से राजगढ़ मार्ग पर 10 बसों का, घोरावल से मडिहान मार्ग पर 16 बसों का, विण्ढमगंज से दुद्धी मार्ग पर 25 बसों का, विण्ढमगंज से वोन मार्ग पर 20 बसों का तथा बभनी मार्ग पर भी 20 बसों का आवागमन होता है।

### तालिका 6 6

जनपद मुख्यालय राबर्टगंज से प्रमुख सेवा केन्द्रों व बस स्टेशनों की दूरी

क्रमसंख्या	सेवाकेन्द्र/बस स्टेशन/बस स्टाप	राबर्टगंज से दूरी किमी० में
1	पसही	8
2	ककराही	13
3	खैराही	16
4	करमा	23
5	चुर्क	8
6	मारकुण्डी	16
7	सलखन	21
8	चोपन	27
9	डाला	37
10	ओबरा	39
11	हाथीनाला	58
12	रेनूकूट	72
13	पिपरी	75
14	अनपरा मोड़	105
15	बीना	127
16	शक्तिनगर	142
17	दुद्धी	79
18	विण्ढमगंज	144

19	गोविन्दपुर	92
20	म्योरपुर	104
21	बभनी	142
22	रामगढ	18
23	रिहन्द नगर	172
24	खलियारी	36
25	घोरावल	30

स्रोत रार्बर्टसगज बस स्टेशन की पट्टिका से संग्रहित ।

## 6.7 परिवहन तन्त्र का नियोजन

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में जल परिवहन नगण्य है। वायु परिवहन नहीं होता है, यद्यपि म्योरपुर के निकट हवाई पट्टी है। साथ ही रेल व सड़क परिवहन का भी समुचित विकास नहीं हुआ है। रज्जुमार्ग का प्रयोग सीमित स्तर पर होता है। अध्ययन क्षेत्र में अनेक ऐसे सेवा-केन्द्र हैं जो पक्की सड़कों से जुड़े हुए नहीं हैं। जनपद के समाकलित विकास के लिए परिवहन सुविधाओं का बढ़ाया जाना आवश्यक है, बड़े औद्योगिक केन्द्रों को अच्छी सड़कों से जोड़ दिया गया है परन्तु जनपद का अधिकांश भाग स्वतन्त्रता के 45 वर्ष बाद भी सड़कों से अभिगम्य नहीं है। परिवहन के विकास के लिए आवश्यक है कि एक समन्वित कार्य योजना तैयार किया जाय। अध्ययन क्षेत्र का 10 वर्षीय परिवहन नियोजन प्रस्तुत है। प्रस्तुत अध्ययन में ग्रामीण कच्ची तथा खड़जा सड़कों की समस्याओं को देखते हुए उनके विकास के लिए विशेष बल दिया गया है।

### (अ) रेल मार्ग

अध्ययन क्षेत्र में अवस्थित सम्पूर्ण इकहरी रेलवे लाइन को दोहरी (डबल) रेलवे लाइन में बदलने की आवश्यकता है, जिससे यात्री गाड़ी व माल गाड़ी परिचालन में व्यवधान न हो। दिन-प्रतिदिन, चलने वाली मालगाड़ियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह और भी आवश्यक हो गया है।

राबर्टसगंज से रामगढ़ पन्नूगंज, बैनी, खलियारी होते हुए सहस्राराम (बिहार) तक एक नयी रेलवे लाइन बनाने की जरूरत है। इसके लिए कर्मनाशा नदी (सोनभद्र व भभुआ की सीमा) पर एक पुल बनाने की आवश्यकता है। प्रस्तावित रेलमार्ग का सम्पूर्ण क्षेत्र समतल तथा कृषि प्रधान क्षेत्र है। अतः निर्माण में अधिक आर्थिक विनियोग की भी आवश्यकता नहीं है।

#### (ब) जल मार्ग

180 वर्ग मील क्षेत्र में फैले रिहन्द जलाशय के चारों तरफ फैले औद्योगिक नगरों (रिहन्द नगर, अनपरा, रेणुसागर, शक्तिनगर, पिपरी, रेनूकूट व मध्य प्रदेश स्थित विध्यनगर) के बीच जल परिवहन की पर्याप्त सम्भावनाएँ हैं। इससे न केवल यात्रियों बल्कि वस्तुओं का भी परिवहन किया जा सकता है। वर्तमान समय में मात्र रिहन्द नगर से शक्तिनगर के बीच जल परिवहन की सुविधा है। रिहन्द जलाशय में जल परिवहन की सुविधा बढ़ने से समय तथा दूरी दोनों की बचत होगी। इसके अतिरिक्त अध्ययन क्षेत्र में जल परिवहन के नाम पर, पुलों के अभाव में नदियों को पार करना मात्र है। पुलों का निर्माण करके नारों का चलाना बन्द करना आवश्यक है। क्योंकि नदियों के पहाड़ी व बरसाती स्वभाव में वार्षिक बहुधा दुर्घटनाएँ होती रहती हैं।

#### (स) वायु मार्ग

म्योरपुर के निकट स्थित हवाई पट्टी को आधुनिक हवाई अड्डे के रूप में परिवर्तित करके साप्ताहिक वायु परिवहन शुरू करना चाहिए। निकट भविष्य में अध्ययन क्षेत्र वृहद औद्योगिक पट्टी के रूप में विकसित होगा इसे देखते हुए वायु परिवहन का विकास करना आवश्यक है।

#### (द) रज्जु मार्ग

शक्तिनगर, अनपरा, ओबरा में भी रज्जुमार्ग से कोयले की ढुलाई करना सुविधाजनक होगा। समीप के सिंगरौली कोयला क्षेत्र से उपर्युक्त ताप विद्युत गृहों के लिए कोयले की ढुलाई से, सड़कों पर न केवल परिवहन साधनों का दबाव कम होगा बल्कि मानव शक्ति की बचत व प्रदूषण से मुक्ति भी मिलेगी।

### (य) सडक मार्ग

अध्ययन क्षेत्र में सडक मार्ग परिवहन तन्त्र का आधार है। सर्वप्रथम वर्तमान पक्की सडकों में सुधार की आवश्यकता है। करमा- शक्तिनगर मार्ग, रेनूकूट - रिहन्द नगर मार्ग तथा हाथीनाला - विण्ढमगज मार्ग को और चौड़ा करने की जरूरत है क्योंकि इन पर बसों के अतिरिक्त ट्रकों का प्रवाह दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है।

घोरावल से खलियारी सडक मार्ग को चौड़ा करके दुगुना करने की जरूरत है। इस इकहरे सडक मार्ग पर बसों का प्रवाह, अत्यधिक है। खलियारी से पूर्व की ओर कर्मनाशा नदी पर पुल बनाकर घोरावल खलियारी मार्ग को पक्की सडक से बिहार स्थित भभुवा से जोड़ने की आवश्यकता है। घोरावल से बर्दिया होते हुए कैमूर पहाड़ियों को पार करके बर्दिया से मध्य प्रदेश स्थित देउरा गाँव तक 9 किमी० लम्बी सडक बनाने से घोरावल का रीवा से सम्पर्क हो जाएगा। सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र में स्थित कुल 44। किमी० खडजा सडकों को पक्की सडकों में बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि बरसात के दिनों में अपरदन से बस्तियों की सडकों से अभिगम्यता और कम हो जाती है। विगत दो वर्षों में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत अनेक गाँवों को खडजा मार्ग से पक्की सडकों से जोड़ा गया। किन्तु मार्गों पर जैविक अपरदन (पशुओं से) व यान्त्रिक अपरदन (ट्रेक्टर व बैलगाडी से) होने से, उद्देश्यों को पूरा करने में असफल है। अतः इन सभी लघु सम्पर्क मार्गों को पक्की सडक में बदलने की जरूरत है। दुब्डी के पास कनहर नदी पर खलियारी के पास कर्मनाशा नदी पर कोन के पास पाण्डु नदी पर तथा सोन नदी पर गुरूदह, ससनई, चकरिया, हरदी में पुल बनाने की आवश्यकता है। चोपन में सोन नदी पर बने पुल की मरम्मत करने व एक नया पुल बनाने की आवश्यकता है।

### ग्रामीण सडक मार्ग

ग्रामीण सडक ग्रामीण विकास का आधार है। अध्ययन क्षेत्र की 87% ग्रामीण जनसंख्या को नगरों, औद्योगिककेन्द्रों, विकासकेन्द्रों तथा मुख्यसडकों से जोड़ने के लिए सडकों का जाल होना आवश्यक है। कृषि उपज तथा कुटीर उद्योगों के उत्पादों की विपणनीय सुविधाएँ, ग्रामीण सडकों पर बहुत निर्भर करती हैं। गाँवों को, सडकों द्वारा मण्डियों से जोड़कर गाँवों का बहुमुखी विकास किया जा

सकता है। अध्ययन क्षेत्र के पिछड़ेपन को ग्रामीण सड़कों के अभाव ने और पिछड़ा बना दिया है। ग्रामीण सड़कों से सम्बन्धित निम्न सुझाव प्रस्तुत है -

1 ग्रामीण यातायात के प्रमुख साधन बैलगाड़ी में तकनीकी दृष्टि से सुधार करना चाहिए जिससे ग्रामीण सड़कों को क्षति न पहुँचे ।

2 गाँवों को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली सहायक खड्जा सड़कों को पक्की सड़क में बदला जाय ।

3 बैलगाड़ी के साथ-साथ अब मोटर परिवहन साधन भी गाँवों में तेजी से पहुँच रहे हैं। अतः सड़कों की मरम्मत की व्यवस्था नियमित होनी चाहिए ।

4 ग्रामीण क्षेत्रों में यँ तो कच्ची सड़कों को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए किन्तु पक्की सड़कों से जुड़ने वाले सम्पर्क मार्ग को पक्की होनी चाहिए।

5 ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का विकास करने के लिए ऐच्छिक श्रम अर्थात् श्रमदान को प्रोत्साहित करना चाहिए । राष्ट्रीय सेवा योजना आदि के द्वारा भी ग्रामीण सड़कों का निर्माण सरलतापूर्वक किया जा सकता है ।

6 सड़क जाल इस प्रकार होनी चाहिए कि सभी गाँवों का सम्पर्क सेवा केन्द्रों से हो जाय।

7 राज्य सरकार को ग्रामीण सड़कों के निर्माण में स्वैच्छिक सस्थाओं से सहयोग लेना चाहिए। सड़कों के नियमित भाग के रख-रखाव की जिम्मेदारी बाँटी जा सकती है। ग्राम पंचायतों एवं सहकारी सस्थाओं का इसमें व्यापक सहयोग लिया जा सकता है ।

## 6.8 संचार व्यवस्था

पिछड़े क्षेत्रों के विकास में संचार साधनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संचार माध्यमों से नवीनताओं का प्रसरण होता है जो पिछड़ेपन को दूर करने में सहायक होता है।



विकसित संचार सेवाएँ आधुनिक समय की अनिवार्य आवश्यकता है। राजनैतिक जीवन, सरकारी प्रशासन, राष्ट्रीय सुरक्षा, व्यावसायिक प्रबन्ध, कृषि तथा अन्य विस्तार सेवाएँ, उन्नत शैक्षिक प्रविधियाँ, विज्ञापन, उद्योग, मनोरंजन क्रियाएँ, समाचार-पत्र और व्यक्तिगत मामलों का संचालन आदि सभी संचार के अधिक साधनों की माँग करते हैं।<sup>16</sup>

सदेश, विचार एवं सूचनाओं इत्यादि के आदान-प्रदान को संचार कहते हैं। विकास के लिए परिवहन जैसा संचार भी आवश्यक है। संचार माध्यमों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, प्रथम - व्यक्तिगत संचार माध्यम तथा द्वितीय जनसंचार माध्यम। व्यक्तिगत संचार माध्यम के अन्तर्गत, डाक, तार तथा दूरभाष आदि आते हैं। ये वैयक्तिक सेवाएँ प्रदान करने के साथ उद्योगों को बढ़ावा देते हैं। रेडियो, दूरदर्शन, पत्र-पत्रिकाएँ तथा सिनेमा आदि जनसंचार के माध्यम हैं जो सूचना, ज्ञान, विचारों, भवनाओं तथा शिल्प आदि का संकेत-चिन्हों, शब्दों, चित्रों तथा आरेखों द्वारा प्रभावशाली प्रसारण करते हैं।<sup>17</sup>

#### (अ) व्यक्तिगत संचार

सम्प्रति जनपद में 136 डाकघर, 16 तारघर, 43 पीओसीओ (पब्लिक काल ऑफिस) तथा 1258 दूरभाष सेवा सम्पर्क हैं।

#### तालिका 6 7

##### सोनभद्र जनपद में उपलब्ध संचार सेवाएँ

वर्ष	डाकघर	तारघर	पब्लिक काल ऑफिस	दूरभाष सेवा
1	2	3	4	5
1989-90	133	13	24	1153
1990-91	133	13	24	1175
1991-92	136	16	43	1258

1	2	3	4	5	
<b>विकास खण्ड 1991-92</b>					
1	घोरावल	16	-	1	20
2	राबर्ट्सगज	17	1	4	15
3	चतरा	11	1	2	12
4	नगवा	11	-	1	-
5	चोपन	21	1	8	32
6	म्योरपुर	22	5	8	350
7	दुब्डी	16	-	2	16
8	बभनी	11	-	1	-
<b>योग ग्रामीण</b>					
		125	8	27	445
<b>योग नगरीय</b>					
		11	8	16	813
<b>योग जनपद</b>					
		136	16	43	1258

स्रोत सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद सोनभद्र, 1992, पृष्ठ 108

### (1.) डाक सेवा

भारत में आधुनिक डाक प्रणाली सर्वप्रथम 1837 में प्रारम्भ हुई। 1854 में डाक विभाग तथा 1880 में मनीआर्डर प्रणाली प्रारम्भ हुई। रेलवे डाक सेवा 1907 तथा हवाई डाक सेवा 1911 में प्रारम्भ हुई। फलस्वरूप द्रुत डाक सेवा, अकित डाक सेवा (रिकार्डेड डिलीवरी) और द्रुतगामी डाक सेवा (स्पीड पोस्ट) जैसे कार्यक्रम शुरू किये गये हैं किन्तु सोनभद्र इससे अभी तक अछूता ही है। जनपद सोनभद्र में कुल डाकघरों की संख्या 1991-92 में 136 थी। भारत में एक डाकघर से औसतन 4731 लोगों को सेवाएँ उपलब्ध होती हैं जबकि सोनभद्र जनपद में एक

अध्ययन क्षेत्र में हवाई मार्ग व हवाई अड्डा न होने के कारण सीधे हवाई डाक सेवा उपलब्ध नहीं है ।

### (2) तार सेवा

अध्ययन क्षेत्र में कुल 16 तारघर हैं । कुल तारघरों में से 50% (8) तारघर नगरीय क्षेत्र में तथा 50% (8) तारघर ग्रामीण क्षेत्रों में हैं । तारघरों की अवस्थिति नगरीय क्षेत्रों में राबर्ट्सगज, घोरावल, दुहड़ी, चुर्क, चोपन, ओबरा, रेनूकूट व पिपरी में है । अन्य तारघरों की अवस्थिति शक्तिनगर, अनपरा, रिहन्द नगर, रेणू सागर, बीना, डाला, रामगढ़ व बढौली में है । जनपद के 89.49% (1201) गाँव तारघरों की सुविधा से 5 कि० मी० दूर स्थित हैं (तालिका 69)। विकासखण्ड नगवा, घोरावल, दुहड़ी व बभनी के ग्रामीण क्षेत्र में एक भी तारघर उपलब्ध नहीं है (तालिका 67) । उपर्युक्त तथ्य से तारसेवा की अभावग्रस्तता एवं पिछड़ेपन का ज्ञान होता है ।

### (3) दूरभाष सेवा

वर्तमान समय में दूरभाष सेवा को आदिवासी क्षेत्र सहित ग्रामीण क्षेत्र तक बढ़ाया जा रहा है । सरकार की नीति का उद्देश्य यह है कि प्रत्येक गाँव से 5 कि० मी० की दूरी के अन्दर एक दूरभाष सेवा दी जाय । तालिका 66 से स्पष्ट है कि जनपद सोनभद्र में कुल 1258 दूरभाष सेवा सम्पर्क हैं, इसमें से 445 (35.35%) ग्रामीण क्षेत्र में तथा 813 (64.65%) नगरीय क्षेत्र में हैं । सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र के दूरभाष सेवा सम्पर्क का 78.65% (350) विकासखण्ड म्योरपुर में है, जबकि नगवा व बभनी में एक भी नहीं है (तालिका 67)। अध्ययन क्षेत्र के 87.48% (1174) गाँव दूरभाष सेवा सम्पर्क से, 5 कि० मी० से अधिक दूर स्थित हैं (तालिका 69) । उपर्युक्त तथ्य से जनपद के पिछड़ेपन का संकेत मिलता है। अध्ययन क्षेत्र के नगरीय क्षेत्र में पी.सी ओ (पब्लिक कॉल ऑफिस) की कुल संख्या 16 है, जिसमें से राबर्ट्सगज में 2, चुर्क में 1, ओबरा में 2, रेनूकूट में 4, पिपरी में 1, शक्तिनगर में 2, अनपरा में 2, चोपन में 1 तथा रिहन्द नगर में 1 है । जनपद के अन्य ग्रामीण क्षेत्र के विकास केन्द्रों में पी सी ओ की संख्या 27 है जिसमें से विकास खण्ड म्योरपुर व चोपन में आठ - आठ, राबर्ट्सगज में चार, चतरा व दुहड़ी में दो - दो, घोरावल, नगवा व बभनी में एक - एक है ।

तालिका 6 8  
सोनभद्र जनपद के गाँवों में उपलब्ध संचार सेवाएँ 1991-92

क्रमसंख्या	विकासखण्ड	सुविधाएँ	गाँव में उपलब्ध	1किमी0 से कम दूरी	1-3किमी0 की दूरी	3-5किमी0 की दूरी	5किमी0 से अधिक	योग
1	घोरावल	डाकघर	46	11	33	38	239	337
		तारघर	-	-	-	14	323	337
		दूरभाष	1	22	19	35	260	337
2	राबर्टसगज	डाकघर	17	8	91	85	128	329
		तारघर	1	-	34	34	260	329
		दूरभाष	4	2	12	21	290	329
3	चतरा	डाकघर	11	12	9	45	91	168
		तारघर	1	3	3	8	153	168
		दूरभाष	2	3	3	8	152	168
4	नगवा	डाकघर	11	2	1	15	99	128
		तारघर	-	-	-	-	128	128
		दूरभाष	1	-	-	-	127	128
5	चोपन	डाकघर	21	9	10	11	48	91
		तारघर	1	-	2	1	87	91
		दूरभाष	-	-	-	-	91	91
6	म्योरपुर	डाकघर	22	-	10	14	74	120
		तारघर	5	-	1	8	106	120
		दूरभाष	-	-	-	7	105	120
7	दुहड़ी	डाकघर	16	4	21	17	40	98
		तारघर	-	-	13	12	73	98
		दूरभाष	2	-	12	5	79	98
8	बभनी	डाकघर	11	-	2	-	58	71
		तारघर	-	-	-	-	71	71
		दूरभाष	1	-	-	-	70	71
योग जनपद		डाकघर	125	46	177	225	769	1342
		तारघर	8	3	53	77	1201	1342
		दूरभाष	19	27	46	76	1174	1342

स्रोत सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद सोनभद्र, 1992, पृष्ठ 157, 158 व 159

तालिका 6 9  
सोनभद्र जनपद के गाँवों में उपलब्ध संचार सेवाएँ 1991-92

क्रमसंख्या	विकासखण्ड	सुविधाएँ	उपलब्ध सेवाओं वाले गाँवों का प्रतिशत					योग
			गाँव में उपलब्ध	1किमी0 से कम दूरी	1-3किमी0 की दूरी	3-5किमी0 की दूरी	5किमी0 से अधिक	
1	घोरावल	डाकघर	4 75	3 26	9 79	11 28	69 92	100
		तारघर	-	-	-	4 15	95 85	100
		दूरभाष	0 30	6 53	5 68	10 39	77 15	100
2	राबर्ट्सगंज	डाकघर	4 75	3 26	9 79	11 28	70 92	100
		तारघर	0 03	-	10 33	10 33	79 03	100
		दूरभाष	1 22	0 61	3 65	6 38	88 15	100
3	चतरा	डाकघर	6 55	7 14	5 36	26 79	54 17	100
		तारघर	0 60	1 79	1 79	4 76	91 07	100
		दूरभाष	1 19	1 79	1 79	4 76	90 48	100
4	नगवा	डाकघर	8 59	1 56	0 78	11 72	77 34	100
		तारघर	-	-	-	-	100 00	100
		दूरभाष	0 78	-	-	-	99 22	100
5	चोपन	डाकघर	23 08	9 89	10 99	12 09	52 75	100
		तारघर	1 10	-	2 20	1 10	95 60	100
		दूरभाष	-	-	-	-	100 00	100
6	म्योरपुर	डाकघर	18 33	-	8 33	11 67	61 67	100
		तारघर	4 17	-	0 83	6 67	88 33	100
		दूरभाष	6 67	-	-	5 83	87 50	100
7	दुब्डी	डाकघर	16 33	4 08	21 42	17 35	40 82	100
		तारघर	-	-	13 27	12 24	74 49	100
		दूरभाष	2 04	-	12 24	5 10	80 61	100
8	बभनी	डाकघर	15 49	-	2 82	-	81 69	100
		तारघर	-	-	-	-	100 00	100
		दूरभाष	1 41	-	-	-	98 59	100
योग सम्पूर्ण जनपद		डाकघर	9 31	3 42	13 19	16 77	57 30	100
		तारघर	0 60	0 22	3 95	5 74	89 49	100
		दूरभाष	1 42	2 01	3 42	5 66	87 48	100

स्रोत तालिका 6 8 से संगणित ।

## (ब) जनसंचार

इलेक्ट्रानिक तथा मुद्रण जनसंचार के प्रमुख माध्यम है । इलेक्ट्रानिक्स के अन्तर्गत रेडियो, दूरदर्शन तथा चलचित्र प्रमुख है । संगीत, मनोरजन, शिक्षा, समाचार, विज्ञापन, सवाद, सूचना आदि के प्रसारण के लिए रेडियो एक सशक्त माध्यम है । खेलों, स्वतन्त्रता दिवस, गणतन्त्र दिवस व अन्य प्रमुख घटनाओं के आँखों देखा हाल का प्रसारण रेडियो को और जीवन्त बना देता है । बम्बई और कलकत्ता के दो निजी स्वामित्व वाले ट्रांसमीटरों की सहायता से सर्वप्रथम 1927 में रेडियो प्रसारण प्रारम्भ हुआ । 1930 में सरकार ने इसे अपने हाथ में लेकर 'भारतीय प्रसारण सेवा' प्रारम्भ किया। 1936 में इसका नाम बदलकर 'आल इण्डिया रेडियो' रखा गया और 1957 के बाद से इसे 'आकाशवाणी' कहा जाता है । सोनभद्र जनपद के सम्पूर्ण भाग पर रेडियो प्रसारण पहुँचता है किन्तु इसका लाभ लगभग 20% परिवार ही ले पाते हैं गरीबी व अशिक्षा के कारण लोगों को रेडियो सेट उपलब्ध नहीं है ।

दूरदर्शन दृश्य - श्रव्य माध्यम है । दूरदर्शन से उपर्युक्त तथ्यों को न केवल सुना जाता है वरन् देखा भी जाता है । भारत में दूरदर्शन की शुरुवात सितम्बर 1959 में हुई जब एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में दिल्ली में दूरदर्शन केन्द्र खोला गया । अध्ययन क्षेत्र का सम्पूर्ण क्षेत्र दूरदर्शन प्रसारण के अन्तर्गत आता है किन्तु आर्थिक विपन्नता व विद्युतीकरण के अभाव के कारण कुछ सम्पन्न वर्ग ही इस सुविधा का उपयोग कर रहे हैं । ओबरा (विकासखण्ड चोपन) में हाल में ही दूरदर्शन स्टुडियो केन्द्र खोला गया है जिसे शीघ्र ही कार्यरूप (फक्शन) में आने की सम्भावना है ।

चलचित्र भी जनसंचार का सशक्त माध्यम है । इससे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक व धार्मिक समस्याओं तथा निदान के अभिप्रेरण हेतु उसका चित्रण लोगों तक पहुँचाया जाता है । जनपद में इस समय 5 चलचित्र घर (सिनेमाघर) चल रहे हैं । राबर्टसगंज ओबरा, रेनूकूट, अनपरा तथा रिहन्दनगर में एक - एक सिनेमाघर है । जनपद के 21 विकास केन्द्रों में कई विडियो हाल चल रहे हैं ।

जनसंचार का एक प्रमुख माध्यम मुद्रण भी है । जनपद में दैनिक जागरण, आज, जनमोर्चा, स्वतन्त्र भारत, नवभारत टाइम्स दैनिक समाचार पत्र प्राप्त किए जा सकते हैं।

जनपद मुख्यालय राबर्टसगंज तथा ओबरा, रेनूकूट, शक्तिनगर व रिहन्द नगर आदि प्रमुख औद्योगिक केन्द्रों में अंग्रेजी में छपने वाले दैनिक अखबार (हिन्दुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इण्डिया) भी एक दिन बाद प्राप्त किया जा सकता है। साक्षरता प्रतिशत कम होने के कारण इन अखबारों का उपयोग बहुत कम होता है। जनपद से किसी स्थानीय अखबार या पत्रिका का मुद्रण नहीं होता है। दैनिक जागरण में प्रतिदिन सोनभद्र समाचार छपता है।

## 6.9 संचार नियोजन

किसी भी क्षेत्र के विकास में संचार माध्यमों की प्रभावी भूमिका होती है। सर्वप्रथम जनपद में डाक सेवा को कार्यक्षम बनाने के लिए प्रत्येक बस्ती से 5 कि० मी० की दूरी के अन्दर डाकघर सेवा उपलब्ध करायी जानी चाहिए। सभी डाकघरों को पक्की सड़क से जोड़ना चाहिए। नदी - नालों पर पुल बनाकर डाक वितरण की समस्या को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। पहाड़ी भागों में डाक वितरण के लिए पोस्टमैन को कुछ अतिरिक्त सुविधा या पैसा प्रदान करना चाहिए। डाक वितरण प्रतिदिन हो, इसके लिए प्रत्येक ग्राम सभा में ग्राम प्रधान के पास एक उपस्थिति रजिस्टर होना चाहिए, जिस पर पोस्टमैन स्वयं आकर हस्ताक्षर करे और पत्र वितरण करे। प्रत्येक गाँव में एक पत्र पेटिका अवश्य लगानी चाहिए। प्रत्येक न्याय प्रचायत में कम - से - कम एक टेलीफोन केन्द्र अवश्य होना चाहिए। जनपद के सभी लोग दूरदर्शन की सुविधा को प्राप्त कर सकें, इसके लिए सर्वप्रथम प्रत्येक गाँव में विद्युत उपलब्ध करानी चाहिए, तत्पश्चात् सरकार की ओर से प्रत्येक ग्राम सभा में दो टेलीविजन सेट उपलब्ध कराना चाहिए।

समाचार पत्रों के मुद्रण के उद्देश्यों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अध्ययन क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में औद्योगीकरण तथा नगरीकरण के बावजूद आज भी वास्तविक सोनभद्र गाँवों में बसा है। लगभग 87% लोग गाँवों में रहते हैं तथा ऐसे लोगों का प्रतिशत भी काफी है जो नगरों में रहते हुए या काम करते हुए भी गाँवों से सम्पर्क बनाए रखते हैं। इसलिए पत्रकारिता के क्षेत्र में ग्रामीण रिपोर्टिंग का महत्व काफी है। लेकिन अखवारी क्षेत्रों में ग्रामीण रिपोर्टिंग को खास महत्व नहीं दिया जा रहा है। गाँवों के बारे में समाचार देने की दिखावटी प्रशंसा भले ही की जाती है और कुछ पत्रकार नियमित रूप से समाचार लेने के लिए गाँवों में जाते भी हैं किन्तु सामान्य तौर पर पत्रकारिता की प्राथमिकताओं की सूची में

ग्रामीण रिपोर्टिंग का स्थान बहुत नीचे है । चुनाव, किसान रैलियों तथा अन्य राजनीतिक समाचारों को ही अधिक महत्व मिलता है । इन राजनीतिक समाचारों की भी अच्छी रिपोर्टिंग के लिए पत्रकारों का नियमित रूप से गाँवों में जाना अनिवार्य है । पत्रकारों का ग्रामीण रिपोर्टिंग का मुख्य उद्देश्य गाँवों के लोगों, विशेषकर वहाँ के कमजोर वर्गों की वास्तविक सामाजिक आर्थिक समस्याओं की ओर ध्यान दिलाना तथा उन उपायों का मूल्यांकन करना होना चाहिए जो इन समस्याओं को हल करने और कमजोर वर्गों की सामाजिक, आर्थिक दशा सुधारने के लिये किये जा रहे हैं ।

संचार आयोजना के लिए जरूरी है कि हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत, विशिष्टता और प्रभुसत्ता का भान सदैव रहना चाहिए । इसमें आधुनिकीकरण और सामाजिक परिवर्तन को ग्रहण करने के साथ - साथ परम्परा की निरन्तरता को जीवन्त बनाए रखना चाहिए । प्रेस की वास्तविक शक्ति जिला या मण्डल स्तर पर उस क्षेत्र की भाषा में प्रकाशित होने वाले पत्र-पत्रिकाओं के विकास में निहित है । रेडियो, दूरदर्शन और फिल्म के विपरीत प्रेस जैसे माध्यम को स्थापित होने में कुछ समय लगेगा क्योंकि आधारभूत ढाँचे का विस्तार ही इसके विकास के लिए आवश्यक नहीं है । इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है, प्रकाशित सामग्री को पढ़ने के लिए क्षमता और रूचि का विकास करना । प्रेस के लिए यह आवश्यक है कि हमारी स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समुचित विकास हेतु साक्षरता के आधार को व्यापक बनाया जाए । केरल के मलयालम प्रेस से यह साबित होता है कि साक्षरता के कारण ही पत्र - पत्रिकाओं की प्रसार संख्या में वृद्धि होती है । जनसम्पर्क माध्यम और सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी प्रासंगिक और लचीली, गैर विशिष्ट वर्गीय और सहभागिता के दृष्टिकोण वाली होनी चाहिए । पिछड़े क्षेत्र के लोगों को सहभागी लोकतन्त्र के लिए सक्षम बनाने तथा विकासोन्मुखी समाज की शुरुआत करने के लिए संचार नियोजन और जनसम्पर्क माध्यमों की नीति को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।



## सन्दर्भ

- 1 कुरैशी, एम0एच0 भारत का भूगोल, ससाधन तथा प्रादेशिक विकास, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, 1978, पृ0 100
- 2 मिश्र, एस0के0 व पुरी, वी0के0 भारतीय अर्थव्यवस्था, 1991, पृष्ठ 867
- 3 कुरैशी, एम0एच0. भारत ससाधन और प्रादेशिक विकास राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एव प्रशिक्षण परिषद्, 1990, पृष्ठ 102
- 4 वही, पृष्ठ 101
- 5 सिंह, जगदीश परिवहन तथा व्यापार भूगोल, 1977, पृष्ठ 4
- 6 वही, पृष्ठ 38
- 7 Thomas, R L 'Transportation and Development of Malaya', A A A G Vol 65, No 2, P 67
- 8 Qureshi, M H India Resources and Regional Development, N C E R T , New Delhi, 1990, p 67
- 9 Op cit , fn 3 p 66
10. Singh, J Parivahan and Vyapar Bhoogol, Uttar Pradesh Hindi Sansthan, Lucknow, 1977, p 48
11. Prasad, U River Transport in U P Unpublished Ph D Thesis, Geography Deptt B H U , Varanasi, 1943, cited in Environmental Planning Resources and Development by R K Pathak, Chugh Publication, Allahabad, 1990, p 181.
- 12 Op cit , fn 10, 149
13. Babu, R Micro-level Planning - A case study of Chhibramau Tahsil, Unpublished Ph D Thesis, Geography Deptt , Allahabad University, 1981, p 244
14. Ibid, p 245
15. Ibid p
16. गिल0के0यस0 भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली पृष्ठ 204
17. Parakh, Bhalchandra Sadashive India Economic Geography, N C E R T., New Delhi, P 151

XXXXXXXXXXXXXXXX

## अध्याय 7

### सामाजिक सुविधाओं की पृष्ठभूमि एवं विकास - नियोजन

आर्थिक विनियोग के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिससे तत्काल व प्रत्यक्ष लाभ दृष्टिगत होता है तथा कुछ क्षेत्रों में विनियोग से अप्रत्यक्ष लाभ मिलता है। यह अप्रत्यक्ष विनियोग विकास का आधार स्तम्भ है तथा विकास की दीर्घकालीन रणनीति इन्हीं विनियोगों पर आश्रित होती है। अप्रत्यक्ष व अनुत्पादक विनियोगों में शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मनोरंजन जैसे सामाजिक सुविधाएँ प्रमुख हैं। किन्तु ये क्षेत्र मनुष्य की कार्यकुशलता की वृद्धि में अभिप्रेरण होने के कारण इस तरह का विनियोग महत्वपूर्ण तथा उत्पादक विनियोग के अन्तर्गत गिना जाने लगा है।<sup>1</sup> इन सामाजिक सुविधाओं को विकास का सूचक माना गया है। इसलिए सामाजिक सुविधाओं के नियोजन को सम्पूर्ण विकास के नियोजन का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। मानव के सांस्कृतिक एवं भौतिक विकास प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा एवं स्वास्थ्य से सम्बन्धित सुविधाओं से प्रभावित होता रहता है। इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए संविधान निर्माताओं ने शिक्षा एवं स्वास्थ्य से सम्बन्धित तथ्यों को मौलिक अधिकारों एवं राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत समाहित किया है।<sup>2</sup> जिसकी प्राप्ति हेतु सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना में सशोधित न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम को अपनाने पर बल दिया है।<sup>3</sup>

'भोजन, कपड़ा और मकान' के बाद मनुष्य की आवश्यक आवश्यकताओं में शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रमुख स्थान है। उत्तम स्वास्थ्य व शिक्षा से ससाधनों का अधिकांशतम उपयोग किया जा सकता है, सीमित ससाधनों को विकसित किया जा सकता है तथा नये ससाधनों को खोजा जा सकता है। अतः प्रस्तुत अध्याय में इन्हीं दो तथ्यों (शिक्षा एवं स्वास्थ्य) को नियोजन हेतु प्रस्तुत किया गया है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य के नियोजन हेतु जनपद में उसके वर्तमान प्रतिरूप का योजना आयोग के लक्ष्यों से सहसम्बन्धित कर विश्लेषित किया गया है।

## 7 । शिक्षा

शिक्षा वह सम्बल है, जिसके सहयोग से मानव विकास प्रक्रिया में अपनी सही भूमिका का चयन और निर्वहन करता है तथा समाज व राष्ट्र के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर 'सत्यं, शिव और सुन्दरम्' के महान आदर्श की स्थापना में सहभागी बनता है। शिक्षा को देश की विकास प्रक्रिया का अभिन्न अंग होने के कारण, आयोजन की प्राथमिकताओं

मे उच्च प्राथमिकता दी गयी है।<sup>4</sup> अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए आवश्यक नवीन आर्थिक क्रियाओं में आधुनिक विधियों तथा तकनीकी का प्रयोग शिक्षा के माध्यम से ही संभव है।<sup>5</sup> शिक्षा एक महत्वपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया है, जो समाज को बनाए रखने तथा उसके विकास के लिए अति आवश्यक है। देश में ग्रामीण क्षेत्र की अधिकांश जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है, जिसका प्रमुख कारण अशिक्षा है।<sup>6</sup> शिक्षा के नियोजन के लिए कृषि, उद्योग एवं अन्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। किसी क्षेत्र के विकास हेतु नियोजन के लिए, स्थानीय शिक्षा का स्तर एवं आवश्यकता, छात्र-शिक्षक अनुपात, विभिन्न स्तर के शिक्षण संस्थाओं की स्थिति तथा प्रौढ शिक्षा प्रसार व निरक्षरता उन्मूलन पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। प्रस्तुत अध्ययन में भी इन तथ्यों को लेकर विश्लेषण किया गया है।

## 7.2 साक्षरता


न्यूनतम शैक्षिक निपुणता को साक्षरता कहते हैं। साक्षरता के आधार एवं परिभाषा भिन्न-भिन्न देशों में भिन्न-भिन्न अपनायी गयी है किन्तु सर्वत्र निम्न दो तथ्यों में से किसी न किसी को अवश्य स्वीकार किया गया है। इनमें से प्रथम है - विद्यालयी शिक्षा अवधि तथा द्वितीय - किसी भी प्रचलित भाषा में समझ के साथ पढ़ने व लिखने की योग्यता। 'संयुक्त राष्ट्र संघ जनसंख्या आयोग' ने किसी भी भाषा में साधारण संदेश को समझ के साथ पढ़ने और लिखने की योग्यता को साक्षरता निर्धारण का आधार माना है।<sup>7</sup> भारतीय जनगणना में लगभग इसी परिभाषा के स्वीकारोक्ति के साथ कहा गया है कि वह व्यक्ति जो किसी भाषा में समझ के साथ लिख और पढ़ सकता है, साक्षर है। वह व्यक्ति जो केवल पढ़ सकता है लेकिन लिख नहीं सकता साक्षर नहीं है। साक्षर होने के लिए आवश्यक नहीं है कि सम्बन्धित व्यक्ति ने औपचारिक रूप से शिक्षा प्राप्त की है या निम्नतम स्तर की कोई परीक्षा उत्तीर्ण की है। 1981 की जनगणना की परिभाषा के अनुसार 0-4 आयु समूह के बच्चों को निरक्षर माना गया था। किन्तु 1991 की जनगणना के अनुसार 0-6 आयु समूह के बच्चों को निरक्षर माना गया है।

सम्पूर्ण सोनभद्र का साक्षरता प्रतिशत 1991 की जनगणना के अनुसार 34.40% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता 47.56% तथा महिलाओं की साक्षरता मात्र 18.65% है। उत्तर

तालिका 7 ।  
जनपद सोनभद्र में साक्षर व्यक्ति व साक्षरता प्रतिशत

वर्ष/जनपद/ विकास खण्ड	साक्षर व्यक्ति			साक्षरता प्रतिशत		
	पुरुष	स्त्री	योग	पुरुष	स्त्री	योग
1971	239734	59104	298838	29 60	8 08	19 39
1981	120919	39534	160453	29 13	10 90	20 62
1991	218171	71458	289629	47 56	18 65	34 40
<b>विकासखण्ड वार 1991</b>						
1	25093	5849	30942	38 69	10 28	25 42
2	26296	6637	32933	45 40	13 09	30 32
3	13602	3062	16664	47 91	12 08	31 04
4	6802	1137	7939	29 55	5 56	18 27
5	21938	4771	26709	31 47	8 07	20 73
6	44697	16232	60929	54 07	25 01	41 29
7	14256	2789	17045	36 05	8 02	22 94
8	7381	1129	8510	31 66	5 42	19 28
वनग्राम	308	55	363	46 06	9 68	29 34
ग्रामीण योग	160373	41661	202034	41 12	12 49	27 92
नगरीय योग	57798	29797	87595	84 08	60 20	74 08
सम्पूर्ण जनपद योग	218171	71458	289629	47 56	18 65	34 40

स्रोत सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद सोनभद्र 1992, पृष्ठ 41  
1971 व 1981 की सूचना पूर्व भीरजापुर जनपद की है ।



# DEVELOPMENT BLOCKWISE LITERACY OF DISTRICT SONBHADRA . 1991




Fig 7 2

प्रदेश में 41.71% तथा भारत में 52.11% लोग साक्षर हैं। दोनों से तुलना करने पर सोनभद्र का साक्षरता प्रतिशत बहुत ही कम है। भारत में पुरुषों की साक्षरता 63.86% तथा महिलाओं की साक्षरता 39.42% है, जबकि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत 26.02% है। इसकी तुलना में सोनभद्र के पुरुषों व स्त्रियों की साक्षरता प्रतिशत अल्प है।

अध्ययन क्षेत्र की ग्रामीण साक्षरता 27.92% ही है, इसमें महिलाओं की साक्षरता मात्र 12.49% है। नगरीय साक्षरता 74.08% है जिसमें पुरुषों की साक्षरता 84.08% तथा स्त्रियों की साक्षरता 60.20% है। सोनभद्र जनपद में सर्वाधिक साक्षरता विकास खण्ड म्योरपुर (41.29%) की है तथा सबसे कम साक्षरता नगवा विकास खण्ड (18.27%) की है। इसके अतिरिक्त बभनी, चोपन, दुद्धी, घोरावल, राबर्टसगंज व चतरा विकास खण्डों में साक्षरता प्रतिशत क्रमशः 19.28, 20.73, 22.94, 25.42, 30.32, तथा 31.04 है (तालिका 7.1 व मानचित्र 7.1)।

### 7.3 औपचारिक शिक्षा का प्रतिरूप

औपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत केवल स्कूली शिक्षा को सम्मिलित किया जाता है। इसके अन्तर्गत स्कूल के बाहर दी जाने वाली शिक्षा पद्धति नहीं आती है। इसमें प्रौढ शिक्षा, स्त्री शिक्षा, घरेलू प्रशिक्षण, आश्रम शिक्षा तथा स्वयं सेवी सस्थाओं द्वारा दी जाने वाली आदि को समाहित नहीं किया गया है। औपचारिक शिक्षा में जूनियर बेसिक स्कूल, सीनियर बेसिक स्कूल, हायर सेकेन्ड्री विद्यालय तथा महाविद्यालय आदि का वर्णन किया गया है।

#### (अ) जूनियर बेसिक विद्यालय

देश-प्रदेश के जन-मानस में शैक्षिक प्रचार-प्रसार की दृष्टि से प्राथमिक शिक्षा, जगत की मूल श्रृंखला एवं आधारशिला है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में इसे सर्वाधिक वरीयता प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। प्राथमिक शिक्षा के स्तर में प्रत्याशित अभिवृद्धि सुधार, परिवर्द्धन के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु विविध प्रयास किये जा रहे हैं, जिसका एक अंश शिक्षा नीति में परिवर्तन भी है।<sup>8</sup> सम्पूर्ण सोनभद्र जनपद में जूनियर बेसिक विद्यालयों की

संख्या 1991-92 में 715 थी, जिसमें से 658 ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 57 नगरीय क्षेत्रों में है। विकास खण्ड स्तर पर जूनियर बेसिक स्कूलों की सर्वाधिक संख्या चोपन ब्लॉक में 114 (15.95%) है तथा सबसे कम नगवा में 52 (7.27%) है (तालिका 7.2)। आरोही क्रम में जूनियर बेसिक विद्यालयों की संख्या इस प्रकार है - विकास खण्ड नगवा 52 (7.27%), चतरा - 53 (7.41%), बभनी 59 (8.25%), दुद्धी 69 (9.65%), राबर्टसगंज 100 (13.98%), घोरावल 102 (14.26%), म्योरपुर 109 (15.24%), तथा चोपन में 114 (15.94%) है (तालिका 7.2)। प्रति लाख जनसंख्या पर जनपद में जूनियर बेसिक विद्यालयों की औसत संख्या 1991-92 में 70.8 थी। जनपद के तीन विकास खण्डों में औसत से कम तथा पांच विकास खण्डों (राबर्टसगंज, चतरा, नगवा, दुद्धी व बभनी) में औसत से अधिक संख्या है (तालिका 7.2)।

जनपद के सभी जूनियर बेसिक विद्यालयों में 1991-92 में 99776 छात्र पंजीकृत हैं इनमें से 84886 ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में शेष 14890 नगरीय क्षेत्रों के विद्यालयों में पंजीकृत हैं। कुल छात्रों में 57732 बालक तथा 42044 बालिकाएँ हैं। इनमें अनुसूचित जाति एवं जनजात के बालक व बालिकाओं का प्रतिशत क्रमशः 34.03 व 19.21 है, जो तालिका 7.2 से स्पष्ट है। छात्रों की सर्वाधिक संख्या विकास खण्ड राबर्टसगंज (15225) में है। द्वितीय स्थान घोरावल का है, जबकि सबसे कम नगवा विकास खण्ड में छात्र हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बालक एवं बालिकाओं की सबसे अधिक संख्या क्रमशः विकास खण्ड म्योरपुर (17.32%) व चोपन (16.49%) में है।

कुल छात्रों तथा बालक-बालिकाओं की संख्या के साथ अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बालक व बालिकाओं की अलग-अलग संख्या व प्रतिशत को प्रस्तुत किया गया है। साथ ही साथ इसका विवरण नगरीय व ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में दिया गया है। नगरों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों का अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में कम है। इससे स्पष्ट है कि विकास के सूचक नगरीय क्षेत्रों में ये बहुत कम उन्मुख हुए हैं। एक उल्लेखनीय तथ्य यह है कि बालक व बालिकाओं के ग्रामीण व नगरीय अनुपात में बहुत कम अन्तर है। ग्रामीण क्षेत्र में यह अन्तर 1.37% का तथा नगरीय क्षेत्रों में भी 1.37% का अन्तर है। जनपद में छात्र - स्कूल अनुपात जहाँ 139.5 है वहीं राज्य में यह अनुपात 167 है। छात्र-विद्यालय अनुपात तालिका 7.3 में प्रदर्शित किया गया है।



## तालिका 7 2

## जनपद सोनभद्र का शैक्षिक विवरण

विकासखण्ड	जनसंख्या	अनुसूचित जाति	साक्षर	प्रति लाख	प्रति लाख	प्रति लाख	जूनोरेक्यूड की संख्या	सी०ने०रेक्यूड की संख्या	हा०रे०रेक्यूड की संख्या	हा०रे०रेक्यूड की संख्या	हा०रे०रेक्यूड की संख्या	
	घनत्व प्रति वर्ग कि०मी०	एव जनजाति का जन० मे	व्यक्तियों का कुल जन०मे	जन०पर	जन०पर	जन०पर	जूनोरेक्यूड 91-92	91-92	91-92	1991-92		
	1991	प्रतिशत 1991	प्रति० 1991	की संख्या 1991-92	की संख्या 1991-92	की संख्या 1991-92						
1	घोरवल	190	44 0	25 42	65 4	9 0	1 3	102	14 26	14	14 58	2
2	राबर्ट्सगंज	312	31 6	30 32	72 5	6 5	0 7	100	13 98	9	9 37	1
3	चतरा	265	36 5	31 04	78 6	5 9	3 0	53	7 41	4	4 16	2
4	नगवा	59	53 5	18 27	95 4	9 2	-	52	7 27	5	5 20	-
5	चोपन	97	58 0	20 73	68 4	9 6	0 6	114	15 94	16	16 66	1
6	म्योरपुर	144	43 1	41 29	56 6	8 3	1 0	109	15 24	16	16 66	2
7	दुखी	136	57 4	22 94	71 5	12 4	1 0	69	9 65	12	12 50	1
8	बभनी	95	65 3	19 28	102 4	5 4	1 7	59	8 25	3	3 12	1
-----												
सम्पूर्ण विकास खण्ड	137	47 31	27 92	70 8	8 5	1 1	658	92 02	79	82 29	10	
-----												
नगरीय	7035	11 93	74 08	39 56	11 8	13 88	57	7 97	17	17 70	20	
-----												
सम्पूर्ण योग-	158	42 5	34 4	66 50	8 92	279	715	100 00	96	100 00	30	

स्रोत सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद सोनभद्र, 1992, से सम्पादित ।

## तालिका 7 3

जूनियर बेसिक विद्यालय के छात्रों शिक्षकों व विद्यालयों का अनुपात वर्ष 1991

विकासखण्ड	सम्पूर्ण छात्रों संख्या	सम्पूर्ण विद्यालयों की संख्या	प्रति विद्यालय छात्रों का औसत	सम्पूर्ण शिक्षकों की संख्या	प्रति शिक्षक छात्रों की संख्या
1 घोरावल	14124	102	138 47	164	86 12
2 राबर्ट्सगंज	15225	100	152 25	178	85 53
3 चतरा	7008	53	132 23	76	92 21
4 नगवा	7713	52	148 32	55	140 23
5 चौपन	13761	114	120 71	143	96.23
6 म्योरपुर	11940	109	109 54	93	128 38
7 दुब्डी	8479	69	122 88	92	92.16
8 बभनी	6646	59	112 64	42	158 23
योग	84886	658	129 00	843	100 70
नगरीय योग	14890	57	261 22	250	59.56
सम्पूर्ण योग	99776	715	139 54	1093	91.28

स्रोत सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद सोनभद्र, 1992, पृ0 90,92 एव 96 से संगणित ।

तालिका 7<sup>4</sup>  
 जूनियर बेसिक विद्यालय से बस्तिर्गों की दूरी वर्ष 1991-92

विकासखण्ड/ जनपद	ग्राम से	1किमी० से कम	1-3 किमी०	3-5 किमी०	5किमी०	योग	योग का %
1 घोरावल	94	59	145	27	12	337	25 12
2 राबर्ट्सगंज	89	152	76	-	12	329	24 52
3 चतरा	53	73	41	1	-	168	12 52
4 नगवा	51	10	9	20	38	128	9 53
5 चौपन	88	-	2	1	-	91	6.78
6 न्योरपुर	109	-	3	2	6	120	8 94
7 दुब्डी	69	-	22	6	1	98	7 30
8 बभनी	59	-	3	5	4	71	5 29
योग जनपद	612	294	301	62	73	1342	100
	(45 60%)	(21 9%)	(22 42%)	(4 61%)	(5 44%)	(100%)	

स्रोत सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद सोनभद्र, 1992, पृष्ठ 146, एवं संगणित ।

इसके अन्तर्गत प्रति विद्यालय विद्यार्थियों की संख्या वर्णित है। सम्पूर्ण जनपद में प्रति विद्यालय जूनियर बेसिक विद्यार्थियों की संख्या का औसत 139 54 है। ग्रामीण व नगरीय विद्यालयों में असमानता बहुत अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों का औसत जहाँ 129 विद्यार्थियों का है वहीं नगरीय क्षेत्र का औसत 261 22 विद्यार्थियों का है। जनपद के समस्त विकास खण्डों में प्रति विद्यालय छात्रों की अधिकतम संख्या विकास खण्ड राबर्ट्सगंज (152 25) में है। इसके बाद अवरोही क्रम में क्रमशः नगवा (148 32), घोरावल (138 47), चतरा (132 23), दुहड़ी (122 88), चोपन (120 71), तथा बभनी (112 64) का स्थान आता है (तालिका 7 4)।

जूनियर बेसिक विद्यालय में प्रति शिक्षक छात्रों की संख्या तालिका 7 3 में प्रदर्शित किया गया है। सम्पूर्ण जनपद में प्रति शिक्षक छात्रों का औसत 91 28 है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह अनुपात 1 100 70 का तथा शहरी क्षेत्रों में 1 59 56 का है। प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या 158 23 विकास खण्ड बभनी में है। इसके बाद अवरोही क्रम में क्रमशः नगवा (140 23), म्योरपुर (128 38), चोपन (96 23), चतरा (92 21), दुहड़ी (92 16), घोरावल (86 12), तथा राबर्ट्सगंज (85 53) का स्थान आता है।

जूनियर बेसिक विद्यालय की दूरी एवं गाँवों की संख्या को तालिका 7 4 में प्रदर्शित किया गया है। विद्यालय से 1 किमी० की दूरी तक जनपद के 294 (21 90%) गाँव आते हैं। जबकि 612 गाँवों में विद्यालय है अर्थात् सम्पूर्ण गाँवों का 45 60% विद्यालय से युक्त है। 1-3 किमी० की दूरी पर 301 (22 42%) गाँव आते हैं, 3-5 किमी० की दूरी पर 62 (4 61%), गाँव तथा 5 किमी० से अधिक दूरी पर 73 (5 44%) गाँव हैं।

#### (ब) सीनियर बेसिक विद्यालय

सन् 1991-92 में जनपद में कुल 96 सीनियर बेसिक विद्यालय थे (तालिका 7 6)। इन विद्यालयों में कुल पजीकृत विद्यार्थियों की संख्या 22181 थी जिसमें से 19206 (86 59%) ग्रामीण विद्यालयों में व 2975 (13 41%), विद्यार्थी नगरीय विद्यालयों में पजीकृत थे। सम्पूर्ण विद्यार्थियों में बालकों की संख्या 15700 (70 78%) तथा बालिकाओं की संख्या 6481 (29 22%) थी। सम्पूर्ण विद्यार्थियों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कुल विद्यार्थियों

## तालिका 7 5

सीनियर बेसिक विद्यालय में छात्र-छात्राओं तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र-छात्राओं की संख्या वर्ष (1991-92)

विकास खण्ड	सम्पूर्ण विद्यार्थी	छात्रों की संख्या	छात्राओं की संख्या	अनुसूचित एवं जनजाति के छात्रों की संख्या	अनुसूचित एवं जनजाति के छात्राओं की संख्या	
1	घोरावल	3193	2295	898	834	130
2	राबर्ट्सगंज	3803	2932	871	1366	185
3	चतरा	1712	1236	476	371	218
4	नगावा	1258	878	380	347	74
5	चोपन	3262	2075	1187	1086	183
6	म्योरपुर	3558	2593	965	1253	186
7	दुब्डी	1456	984	472	593	123
8	बभनी	964	682	282	235	53
-----						
योग ग्रामीण	19206	13675	5531	6085	1151	
योग नगरीय	2975	2025	950	614	95	
-----						
योग जनपद	22181	15700	6481	6699	1246	

स्रोत सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद सोनभद्र, 1992, पृष्ठ 93, एवं संगणित ।

## तालिका 7 6

सीनियर बेसिक विद्यालय में छात्रों विद्यालयों तथा शिक्षकों का अनुपात वर्ष 1991-92

विकासखण्ड	कुल छात्र	शिक्षकों की संख्या	प्रति शिक्षक छात्रों की संख्या	विद्यालयों की संख्या	प्रति विद्यालय छात्रों की संख्या	प्रति विद्यालय शिक्षकों की संख्या	
1	घोरावल	3193	28	114 04	14	228 07	2 00
2	रार्बर्टसगंज	3803	38	100 08	9	422 56	4.22
3	चतरा	1712	38	45 05	4	428 00	9 50
4	नगवा	1258	14	89 86	5	251 60	2 80
5	चोपन	3262	33	98 85	16	203 88	2 54
6	न्योरपुर	3558	32	111 18	16	222 38	2 00
7	दुखी	1456	28	52 00	12	121 33	2 33
8	बंशनी	964	6	160 67	3	321 33	2 00
-----							
ग्रामीण योग	19206	217	88 51	79	243 11	2 74	
नगरीय योग	2975	65	45 76	17	175 00	3 82	
-----							
सम्पूर्ण जनपद	22181	282	78 66	96	231.05	2.93	

स्रोत सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद सोनभद्र, 1992, पृष्ठ 90, 93, 96 एवं उससे सगणित ।

की संख्या 7944 (35.81%) थी, जिसमें छात्रों की संख्या 6699 तथा छात्राओं की संख्या 1246 थी (तालिका 7.5)। सम्पूर्ण विद्यार्थियों, छात्र-छात्राओं तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र छात्राओं की संख्या तालिका 7.5 में दी गयी है।

जनपद में सीनियर बेसिक विद्यालयों का वितरण असमान है। 73% विद्यालय विकासखण्ड घोरावल, चोपन, म्योरपुर तथा दुद्धी में है, तथा शेष चार विकास खण्डों में मात्र 27% विद्यालय है। जनपद में प्रति विद्यालय विद्यार्थियों की संख्या लगभग 231 है जबकि राज्य में यह अनुपात 166 विद्यार्थियों का है। जनपद में कुल शिक्षकों की संख्या 282 है। जिसमें से 217 शिक्षक ग्रामीण विद्यालयों में तथा 65 नगरीय विद्यालयों में है। जनपद में प्रति शिक्षक छात्रों का औसत लगभग 79 है, जबकि राज्य में यह औसत 31 विद्यार्थियों का है। राज्य की तुलना में जनपद के शिक्षक 255% अधिक विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। प्रति शिक्षक छात्रों की संख्या को तालिका 7.6 में दर्शाया गया है। विकास खण्ड बभनी के प्रत्येक शिक्षक को 161 विद्यार्थी तथा चतरा के प्रत्येक शिक्षक को 45 विद्यार्थी को पढ़ाना पड़ता है। अतः इस तथ्य से भी क्षेत्रीय विषमता आभाषित होती है। जनपद में प्रति विद्यालय शिक्षकों की संख्या लगभग 3 है जबकि राज्य में यह स्थिति लगभग 6 से भी अधिक है। अतः राज्य की तुलना में प्रति विद्यालय शिक्षकों की संख्या लगभग आधी है।

सामान्यतः कोई भी सीनियर बेसिक विद्यालय किसी भी गाँव से 5 किमी० से अधिक दूर नहीं होना चाहिए। जनपद के सन्दर्भ में अभिगम्यता ठीक नहीं है, 76.75% (1030) बस्तियाँ 5 किमी० से अधिक दूरी पर हैं। 21.24% (285) बस्तियाँ 1 से 5 किमी० की दूरी पर हैं तथा 27 बस्तियाँ ही 1 किमी० से कम दूरी पर हैं।

#### (स) हायर सेकेन्ड्री विद्यालय

हायर सेकेन्ड्री विद्यालय के अन्तर्गत हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट दोनों प्रकार के विद्यालयों को सम्मिलित किया गया है। 1991-92 में कुल हायर सेकेन्ड्री विद्यालयों की संख्या 30 थी इसमें से 20 विद्यालय नगरीय क्षेत्रों में तथा 10 विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित हैं। विकासखण्ड घोरावल में घोरावल, शहगंज, लोहाडी, घनावल व कपुरा में हायर सेकेन्ड्री विद्यालयों

की संख्या 5 है। राबर्ट्सगंज, चुरक, गुरमा व परासी में एक-एक, चतरा में रामगढ़ व सिलथम में, चोपन में चोपन, ओबरा, डाला व कोन में, म्योरपुर में रेनूकूट, बीजपुर, पीपरी, अनपरा व शक्तिनगर में, दुद्धी में दुद्धी व विण्डमगंज में तथा बभनी में चपकी में हायर सेकेन्ड्री विद्यालय अवस्थित है। उल्लेखनीय है कि विकास खण्ड नगवा में एक भी हायर सेकेन्ड्री विद्यालय नहीं है। जनपद के अधिकांश हायर सेकेन्ड्री विद्यालय औद्योगिक केन्द्रों पर अवस्थित हैं। इन विद्यालयों में पजीकृत विद्यार्थियों की संख्या 26997 है। इनमें से छात्रों की संख्या 4155 (15.39%) है। सम्पूर्ण विद्यार्थियों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों की संख्या 4644 (17.20%) है। इनमें से बालिकाओं की संख्या 1084 तथा बालकों की संख्या 3560 (तालिका 7.7) है। विकास खण्डवार बालकों एवं बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बालकों एवं बालिकाओं का विवरण तालिका 7.7 में प्रदर्शित है।

जनपद में सम्पूर्ण शिक्षकों की संख्या 726 है, इनमें से 196 शिक्षक ग्रामीण विद्यालयों में तथा 530 शिक्षक नगरीय विद्यालयों में कार्यरत हैं। सोनभद्र में प्रति शिक्षक छात्रों की संख्या लगभग 37 है जबकि राज्य का प्रति शिक्षक छात्रों का औसत 35 है। अतः राज्य की तुलना में जनपद के शिक्षकों को अधिक विद्यार्थियों को पढ़ाना पड़ता है। विकास खण्डवार यह असमानता और भी अधिक है जिसे 7.8 में देखा जा सकता है। जनपद में सम्पूर्ण विद्यालयों की संख्या 30 है। प्रति विद्यालय छात्रों की संख्या लगभग 900 है, जबकि उत्तर प्रदेश में यह औसत लगभग 769 विद्यार्थियों का है। अतः राज्य की तुलना में जनपद सोनभद्र के विद्यालयों में लगभग 16% अधिक विद्यार्थी हैं। राबर्ट्सगंज, चोपन व दुद्धी के विद्यालय में छात्रों की संख्या और अधिक है।

सोनभद्र में प्रति विद्यालय शिक्षकों की संख्या लगभग 24 है। उत्तर प्रदेश में प्रति विद्यालय शिक्षकों की संख्या लगभग 22 है। जनपद के औसत से विकास खण्ड चोपन राबर्ट्सगंज व नगरीय विद्यालयों में प्रति विद्यालय शिक्षकों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है (तालिका 7.8)। सामान्यतः हायर सेकेन्ड्री विद्यालय किसी भी बस्ती से 8 किमी० से अधिक दूर नहीं होना चाहिए। जनपद के 10 बस्तियों में हायर सेकेन्ड्री विद्यालय है। 1 किमी० से कम दूरी पर 1.42%, 1-3 किमी० की दूरी पर 5.07%, 3-5 किमी० की दूरी पर 5.51%



## तालिका 7.7

हायर सेकेन्द्री विद्यालय के छात्र-छात्राओं तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र-छात्राओं की संख्या- 1991-92

विकासखण्ड	सम्पूर्ण विद्यार्थी	छात्रों की संख्या	छात्राओं की संख्या	अनुसूचित एवं जनजाति के छात्रों की संख्या	अनुसूचित एवं जनजाति के छात्राओं की संख्या	
1	घोरावल	973	895	78	248	35
2	राबर्टसगंज	1412	997	415	250	76
3	चतरा	1354	1315	39	110	18
4	नगवा	-	-	-	-	-
5	चोपन	2571	2162	409	260	97
6	म्पोरपुर	1314	932	382	209	68
7	दुन्डी	1081	735	346	245	56
8	बभनी	546	498	48	95	38
-----						
योग	ग्रामीण	9251	7534	1717	1417	388
योग	नगरीय	17746	15308	2438	2143	696
-----						
जनपद	योग	26997	22842	4155	3560	1084
-----						

स्रोत सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद सोनभद्र, 1992, पृष्ठ 94, एवं समणित ।


## तालिका 7 8

हायर सेकेंड्री विद्यालय में छात्रों, विद्यालयों तथा शिक्षकों का अनुपात 1991-92

विकासखण्ड	सम्पूर्ण छात्रों की संख्या	सम्पूर्ण शिक्षकों की संख्या	प्रतिशिक्षक छात्रों की संख्या	सम्पूर्ण विद्यालयों की संख्या	प्रति स्कूल छात्रों की संख्या	प्रति विद्यालय शिक्षकों की संख्या
1 घोरावल	973	42	23 17	2	486 5	21
2 राबर्टसगंज	2412	36	39 22	1	1412	36
3 चतरा	1354	26	52 08	2	677	13
4 नगवा	-	-	-	-	-	-
5 चोपन	2571	32	80 34	1	2571	32
6 म्योरपुर	1314	32	41 06	2	657	16
7 दुहडी	1081	16	67 56	1	1081	16
8 बभनी	546	12	45 50	1	546	12
योग ग्रामीण	9251	196	47 20	10	925 1	19 6
योग नगरीय	17746	530	33 48	20	887 3	26 5
जनपद योग	26997	726	37 19	30	899.9	24 2

स्रोत सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद सोनभद्र, पृष्ठ 91, 94, 96 एवं संगणित ।

DISTRICT SONBHADRA  
EDUCATIONAL FACILITIES  
1991-92



- PRIMARY SCHOOL
- ⊖ SENIOR BASIC SCHOOL
- ⊕ HIGHER SECONDARY SCHOOL
- DEGREE COLLEGE

FIG 73

तथा 5 किमी० से अधिक दूरी पर 87.26% बस्तियाँ हैं। 87.26% बस्तियों के छात्रों को 5 किमी० से अधिक दूरी पर ही हायर सेकेन्ड्री विद्यालय उपलब्ध है।

#### (द) उच्च शिक्षा केन्द्र

उच्च शिक्षा से सम्बन्धित जनपद में 2 महाविद्यालय ओबरा व दुहड़ी में हैं। इन दोनों महाविद्यालयों में स्नातक स्तर तक शिक्षा प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त जनपद में न तो तकनीकी विद्यालय है न ही प्रशिक्षण संस्थान है। उपर्युक्त दोनों महाविद्यालयों में 1991-92 में पंजीकृत सम्पूर्ण विद्यार्थियों की संख्या 3050 थी, जिसमें से 86.4% (2635) बालक व 13.6% (415) बालिकाएँ थीं। सम्पूर्ण विद्यार्थियों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों की संख्या 24.06% (734) थी। इनमें से बालकों की संख्या 708 तथा बालिकाओं की संख्या 26 थी। दोनों महाविद्यालयों में कुल शिक्षकों की संख्या 41 है जिनमें से 4 शिक्षिकाएँ हैं (सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद सोनभद्र 1992, पृष्ठ 95)। जनपद में प्रतिशिक्षक छात्रों की संख्या लगभग 75 है जबकि उत्तर प्रदेश में यह औसत 25 है। अर्थात् तीन गुना अधिक है। सोनभद्र में प्रति महाविद्यालय छात्रों का औसत 1525 है जबकि उत्तर प्रदेश में यह 1237 है। उत्तर प्रदेश की तुलना में सोनभद्र के शिक्षकों पर छात्रों की संख्या अधिक है। जनपद में प्रति महाविद्यालय शिक्षकों का औसत लगभग 21 है। जबकि उत्तर प्रदेश में यह औसत लगभग 50 है। इस प्रकार प्रति महाविद्यालय शिक्षकों की संख्या जनपद में बहुत कम है।

#### 7.4 अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु छठीं पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश में वर्ष 1979-80 से अनौपचारिक शिक्षा योजना अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के पूरक के रूप में प्रारम्भ की गयी, इस योजना के अन्तर्गत 9-14 वय वर्ग के ऐसे बालक-बालिकाओं को शिक्षा देने की व्यवस्था की गयी है जो सामाजिक आर्थिक तथा अन्य किन्हीं कारणों से विद्यालयी शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते हैं अथवा किन्हीं परिस्थितियों के कारण प्राइमरी अथवा मिडिल स्तर की शिक्षा पूरी किये बिना ही पढ़ाई छोड़ने के लिए विवश हो गए हैं। ऐसे बालक - बालिका शिक्षा से सदैव वंचित न रह जाए इसके

लिए उन्हें उनके स्थान एवं समय की सुविधानुसार शिक्षा देने की व्यवस्था इस योजना के अन्तर्गत की गयी है। अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत अशकालिक शिक्षण की भी व्यवस्था की गयी है। अनुदेशकों की नियुक्ति के लिए एक मापदण्ड निर्धारित है जिसके अन्तर्गत स्थानीय महिलाओं को प्राथमिकता प्रदान किये जाने का प्राविधान किया गया है।

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में नामांकित छात्रों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों अभ्यास पुस्तिकाएँ, स्लेट-पेन्सिल, आदि प्रदान की जाती है। केन्द्र का संचालन करने के लिए प्रत्येक केन्द्र को टाट-पट्टी, चार कुर्सी, फोल्डिंग एक, उपस्थित रजिस्टर दो, स्टाक रजिस्टर दो, शिक्षक डायरी दो, पट्टी दो, चाकू दो, डाट पेन दो, ताला एक, मानचित्र (प्राकृतिक एवं राजनीतिक) उत्तर प्रदेश, भारत तथा विश्व का एक मानचित्र, चाव का डिब्बा एक तथा डस्टर एक दिया जाता है।<sup>9</sup> अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत प्रौढ शिक्षा द्वारा राष्ट्र के सभी नागरिकों को राष्ट्रीय विकास में समान रूप से सहभागी बनाने के लिए संचालित किया गया है। इसका उद्देश्य साक्षरता दक्षता, तथा सामाजिक चेतना को बढ़ाना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्देशों के अनुसार और एक्शन प्लान में बताए गए कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने प्रौढ शिक्षा का एक विशद प्रारूप तैयार किया है जिसका नाम है - राष्ट्रीय साक्षरता मिशन।<sup>10</sup> इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 15-35 आयु वर्ग के निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर बनाने का लक्ष्य है। अध्ययन क्षेत्र में अनौपचारिक शिक्षा का प्रसार बहुत कम हुआ है।

## 7.5 शिक्षा नियोजन की प्रमुख बाधाएँ

इस अध्ययन क्षेत्र का सबसे पिछड़ा पक्ष शिक्षा है। जनपद के लघुकृत होने पर भी सुविधाओं को प्रदान करने के नाम पर शिक्षण सस्थाओं में मात्रात्मक व गुणात्मक स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जनपद का शैक्षणिक परिवर्तन वैज्ञानिक, तकनीकी और आर्थिक पहलुओं में परिवर्तन की तुलना में बहुत पीछे रह गया है। इसके कई निम्न कारण हैं जिन्हें दृढ़ता और सूझ बूझ से दूर किया जाना चाहिए।

1. कोई भी शिक्षा प्रणाली केवल वृहद् सामाजिक - आर्थिक वातावरण की सच्चाई को प्रकट करती है। सोनभद्र में नए औद्योगिक सस्थानों की स्थापना से न केवल आर्थिक व्यवस्था में असमानता आयी है वरन् 'फैक्ट्री स्कूल' अग्रेजी माध्यम के व विशेषाधिकार युक्त

है। इन विद्यालयों को सभी सोनभद्र वासियों के लिए गुणवत्ता के आधार पर भी उपलब्ध न होना शैक्षिक उन्नयन में सबसे बड़ी बाधा है।

2 विभिन्न स्तरों पर शिक्षा सुविधाओं के विस्तार से सम्बन्धित समस्याएँ और शिक्षा की विषयवस्तु का गुणात्मक सुधार समाज के उद्देश्यों और उनकी प्राप्ति के लिए निर्धारित प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। शिक्षा सम्पूर्ण समाज के लिए आवश्यक है। अतः राज्य और केन्द्र सरकारें इसके विकास एवं परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान कर सकते हैं। साधनों का बँटवारा राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित सामाजिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। किन्तु अब तक शिक्षा को उच्च प्राथमिकता नहीं दी गयी है। इसी प्रकार क्षेत्रों के चयन में भी सोनभद्र हमेशा उपेक्षित रहा।

3 एक अन्य बाधा शिक्षा प्रणाली में रूढ़ सक्तीर्णवादिता है, जो सस्थाओं और उनके प्रबन्धकों में निहित स्वार्थ और कट्टर मान्यताओं को जन्म देती है। ये गुणात्मक परिवर्तन और सुधार के स्थान पर आदत और परम्परा को अधिक महत्व देते हैं। अब समय आ गया है कि आयोजन की बेहतर व्यवस्था की जाए। प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार किया जाए और उनमें सुधार किया जाय। इन सबसे बढ़कर सभी सम्बन्धित पक्षों को सम्मिलित करके कार्यक्रमों को व्यवस्थित ढंग से तेजी से लागू करने तथा विकेन्द्रीकरण और स्थानीय पहल के माध्यम से सामाजिक ससाधनों का गतिशील इस्तेमाल करने की व्यवस्था की जाए।

4 शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षकों की प्रमुख भूमिका को स्वीकार करना सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है। शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए सुयोग्य शिक्षक अपरिहार्य है समाज में सार्थक परिवर्तन तब तक सम्भव नहीं है जबतक शिक्षक उनके लिए तैयार न हों। यह तभी सम्भव है जब अध्यापकों को सभी स्तरों पर योजना तैयार करने और निर्णय करने में सम्मिलित किया जाए तथा छात्रों व सरक्षकों से नियमित सम्पर्क एवं सुझाव लिया जाए।

5 सरकार द्वारा शिक्षा पर व्यय का पिरामिड उल्टा है अर्थात् प्राथमिक शिक्षा

पर बहुत कम व्यय किया गया है। अध्ययन क्षेत्र के सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि 60% से अधिक प्राथमिक विद्यालयों में पर्याप्त स्थान, अध्ययन कक्ष, पीने के पानी, टाट-पट्टियों ब्लैक बोर्ड आदि प्राथमिक आवश्यकताओं की भी कमी है। जनपद के केवल 10% विद्यालयों में ही उपर्युक्त सभी सुविधाएँ उपलब्ध हैं और इनमें से 80% विद्यालय नगरीय क्षेत्रों में हैं।

6 छात्र-छात्राओं का अध्ययन के प्रति अभिरूचि में ढ़ास नकल समस्या को और विकरल करती जा रही है। जनपद के विस्तृत पहाड़ी क्षेत्र में पढाई के दिनों में भी विद्यालय बन्द रहते हैं तथा विद्यालय में पढाई की समयावधि भी कम रहती है। नदी-नालों पर पुलों के अभाव में नगवा, म्योरपुर, बभनी, दुध्डी व चौपन विकास खण्ड के ग्रामीण जूनियर बेसिक विद्यालयों में से लगभग 50% विद्यालय अधोषित वर्षावकाश में बन्द ही रहते हैं। क्योंकि इन क्षेत्रों के नालों में थोड़ी बरसात से भी उफान आ जाता है।

7 विद्यार्थियों का हाई स्कूल तक अध्ययन के उपरान्त अध्ययन कार्य छोड़ देने की मजबूरी अब परम्परा बन गई है। जनपद में कुल 30 हायर सेकेन्ड्री विद्यालय हैं, जो आवश्यकता से बहुत ही कम हैं। यह सामान्य अध्ययन का विषय हो सकता है कि विस्तृत क्षेत्र पर फैला हुआ नगवा एक ऐसा विकास खण्ड है जहाँ हाई स्कूल स्तर का एक भी विद्यालय नहीं है तथा सीनियर बेसिक विद्यालय मात्र 5 हैं। ऐसी स्थिति में छात्रों द्वारा विद्यालय छोड़ने की परम्परा को बढ़ावा देने में छात्रों व अभिभावकों का नहीं बल्कि सरकार का योगदान अवश्य है और यहाँ की गरीबी शिक्षा पर पाबन्दी लगाती है।

8 जनपद में तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा से सम्बन्धित एक भी विद्यालय नहीं है।

## 7.6 विद्यालयों का शैक्षिक स्तर

किसी भी क्षेत्र में छात्र-शिक्षक, छात्र-विद्यालय तथा विद्यालय-क्षेत्र अनुपात का विशिष्ट मान्य स्तर क्या हो यह अभी तक तय नहीं हो पाया है। भारतीय शिक्षाविदों ने भारतीय सदर्भ में शिक्षक-छात्र अनुपात, कम से कम 1:25 तथा अधिक से अधिक 1:50 उचित

बताया है। इसी प्रकार हायर सेकेन्ड्री विद्यालयों में शिक्षक-छात्र अनुपात, कम-से-कम 1:20 तथा अधिक-से-अधिक 1:30 उचित बताया है।<sup>10</sup> इसी प्रकार राष्ट्रीय मानक के अनुसार प्राथमिक विद्यालय, मिडिल तथा हाई स्कूल क्रमशः 1:5 किमी<sup>0</sup>, 1:5 किमी<sup>0</sup> तथा 1:8 किमी<sup>0</sup> से अधिक दूर नहीं होना चाहिए।<sup>11</sup>

किसी भी क्षेत्र का नियोजन प्रस्तुत करते समय राज्य व राष्ट्रीय मानकों को न तो पूर्णतः आधार बनाया जा सकता है और न ही अवहेलना की जा सकती है, क्योंकि यह मानक स्तर उस क्षेत्र विशेष के सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होनी चाहिए। फलतः राष्ट्रीय और राज्य के मानकों की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए तथा वर्तमान शैक्षिक सुविधाओं के संदर्भ में तालिका 7.9 में निर्धारित शैक्षणिक मानदण्डों को दिया गया है।

#### तालिका 7.9

##### जनपद सोनभद्र के लिए शैक्षिक मानदण्ड

क्रमसंख्या	विद्यालयों का स्तर	शिक्षक-छात्र अनुपात	स्कूल-छात्र अनुपात
1	जूनियर बेसिक विद्यालय	1:35	1:150
2	सीनियर बेसिक विद्यालय	1:30	1:120
3	हायर सेकेन्ड्री विद्यालय	1:25	1:500

जनपद के शैक्षणिक इकाइयों की अवस्थिति के संदर्भ में एक उचित मानदण्ड का निर्धारण होना चाहिए। सोनभद्र में यह अवस्थितिक मानदण्ड भौतिक स्वरूप, परिवहन के साधन व माध्यमों की प्रकृति एवं प्रकार, बस्तियों की संख्या, जनसंख्या, शैक्षणिक इकाइयों की कार्यात्मक रिक्तता तथा उसके विशिष्ट जनसंख्याधार के संदर्भ में निर्धारित करने का प्रयास किया गया है। सीनियर बेसिक विद्यालयों की दूरी किसी भी बस्ती से 3-5 किमी<sup>0</sup> के बीच होनी चाहिए तथा हायर सेकेन्ड्री के संदर्भ में यह दूरी 5-8 किमी<sup>0</sup> के बीच होनी चाहिए।



अध्ययन क्षेत्र में कैमूर की ऊँची पहाड़ियाँ व नदी-नालो पर पुलों का अभाव विद्यालयों से बस्तियों की न्यून दूरी को भी अभिगम्य बनाने में बाधा उपस्थित करती है। अतः ऐसी स्थिति में प्राकृतिक अवरोधों को ध्यान में रखते हुए व्यावहारिक अभिगम्यता पर ध्यान दिया गया है।

### 7.7 शैक्षणिक नियोजन

विकास का अर्थ केवल आर्थिक विकास ही नहीं है, बल्कि इसके और भी महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जैसे शिक्षा का प्रसार, जिससे जनसंख्या नियन्त्रण के लिए सही दृष्टिकोण विकसित होने में सहायता मिलती है।<sup>12</sup> शिक्षा की समस्या को स्वयं एक समस्या के रूप में न देखकर सकल सामाजिक-आर्थिक विकास के एक अभिन्न पहलू के रूप में ही देखा जाना चाहिए। नियोजन का मूल आधार मानव शक्ति नियोजन होना चाहिए। इसमें भी सम्भव हो तो युवा शक्ति नियोजन को अधिक महत्व दी जानी चाहिए। युवकों को अपने अस्तित्व व शक्ति की पहचान करनी चाहिए। आधुनिक शिक्षा पद्धति ही बेरोजगारी की समस्या का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण रहा है। शारीरिक श्रम को निम्न दृष्टि से देखा जाता है। शिक्षा के लिए नियोजन प्रस्तुत करने के लिए निम्न तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए -

- 1 शिक्षा व साक्षरता को जनपद स्तर पर देखा जाए।
- 2 केन्द्र व राज्य सरकार दोनों को अपना अनिवार्य कर्तव्य मानकर सहायता करनी चाहिए।
- 3 अशिक्षा व निरक्षरता गरीबी का ही एक अंग है।
- 4 अशिक्षा व्यक्तिगत चिंता ही नहीं, सामाजिक और राजनीतिक चिंता का विषय है।
- 5 सदी के अन्त तक निरक्षरता व अशिक्षा को मिटाने का प्रयास जनपद स्तर पर शुरू होनी चाहिए।

शैक्षणिक नियोजन के लिए भविष्य में उसकी उपादेयता एवं आवश्यकता तथा वर्तमान का ध्यान रखा जाता है। वर्तमान स्वरूप का वर्णन गत पृष्ठों में किया गया है तथा बढ़ती हुई आवश्यकता एवं उपादेयता की गणना जनपद के शैक्षिक मानदण्डों के परिप्रेक्ष्य में

की जा सकती है। अतः जनपद की भावी सभाव्य जनसंख्या की गणना करना आवश्यक है जिससे विद्यार्थियों की बढ़ती जनसंख्या के सदर्थ में जनपद की शैक्षिक सुविधाओं का नियोजन प्रस्तुत किया जा सके।

### (अ) जनसंख्या प्रक्षेपण एवं छात्रों की सभाव्य संख्या

नियोजन भविष्य के लिए होता है। कोई भी नियोजन भविष्य में तभी कारगर सिद्ध हो सकता है जब उस क्षेत्र की सभाव्य जनसंख्या वृद्धि को ध्यान में रखा जाय। किसी भी क्षेत्र या प्रदेश के सभाव्य भावी जनसंख्या वृद्धि के अनुमान को जनसंख्या प्रक्षेपण कहते हैं। जनसंख्या प्रक्षेपण के लिए विभिन्न विद्वानों द्वारा विभिन्न आधारों यथा आयु समूह संरचना, उत्पादकता, गत जन्मदर एवं मृत्युदर आदि का प्रयोग किया गया है। किन्तु जनसंख्या वृद्धि एक गतिशील प्रक्रिया होने के कारण सदैव बदलती रहती है। जनसंख्या आकार में परिवर्तन जन्मदर, मृत्युदर एवं प्रवास के कारण होता रहता है। जनपद में जनसंख्या प्रक्षेपण के लिए उपर्युक्त तथ्यों के अतिरिक्त निम्न तथ्यों को भी ध्यान में रखा गया है -

1. जनसंख्या प्रक्षेपण में जनपद की जनसंख्या वृद्धि दर को सभी विकास खण्डों के लिए आधार माना गया है।

2. यह मान लिया गया है कि जनसंख्या वृद्धि दर वर्तमान वृद्धि दर के समान रहेगी क्योंकि इस बात का ध्यान रखा गया है कि समय के साथ लोग परिवार नियोजन के विभिन्न साधनों का प्रयोग करते रहेगे।

3. जनसंख्या वृद्धि चक्रवृद्धि दर से होगी।

तत्पश्चात् सर्वप्रथम जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर की गणना की गयी है। 1961 की जनसंख्या को आधार वर्ष तथा 1991 की जनसंख्या को अंतिम वर्ष की जनसंख्या के रूप में प्रयुक्त किया गया है। यह गणना मिक्स द्वारा प्रस्तुत निम्न सूत्र से की गयी है<sup>13-</sup>

$$r = \frac{(p_2 - p_1) / t}{(p_2 + p_1) / 2} \times 100$$

जहाँ,

$r$  = वार्षिक औसत वृद्धिदर,

$P_1$  = प्रारम्भिक जनसंख्या आकार,

$P_2$  = अंतिम जनसंख्या आकार, तथा

$t$  = समयावधि

गिब्स के उपर्युक्त सूत्र से गणना करने पर जनपद की औसत वार्षिक वृद्धि दर 2.85% आती है। पुनः सभी विकास खण्डों की सन् 2001 की भावी जनसंख्या का अनुमान निम्न सूत्र से निकाला गया है<sup>14</sup> -

$$A = P \left[ 1 + \frac{r}{100} \right]^t$$

जहाँ,

$A$  = प्रक्षेपित जनसंख्या,

$P$  = वर्तमान जनसंख्या

$t$  = वर्तमान तथा प्रक्षेपित जनसंख्या के बीच की अवधि

$r$  = औसत वृद्धि दर

सन् 2001 तक जनपद की जनसंख्या बढ़कर 14,23,862 हो जाने की संभावना है।

चूँकि आयु संरचना के अनुरूप छात्रों की संख्या के आकड़े उपलब्ध नहीं हैं इसलिए विद्यालयों के स्तर के अनुसार संभाव्य भावी छात्रों की संख्या का अनुमान लगाने का प्रयास किया गया है। विद्यालयों के स्तर में मात्र जूनियर बेसिक विद्यालय, सीनियर बेसिक विद्यालय तथा हायर सेकेन्ड्री स्कूल को ही सम्मिलित किया गया है। छात्रों की वार्षिक वृद्धि दर की गणना 1961 से 1991 के मध्य 30 वर्षों के जनसंख्या छत्र अनुपात के औसत की गणना करके की गयी है। प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की औसत वार्षिक वृद्धि दर 0.46% है। सीनियर बेसिक विद्यालय तथा हायर सेकेन्ड्री विद्यालयों में वृद्धि दर क्रमशः 0.16 तथा 0.08 प्रतिशत

है। सन् 2001 तक जूनियर बेसिक विद्यालयों में पढने वाले छात्रों की संख्या कुल जनसंख्या की 9.72% होने का अनुमान है। सीनियर बेसिक विद्यालयों तथा हायर सेकेन्ड्री स्कूलों में यह अनुमान क्रमशः 2.20 व 2.70% होने के लिए लगाया गया है, जो तालिका 7.10 से स्पष्ट है।

तालिका 7.10

जनपद सोनभद्र में जनसंख्या छात्र अनुपात<sup>x</sup>

क्रमसंख्या	विद्यालय स्तर	छात्रों की औसत वार्षिक वृद्धि प्रतिशत में	अनुमानित छात्र जनसंख्या अनुपात 2001	2001 में जनसंख्या की तुलना में छात्रों का प्रतिशत
1	जूनियर बेसिक विद्यालय	0.46	1.10.29	9.72
2	सीनियर बेसिक विद्यालय	0.19	1.45.92	2.20
3	हायर सेकेन्ड्री स्कूल	0.08	1.39.82	2.70

x छात्र जनसंख्या अनुपात एवं प्रतिशत की गणना प्रक्षेपित जनसंख्या व छात्रों की संख्या के आधार पर की गयी है।

#### (ब) विद्यालय स्तर के अनुसार नियोजन

तालिका 7.11 से यह स्पष्ट है कि जूनियर बेसिक विद्यालय में पढने वाले छात्रों की संख्या 2001 से बढ़कर 138356 हो जाने का अनुमान है। बड़े हुए छात्रों के लिए 207 नये विद्यालयों तथा 2860 नए अध्यापकों की आवश्यकता होगी। सीनियर बेसिक विद्यालयों में 9166 छात्रों के बढ़ने का अनुमान है जिनके लिए 165 नए विद्यालयों तथा 763 नये शिक्षकों की आवश्यकता होगी। हायर सेकेन्ड्री स्कूल में 11462 विद्यार्थी बढ़ेंगे जिनके लिए 47 नये विद्यालयों व 812 नये अध्यापकों की आवश्यकता होगी।

## तालिका 7 11


जनपद सोनभद्र में आवश्यक शैक्षणिक सुविधाएँ, 2001 ई0

क्रमसंख्या	विद्यालय का स्तर	छात्र संख्या		विद्यालय संख्या		शिक्षक संख्या		वृद्धि		
		वर्तमान	2001 ई0 वृद्धि	वर्तमान	2001 ई0 वृद्धि	वर्तमान	2001 ई0			
1	जूनियर बेसिक विद्यालय	99776	138356	38580	715	922	207	1093	4953	2860
2	सीनियर बेसिक विद्यालय	22181	31347	9166	96	261	165	282	1045	763
3	हायर सेकेन्ड्री स्कूल	26997	38459	11462	30	77	47	726	1538	812

स्रोत तालिका 7 10, तथा 7 9, में दिए गए मानकों के सदर्थ में प्रक्षेपित

जनसंख्या से सम्बन्धित ।

DISTRICT SONBHADRA  
PROPOSED EDUCATIONAL FOCI



- SENIOR BASIC SCHOOL
- ⊗ HIGH SCHOOL
- ⊠ INTERMEDIATE COLLEGE
- DEGREE COLLEGE
- POLYTECHNIC / ITI SCHOOL / INSTITUTE

0 4 8  
KM

FIG 74

### (1) जूनियर बेसिक विद्यालय

वर्तमान समय में कुल 715 जूनियर बेसिक विद्यालय हैं। भावी जनसंख्या में वृद्धि के साथ छात्रों की उचित प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए 2001 तक 207 विद्यालय और खोले जायें। जनसंख्या के अनुपात में लगभग 73 विद्यालय नगरों में तथा 134 विद्यालय गाँवों में खोलना चाहिए। गाँवों की संख्या के परिप्रेक्ष्य में विकास खण्ड घोरावल, राबर्टसगंज, चतरा व नगवा में सबसे कम विद्यालयों का औसत है। अतः इन विकास खण्डों में अधिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता है। 2001 ई0 तककेवल 792 गाँवों में विद्यालय होंगे। 550 गाँव उस समय भी जूनियर बेसिक विद्यालय रहित होंगे। विकास खण्ड चतरा, राबर्टसगंज व घोरावल के कुछ कृषि प्रधान क्षेत्रों के अतिरिक्त अधिकांश बस्तियाँ बिखरी हुई हैं। और कुछ गाँवों में अत्यधिक न्यून जनसंख्या पायी जाती है। उपर्युक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में 1342 ग्रामों में से 792 ग्रामों में विद्यालय होना उपयुक्त होगा।

### (2) सीनियर बेसिक विद्यालय

प्रस्तुत अध्ययन में दिए गए मानदण्डों के सदर्थ में विद्यार्थियों में भावी वृद्धि तथा उनकी वर्तमान कमी को देखते हुए सन् 2001 तक 165 नए विद्यालयों की आवश्यकता होगी। नगरों में भी ऐसे विद्यालयों की आवश्यकता होगी। नगरों में ऐसे विद्यालयों की स्थिति सतोषजनक है इसलिए नगरों में ऐसे विद्यालयों के खोलने की आवश्यकता कम है क्योंकि नगरों में इसकी पूर्ति हायर सेकेन्ड्री स्कूलों के माध्यम से भी हो जाती है। अतिरिक्त खुलने वाले विद्यालयों की अवस्थितियों का प्रारूप अध्ययन क्षेत्र में उनकी कार्यात्मक रिक्तता को ध्यान में रखकर किया गया है। इनकी अवस्थितियाँ मानचित्र में देखी जा सकती हैं।

### (3) हायर सेकेन्ड्री स्कूल

छात्रों की भावी संख्या तथा अध्ययन क्षेत्र में अपनाए गए मानदण्डों के अनुसार सन् 2001 तक 47 अतिरिक्त विद्यालयों की आवश्यकता होगी। इसमें से 30 इंटरकालेज तथा 27 हाईस्कूल खोले जाने का प्रस्ताव है। इंटर कालेज की अवस्थिति 10 नगरीय क्षेत्रों में तथा 20 ग्रामीण क्षेत्रों में होनी चाहिए, मानचित्र में इनकी अवस्थिति देखी जा सकती है। हाई स्कूल की अवस्थिति का प्रस्ताव कार्यात्मक रिक्तता, प्राकृतिक अवरोधों व अनुसूचित जाति एवं जनजाति बहुल क्षेत्रों

को ध्यान में रखकर किया गया है। यह मानचित्र में प्रदर्शित है।

#### (4) उच्च शिक्षा केन्द्र

अध्ययन क्षेत्र में उच्च शिक्षा के नाम पर स्नातक स्तर तक ओबरा व दुद्धी में दो महाविद्यालय हैं। इसके अतिरिक्त अनपरा में सीमित स्तर पर प्राइवेट डिग्री कॉलेज कार्यरत है। जनपद में मुख्यालय राबर्ट्सगंज में एक भी महाविद्यालय नहीं है। जनपद में उच्च शिक्षा के अभाव को देखते हुए 8 नये महाविद्यालय स्नातकोत्तर स्तर तक खोलने का प्रस्ताव है। रामगढ़, राबर्ट्सगंज, घोरावल, चोपन, रेनूकूट, रिहन्द नगर, शक्तिनगर व अनपरा में एक एक महाविद्यालय 2001 ई0 तक खुल जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त दुद्धी व ओबरा महाविद्यालय को स्नातकोत्तर स्तर तक किया जाना चाहिए।

#### (5) तकनीकी शिक्षण सस्थान

सम्पूर्ण सोनभद्र जनपद में एक भी प्रशिक्षण या तकनीकी सस्थान नहीं है। उल्लेखनीय है कि सोनभद्र में अनेक औद्योगिक केन्द्र होने के कारण तकनीशियनों की मांग सदैव बनी रहती है, इसे देखते हुए एक पॉलिटेक्निक व एक आई0टी0आई0 विद्यालय 2001 ई0 तक खोलने की आवश्यकता है। औद्योगिक कर्मियों के प्रशिक्षण आवश्यकतानुसार औद्योगिक केन्द्रों में ही औद्योगिक प्रशिक्षण सस्थान खोलने की आवश्यकता है। ओबरा ताप विद्युत गृह में सीमित स्तर पर प्रशिक्षण सस्थान है। रेनूकूट, अनपरा, शक्तिनगर, रिहन्द नगर, डाला व चुरक के कारखानों में प्रशिक्षण की सुविधा होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त कृषि तथा लघु एवं कुटीर उद्योगों में कुशलता बरतने हेतु राबर्ट्सगंज में एक प्रशिक्षण सस्थान होना चाहिए।

#### (6) अनौपचारिक शिक्षा

1991 की जनगणना के अनुसार जनपद की 65.60% जनसंख्या निरक्षर है। इसमें पुरुषों की निरक्षरता 52.44% तथा स्त्रियों की निरक्षरता 81.35% है। जनपद में निरक्षरों की बहुतायत संख्या को देखते हुए अनौपचारिक शिक्षा की महती आवश्यकता है। इसके लिए विश्व स्तर पर 1990 को साक्षरता वर्ष के रूप में अवश्य मनाया गया किन्तु जनपद स्तर पर इसका प्रभाव दृष्टिगत नहीं होता है। अतः इसके लिए जनपद व विकासखण्ड स्तर पर साक्षरता वर्ष घोषित करके आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। इस काम में स्वयं



सेवी सस्थाए विशेष योगदान दे सकती है। गोविन्दपुर बनवासी आश्रम द्वारा निरक्षरता समाप्त करने के लिए 'अक्षर सेना' का गठन करके अनुठा कार्य किया गया है। उल्लेखनीय है कि चोपन, म्योरपुर, बभनी, दुबई विकास खण्ड में अकेले इस सस्थान ने अब तक जो कार्य किया है। उसका अन्य स्वयंसेवी सस्थाए व सरकार अनुकरण कर सकती है। अनौपचारिक शिक्षा में प्रौढ शिक्षा पर विशेष बल दिया जाना चाहिए तथा उनकी शिक्षा व्यवसायपरक भी होनी चाहिए। प्रौढों को अक्षर ज्ञान के साथ-साथ कृषि में प्रयुक्त होने वाले उर्वरकों, कीटनाशक दवाओं, बीजों का प्रयोग तथा लघु एवं कुटीर उद्योग आदि से सम्बन्धित व्यावसायिक शिक्षा भी देनी चाहिए।

निरक्षरता दूर करने के अब तक के हमारे प्रयास अधिक सफल नहीं हो पाए हैं। यदि हम सफल रहे होते तो साक्षरता की उम्र बढ़ाने की बावजूद जनपद की लगभग 2/3 जनता आज भी निरक्षर नहीं होती। हमें साक्षरता के प्रसार के लिए भविष्य में और बड़े स्तर पर प्रयास करने होंगे लेकिन समस्या यह है कि हमारे आर्थिक साधन सीमित हैं और निरक्षरों की संख्या में भी तेजी से वृद्धि हो रही है, जिससे निरक्षरों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। फिर भी यदि कोशिश की जाए तो अधिकांश को साक्षर बनाया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि हर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति कम से कम एक को पढ़ाने का संकल्प ले और उसे निष्ठापूर्वक पूरा करे। सभी स्नातकों को कम से कम 6 महीने या साल भर निरक्षरता उन्मूलन अभियान में लगाया जा सकता है। अच्छा तो यह होगा कि स्नातक स्तर पर अंतिम वर्ष में निरक्षरता दूर करने के कार्यक्रम को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए। यदि प्रौढ शिक्षा को पाठ्यक्रम के रूप में लागू नहीं किया जाता तो नौकरी पाने या स्वरोजगार के लिए ऋण पाने के लिए प्रौढ शिक्षा को अनिवार्य किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त साक्षरता अभियान को सफल बनाने का एक माध्यम यह हो सकता है कि निजी औद्योगिक प्रतिष्ठानों से उनकी आय के अनुपात में एक निश्चित राशि साक्षरता प्रसार के लिए प्राप्त की जाए। इस कार्य को सरल बनाने निजी प्रतिष्ठानों के वाणिज्यिक मंडलों की सहायता ली जा सकती है। स्वयंसेवी संगठन भी साक्षरता के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और इस कार्य में उनका सहयोग लेना बहुत जरूरी है। साक्षरता कक्षों में स्थानीय और सस्ते साधनों का अधिक उपयोग किया जाना चाहिए, तभी इस अभियान को सफल बनाया जा सकता है। प्रायः साधनों की कमी के कारण अभियान

सफल नहीं हो पा रहा है।

आधुनिक जन संचार माध्यम साक्षरता प्रसार के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि कठपुतली, नाटक, लोकगीत, लोककथाएँ आदि का भी इस क्षेत्र में उपयोग हो रहा है लेकिन इन सबकी अपनी सीमाएँ हैं। दूसरी ओर आकाशवाणी और दूरदर्शन ऐसे माध्यम हैं, जिनकी पहुँच न केवल जनपद सोनभद्र तक वरन् एक ही बार में देश के करोड़ों लोगों तक होता है। इसलिए इन माध्यमों का साक्षरता के प्रसार के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम केवल मनोरंजन के लिए नहीं हैं, बल्कि इनके माध्यम से व्यापक सामाजिक परिवर्तन लाये जा सकते हैं। इसके लिए कठोर सकल्प और इच्छाशक्ति की आवश्यकता है। समन्वित विकास के लिए यह सकल्प लेना ही होगा।

## 7 8 स्वास्थ्य

ससाधनों का अधिकतम उपयोग स्वस्थ मनुष्य ही कर सकता है। स्वस्थ मनुष्य औषधियों का प्रयोग न करके, अनेक रूपों में देश के ससाधनों की बचत करके उसे अन्य विकास कार्यों में लगाने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से प्रेरित करता है। कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ विचार का निवास होता है। उत्तम स्वास्थ्य सफल एवं सार्थक जीवन के लिए आवश्यक है। 'केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय' नागरिकों के जीवन को स्वस्थ और सुखी बनाने के राष्ट्रीय प्रयास को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्वास्थ्य से सम्बन्धित कार्यक्रम विकास की दिशा में हमारे प्रयासों के महत्वपूर्ण अंग हैं। सितम्बर 1978 की 'अल्मा आटा' घोषणा के अनुसार सन् 2000 तक सबके लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य को पूरा करने का राष्ट्रीय सकल्प लिया गया है।<sup>15</sup> इसीलिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाओं के प्रसार हेतु सकल्प लिया गया है।<sup>16</sup> राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में परिवर्तित सन् 2000 तक सभी के लिए स्वास्थ्य का लक्ष्य अब कोई सपना या आदर्श मात्र नहीं रह गया है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद के चार दशकों में हमारे देश में किए गए निरन्तर प्रयासों के फलस्वरूप अब इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाना संभव हो गया है।<sup>17</sup> यह हमारे उच्च जीवन स्तर से स्पष्ट होता है जो अब लगभग 60 वर्ष हो गया है। पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनाओं पर पूरा ध्यान दिया गया है। हमारे देश के संविधान के अनुसार

प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है कि अपने लोगों के पोषाहार के स्तर तथा जीवन - स्तर को ऊँचा उठाए और जन-स्वास्थ्य के प्रति सजग रहे । इसके अन्तर्गत बच्चों, गर्भवती महिलाओं, दूध पिलाने वाली माताओं और गरीब वर्गों के लिए परिवार कल्याण और पोषाहार के साथ न्यूनतम जन-स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान करने की व्यवस्था की जा रही है । पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण, पहाडी और जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचाई जा रही है । इसके साथ ही स्वास्थ्य कर्मिकों के शिक्षण और प्रशिक्षण की बेहतर व्यवस्था करने पर अधिक बल दिया गया है ।<sup>19</sup> किसी भी जनपद के स्वास्थ्य सम्बन्धी नियोजन प्रस्तुत करने के लिए वर्तमान स्वास्थ्य सुविधाओं एवं समस्याओं का निरूपण करना आवश्यक है । अधिकांश बीमारियों की जड़ 'पेय जल' की समस्या को जनपद की विशिष्ट समस्या के रूप में निरूपित किया गया है ।

### 7.9 स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएँ

जनपद में स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं का विश्लेषण दो प्रकार से किया जा सकता है । प्रथम, जनपदवासी सामान्य बीमारियों के अतिरिक्त विशिष्ट बीमारियों से ग्रस्त है तथा उसका कारण क्या है ? द्वितीय, उन बीमारियों को दूर करने के लिए पर्याप्त मात्रा में अस्पताल, शैय्या, डाक्टर है या नहीं । यदि इन सुविधाओं की कमी है या इन सुविधाओं की अवस्थिति सुव्यवस्थित नहीं है या उनमें समुचित कार्यात्मकता का अभाव है तो निश्चय ही ऐसे क्षेत्र को समस्यायुक्त क्षेत्र कहा जा सकता है । ऐसे क्षेत्र में स्वास्थ्य सुधार प्राथमिक आवश्यकता बन जाती है । जनपद सोनभद्र में दोनों तरह की समस्याएँ हैं ।

#### (अ) रोगों की समस्या

सोनभद्र वासी बहुधा कॉलरा, गैस्ट्रो, तपेदिक, टाइफाइड, मलेरिया, चर्मरोग, कुष्ठरोग, नेत्र रोग, फाइलेरिया, चेचक, कुकुरखाँसी, पोलियो, पेचिस, हड्डी व उदर सम्बन्धी रोग, आन्त्र ज्वर, खाँसी आदि रोगों से पीड़ित रहते हैं । जनपद के औद्योगिक केन्द्रों (प्रदूषणयुक्त क्षेत्रों) में, धुँआ, धूल के कणों, सीमेण्ट के कणों व पेयजल की समस्या के कारण टाइफाइड, टी वी, खाँसी आदि रोग सामान्य रोगों की श्रेणी में आ गए हैं । अन्य क्षेत्रों में पौष्टिक आहार की कमी तथा पेयजल की समस्या के कारण उपर्युक्त रोगों का वर्चस्व है तथा इससे सम्पूर्ण जनपद समस्याग्रस्त है जिससे विकास कार्यों में बाधा पहुँच रही है ।

राबर्ट्सगज, घोरावल, चतरा, नगवा, विकासखण्डों के कृषि मजदूर कृषि कार्यों से खाली होने पर सोनपार के औद्योगिक क्षेत्रों में धन कमाने की लालसा से बहुधा जाया करते हैं और प्रदूषित क्षेत्रों से 'अनाम बीमारियों' को लेकर आते हैं तथा झोलाछाप डाक्टरों से इलाज कराकर और अधिक 'बेनाम बीमारियों' को पैदाकर, अपनी गाड़ी कमाई गवों कर ऋणग्रस्तता के जाल में फस जाते हैं। इसके दो प्रभाव दिखाई पड़ते हैं -

(1) नव-पर्यावरणवादी जो इन उद्योगों का विरोध करते हैं तथा इनमें काम करने से मना करते हैं, इन बीमारियों ने उनका काम स्वयं आसान कर दिया है। बहुत से मजदूर अब सोनपार के क्षेत्रों में नहीं जाना चाहते किन्तु सोनपार के निवासियों के लिए यह एक जन्मजात समस्या बन गई है।

(2) अध्ययन क्षेत्र में रोगों की पर्याप्तता के कारण झोलाछाप डाक्टरों की बहुतायत है। शहर के अच्छे डाक्टर तथा सरकारी डाक्टर भी स्वयं पैसा कमाने के ध्येय से दूरस्थ क्षेत्रों में अपना प्रसार शुरू कर दिए हैं। इससे ग्रामीणों को जहाँ कुछ सुविधा मिली है वहीं अधिक धन संचय (व्यावसायिकता) के कारण अनेक कठिनाइयों उत्पन्न हुई हैं।

एक विशिष्ट उल्लेखनीय तथ्य यह है कि ये डाक्टर अपनी चिकित्सा के बदले पैसा नहीं लेते वरन् वे दुर्लभ वस्तुएँ जो पैसा से भी नहीं मिलती जैसे मूल्यवान पत्थर, जंगली जानवर, पक्षी, पियार (इससे चिरोजी बनता है), घी, जानवरों की छाल, फर्नीचर के लिए लकड़ी, हर्ष, बहेर, जडी-बूटी, शहद, उनका श्रम, जमीन आदि का शोषण करते हैं। यह लेन-देन स्वयं के उपयोग के लिए नहीं वरन् व्यापार के लिए होता है। ये हिन्दुस्तान के अग्रेज हैं, इनसे मुक्ति पाने के लिए सामाजिक क्रान्ति आवश्यक है। मेरे 27 वर्ष के अनुभव व व्यक्तिगत सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि सोनभद्र वासी अपने समाज से इतर केवल दो सस्थाओं (चिकित्सा व पुलिस विभाग) तथा दो अधिकारियों, डाक्टर व दरोगा को ही जानते हैं, दूसरे शब्दों में ये दो लोग ही अपनी पहुँच ग्रामीण स्तर पर बनाए हैं। शायद इसके विश्लेषण की जरूरत नहीं है।

इस तरह स्वास्थ्य सम्बन्धी अध्ययन से समस्याओं की एक श्रृंखला नजर आती है। इसके मूल में है - पोषिक आहार की कमी, प्रदूषित वातावरण तथा पेयजल की समस्या।

पोष्टिकता की कमी गरीबी व अशिक्षा से जुडी हुई है । पैसे के लोभ मे सोनभद्र के प्रत्येक क्षेत्र मे मोटे अनाजो की जगह, बाहर से आए हुए, औद्योगिक केन्द्रो मे बसे हुए लोगो के लिए सब्जी उगाने का प्रयास किया जा रहा है । ग्रामीण अचलों से दूध, दही एव घी सस्ते दामों पर इन 'औद्योगिक केन्द्र स्थलों पर कार्यरत अधिकारियों' के लिए चला जाता है । चराई की सुविधा से युक्त पशुपालन के लाभ से यहाँ के निवासी वचित है । ये तो इसी मे खुश है कि अब उन्हे 'खोवा' बनाकर बनारस की मडियों मे नहीं भेजना पडता है ।

चुर्क से शक्तिनगर व रिहन्द तक का सम्पूर्ण क्षेत्र महानगरों वी तरह प्रदूषित है । सीमेण्ट कारखानों, चूने की भट्टियों, क्रेशर उद्योगों, तापविद्युत केन्द्रों आदि से सम्पूर्ण क्षेत्र धूल के कणो व धुआ से भरा हुआ है । इससे नेत्र, चर्म व फेफडे सम्बन्धी अघतन बीमारियों उत्पन्न हो रही है । खनन कार्यों मे काम करने वालों की अलग समस्या है ।

पेयजल की समस्या जनपद की प्रमुख समस्या है । कहा जाता है कि 50% रोगों का कारण पानी है । अत इस समस्या की विस्तार से विवेचना की गयी है । पेयजल की समस्या न केवल मनुष्यों के लिए है वरन् जानवरों के लिए भी है । पेयजल की समस्या के कई कारण है -

- 1 जल की कमी बढते जाना,
- 2 भूमिगत जल का लगातार नीचे जाना,
- 3 पेय जल का अन्य कार्यों मे प्रयोग करना,
- 4 पेय जल का प्रदूषित होना,
- 5 पानी को रिफाइन्ड करके दुबारा प्रयोग न करना ।

"हमे सोना नही पानी चाहिए" म्यानमार के सूखा पीडित क्षेत्र के एक गाँव मे यह साइन बोर्ड लगा था, इसमे बुनियादी जरूरत और जीवन की कुजी के रूप मे पानी के महत्व का पता लगता है । अनुमानत हर व्यक्ति को हर रोज निजी उपयोग के लिए 20 लीटर पानी चाहिए । यह न्यूनतम मात्रा भी जनपदवासियों को उपलब्ध नहीं होता है । भारत की 1981-91 की दशक की योजना मे पानी की आपूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी । इसमे 30% जनता को नलो के माध्यम से और 70% को मौके पर उपलब्ध साधनों द्वारा पानी की आपूर्ति की व्यवस्था

है । भारत सरकार ने त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम ( ARWSP ) के माध्यम से गाँवों में पीने का पानी उपलब्ध कराने को उच्च प्राथमिकता दी है । राज्य सरकारें अपनी न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रमों के माध्यम से इस काम में सहयोग कर रही हैं । सरकार द्वारा पेयजल समस्या से ग्रस्त गाँवों के निम्न मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं -

1. पेय जल स्रोत से गाँवों की 1.6 कि० मी० से अधिक दूरी,
2. कुओं की 15 मीटर से अधिक गहराई,
3. 100 मीटर की ऊँचाई के अन्तर पर,
  - सुरक्षित पेयजल रहित गाँव
  - जैविक प्रदूषण (गिनीवृमि, हैजा, टायफाइड आदि)
  - रासायनिक प्रदूषण (फ्लोराइड, खारापन, लोह, आर्सेनिक आदि) वाले गाँव ।

सोनभद्र जनपद का प्रत्येक गाँव व नगर किसी - न - किसी रूप में पेयजल की समस्या से ग्रस्त है । चतरा, राबर्ट्सगंज व घोरावल के कुछ नहरी सिंचाई वाले क्षेत्रों में भूमिगत जल - स्तर ऊपर आ जाने से जल की गुणवत्ता में ह्रास हुआ है । सिंचाई के लिए भूमिगत जल का अत्यधिक उपयोग से भूमिगत जल अदृश्य होता जा रहा है । ग्रीष्म ऋतु में अधिकांश कुएँ सूख जाते हैं । अन्य ऋतुओं में तालाब - पोखर का पानी मनुष्य व पशु साथ-साथ उपयोग करते हैं, जिससे अनेक रोगों का जनन अपने आप हो जाता है । 180 वर्ग मील में फैले रिहन्द जलाशय से, उसके तटवर्ती औद्योगिक पेट्टी (रेनूकूट, पिपरी, अनपरा, रेणूसागर, शक्तिनगर, रिहन्द नगर तथा ओबरा) में अधिकांश पेय जल की आपूर्ति होती है । रिफाइन्ड करने के बावजूद इसे प्रदूषण मुक्त करना कठिन है । फलतः यहाँ के लोग स्वास्थ्य सम्बन्धी अनेक रोगों से ग्रस्त हैं । दूर - दराज के पहाड़ी इलाकों (बभनी, नगवा, दुब्टी, म्योरपुर, चोपन) में पेय जल स्रोत अल्प हैं । यूनिसेफ के सहयोग से लगा हैण्डपम्प भी इस समस्या का समाधान करने में असमर्थ है ।

#### (ब) स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं की समस्या

किसी क्षेत्र, प्रदेश या देश में स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं की मात्रा एवं अवस्थिति की उपयुक्तता के सम्बन्ध में कई प्रश्न हो सकते हैं । जैसे जिस क्षेत्र में स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या

हो ही नहीं, ऐसे क्षेत्र में चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं की अनुपस्थिति को क्या पिछड़ा क्षेत्र या अभावग्रस्त क्षेत्र कहना उचित है ? यदि स्वास्थ्य सम्बन्धी परेशानी कम है तथा उसके अनुरूप चिकित्सकीय सुविधाओं को अल्प सुविधा कहना कहाँ तक उचित है ? यदि किसी क्षेत्र में विशिष्ट रोग हो तथा उसके अनुरूप वहाँ चिकित्सा सुविधा हो (जैसे तराई क्षेत्र में मस्तिष्क ज्वर का गोरखपुर में चिकित्सा सुविधा) किन्तु अन्य क्षेत्र में उस सुविधा का न होना उस विशिष्ट रोग का अभाव हो, तो क्या ऐसे दो क्षेत्रों को दो 'असमान चिकित्सा सुविधायुक्त क्षेत्र' कहना उचित है ? इसी प्रकार गरीबी के कारण आधुनिक मँहगी चिकित्सा सुविधा का उपयोग न करना क्या स्वास्थ्य के प्रति जागरूक न होने की बात कही जा सकती है ? सरल - सादा जीवन व्यतीत करने वाले तथा पर्यावरण से तादात्म्य स्थापित करके जीवन जीने वालों पर प्राकृतिक चिकित्सा रामबाण सिद्ध होती है । जल, हवा सौर प्रकाश, तुलसी की पत्ती आदि अधिकांश रोगों का समाधान कर देती है । ऐसे लोगों को एलोपैथिक चिकित्सा की अल्प आवश्यकता को क्या पिछड़ा कहना उचित है ? उपर्युक्त सभी प्रश्न विवाद एवं अतिरिक्त शोध के विषय हैं, जो साधन व समय की अल्पता के कारण सम्भव नहीं हैं। प्रस्तुत अध्याय में सरकार द्वारा निर्धारित चिकित्सा सुविधा के मानदण्डों एवं जनपद की वर्तमान सुविधा के संदर्भ में विश्लेषण किया गया है ।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक 5000 आबादी के पीछे एक उपकेन्द्र तथा एक मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, 30,000 आबादी के पीछे एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 1,00,000 की आबादी के पीछे एक सामुदायिक केन्द्र खोला जाना है ।<sup>18</sup> किन्तु पहाड़ी क्षेत्रों रेगिस्तानी व आदिवासी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए 20,000 की तथा उपकेन्द्र के लिए 3000 की जनसंख्या होना ही पर्याप्त है ।<sup>19</sup>

जनपद की स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी कुछ प्रमुख समस्याएँ निम्न हैं -

1. नगरों में पढ़े हुए डाक्टरों का उच्च वेतनमान की प्राप्ति के बावजूद, ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर न रहना एक प्रमुख समस्या है । अस्पताल में समय पर न जाना, शहरों में रहकर साप्ताहिक निरीक्षण करना डाक्टरों द्वारा प्रमुख समस्या खड़ी कर दी गयी है ।

2. चिकित्सालयों में दवाओं का अभाव तथा उनके रख-रखाव का उचित प्रबन्ध न होना प्रमुख समस्या है, यह जनपद में सर्वत्र व्याप्त है ।

3 गर्भवती महिलाओं को पोषिक आहार की कमी रहती है, इसका कारण गरीबी व अशिक्षा है ।

4 समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसव के लिए नर्सों का अभाव है । अप्रशिक्षित दाइयों से जच्चा - बच्चा विशेष रूप से प्रभावित होते हैं ।

5 ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र में आवास की समस्या, पानी के निकास की समुचित व्यवस्था न होने से मच्छरों द्वारा अनेक बीमारियाँ उत्पन्न कर दी जाती हैं । इससे जनपद मुख्यालय राबर्ट्सगंज सर्वाधिक प्रभावित है ।

6 शौचालयों का अभाव एवसफाई व्यवस्था न होने से अनेक रोगों का अपने आप जनन होता है, जिससे सम्पूर्ण स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित होती है ।

7 मद्यपान व नशीले पदार्थों के सेवन से आर्थिक व शारीरिक क्षीणता बढ़ती जा रही है ।

## 7.10 चिकित्सा सुविधाओं की वर्तमान स्थिति

जनपद में चिकित्सा सुविधाओं की स्थिति सतोषजनक नहीं है । रोगियों के अनुसार सुविधाओं का नितान्त अभाव है । जनपद के कुल अस्पतालों की संख्या 83 है, जिसमें से आयुर्वेद के 16 (19.28%) होम्योपैथ के 20 (24.09%) तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति का 1 (1.2%) अस्पताल है । 55.42% अस्पताल एलोपैथ से सम्बन्धित हैं । 83 अस्पतालों में से 15 अस्पताल नगरीय केन्द्रों में हैं । अर्थात् 13.40% नगरीय जनसंख्या के लिए 18.07% अस्पताल हैं । उल्लेखनीय है कि नगरों में ' प्राइवेट क्लिनिक' के अतिरिक्त अनेक 'नर्सिंग होम' हैं । चूंकि व्यक्तिगत क्षेत्र की चिकित्सा सुविधाएँ नगरों में अधिक रहती हैं, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र के निवासी अपने जनसंख्या के अनुपात में अल्प चिकित्सकीय सुविधा को प्राप्त किए हैं । विकास खण्ड घोरावल, राबर्ट्सगंज, चतरा, नगवा, चोपन, म्योरपुर, दुहड़ी व बभनी के ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों की संख्या क्रमशः 9, 8, 4, 7, 11, 16, 6, 7 है । इस प्रकार सम्पूर्ण जनपद में 12798 जनसंख्या पर 1 अस्पताल का औसत है । प्रति लाख जनसंख्या पर एलोपैथिक चिकित्सालय / औषधालय एव प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की संख्या 1991-92 में 3.7 था । अध्ययन क्षेत्र की चिकित्सा सुविधाओं का विवरण तालिका 7.12, 13 में दिया गया है ।



## तालिका 7 12

## जनपद में विकास खण्ड वार चिकित्सा सेवा

वर्ष/जनपद/ विकासखण्ड	एलोपैथिक चिकित्सा सेवा				आयुर्वेदिक चिकित्सा				होम्योपैथिक चिकित्सा				यूनानी चिकित्सा			
	चिकित्सालय/ औषधालय	MO/का केन्द्र	उपलब्ध शैया	डॉक्टरों की संख्या	चिकित्सो/ चिकित्सो	उपलब्ध शैया	डॉक्टरों की संख्या	चिकित्सो/ चिकित्सो	उपलब्ध शैया	डॉक्टरों की संख्या	चिकित्सो/ चिकित्सो	उपलब्ध शैया	डॉक्टरों की संख्या	चिकित्सो/ चिकित्सो	उपलब्ध शैया	डॉक्टरों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1989-90	14	22	348	46	9	40	17	18	-	15	1	4	1			
1990-91	14	22	348	46	16	123	20	20	-	11	1	4	1			
1991-92	17	29	382	41	16	123	20	20	-	11	1	4	1			
<b>1991 - 92</b>																
1 खोरावल	-	3	42	5	3	8	2	3	-	1	-	-	-			
2 राबर्ट्सगंज	2	4	48	12	1	15	2	-	-	-	1	4	1			
3 चतरा	1	2	10	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-			
4 नगवा	1	2	14	3	2	19	3	2	-	-	-	-	-			
5 चौपन	2	4	46	4	1	8	2	4	-	3	-	-	-			
6 म्योरपुर	2	6	32	2	4	40	5	4	-	1	-	-	-			
7 दुब्डी	1	2	26	2	1	-	1	2	-	2	-	-	-			
8 बभनी	-	2	10	1	1	4	1	4	-	3	-	-	-			
ग्रामीण योग	9	25	228	32	14	94	17	19	-	10	1	4	1			
नगरीय योग	8	4	154	9	2	29	3	1	-	1	-	-	-			
<b>सम्पूर्ण योग</b>	<b>17</b>	<b>29</b>	<b>382</b>	<b>41</b>	<b>16</b>	<b>123</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>-</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>			


स्रोत सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद सोनभद्र, 1992, पृष्ठ 101 - 102

तालिका 7 13  
जनपद सोनभद्र में चिकित्सा सुविधा

विकासखण्ड	प्रति लाख जन० पर एलोपैथिक चिकि०/ओष० एवं प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र की संख्या	प्रति लाख जन० पर एलोपैथिक चिकि०/ओष० एवं प्रा०स्वा०के० में उपलब्ध शैय्याओं की संख्या	प्रति लाख जन० पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या	परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र	मानक उपकेन्द्र	परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण उपकेन्द्र	
1	बोरोवल	1 9	26 9	1 9	1	32	26
2	राबर्ट्सगंज	4 3	34 8	2 9	1	34	30
3	चतरा	4 5	14 8	3 0	1	13	12
4	नगवा	5 5	25 7	3 7	1	11	10
5	चोपन	3 6	27 6	1 8	1	44	26
6	म्योरपुर	4 1	16 6	1 6	1	48	22
7	डुब्डी	3 1	26 9	1 0	1	1	15
8	बभनी	3 5	17 4	1 7	1	12	14
-----							
ग्रामीण योग	3 7	24 5	1 9	8			155
नगरीय योग				3			2
-----							
सम्पूर्ण जनपद	-	-	-	11	215	157	
-----							

स्रोत सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद सोनभद्र, 1992, पृष्ठ 21, 22, एवं 103

# DISTRICT SONBHADRA SPATIAL PATTERN OF MEDICAL FACILITIES



EXISTING		PROPOSED	
●	HOSPITAL	○	
▲	PRIMARY HEALTHCENTRE	△	
■	AYURVEDIC & UNANI HOSPITAL	□	
⊙	HOMEOPATHY	○	

FIG 75

जनपद में कुल चिकित्साधिकारियों की संख्या - 73, अस्पतालों में उपलब्ध समस्त शैया की संख्या - 509, मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र की संख्या - 11 तथा उपकेन्द्रों की संख्या 157 है। अस्पताल की संख्या - 83 तथा डाक्टर की संख्या-73 से स्पष्ट है कि कुछ अस्पताल कम्पाउण्डर द्वारा ही चलाए जा रहे हैं।

## 7.11 स्वास्थ्य सुविधाओं का नियोजन

स्वास्थ्य सुविधाओं का नियोजन, उनकी वर्तमान मात्रा एवं अवस्थिति का निश्चित मानदण्डों से तुलना करके भविष्य की आवश्यकताओं तथा वर्तमान समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में किया गया है। नियोजन को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त साधनों की आवश्यकता पड़ती है साधनों का अनुमान तथा उसके निवेश के प्राथमिकता का निर्धारण सरकार करती है, इसलिए साधनों की उपलब्धता व निवेश प्राथमिकता के परिप्रेक्ष्य में नहीं किया गया है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में प्रति 20000 जनसंख्या पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र होना चाहिए। किन्तु जनपद में 37070 जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है अर्थात् 54 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की जगह मात्र 29 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं जनपद के प्रदूषण को देखते हुए यह मात्रा और होनी चाहिए। विकासखण्ड चतरा में सिलथम, नगवा में कैमूर के दक्षिण व सोननदी के उत्तर में गड़ाव, बभनी में कोरची, दुर्डी में बीडर, बघाड़ू, चोपन में सेन्दुरिया म्योरपुर में बेलहत्थी, घोरावल में लहास न्यायपचायत केन्द्रों पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने से लोगों के स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं को सुधारने में महती सहायता मिलेगी। जनपद में सम्पूर्ण अस्पतालों की संख्या 83 है किन्तु चिकित्साधिकारियों की संख्या 73 है। अतः किसी भी अस्पताल को कम्पाउण्डर के संरक्षण में छोड़ना लोगों के जीवन से खिलवाड़ करना है। प्रत्येक अस्पताल पर चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति एवं उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिए।

जनपदवासियों का जड़ी - बूटी पर विश्वास है, अतः आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक चिकित्सालय खोलने की और आवश्यकता है। विकासखण्ड चतरा, राबर्ट्सगंज, चोपन, दुर्डी व बभनी में मात्र एक - एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय है। इन पाँचों विकासखण्डों में कम-से-कम चार - चार आयुर्वेदिक चिकित्सालय या यूनानी चिकित्सालय और खोलना चाहिए।

जिला मुख्यालय पर कम-से-कम 200 शैय्या युक्त जिला अस्पताल का होना आवश्यक है । मुख्यालय विवाद के कारण इस कार्य में और विलम्ब नहीं करना चाहिए । इसके अलावा सभी बड़े औद्योगिक केन्द्रों पर कम-से-कम 100 शैय्या युक्त अस्पताल होना चाहिए । ऐसे अस्पताल ओबरा, डाला, चुरक, रेनूकूट, पिपरी, रिहन्दनगर, अनपरा, रेणूसागर व शक्तिनगर में आवश्यक है । इन सभी अस्पतालों को उपर्युक्त उल्लिखित सभी बीमारियों की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए ।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में 3000 जनसंख्या पर एक चिकित्सा उपकेन्द्र होना चाहिए । सोनभद्र के जनसंख्या के अनुपात में सभी उपकेन्द्रों की संख्या 358 से कम नहीं होना चाहिए किन्तु वर्तमान उपकेन्द्रों की संख्या मात्र 155 है । अतः 203 उपकेन्द्र और खोलने की जरूरत है । जनपद में कुल 586 ग्राम सभाएँ हैं । 64 ग्राम सभा पर 1 उपकेन्द्र का औसत है । जनपद में प्राकृतिक अवरोधों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक व्यक्ति तक चिकित्सा सुविधा पहुँचाने के लिए 203 ग्राम सभा केन्द्रों पर उपकेन्द्र खोलने की नितान्त आवश्यकता है ।

सभी स्वास्थ्य केन्द्रों व उपकेन्द्रों पर चिकित्साधिकारियों एवं कर्मचारियों की अनिवार्य उपस्थिति तथा चिकित्सा ससाधनों की उपलब्धता की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए । स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धि मात्र से ही सुन्दर स्वास्थ्य नहीं प्राप्त किया जा सकता । दवा से स्वस्थता का घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं है । इसके लिए पौष्टिक आहार, शुद्ध वायु, उचित सफाई व्यवस्था, शुद्ध वातावरण तथा शुद्ध पेय जल की आवश्यकता होती है । इसमें से अधिकांश की प्राप्ति स्वविवेक तथा जागरूकता से की जा सकती है । पौष्टिक आहार के लिए यह आवश्यक नहीं है कि मेवे - मशाले ही खाए जाएँ बल्कि मोटे अनाजों, दूध, सब्जी व स्थानीय रूप से उपलब्ध फलों से भी प्राप्त किया जा सकता है । सफाई व्यवस्था को दैनिक क्रिया के रूप में अपना लेने से न केवल रोगों से मुक्ति मिलती है बल्कि मन भी प्रसन्न रहता है जो उत्तम स्वास्थ्य का सूचक है ।

शुद्ध वायु की प्राप्ति जनपद के 5 विकासखण्डों (चोपन, राबर्ट्सगंज, म्योरपुर, दुब्ही

व बभनी) के लिए दुर्लभ होती जा रही है । ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण स्वास्थ्य नियोजन प्रक्रिया खर्चीली होकर अर्थहीन हो जाती है । वास्तव में विकास नीति के द्वन्द्व में फस जाने के कारण एक तरफ हम बड़े - बड़े उद्योगों की स्थापना की तरफदारी करते हैं तथा दूसरी तरफ उससे निःसृत प्रदूषण की आलोचना करते हैं । पौराणिक कथाओं के अनुसार जब तेजी से समुद्र मन्थन हुआ तो उसमें से अमृत कलश के साथ विषकुण्ड भी निकला । ठीक इसी प्रकार जब हम तेजी से विकास नीति अपना रहे हैं तो प्रदूषण रूपी विषकुण्ड का जहर पीना ही पड़ेगा। इसके प्रभाव को प्रदूषण नियन्त्रण यन्त्र लगाकर तथा चिकित्सा सुविधाएँ बढ़ाकर कुछ कम किया जा सकता है ।

पेयजल जनपद की प्रमुख समस्या होने के साथ - साथ इसका नियोजन प्रस्तुत करना भी कठिन है । जनपद में पेय जल कूपों, नलों, हैण्डपाइप, नदियों व बाधों से प्राप्त किया जाता है । भूमिगत जल ही वह स्रोत है जिसका अनेक प्रकार से दोहन करके जल आपूर्ति करते हैं । अतः यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि हम इसका सावधानी से उपयोग करें । हमें वैज्ञानिक आधार पर भूमिगत जल की उपलब्धता बढ़ाने के उपाय करने चाहिए । सम्पूर्ण सोनभद्र क्षेत्र भूमिगत जल के रूप में दुर्बल क्षेत्र है । अतः भूमिगत जल का उपयोग केवल पेयजल के रूप में ही करना चाहिए । इसका उपयोग सिंचाई के लिए तभी करना चाहिए जब छोटे-छोटे तालाबों, पोखरों व बन्धियों का निर्माण करके जलस्तर को बढ़ाने का प्रयास किया जाय । इस तरह का कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और राष्ट्रीय भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत किए जा सकते हैं ।

पेयजल की सुविधा बढ़ाने से सर्वाधिक लाभ ग्रामीण महिलाओं को होता है, इसलिए पानी का स्रोत चुनते समय उनसे विचार विमर्श अवश्य लिया जाना चाहिए । ऐसा करने पर कभी - कभी असुविधाजनक स्थानों पर नल नहीं लग सकते । पानी की समस्या का समाधान सरकार स्वैच्छिक क्षेत्र में उपलब्ध विशेष व्यावसायिक और तकनीकी जानकारी को प्राप्त करके कर सकती है । इसके लिए महाराष्ट्र की स्वैच्छिक एजेंसी ' पानी पचायत' से प्रेरणा ली जा सकती है । इसके अलावा निम्न उपबन्धों का सहारा लिया जा सकता है ।

1. लागत की कमी लाने के लिए वैज्ञानिक स्रोत का पता लगाना ।
2. जल की गुणवत्ता की जाच के लिए आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराकर जल की गुणवत्ता पर बल देना ।
3. सुरक्षित जल की पूर्ति करके गिनीकृमि का उन्मूलन करने, डिफ्लोराइडेशन सयन्त्र लगाकर अतिरिक्त फ्लोराइड को हटाने, लौह तत्वों को हटाने के लिए सयन्त्र स्थापित करके अतिरिक्त लौह तत्वों को दूर करने, सयन्त्र लगाकर क्षारता दूर करने जैसे रासायनिक और जीवाणिक दूषण समाप्ति के कार्यों को करने के लिए विशेष अभियान चलाना ।
4. वर्षा के जल को इकट्ठा करने और पानी एकत्र करने के लिए समुचित ढाँचों के निर्माण को बढ़ावा देने का कार्य करना चाहिए ।
5. भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा बनाए गए नियमों के माध्यम से ग्रामीण जल पूर्ति गतिविधियों/आदानों का मानकीकरण करना ।
6. पंचायतों व जल उपभोक्ता समितियों को बड़े पैमाने पर सम्मिलित करके सामुदायिक सहभागिता और गैर सरकारी सगठनों की अधिक सहभागिता को बढ़ावा देना तथा चुने हुए क्षेत्रों में समुदाय आधारित मॉडल पर प्रयोग करना ।
7. जलापूर्तिक निवेश को सामुदायिक स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य स्तर प्रदान करने वाले माध्यम के रूप में परिवर्तित करने वाले प्रेरक तत्वों के रूप में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देकर जलापूर्ति प्रबन्ध में महिलाओं की भूमिका का विस्तार करने का प्रयास करना ।
8. जल प्रबन्ध, जल लक्ष्य निर्धारण और जल की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए भू - भौतिकी तकनीकों, विशेषकर कैमूर पर्वत के दक्षिण के कठोर चट्टानों और दुर्गम इलाकों में स्रोत का पता लगाने के लिए विद्युत जाच तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए।
9. कड़ी चट्टान वाले क्षेत्रों में कुओं से अधिक पानी प्राप्त करने के लिए हाइड्रोलिक फ्रेक्चरिंग स्टिम्युलेशन तकनीक (बोर वेल) का विकास करना होगा ।

सुरक्षित पेयजल की लगातार उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए जल के शुद्धिकरण और जल संरक्षण की सहायक प्रौद्योगिकी को अपनाया जाएगा। यह रिहन्द जलाशय के लिए उपयुक्त होगा । 40 कि० मी० प्रति घंटे के वायु वेग को सहन करने के लिए एलक्वैसी इथेनॉल

मिश्रणों का उपयोग करके जल वाष्पीकरण का नियन्त्रण करना । पानी के गदलेपन की जाँच 'टर्बिडिमीटर' द्वारा करके ही नगरों में जलापूर्ति करनी चाहिए । गाँवों में यह विधि संभव नहीं है । रिहन्द जलाशय से पेयजल आपूर्ति के पहले पानी के खारेपन, कठोरता और अपशिष्ट क्लोरीन का विश्लेषण टाइट्रेशन विधि से करनी चाहिए । फ्लोराइड, लौह तत्वों, सल्फेट, नाइट्रेट आदि का क्लोरीमीट्रिक विधि से पता लगाना चाहिए । जनपद के औद्योगिक पेटी वाले क्षेत्र में पेय जल के गुणवत्ता के मूल्यांकन तथा जल के भौतिक - रसायन, जीवाणु और जैविकीय विश्लेषण के लिए चलती - फिरती जाच प्रयोगशाला का विकास करना चाहिए ।

इन सब योजनाओं के अतिरिक्त स्वास्थ्य नियोजन का सबसे नायाब तरीका 'परिवार नियोजन' है, जिसके बिना उत्तम स्वास्थ्य व सतुलित विकास की कल्पना नहीं की जा सकती । जनपद के लिए ही नहीं बल्कि राष्ट्र के प्रगति के लिए हमें सर्वाधिक प्रमुखता स्वास्थ्य क्षेत्र को ही देनी होगी क्योंकि केवल स्वस्थ नागरिक ही एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं ।<sup>21</sup>

### सन्दर्भ

1. *Thapaliyal, B K and Ramanna, D V Planning for Social Facilities 10th Course on DRD, NKD, Hyderabad 1977, Sept - Oct , p 1, (Unpublished paper)*

2 वही, पृष्ठ 1

3 *Draft Five Year Plan, 1978 (1978-83), Planning Commission, Govt of India, New Delhi, p. 106*

4 'भारत', प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, पटियाला हाउस, नई दिल्ली, 1988-89, पृष्ठ 62

5 वही

6 योजना, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, पटियाला हाउस, नई दिल्ली, 30 सितम्बर 1991, पृष्ठ 14

7 चौदना, आर सी. जनसंख्या भूगोल, कल्याणी पब्लिशर्स, नयी दिल्ली, 1987, पृष्ठ 179



- 8 वार्षिकी, उत्तर प्रदेश, 1990-91 व 1991-92, पृष्ठ 121
- 9 वही, पृष्ठ 123
- 10 *Report of Education Commission, 1966, p 234*
- 11 *Pathak R K Environmental Planning Resources and Development, Chugh Publication, Allahabad, 1990, p 153*
- 12 दत्त, भवतोष योजना, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, पटियाला हाउस, नई दिल्ली, 26 जनवरी 1990, पृष्ठ 2
- 13 *Gibbs, J P (ed) Urban Research Method, 1966, p 107*
- 14 वही
- 15 पूर्वोक्त सदर्थ सख्या 4, पृष्ठ 155
- 16 पूर्वोक्त सदर्थ सख्या 8, पृष्ठ 330
- 17 योजना , 15 सितम्बर 1991, पृष्ठ 9
- 18 पूर्वोक्त सदर्थ सख्या 13, पृष्ठ 161 तथा 331-335
- 19 योजना, 26 जनवरी 1992, पृष्ठ 5
- 20 दास, शिवतोष भारत स्वतन्त्रता के बाद, प्रकाशन विभाग , सूचना और प्रसारण मंत्रालय, 1987 , पृष्ठ 48
- 21 पूर्वोक्त सदर्थ सख्या 19, पृष्ठ 4

XXXXXXXXXXXXXXXX

## अध्याय 8

### समन्वित क्षेत्र - विकास

'समन्वित क्षेत्र-विकास' की सकल्पना एक व्यापक सकल्पना है। किसी अर्थव्यवस्था या क्षेत्र के विकास का तात्पर्य केवल कुछ सुविधाओं की वृद्धि करना ही नहीं है वरन् समग्र विकास करना है। पिछले अध्यायों में अध्ययन क्षेत्र के उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य से सम्बन्धित प्रतिरूपों एवं समस्याओं को विश्लेषित कर विकास-नियोजन प्रस्तुत किया गया है। किन्तु किसी क्षेत्र के विकास में उक्त मुख्य तथ्यों का ही योगदान नहीं होता है। इसके अतिरिक्त अनेक ऐसे कारक हैं यथा - आवास, सफाई, प्रौद्योगिकी विकास, विकसित मानव ससाधन, पर्यावरण सतुलन, मनोरंजन के साधन, खेलकूद के साधन, वर्ग-द्वेष का अभाव, सामुदायिक भावना तथा चरित्र निर्माण आदि, जिसके बिना समग्र-विकास की कल्पना की ही नहीं जा सकती। किन्तु एक शोध - प्रबन्ध में समग्र - विकास के लिए आवश्यक सम्पूर्ण भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक कारकों का अध्ययन नहीं किया जा सकता। इसके लिए शोध - श्रृंखला की आवश्यकता है। एक शोधकर्ता के लिए समय, ससाधनों तथा विशेषज्ञता के अभाव में समग्र अध्ययन करना संभव नहीं है। अतः प्रस्तुत अध्याय में क्षेत्र विकास से सम्बन्धित विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है।

जिस क्षेत्र की (जनपद सोनभद्र) लगभग 86% से अधिक जनसंख्या ग्रामीण हो, 2/3 अशिक्षित हो, 1/4 भाग पर कृषि कार्य हो तथा 40% बस्तियाँ ही सड़कों से अभिगम्य हो ऐसे क्षेत्र के समग्र-विकास के लिए, विकास के लिए उत्तरदायी सभी कारकों को झकृत करने होंगे। वस्तुतः क्षेत्र के समग्र - विकास की सकल्पना भी सापेक्षिक होती जा रही है। पिछड़े क्षेत्रों के विकास की योजना, प्रायः विकसित देशों के विकसित क्षेत्रों के आधार पर की जाती है। किन्तु अध्ययन क्षेत्र का अपना एक विशिष्ट व्यक्तित्व है, जिसके विकास का नियोजन क्षेत्रीय समस्याओं और क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप ही होना चाहिए। कभी-कभी राष्ट्रीय हित में क्षेत्रीय हित को गौण बना दिया जाता है। लेकिन समन्वित क्षेत्र-विकास क्षेत्रीय असतुलन उत्पन्न कर प्राप्त नहीं किया जा सकता।

राष्ट्रीय - हित को ध्यान में रखते हुए अध्ययन क्षेत्र के हित एवं विकास को भुला दिया गया है। गोविन्द बल्लभ पन्त सागर, विद्युत परियोजनाओं, सीमेन्ट, अल्युमिनियम,

रसायन तथा अन्य अनेक उद्योगों की स्थापना से हजारों लोग बेघर हो गए। बीना, खडिया तथा ककरी कोयला क्षेत्रों के उजड़े हुए लोगों से बात करने पर उनके क्षोभ का पता चलता है। एक आदमी ने कहा - 'यदि मुझे ज्ञात हो जाय कि मेरे घर या गांव में सोने की खान है तो भी मैं किसी से नहीं बताऊंगा सरकार से तो कदापि नहीं। क्योंकि हमारा उजाड़ना तो निश्चित हो जाता है और खुश करने के लिए (मुआवजा के रूप में) कुछ पैसे मिल जाते हैं'। उजड़े हुए लोगों के पुरतैनी सामाजिक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक वातावरण को तो प्रदूषित नहीं किया जा सकता किन्तु पुनर्स्थापना की समुचित व्यवस्था कर उनकी समस्याओं को कुछ हद तक कम अवश्य किया जा सकता है। इसके लिए पैसा नहीं वरन् उनके अनुरूप वातावरण एवं आरक्षण देने की आवश्यकता है। वास्तव में हजारों सोनभद्रवासियों के त्याग (मन से भले ही न किया गया हो) से देश के विभिन्न क्षेत्रों में विकास की किरण फैली है।

चुर्क से शक्तिनगर एवं रिहन्द नगर तक सम्पूर्ण क्षेत्र पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से ग्रस्त होता जा रहा है। हमारी भोगवादी सभ्यता ने 'टेक्नोस्फीयर' में सास लेने के लिए मजबूर कर दिया है। हमारी सभ्यता का उदय अरण्यों में हुआ था किन्तु हम पश्चिम के समुद्री सभ्यता (विस्तारवादी एवं भौतिकवादी) के अनुकरण में स्वावलम्बी एवं सतुलित विकास का परित्याग करते जा रहे हैं। आने वाले कुछ दशकों में जनपद सोनभद्र 'महानगरीय प्रदूषण' जैसी समस्या से ग्रस्त हो जाएगा। 'स्टोन क्रेशर' से पहाड़ों को तोड़ने, ताप विद्युत गृहों, सीमेंट कारखानों तथा चूना भट्टियों आदि से निकलने वाले धूम्र एवं कणों से न केवल जीव जन्तुओं पर वरन् वनस्पतियों पर भी दुष्प्रभाव पड़ रहा है। औद्योगिक केन्द्रों के समीपवर्ती क्षेत्रों में फसलो एवं बागानों पर पड़ने वाले प्रभाव एवं उसे दूर करने के लिए उपाय हेतु शोध की आवश्यकता है।

वनों की कटाई एवं उससे जनित अपरदन की समस्या समन्वित विकास की प्रक्रिया को बाधित कर रही है। बाघों, बन्धियों एवं नदियों में लगातार बढ़ते निक्षेप से अनेक पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो रही है। अतः वनोपज की चोरी एवं कटाई पर रोक लगाने की आवश्यकता है। अनियन्त्रित चराई से भी अपक्षय एवं अपरदन में वृद्धि हो रही है। विकासखण्ड चतरा एवं घोरावल के कृषि प्रधान बेलन - घाटी से, वर्षा के दिनों में, पालतू पशु जमलों में चराई

के लिए भेज दिये जाते हैं। अतः ऐसी समस्याओं के समाधान की आवश्यकता है।

लगभग 40 वर्ष की छोटी सी अवधि में जनपद सोनभद्र के पर्यावरण की समस्याओं के लिए तीन कारणों को बताया जाता है। वे हैं गरीबी, कम विकास और विकास कार्यक्रमों का गलत आयोजन तथा गलत कार्यान्वयन। किन्तु गरीबी या गरीबी में जीवन बसर करने वाले लोगों ने नहीं बल्कि धनी किसानों, जो बड़े बांधों और अधिक रासायनिक उर्वरक तथा कीटनाशक दवाओं के उपयोग पर जोर देते हैं। बड़े और मझोले उद्योगपतियों ने जो हमारे वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार हैं और जो प्रदूषण नियंत्रण उपकरण के बगैर अपने बल - बरखाने चला रहे हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रहे हैं। अल्प विकास से नहीं बल्कि इसके विपरीत तेज और जल्दबाजी के विकास से पर्यावरण को क्षति पहुँच रही है। विकास कार्यक्रम के खराब आयोजन और क्रियान्वयन से भी पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचा है बल्कि इसलिए कि हम विकास की परिवर्तन शुद्ध रूप में वृद्धि के रूप में करके मात्रात्मक आकार देते हैं। जबकि हमें गुणात्मकता पर ध्यान देना चाहिए।

अनपरा ताप विद्युत गृह, रिहन्द नगर तथा सिंगरौली सुपरथर्मल पावर हर वर्ष उत्पादन के कीर्तिमान बना रहे हैं। इसे हम प्रायः विकास का सूचक मानते हैं। वास्तव में इनके द्वारा उत्पादित उत्पादों के मूल्य को, उनके द्वारा जनित पर्यावरण प्रदूषण के पुनरुद्धार के मूल्य में से घटा कर ही वास्तविक लाभ ज्ञात करना चाहिए। समन्वित क्षेत्र - विकास के लिए यही सबसे उपयुक्त मापदण्ड है। अब ऐसी योजना बनाने की आवश्यकता है जिससे पता चल सके कि मनुष्य और पर्यावरण के साथ आज और भविष्य में क्या हो रहा है।

अध्ययन क्षेत्र के समन्वित विकास के लिए यह आवश्यक है कि 'वृद्धि रोग' से बचा जाय। इसके जगह 'निर्वाह योग्य विकास' की नयी संकल्पना स्थापित करनी होगी। निर्वाह योग्य विकास वह विकास है जो सबकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, खासकर बहुसंख्यक गरीबों की रोजगार, भोजन, ऊर्जा, पानी और आवास की जरूरतें पूरी करने के लिए, कृषि, निर्माण, ऊर्जा और सेवाओं की प्रगति सुनिश्चित करता है। इसमें पर्यावरण एवं अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों का विलय होता है।

अधिकतर गाँवों की सबसे बड़ी समस्या पेय जल की है। मानसून की वर्षा न होने से और भूमिगत जल के स्तर में कमी से अध्ययन क्षेत्र में भयानक सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भूमिगत जल का पता लगाने के लिए उपग्रहों द्वारा भेजे गए दूर - संवेदन आकड़ों का व्यापक इस्तेमाल करना चाहिए।

पशुओं की पर्याप्त संख्या देखते हुए उनके समुचित विकास की आवश्यकता है। ये पशु ग्रामीण अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग हैं। इन पशुओं की उत्पादकता काफी कम है। नस्ल सुधार के लिए अब तक जो कार्य हुआ है वह विदेशी जाति के पशुओं से सकर-नस्ल के पशु पैदा करने तक सीमित है। भेड़ - बकरियों के पालन की सुविधाएँ एवं उनके उत्पादों को सही मूल्य दिलाने की कोशिश करनी चाहिए। भेड़ों के ऊँठों से कम्बल बनाने के कार्य को प्रोत्साहन एवं दक्षता प्रदान करने की आवश्यकता है। मुक्त बधुआ मजदूरों को 'जर्सी गाय' देने की बजाय, भेड़, बकरी या देशी गाय आदि देनी चाहिए, जो उनके वातावरण के अनुकूल हों।

उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी कैसी हो? इसे तर्क से नहीं बल्कि व्यवहारिक रूप से सोचना होगा। कृषकों एवं कृषि - मजदूरों के सम्बन्ध एक परिवार की तरह होते थे। कृषि - मजदूरों को किस - किस वस्तुओं की आवश्यकता है तथा कृषक मजदूरी के रूप में क्या दे सकता है, के सतुलन एवं सामंजस्य पर कृषि मजदूरों की मजदूरी एवं सम्बन्ध स्थापित थे। किन्तु सरकार औद्योगिक श्रमिकों की तरह कृषि श्रमिकों को भी पैसा दिलाने की नीति अपना रही है जिससे कृषि श्रमिकों की दुर्दशा बढ़ती जा रही है। अतः इसे रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है।

अध्ययन क्षेत्र की अधिकांश ग्रामीण बस्तियाँ कच्चे एवं झोपड़ी के रूप में हैं। इन्दिरा आवास योजना के तहत इनके लिए पक्का मकान बनाने की आवश्यकता नहीं है। सरकार को इनके पुराने मकान की मरम्मत एवं सुधरा स्वरूप प्रदान करना चाहिए। इससे उनके पुश्तैनी मकान का मोह भंग भी नहीं होता है तथा नया (सुधरा मकान) मकान किसी के भी द्वारा अधिग्रहित नहीं किया जा सकता है। कच्चे मकानों व झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के

लिए 'हवाई पैखाना' बनाने की जगह प्रत्येक गाँव में नाली की सुविधा, गलियों में खडजा तथा प्रत्येक गाँव में एक सफाई कर्मी नियुक्त किया जाना चाहिए। सामुदायिक - भावना में वृद्धि करके भी सफाई, नाली तथा सड़क अव्यवस्था से मुक्ति पायी जा सकती है। गोबर के खाद के गड्ढे को गाँव से बाहर बनाना चाहिए, पशुओं को, निवास स्थान से दूर तथा खेतों के पास गोशाला में बाधना चाहिए। ग्रामीणों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के समन्वित विकास के लिए गांधी जी के विचारों को कार्यान्वित करने की आवश्यकता है। अधिकांश ग्रामीण समस्या नगरों की नकल करने से उत्पन्न हो रही है।

अध्ययन क्षेत्र के विकास को नगरीकरण से नहीं मापना चाहिए। क्योंकि नगरीकरण स्वयं एक समस्या है। वह दिन दूर नहीं जब नगरों से गाँवों की ओर पलायन होगा। नगरों की झोपड़-पट्टियों व गंदी गलियों में रहने वाले लोगों से सोनभद्र का आदिवासी अधिक सुखी है। वर्तमान में सुख की अनुभूति एवं विकास कार्यक्रमों से खुशहाली में लगातार वृद्धि होना ही समन्वित विकास है।

जनपद सोनभद्र में खेलकूद के एवं मनोरंजन के साधनों की कमी है। खेलकूद को प्रोत्साहन देकर, प्राचीन किलों मन्दिरों तथा प्राकृतिक स्थलों को सड़कों से जोड़कर इस उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है। विकसित खण्ड स्तर पर खेलों की प्रतियोगिताएँ होनी चाहिए। इससे चारित्रिक विकास एवं मनोरंजन के उद्देश्य की पूर्ति होगी। भारतीय संस्कृति में भौतिक सुविधाओं में वृद्धि से ही समन्वित विकास की परिकल्पना नहीं की गयी है। वस्तुतः सामुदायिक भावना, उच्च चरित्र के लोग तथा वर्ग - द्वेष की भावना का अभाव भी समन्वित क्षेत्र - विकास की संकल्पना को पूर्ण करते हैं।

अध्ययन क्षेत्र में विकास की ऐसी प्रक्रिया चल रही है जिससे आत्म निर्भरता समाप्त होती जा रही है तथा निर्भरता बढ़ती जा रही है। इसे समुचित विकास नहीं कहा जा सकता है। हमारी क्षमता विकसित देशों की तरह विकल्प पैदा करने की नहीं है। हमें तो अपने विकल्पों से ही विकास करना है। तभी समुचित एवं आत्मनिर्भर विकास किया जा सकता है। यहाँ के अरण्यों में रहने वाले सब बिना किसी भौतिक सुविधा के सम्पूर्ण विश्व की झवेदना रखते थे। क्या आज का भौतिक युग तथा तथाकथित विकसित विश्व उन्हें पिछड़ा कह सकता है?

समन्वित - क्षेत्र - विकास की एक नयी परिकल्पना दी जा सकती है । जो क्षेत्र जितना अधिक अन्तर्विरोधों की पचा (समाहित) सकता है उसे उतना ही विकसित कहा जा सकता है । यदि अध्ययन क्षेत्र में बड़े उद्योगों से प्रदूषण न होता, वनों की कटाई से अपरदन न होता तथा जलाशयों के निर्माण से बस्तियों का विस्थापन न हुआ होता तो इसे उच्च स्तर का विकसित क्षेत्र कहा जा सकता था । एक ओर हम तेजी से विकास कर रहे हैं तो दूसरी ओर उसके दुष्परिणाम दिखायी दे रहे हैं । विकास प्रक्रिया से यदि दुष्परिणाम न हो तो समन्वित विकास कहा जा सकता है किन्तु सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र इससे प्रभावित है । यह तथ्य स्वयं एक शोध का विषय है ।

अध्ययन क्षेत्र का समन्वित विकास, उस क्षेत्र में उपलब्ध साधनों, वहाँ के निवासियों की आवश्यकताओं, महत्वाकांक्षाओं और उनके तकनीकी कौशल पर निर्भर है । यहाँ के प्राकृतिक उपहारों का साधन के रूप में मूल्य तभी बढ़ेगा, जब लोगों को उनके उपयोग का ज्ञान हो जाएगा । ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जहाँ सभाव्य साधन विशाल मात्रा में उपलब्ध हैं, किन्तु उपयोगिता के ज्ञान के अभाव तथा आर्थिक कारणों से उनका विकास नहीं हो पाया है । पूँजी, सड़कों, रेलों, तथा तकनीकी ज्ञान के अभाव में विकास में कठिनाई आ रही है ।

जनपद के सभी विकासखण्डों में साधनों का वितरण असमान है । विकासखण्ड नगवा, बभनी, चतरा एवं घोरावल में अभी तक विकास प्रक्रिया आरम्भ नहीं हो सकी है । इससे पिछड़े जनपद में भी क्षेत्रीय असमानता दृष्टिगोचर हो रही है । उपर्युक्त विकासखण्डों में उनके साधनों के अनुरूप विकास प्रक्रिया शीघ्र आरम्भ करने की आवश्यकता है । इससे क्षेत्रीय असमानता को कम किया जा सकता है ।

समन्वित क्षेत्र - विकास एक अविच्छिन्न प्रक्रिया है, जिसे अल्प अवधि में प्राप्त नहीं किया जा सकता है । इस विकास को पूर्ण तभी कहा जा सकता है जब अध्ययन - क्षेत्र के लोगों द्वारा अपने (सोनभद्र के) ही साधनों द्वारा विकास किया जाय । राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में यह संकल्पना विवादास्पद हो सकती, किन्तु क्षेत्रीय विकास के लिए यह अनिवार्य शर्त है । किसी क्षेत्र में (जैसे सोनभद्र) अनेक उद्योग स्थापित कर देने से ही क्षेत्र का विकास नहीं होता

है। हाँ, वहाँ के ससाधनों (जिस पर उद्योग आधारित) का विकास तथा उपयोग अवश्य हो जाता है। इस प्रक्रिया में जब तक स्थानीय लोगों का सहयोग (जिससे रोजगार मिले) प्राप्त नहीं किया जाता है तब तक समन्वित क्षेत्र - विकास को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस समस्या के समाधान के लिए व्यावहारिक शोध की आवश्यकता है।

वर्ष 1991 के जनगणना के अनुसार जनपद सोनभद्र में 42.5% लोग अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हैं। स्वतन्त्रता के पूर्व इन्हें केवल पिछड़ा कहा जा सकता था। किन्तु बड़े उद्योगों की स्थापना, खनन व निर्माण कार्य तथा अन्य कार्यों के प्रारम्भ होने के पश्चात इनका शोषण प्रारम्भ हो गया। इन पिछड़े व शोषित लोगों के कल्याण के लिए विशेष नीति तैयार करने की आवश्यकता है। विकास प्रक्रिया एवं विकास-लाभ में इन्हें सम्मिलित किए बिना समन्वित क्षेत्र - विकास की परिकल्पना अधूरी रह जाएगी। इसके लिए आवश्यक है जगली क्षेत्रों में भी छोटे-छोटे विकास केन्द्रों की स्थापना की जाय। यहाँ के लोगों के खुदबखुद को तोड़ने व नवीनताओं के प्रसरण के लिए व्यावहारिक नीति अपनाने की आवश्यकता है।

सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र के विकास की व्यूह रचना इस प्रकार करनी होगी जिससे न केवल सभी विकास खण्ड एक दूसरे के पूरक हो जाय बल्कि प्रत्येक गाँव एक दूसरे का पूरक हो जाय। 'आत्म निर्भर विकास' ऐसा हो कि सम्पूर्ण गाँव, न्यायप्रदायक एवं विकास खण्ड एक दूसरे से विलग न हो बल्कि माला की तरह एक दूसरे से गुंथ जाय। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सतत प्रयास एवं व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। इसके अभाव में ही जिला मुख्यालय विवाद तथा 'सोनपार क्षेत्र' को अलग जिला बनाने की माँग हो रही है।

किसी क्षेत्र की जनसंख्या को उसका सभाव्य ससाधन माना जाता है। इसमें उनकी संख्या और गुणवत्ता दोनों ही सम्मिलित हैं। लोगों की गुणवत्ता में उनकी कार्य क्षमता या उत्पादकता, उनका वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक विकास, उनके सांस्कृतिक मूल्य और उनके सामाजिक एवं राजनीतिक संगठन सम्मिलित हैं। अतः अध्ययन क्षेत्र के मानव और उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास बहुत आवश्यक है। इसके लिए एक साथ अनेक दिशाओं में लगातार एकजुट होकर प्रयास करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया में परिवार, समाज तथा विद्यालय जैसी



सामाजिक सस्थाए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इनके प्रभावी भूमिका पर शोध करने के लिए विस्तृत क्षेत्र खुला है। सोनभद्रके मानव ससाधन को अधिक से अधिक अच्छे ढग से विकसित, शिक्षित एव प्रशिक्षित करना आवश्यक है क्योंकि इनके विकास पर ही इस जनपद के प्राकृतिक ससाधनो का विकास निर्भर है। इसके अभाव मे ही अन्य क्षेत्रों के लोग यहाँ (सोनभद्र) के कार्यों को हथिया लिए है। इसलिए शिक्षा, स्वास्थ्य, कार्य-कुशलताओं का विकास, कार्य के प्रति लगन, चरित्र निर्माण तथा सामाजिक भावना जैसे गुण और अधिक महत्वपूर्ण होते जा रहे है। उपर्युक्त तथ्यों का विकास कैसे किया जाय, गहन शोध की आवश्यकता है।

समन्वित क्षेत्र - विकास लिए कुछ लक्ष्य ऐसे है, जिन्हे प्राप्त करना अनिवार्य है। लक्ष्य तो स्पष्ट है, लेकिन उसे किस प्रकार प्राप्त किया जाय तथा किस प्रकार उपयोग किया जाय, शोध का विषय है। ये लक्ष्य है - सबको साक्षर बनाना, सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाए जुटाना, व्यावसायिक प्रशिक्षण, तकनीकी शिक्षा तथा व्यावसायिकता मे प्रवीणता । इनके अतिरिक्त कर्तव्यपरायणता तथा कार्य के प्रति निष्ठा पैदा करना, स्त्रियो को बराबरी का दर्जा देकर उनकी क्षमताओं का विकास करना, श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा उर्जा का उपयोग करना, कुछ अन्य प्राप्त करने योग्य लक्ष्य है।

अनेक ऐसे कारक, जो समन्वित क्षेत्र - विकास के लिए आवश्यक है, किन्तु अनेक कारणों से प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध की विषय वस्तु मे सम्मिलित नहीं दिया गया है। अत अध्ययन क्षेत्र (जनपद सोनभद्र) के समन्वित विकास के लिए व्यापक शोध की आवश्यकता है जिसमे अर्थशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों तथा वैज्ञानिकों से सहयोग लेना आवश्यक है।

XXXXXXXXXX

## परिशिष्ट ।

### शब्दावली

अर्थव्यवस्था	<i>Economy</i>
अध्ययन क्षेत्र	<i>Study Area</i>
अपरदन	<i>Erosion</i>
अनौपचारिक	<i>Non-formal</i>
आकारकीय	<i>Morphological</i>
आदान	<i>Inputs</i>
आर्थिक समृद्धि	<i>Economic Growth</i>
आधारभूत उद्योग	<i>Basic Industry</i>
आधारभूत कार्य	<i>Basic function</i>
उपभोक्ता उद्योग	<i>Consumer Industry</i>
औद्योगिक क्रान्ति	<i>Industrial Revolution</i>
कार्यात्मक आकार	<i>Functional Size</i>
कार्यात्मक अंक	<i>Functional Score</i>
कार्यात्मक सूचकांक	<i>Functional Index</i>
कार्याधार जनसंख्या	<i>Threshold Population</i>
कुटीर उद्योग	<i>Cottage Industry</i>
केन्द्र स्थल	<i>Central Place</i>
केन्द्रीयता	<i>Centrality</i>
केन्द्रीयता अंक	<i>Centrality Score</i>
केन्द्रीयता सूचकांक	<i>Centrality Index</i>
केन्द्रीय कार्य	<i>Central Function</i>
कृषि योग्य भूमि	<i>Culturable Land</i>
कृषित	<i>Cropped</i>
कृषि सम्पदा	<i>Agricultural Resources</i>
खनन	<i>Mining</i>
खनिज अयस्क	<i>Mineral Ore</i>
खरीफ	<i>Kharif</i>
खुली खदान	<i>Open Mine</i>
गहन कृषि	<i>Intensive Agriculture</i>
गैर आबाद	<i>Uninhabited</i>
गृह उद्योग	<i>House hold Industry</i>
चकबन्दी	<i>Consolidation of Holding</i>
जलग्रहण क्षेत्र	<i>Catchment Area</i>
जल विद्युत	<i>Hydroelectricity</i>
जल स्तर	<i>Water Table</i>
जोत	<i>Holding</i>
डेयरी उद्योग	<i>Dairy Industry</i>
ढलान	<i>Gradient</i>

तालाब	Tank
ताप विद्युत	Thermal Electricity
तिलहन	Oilseeds
तृतीयक उद्योग	Tertiary Industry
द्वितीयक उद्योग	Secondary Industry
नलकूप	Tube Well
नौ परिवहन	Navigation
पठार	Tableland
पदानुक्रम	Hierarchy
पर्यटन	Tourism
प्रवेशी जनसंख्या	Threshold Population
फसल कोटि	Crop-rank
फसल संयोजन	Crop-Combination/association
बस्ती अन्तरालन	Settlement Spacing
बेसाल्ट	Basalt
बृहद् उद्योग	Large-scale Industry
बृहत स्तरीय	Macro-level
भूमि जल	Ground water
मध्यम स्तरीय	Meso-level
मुख्य कर्मी	Main worker
लघु उद्योग	Small Scale Industry
विकास केन्द्र	Growth Centre
विकास घुव	Growth Pole
विदेशज	Exotic
विनिर्माण	Manufacturing
संतृप्त/संप्रवृत्त जनसंख्या	Saturation point Population
शस्य गहनता	Crop-Intensity
शुद्ध बोया गया	Net Sown
सडक जाल	Road Network
सडक सम्बद्धता	Road Connectivity
समन्वित	Integrated
सर्वगत/सर्वत्रिक	Ubiquitous Compact Index
सहत	Compact
सूचकांक	Index
सूक्ष्म स्तरीय	Micro-level
सेवा केन्द्र	Service Centre
सेवित जनसंख्या	Served Population
शुष्क कृषि	Dry Farming
हृदय क्षेत्र	Heart-Land

## परिशिष्ट 2

### FURTHER READINGS

#### BOOKS AND ARTICLES

- Abder, R. et al 'Spatial Organisation' Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1967
- Agarwal, S N 'Indian Population Problems, Tata McGraw Hill, Bombay 1972
- Ahmed, E 'Geomorphic Regions of Peninsular India', Journal of Ranchi University, 1/9, 1962, pp 1-29
- Alagh, Y. (1972) Regional Aspects of Indian Industrialization, University of Bombay, Economic Series No 21
- Arora, R.C 'Development of Agriculture and Allied Sectors- An Integrated Area Approach', New Delhi, 1976, pp.1-9
- Atkinson, B W Precipitation in Man and Environmental Process edited by K J Gregory and D E Walling, Butterworths, pp 23, 37
- Bannet, H H 'Adjustment of Agriculture to its Environment', AAAG, Vol 33, No 4, Dec 1943, pp 169-198
- Berry, L and Perov, G. 'Economic Planning in the Soviet Union in Planning of Manpower in the Soviet Union Translated by Shcherbovich, S B, Progress Publisher, Moscow, 1975, pp 24-36
- Bhalla, C.S. 'Changing Agrarian Structure in India, A Study of the Impact of Green Revolution in Haryana, Meenakshi Prakashan, Meerut (1972).
- Bhatt, L S. 'Regional Planning in India', Statistical Publishing Society, Calcutta, 1972.
- Bhatnagar, L.P. Transport in Modern India, 5th ed Kishore Publication House, Kanpur (1970).
- Bracey, H E. 'Towns As Rural Service Centres An Index of Centrality with Special Reference to Somerset', Transaction of papers, Institute of British Geographers, No. 19, (1953), pp. 85-105

- Champion, H G A, Preliminary Survey of Forest Types of India and Burma, Indian Forest Record, New Series, Silviculture, vol 1, Delhi, 1936
- Cartor, H. 'Urban Grades and Sphere of Influence in South West Wales', Scottish Geographical Magazine, Vol 71 (1955), pp 43-58
- Chauhan, D S. Studies in the Utilisation of Agricultural Land, Shiv Lal and Co , Agra, (1966)
- Chandna, R.C and S Manjit Introduction to Population Geography, Concept Publishing Company, New Delhi, (1980)
- Chaudhury, M.R. Indian Industries Development and Location, Oxford, Calcutta, 1970
- Dubey, B and M Singh Integrated Rural Development, Jeevan Dhara Publication, Varanasi, (1985)
- Dutta, A K Two Decades of Planning-India An Anotomy of Approach', National Geographical Journal of India, Vol XVIII (3-4), (1972), pp 187-205
- Friedman, J 'Cities in Social Transformation', Reprinted in J Friedman, et al (ed ) 1964, Regional Development Planning-A Reader (1961), pp 343-60
- Gadgil, D R 'District Development Planning', Gokhale Institute of Politics and Economics, Poona, 1967, pp.1-38
- Glasson, J. 'An Introduction of Regional Planning - Concept, Theory and Practice', London, 1978, pp.24-31
- Gould, P.R. 'The Development of the Transportation Pattern in Ghana', Illinois, 1960, p 132
- Government of India, National Atlas of India, New Delhi, Ministry of Education, 1957
- Government of India Irrigation and Power Projects, Ministry of Irrigation and Power, New Delhi, 1970
- Grossman, L. Man-Environment Relationship in Anthropology and Geography, Annals of the Assoc Amer, Geographers, Vol. 67, pp 126-44.
- Haggerstrand, T. Innovation Deffusion as a Spatial Process, Chicago (1970)

- Haggett, P. · *Location Analysis in Human Geography*, Arnold, London (1967)
- Hansen, N M.(ed ) *The Regional Economic Development*, The Press, New York (1972)
- Harvey, D. *Social Justice and the City*, Edward Arnold, London(1973)
- Indian Council of Agriculture Research Handbook of Agriculture, New Delhi, 1970
- ICSSR 'A Survey of Research in Geography', Popular Prakashan, Bombay, 1972, pp 122
- Jena, M.M. · 'Hierarchy of Market Centres in Lower Silabati Basin', *Geographical Review of India*, Vol 40, No 2 June 1978, pp 164-176
- Kar, N.R. · 'Urban Hierarchy and Central Functions Around Calcutta and their Significance', *Land Studies in Geography*, Series B, Human Geography, No 24, 1962, pp 253-274
- Kayastha, S.L et al. 'Geographical Environmental Approach for Integrated Rural Development', *Proceedings of 65th Session of ISCA (Geology & Geography Section)*, 1978, p 3
- Kulkinski, A K. 'Some Basic Issues in Regional Planning', in *Regional Planning and National Development* by Mishra, R P et al (Eds.), VP, New Delhi, 1978, pp 3-21
- Kuznetsov, V.I. 'Economic Integration - Two Approaches', *Progress Publishers, Moscow*, 1975, pp 13-25
- Khan, W.and R.N. Tripathi · *Plan for Integrated Rural Development in Paurigarhwal*, NICD, Hyderabad(1976).
- Law, B.C. (ed.) *Mountain and Rivers of India*, Calcutta, National Committee for Geography, Calcutta, 1968
- Mishra, B N.. *Spatial Pattern of Service Centres in Mirzapur Distt,U P.*, Unpublished Thesis, in Geography, 1980.
- Mishra, H.N. 'The Concept of Umland A Review', *Natioanl Geographer*, Vol 67, 1971, pp 57-63
- Majid Hasan, *Crop Combination in India*, Concept Publishing Company, New Delhi, 1982

- Misra, R.P. Diffusion of Agricultural Innovation, University of Mysore, 1968  
District Planning Development Studies No 6, Institute of Development Studies, University of Mysore 1972  
Regional Planning and National Development, Vikas Publishing House, New Delhi, 1976
- Nicholson, M The Environmental Revolution, Penguin, Harmondsworth, 1972.
- NSSO 'Report on the Status of Estimation of Agricultural Production in India (1974-75)8, Govt of India, New Delhi, 1977, pp.191-198
- Preogrzhensky, V.S 'Integrated Research on the Natural Environment and Resources' in Man Society and the Environment, by Gerasimov, I.P et al (Eds ), Progress Publishers, Moscow, 1975, pp 60-70.
- Ramanna, D.V. and Thapliyal, B K. 'Planning for Agricultural Infrastructures', 10th Course on IRD, Hyderabad, Sept -Oct 1977, pp.1-2, (Cyclostyled Paper)
- Rao, V.L S P. Regional Planning, Indian Finance, Calcutta, 1949  
Regional Planning, Asia Publishing House, Bombay, 1963.
- Regier, H A. and Cowell, E B. Application of ecosystem theory, succession, diversity, stability, stress and conservation, Biological Conservation, Vol. 4, 1972, pp 83-88
- Singh, B. 'Land Use-its Efficiency, Stages and Optimum Use', National Geographical Journal of India, Vol 23, Nos 1-2, March-June 1977, pp 61-72
- Singh, H.P 'Development Pole Theory-Review and Appraisal', National Geographer, Vol 13, No 2, Dec 1978, pp.155-162
- Singh, J 'Transport Geography in South Bihar', NGS, Varanasi, 1964
- Singh, L.R., Savindra, Tiwari, R.C and Srivastava, R.P.: Environmental Management (ed ), Allahabad

- Geographical Society, Geog Deptt Allahabad University, 1983
- Singh, R L.(ed.) 'India-A Regional Geography', NGSI, Varanasi, 1971, pp 189-196
- Singh, R.N.. and Sahab Deen 'Occupational Structure of Urban Centres of Eastern U P A Case Study of Trade and Commerce', Indian Geographical Journal, Vol 56 No p 81, pp 55-62
- Smith, D.D. and Wischmeier, W H Rainfall erosion, Advances in Agronomy, Vol 14, 1962, 109-48
- Spate, O.H K. and Lear Month, A.T A Indian and Pakistan A General and Regional Geography, 3rd ed Methuen, London, 1967
- Stamp, L D. 'The Determination of Planning Regions', National Geographer, Vol 5, 1962, pp 1-6
- Sundram, K.V. 'Regional Planning in India', in Symposium on Regional Planning (21st I G C ), Calcutta, 1971, pp 109-123
- Thapliyal, B.K. and Ramanna, D.V. 'Planning for Social Facilities', 10th Course on IRD, NICD, Hyderabad, Sept -Oct 1977, pp 1-3 (Unpublished Paper)
- Verma, L.N. 'Spatial Arrangement on Central Places on the Rewa Plateau' in Essay in Applied Geography by Mishra, V.C et al (Eds ), University of Saugar, 1976, pg 251-258.
- Wadia, D.N.: Geology of India (Economic Minerals) 5th ed., MacMillan, London, 1965.
- Wadia, M D.N. 'Minerals of India, N.B T , India, New Delhi, 1966
- Wanmali, S 'Central Places and their Tributary Population- some observations', Behavioural Sciences and Community Development, Vol.6, No 1, March 1972, pp 11-39
- William, R.C. and Morill, R.L. 'Diffusion Theory and Planning', Economic Geography, Vol 51, No 3, July 1975, pp 290

XXXXXXXXXXXX